CHAHAL ACADEMY

मासिक पत्रिका

अप्रैल 2026

समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए

विशेष आकर्षण

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न अप्रैल

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

*प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न

- मंगल पांडे
- दलबदल विरोधी कानून
- सोने की कीमतों में गिरावट
- भारत-दक्षिण कोरिया संबंध
- यूपीआई (UPI) के 10 वर्ष पूरे
- बुद्ध पूर्णिमा, अवशेष कूटनीति
- चंद्र अन्वेषण एवं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III का विस्तार
- अर्थ ऑवर 2026
- लोकसभा अध्यक्ष
- पर्यटन और व्यापार
- ओलिव रिडले कछुआ
- स्कूली शिक्षा में एआई (AI)
- एस-400 ट्रायम्फ (सुदर्शन) प्रणाली
- भारत-रूस रेलोस (RELOS) समझौता
- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जलवायु परिवर्तन

चहल एकेडमी द्वारा

एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम

"हमारी एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज एक ही विषय के लिए विभिन्न कक्षाओं की कई एनसीईआरटी पुस्तकों को कवर करने की समस्या का समाधान करती है। यह कॉम्पेंडियम सीरीज अभ्यर्थियों को कम समय में समग्र एनसीईआरटी को कवर करने में मदद करेगी, साथ ही प्रत्येक इकाई के बाद अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपने प्रदर्शन के स्व-परीक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी।"

चहल एनसीईआरटी कॉम्पेंडियम सीरीज की सभी पुस्तकें

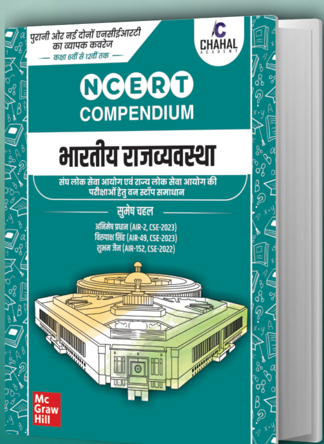

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us

अनुक्रमणिका

इकाई 01: राजव्यवस्था एवं शासनजाति के संदर्भ में तटस्थता की सीमाएँ..........1

विदेशी अंशदान को लेकर आशंका..........1

भारत का सर्वोच्च न्यायालय..........2

लोकसभा अध्यक्ष..........4

भारत में परिसीमन..........5

मुख्यमंत्री: नियुक्ति, शक्तियाँ एवं पद से हटाना..........7

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA)..........8

राज्य चुनावों में आदर्श आचार संहिता (MCC)..........9

भारत के उपराष्ट्रपति : संवैधानिक भूमिका..........10

संविधान संशोधन विधेयक..........11

दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)..........12

संवैधानिक नैतिकता एवं न्यायपालिका..........13

भारत में सुदृढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र का निर्माण..........15

वित्त आयोग..........17

नीति आयोग (NITI Aayog)..........19

इकाई 02: अंतरराष्ट्रीय संबंधसंबंधों का पुनर्निर्माण..........21

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध..........22

चाबहार बंदरगाह और उसका महत्व..........22

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का ओपेक से बाहर निकलना..........24

'येलो लाइन' सुरक्षा रणनीति..........25

भारत-रूस आरईएलओएस (RELOS) समझौता..........27

इकाई 03: अर्थव्यवस्था एवं कृषिएट लॉन्ग लास्ट..........31

भारत के अनौपचारिक शहरी कार्यबल की चुनौतियाँ..........32

कृषि आपूर्ति संकट एवं मुद्रास्फीति..........34

औद्योगिक नीति एवं विनिर्माण वृद्धि..........35

दिवाला सुधार एवं अर्थव्यवस्था..........36

प्रवासन शासन में कमियाँ..........38

जीडीपी रैंकिंग और विनिमय दर..........38

यूपीआई (UPI) के 10 वर्ष पूरे..........39

सोने की कीमतों में गिरावट..........42

वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)..........43

इकाई 04: पर्यावरण एवं भूगोल..........47

लचीले नियम..........47

अरेस्ट द ग्रीफ..........48

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जलवायु परिवर्तन..........50

भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिबद्धताएँ..........51

शहरी वायु प्रदूषण शासन..........52

वन पारिस्थितिकी और संरक्षण..........53

पश्चिमी विक्षोभ और आईएमडी मौसम चेतावनी..........54

भारत ने COP33 UNFCCC मेजबानी की बोली वापस ली..........57

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना..........59

ओलिव रिडले कछुआ..........61

जुगनू..........62

कुगती वन्यजीव अभयारण्य..........63

इकाई 05: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..........65

भारत में किफायती कैंसर देखभाल की चुनौती..........65

चंद्र अन्वेषण एवं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था..........67

सिक्स सिग्मा मानक और
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS)..........68

मेथनॉल बंकरिंग और हरित समुद्री संक्रमण..........70

इकाई 06: रक्षा एवं सुरक्षा..........73

पनडुब्बी प्रभुत्व के माध्यम से निवारण को सुदृढ़ करना..........73

आतंकवाद विरोधी सुरक्षा में बदलाव..........73

एक्सर्साइज डस्टलिक का 7वां संस्करण..........75

एस-400 ट्रायम्फ (सुदर्शन) प्रणाली..........75

दुनागिरि: प्रोजेक्ट 17A का 5वां जहाज..........77

इकाई 07: सामाजिक मुद्दे..........78

भारत के ग्रामीण मॉडल विकास कूटनीति को आकार दे रहे हैं..........78

बुनियादी शिक्षा और साझा जिम्मेदारी..........78

स्कूली शिक्षा में एआई (AI)..........79

डिजिटल युग में पालन-पोषण..........81

जाति के संदर्भ में तटस्थता की सीमाएँ..........82

विकलांगों के अनुकूल जेलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश..........82

इकाई 08: इतिहास एवं संस्कृति..........85

धार्मिक संरक्षण और मौर्य विरासत..........85

बुद्ध पूर्णिमा, अवशेष कूटनीति..........86

बसवजयंती..........87

इकाई 09: सरकारी योजनाएँ..........89

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III का विस्तार..........89

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (F.O.F 2.0)..........90

इकाई 10: महत्वपूर्ण रिपोर्ट....92
भारत के प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन....92
अर्थ ऑवर 2026....92
वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2026....94
विषय के अनुसार क्यूएस (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026....95
इकाई 11: चर्चा में रहे व्यक्तित्व....97
डॉ. बी.आर. अंबेडकर....97
मंगल पांडे....99
गुरु तेग बहादुर....99
इकाई 12: विविध....101
पर्यटन और व्यापार....101
संवैधानिक नैतिकता बनाम आस्था....101
इकाई 13: अप्रैल 2026 'द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस से दैनिक अभ्यास प्रश्न'....114
दैनिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास....115

इकाई 01

राजव्यवस्था एवं शासन

जाति के संदर्भ में तटस्थता की सीमाएँ

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'UGC समानता विनियम, 2026' (UGC Equity Regulations, 2026) पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा पर बहस तेज हो गई है। इस फैसले ने उच्च शिक्षा में समावेशन, संवैधानिक समानता तथा संस्थागत जवाबदेही जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया है।

प्रमुख विवरण

- उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव पर केंद्रित।
- छात्र आत्महत्याओं तथा संस्थागत पक्षपात से संबंधित एक मामले से उत्पन्न।
- बहस का केंद्र "जाति-तटस्थ" बनाम "लक्षित" परिभाषा रहा।
- वास्तविक (सार्थक) समानता (अनुच्छेद 14 एवं 15) पर बल।
- प्रभावी प्रवर्तन तथा जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने UGC समानता विनियम, 2026 पर अंतरिम रोक लगाई।
- ये विनियम जातिगत भेदभाव और छात्र आत्महत्याओं से संबंधित एक मामले से उत्पन्न हुई।
- इस मामले ने उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया।
- ध्यान समावेशी एवं सुरक्षित संस्थागत वातावरण के निर्माण पर केंद्रित है।
- संरचनात्मक भेदभाव के समाधान की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा

- अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के विरुद्ध भेदभाव के रूप में परिभाषित।
- ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को लक्षित करता है।
- किसी भी वंचित वर्ग को छोड़े बिना भेदभाव के दायरे को पारदर्शी बनाना
- संस्थानों में निहित प्रणालीगत असमानता पर केंद्रित।

जाति-तटस्थ दृष्टिकोण की सीमाएँ

- आलोचकों का तर्क है कि "सामान्य वर्ग" के छात्रों को शामिल करने से फोकस कमजोर पड़ जाता है।
- जाति-तटस्थता यह मानकर चलती है कि सभी समूहों पर भेदभाव का प्रभाव समान होता है।
- यह संरचनात्मक पदानुक्रमों तथा शक्ति-असंतुलनों की उपेक्षा करती है।
- प्रणालीगत उत्पीड़न को व्यक्तिगत घटनाओं के समान मानने का जोखिम उत्पन्न करती है।
- जाति-आधारित क्षति के विरुद्ध लक्षित कानूनी संरक्षण को कमजोर करती है।

समानता पर संवैधानिक दृष्टिकोण

- अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 15 वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वास्तविक (सार्थक) समानता को बढ़ावा देता है।
- अन्याय के निवारण हेतु भिन्नतापूर्ण व्यवहार (Differential Treatment) की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
- असमान समाजों में "सभी के लिए एक समान" तटस्थता के दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है।

प्रभावी क्रियान्वयन का महत्त्व

- मुख्य समस्या कमजोर प्रवर्तन और जवाबदेही में निहित है।
- स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है।
- समयबद्ध जाँच और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नियमित लेखा-परीक्षण (Audits), निगरानी तथा संस्थागत उत्तरदायित्व आवश्यक हैं।
- वास्तविक समानता प्राप्त करने की कुंजी प्रभावी क्रियान्वयन है।

निष्कर्ष

- UGC समानता विनियमों पर बहस औपचारिक तटस्थता और वास्तविक (सार्थक) समानता के बीच तनाव को उजागर करती है।
- जाति-आधारित भेदभाव का समाधान एक समान दृष्टिकोण अपनाने के बजाय संरचनात्मक असमानताओं की पहचान करने की मांग करता है।
- क्रियान्वयन, जवाबदेही और संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए गरिमा, समावेशन और न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़, संदर्भ-संवेदी ढाँचा अनिवार्य है।

विदेशी अंशदान को लेकर आशंका

चर्चा में क्यों: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों ने बहस छेड़ दी है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार एक नामित प्राधिकरण को परिसंपत्तियाँ जब्त करने की शक्ति दी जाएगी। इससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

प्रमुख विवरण

- FCRA लाइसेंस खोने वाले संगठनों की परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने हेतु एक नामित प्राधिकरण (Designated Authority) की व्यवस्था।
- न्यायिक प्रक्रिया के बिना परिसंपत्तियों की स्वतः जब्ती की अनुमति।
- प्राकृतिक न्याय तथा विधिक प्रक्रिया (Due Process) के उल्लंघन की आशंका।

- विदेशी वित्तपोषण नियमों के अपारदर्शी एवं चयनात्मक प्रवर्तन के लिए आलोचना।
- गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अल्पसंख्यक-प्रबंधित संस्थानों पर असंगत प्रभाव की आशंका।

प्रस्तावित FCRA संशोधन: प्रमुख चिंताएँ

- केंद्र सरकार विदेशी अंशदानों को चयनात्मक और अपारदर्शी तरीके से प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में नए संशोधनों का उद्देश्य विदेशी निधि प्राप्तकर्ताओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना है।
- विधेयक 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु विरोध के कारण वर्तमान में स्थगित है।
- यह FCRA पंजीकरण खोने वाले संगठनों पर व्यापक शक्तियों वाली "नामित प्राधिकरण" व्यवस्था का प्रस्ताव करता है।
- इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के आधार पर उचित ठहराया गया है, किंतु इससे मंशा और निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

नामित प्राधिकरण की शक्तियाँ

- प्राधिकरण उन संगठनों की परिसंपत्तियों को जब्त, प्रबंधित और निपटान कर सकता है, जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हो गया है।
- परिसंपत्तियों में विद्यालय, अस्पताल और धार्मिक संस्थान शामिल हो सकते हैं, जो विदेशी निधि का उपयोग करते हैं।
- लाइसेंस निरस्तीकरण के बाद परिसंपत्तियों पर नियंत्रण स्वतः और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- ऐसी कार्रवाई से पहले किसी न्यायिक समीक्षा या न्यायनिर्णयन (Adjudication) प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
- इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें सरकार बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के परिसंपत्तियों से होने वाले लाभ को वापस ले सकती है और उससे लाभान्वित हो सकती है।

निष्पक्षता एवं प्राकृतिक न्याय से जुड़े मुद्दे

- इस प्रक्रिया को मनमाना तथा प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित माना जाता है।
- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, क्योंकि सुनवाई का अवसर सुनिश्चित नहीं किया गया है।
- लाइसेंस निरस्तीकरण से पूर्व वैध रूप से निर्मित परिसंपत्तियाँ भी जब्त की जा सकती हैं।
- इससे पूर्वव्यापी दंडात्मक प्रभाव (Retrospective Penalisation) को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- अल्पसंख्यक समूह, विशेषकर ईसाई संगठन, विदेशी वित्तपोषण पर निर्भरता के कारण असंगत प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

पारदर्शिता एवं चयनात्मकता को लेकर चिंताएँ

- FCRA लाइसेंस प्रदान करने या रद्द करने में सरकार का दृष्टिकोण अपारदर्शी और असमान प्रतीत होता है।
- संसद में FCRA से संबंधित आँकड़ों पर उठाए गए प्रश्नों को कथित रूप से वर्ष 2024 से अस्वीकृत किया जा रहा है।
- इससे विदेशी निधि की अनुमति देने में पक्षपात (Favoritism) की आशंका उत्पन्न होती है।
- नियामकीय विश्वसनीयता निरंतरता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है, जिनकी कमी दिखाई देती है।
- विरोधाभास यह है कि भारत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत करता है, किंतु NGOs पर प्रतिबंध लगाता है।

FCRA के विकास की पृष्ठभूमि

- FCRA पहली बार वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था।
- UPA सरकार के दौरान वर्ष 2010 में इसे पुनः अधिनियमित किया गया।
- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2020 में इसे और अधिक कठोर बनाया गया।
- प्रत्येक संशोधन ने विदेशी वित्तपोषण पर प्रतिबंधों को क्रमशः बढ़ाया है।
- नवीनतम प्रस्ताव अधिक केंद्रीय नियंत्रण की इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है।

आगे की राह

- सरकार को प्रस्तावित संशोधनों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- कोई भी विनियमन पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभावरहित होना चाहिए।
- न्यायिक निगरानी और विधिक प्रक्रिया (Due Process) जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।
- नीतियों को वैध रूप से निर्मित परिसंपत्तियों की मनमानी जब्ती से बचना चाहिए।
- राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए नागरिक समाज को कमजोर किए बिना संतुलित ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तावित FCRA संशोधनों से नियामकीय शासन व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होने का जोखिम है, क्योंकि ये वैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों पर मनमाने राज्य नियंत्रण को सक्षम बनाते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है, परंतु पारदर्शिता या न्यायिक सुरक्षा उपायों के बिना अत्यधिक कार्यकारी विवेकाधिकार नागरिक समाज की कार्यप्रणाली के लिए खतरा उत्पन्न करता है। विदेशी अंशदानों के विनियमन में विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए निष्पक्षता, जवाबदेही और प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करने वाला संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों ने पारदर्शिता, प्राकृतिक न्याय और संघीय संतुलन के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

(15 अंक, 250 शब्द)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों: भारत का सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में सबरीमाला से संबंधित लंबित सुनवाइयों, मंदिरों में समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अश्लीलता की सीमाएँ) तथा न्यायिक सुधारों और समावेशन पर निर्णयों के कारण समाचारों में है, जो सामाजिक एवं संवैधानिक मुद्दों में इसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

प्रमुख विवरण

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का **सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण** है।
- इसकी स्थापना **28 जनवरी 1950** को हुई थी।
- इसने **भारत के संघीय न्यायालय** (Federal Court of India) तथा **प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति** (Judicial Committee of the Privy Council) का स्थान लिया।
- यह **संविधान का संरक्षक** (Guardian of the Constitution) के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के **भाग V (अनुच्छेद 124–147)** में इसका उल्लेख किया गया है।
- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की **स्थापना और संरचना** का प्रावधान करता है।
- संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है।

न्यायालय की संरचना

- **इसमें शामिल हैं:**
  - ➢ भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI)
  - ➢ अन्य न्यायाधीश (वर्तमान स्वीकृत संख्या: 37)
- न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- नियुक्ति **कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)** के अनुसार होती है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

- **किसी व्यक्ति को:**
  - ➢ भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - ➢ कम-से-कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायधीश रहा हो, अथवा
  - ➢ 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा
  - ➢ एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो (यह प्रावधान विरल रूप से प्रयुक्त होता है)।

कार्यकाल एवं पद से हटाना

- न्यायाधीश **65 वर्ष की आयु** तक पद पर बने रहते हैं।
- वे राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं।
- उन्हें संसद द्वारा **महाभियोग (Impeachment)** के माध्यम से निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है:
  - ➢ सिद्ध दुराचार (Proven Misbehaviour)
  - ➢ अक्षमता (Incapacity)

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र

(a) मूल अधिकार-क्षेत्र (Original Jurisdiction)

- **निम्नलिंखित के बीच विवाद:**
  - ➢ केंद्र और राज्य
  - ➢ राज्य बनाम राज्य
- मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले (अनुच्छेद 32)।

(b) अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

- **निम्नलिखित से अपीलें:**
  - ➢ उच्च न्यायालय
  - ➢ दीवानी, आपराधिक एवं संवैधानिक मामले

(c) परामर्शी अधिकार-क्षेत्र (Advisory Jurisdiction)

- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत।
- भारत के राष्ट्रपति विधिक विषयों पर परामर्श मांग सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
  - ➢ कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)
  - ➢ व्याख्या के माध्यम से अधिकारों का विस्तार करता है।
- अभिलेख न्यायालय (Court of Record)
  - ➢ इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
  - ➢ न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है।

मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भूमिका

- अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।
- **निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है:**
  - ➢ बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  - ➢ परमादेश (Mandamus)
  - ➢ उत्प्रेषण (Certiorari)
  - ➢ प्रतिषेध (Prohibition)
  - ➢ अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)

जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)

- किसी भी नागरिक को **लोकहित (Public Welfare)** हेतु न्यायालय जाने की अनुमति देती है।
- कमजोर वर्गों के लिए **न्याय तक पहुँच (Access to Justice)** को बढ़ावा देती है।
- कठोर विधिक प्रक्रियाओं में शिथिलता प्रदान करती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

निम्नलिखित द्वारा सुनिश्चित:

- कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure)
- निश्चित वेतन (Fixed Salaries)
- पद से हटाने की प्रक्रिया (Removal Procedure)
- कार्यपालिका से पृथक्करण (Separation from Executive)

महत्त्वपूर्ण निर्णय

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  - ➢ मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ
  - ➢ अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का विस्तार किया।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
  - ➢ न्यायिक पुनरावलोकन को सुदृढ़ किया।

पीठ एवं स्थान

- नई दिल्ली में स्थित।
- एकाधिक पीठों में बैठ सकता है।
- संविधान अन्य स्थानों पर पीठों की अनुमति देता है, किंतु वर्तमान में केवल दिल्ली में कार्यरत है।

सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्व

- लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा करता है।
- संघीय संतुलन बनाए रखता है।
- नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
- संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जो न्याय सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा संघीय संतुलन बनाए रखता है। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से यह विधि के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखता है। इसकी भूमिका भारत के बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा तथा संवैधानिक सर्वोच्चता के संरक्षण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

लोकसभा अध्यक्ष

चर्चा में क्यों: लोकसभा का सत्र व्यवधानों, विधेयकों तथा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर बहस, विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाली विधायी प्रक्रियाओं के कारण चर्चा में है।

प्रमुख विवरण

- अध्यक्ष, अनुच्छेद 93–110 के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो सदन के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
- धन विधेयक (Money Bill) के प्रमाणीकरण तथा दल-बदल विरोधी निर्णयों पर उनका अधिकार संघीय संतुलन और न्यायिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने तथा संसदीय विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्षता आवश्यक है।
- एक निष्पक्ष अध्यक्ष लोकतांत्रिक स्थिरता को सुदृढ़ करता है, जनविश्वास बढ़ाता है तथा कार्यपालिका के प्रभुत्व पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक संबंध

लोकसभा अध्यक्ष संविधान को दैनिक संसदीय व्यवहार से जोड़ते हैं, जिससे अनुच्छेद 93–110 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित होता है।

- वे औपचारिक रूप से कार्यपालिका का हिस्सा बने बिना सरकारी कार्यों को विनियमित करके विधायिका और कार्यपालिका के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

विधायिका–न्यायपालिका संबंध

- धन विधेयकों तथा दल-बदल विरोधी मामलों पर लिए गए निर्णय अक्सर न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी बहसों को आकार देते हैं, जिससे संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच तनाव उजागर होता है।
- न्यायालय सामान्यतः अध्यक्ष के अधिकार का सम्मान करते हैं, जिससे विधायी स्वायत्तता सुदृढ़ होती है।

केंद्र–राज्य एवं संघीय संबंध

- धन विधेयकों का प्रमाणीकरण राज्यसभा की भूमिका को प्रभावित करता है, जिससे भारत का संघीय संतुलन प्रभावित होता है।
- अध्यक्ष की सुदृढ़ निष्पक्षता संसद में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों के हितों की रक्षा करती है।

दल प्रणाली एवं लोकतांत्रिक मानदंड

- यद्यपि अध्यक्ष का निर्वाचन किसी राजनीतिक दल के टिकट पर होता है, फिर भी उनसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संस्थागत विश्वास से जुड़ी नैतिकता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- निष्पक्ष कार्यप्रणाली विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि पक्षपातपूर्ण आचरण लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर कर सकता है।
- विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजकर अध्यक्ष विशेषज्ञ परीक्षण और अधिक जवाबदेही के साथ विधायी प्रक्रिया को जोड़ते हैं।
- इन शक्तियों का प्रभावी उपयोग नीतिगत गुणवत्ता में सुधार करता है तथा कार्यपालिका के प्रभुत्व को सीमित करता है।

जनविश्वास एवं लोकतांत्रिक स्थिरता

- अध्यक्ष की निष्पक्षता नागरिकों के विश्वास को संस्थागत स्थिरता से जोड़ती है।
- एक निष्पक्ष अध्यक्ष संसद को केवल सरकार-नियंत्रित मंच नहीं, बल्कि लोकतंत्र के केंद्रीय मंच के रूप में सुदृढ़ करता है।

दशकों के दौरान संसद

- लोकसभा की बैठकों की संख्या में वर्षों के दौरान कमी आई है—1952–70 के बीच प्रति वर्ष औसतन 121 दिन से घटकर 2000 के बाद 68 दिन रह गई।
- 17वीं लोकसभा (2019–2024) की बैठकें 274 दिन चलीं, जो पूर्ण कार्यकाल वाली किसी भी लोकसभा में सबसे कम थीं।
- 17वीं लोकसभा ने पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव नहीं किया। यह पद संपूर्ण 18वीं लोकसभा के दौरान भी रिक्त बना हुआ है।

2004–2024 एक संक्षिप्त विवरण

14वीं लोकसभा (2004–2009)	
बैठकें	332 दिन
समय का उपयोग	87%
पारित विधेयक	248
समितियों को भेजे गए	60%
15वीं लोकसभा (2009–2014)	
बैठकें	356 दिन
समय का उपयोग	61%
पारित विधेयक	179
समितियों को भेजे गए	71%
16वीं लोकसभा (2014–2019)	
बैठकें	331 दिन
समय का उपयोग	84%
पारित विधेयक	133
समितियों को भेजे गए	25%
17वीं लोकसभा (2019–2024)	
बैठकें	274 दिन
समय का उपयोग	88%
पारित विधेयक	179
समितियों को भेजे गए	16%

पिछले दो दशकों में सबसे अधिक व्यवधान वाले सत्र

शीतकालीन सत्र 2010	लोकसभा 5%	राज्यसभा 2%
शीतकालीन सत्र 2013	लोकसभा 8%	राज्यसभा 19%
शीतकालीन सत्र 2016	लोकसभा 15%	राज्यसभा 18%
बजट सत्र 2014	लोकसभा 21%	राज्यसभा 27%
बजट सत्र 2018	लोकसभा 21%	राज्यसभा 27%

अब तक की 18वीं लोकसभा

प्रथम सत्र	लोकसभा अपने निर्धारित समय के 95% तक संचालित हुई	राज्यसभा 101%
बजट सत्र 2024	लोकसभा 135%	राज्यसभा 112%
शीतकालीन सत्र 2024	लोकसभा 52%	राज्यसभा 39%
बजट सत्र 2025	लोकसभा 111%	राज्यसभा 112%
मानसून सत्र 2025	लोकसभा 29% (व्यवधानग्रस्त)	राज्यसभा 34% (व्यवधानग्रस्त)

(स्रोत: पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च)

निष्कर्ष

लोकसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक आधारों पर स्वेच्छा से पद छोड़ना जनविश्वास को सुदृढ़ करता है तथा संसदीय नैतिकता को बनाए रखता है। निष्पक्षता, संवैधानिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना संसद की विश्वसनीयता की रक्षा तथा भारत में एक सुदृढ़ विधायी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अनुच्छेद 93–110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए। ये विधायी कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

भारत में परिसीमन

चर्चा में क्यों: वर्ष 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर बहस जनसंख्या-आधारित सीट पुनर्वितरण, उत्तर-दक्षिण राजनीतिक असंतुलन, मतों के मूल्य तथा भारतीय संघवाद और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभावों को लेकर तीव्र हो गई है।

प्रमुख विवरण

- परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत की जाती है।
- इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- यह जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है।
- 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सीटों के आवंटन पर वर्तमान रोक वर्ष 2026 तक जारी है।
- आयोग के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

परिसीमन : अर्थ एवं संवैधानिक आधार

परिसीमन का अर्थ

- परिसीमन से आशय जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन का पुनर्निर्धारण करना है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है।

समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत

- परिसीमन "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

स्वतंत्र तंत्र

- परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके आदेशों को विधि का बल प्राप्त है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाता है।

राज्यों के बीच 543 लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण

1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीटों की तुलना 2026 की जनसंख्या के अनुमान के आधार पर संभावित सीटों से

■ सीटों में वृद्धि ■ सीटों में कमी

जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटें बढ़ेंगी

राज्य/केंद्रशासित उत्तर प्रदेश बिहार	वर्तमान सीटें (1971 की जनगणना)	2026 की जनसंख्या के अनुमान के आधार पर सीटें	सीटों में वृद्धि
राजस्थान	80	92	+12
मध्य प्रदेश	20	50	+10
गुजरात	26	34	+7
हरियाणा	10	28	+5
हरियाणा	48	49	+2
महाराष्ट्र	10	12	+2
झारखंड	48	49	+1
छत्तीसगढ़	14	12	+1
NCT Delhi	11	12	+1
राष्ट्रीय राजधानी	7	8	+1
क्षेत्र दिल्ली	290	332	+42

जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटें घटेंगी

राज्य/केंद्रशासित तमिलनाडु केरल	वर्तमान सीटें (1971 की जनगणना)	2026 की जनसंख्या के अनुमान के आधार पर सीटें	सीटों में कमी
आंध्र प्रदेश	39	29	-10
पश्चिम बंगाल	42	13	-7
ओडिशा	21	20	-5
तेलंगाना	17	16	-3
कर्नाटक	13	18	-3
पंजाब	8	14	-1
उत्तराखंड	26	26	-2
हिमाचल प्रदेश	3	5	-1
अरुणाचल प्रदेश	3	4	-1
मणिपुर	4	3	-1
त्रिपुरा	2	1	-1
मेघालय	2	1	-1
गोवा	8	1	-1

शेष 29 सीटें असम, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के बीच विभाजित हैं। इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी।

भारत में परिसीमन का ऐतिहासिक विकास

प्रारंभिक परिसीमन अभ्यास

- परिसीमन आयोगों का गठन क्रमशः 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया, जो 1951, 1961, 1971 और 2001 की जनगणनाओं पर आधारित थे।

42वाँ संविधान संशोधन (1976)

- आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन वर्ष 2001 तक स्थिर कर दिया गया।

84वाँ संविधान संशोधन (2001)

- इस स्थगन को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया, यद्यपि 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण सीटों की संख्या बदले बिना किया जा सकता था।

वर्तमान स्थिति

- भारत आज भी बड़े पैमाने पर 1971-आधारित सीट आवंटन का अनुसरण करता है, जबकि जनसंख्या लगभग 55 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व संबंधी विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

सीटों का असमान आवंटन एवं मत का मूल्य

असमान प्रतिनिधित्व

- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं।

मत के मूल्य में असमानता

- केरल का एक सांसद लगभग 17–18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बिहार का एक सांसद लगभग 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिससे मत के मूल्य में असमानता उत्पन्न होती है।

सीटों के असमान आवंटन की अवधारणा

- यह जनसंख्या के अनुपात और सीटों के हिस्से के बीच असंगति को दर्शाता है, जिससे लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत कमजोर होता है।

लोकतांत्रिक प्रभाव

- अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नागरिकों का प्रति मत प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता है।

उत्तर–दक्षिण विभाजन एवं संघीय चिंताएँ

क्षेत्रीय असंतुलन

- परिसीमन के बाद उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण बहस

- दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि सफलतापूर्वक जनसंख्या स्थिरीकरण नीतियाँ लागू करने और सामाजिक संकेतकों में सुधार करने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

संघीय तनाव

- सीटों के पुनर्वितरण से राजनीतिक शक्ति अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की ओर स्थानांतरित हो सकती है, जिससे गठबंधन राजनीति और नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

भाषाई एवं क्षेत्रीय संवेदनशीलता

- चूँकि राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था, इसलिए परिसीमन का क्षेत्रीय पहचान और सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है।

राजकोषीय संघवाद एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था

राजस्व बनाम प्रतिनिधित्व का विरोधाभास

- आर्थिक रूप से अधिक सशक्त दक्षिणी राज्य उच्च कर राजस्व का योगदान करते हैं, किंतु परिसीमन के बाद उनका संसदीय प्रभाव कम हो सकता है।

केंद्रीकृत राजकोषीय संरचना

- केंद्र सरकार अधिकांश राजस्व पर नियंत्रण रखती है, जबकि राज्यों की वित्त आयोग हस्तांतरणों पर महत्वपूर्ण निर्भरता रहती है।

क्षैतिज वितरण संबंधी मुद्दे

- जनसंख्या-आधारित संसाधन वितरण सूत्र अक्सर अपेक्षाकृत गरीब और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ पहुँचाते हैं।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी चिंता

- प्रतिनिधित्व में कमी से समृद्ध राज्यों का राजकोषीय नीति और राष्ट्रीय संसाधन आवंटन पर प्रभाव कमजोर हो सकता है।

शासन एवं प्रतिनिधित्व संबंधी चुनौतियाँ

बड़े निर्वाचन क्षेत्र का आकार

- भारतीय सांसद लगभग 15–30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विश्व के अनेक लोकतंत्रों की तुलना में कहीं अधिक है।

जवाबदेही संबंधी चिंताएँ

- बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के कारण नागरिक–प्रतिनिधि संवाद और शिकायत निवारण की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

विधायी बोझ

- अत्यधिक कार्यभार वाले सांसदों को विधायी दायित्वों, कार्यपालिका की निगरानी तथा निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

- छोटे निर्वाचन क्षेत्रों वाले लोकतंत्र प्रायः बेहतर राजनीतिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व प्रदर्शित करते हैं।

परिसीमन एवं तुलनात्मक संघीय मॉडल

भारतीय मॉडल

- लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जो पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं से भिन्न है।

अमेरिकी संघीय उदाहरण

- संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जबकि सीनेट राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देती है।

भारतीय चुनौती

- भारत की राज्यसभा में राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का अभाव है, जिससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के प्रभुत्व की आशंका बनी रहती है।

संघीय संतुलन की आवश्यकता

- लोकतांत्रिक समानता और सहकारी संघवाद के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक संतुलित मॉडल आवश्यक है।

परिसीमन का महत्त्व

- निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन समानता सुनिश्चित करता है।
- प्रतिनिधिक लोकतंत्र तथा चुनावों की वैधता को सुदृढ़ करता है।
- बदलती जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं और प्रवासन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है।
- दीर्घकालिक प्रतिनिधित्व संबंधी विकृतियों और सीटों के असमान आवंटन को रोकता है।
- संवैधानिक शासन और जवाबदेही को समर्थन प्रदान करता है।

आगे की राह

लोकसभा की शक्ति का विस्तार

- लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़ाने से निर्वाचन क्षेत्रों का आकार कम किया जा सकता है तथा राज्यों की हिस्सेदारी में अत्यधिक कमी किए बिना प्रतिनिधित्व सुधारा जा सकता है।

संतुलित परिसीमन सूत्र

- जनसंख्या, शासन संकेतकों और संघीय न्याय को सम्मिलित करने वाला संतुलित दृष्टिकोण तनावों को कम कर सकता है।

राज्यसभा को सुदृढ़ बनाना

- संघीय भूमिका को मजबूत करने से छोटे और आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा

- राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक वैधता बनाए रखने के लिए राज्यों के बीच सहमति-निर्माण आवश्यक है।

निष्कर्ष

परिसीमन लोकतांत्रिक सिद्धांत "समान प्रतिनिधित्व" को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किंतु वर्ष 2026 के बाद का परिसीमन संघीय संतुलन, क्षेत्रीय समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े जटिल प्रश्न भी उत्पन्न करता है। भारत की निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा संघीय भावना के अनुरूप बनाए रखने के लिए एक संतुलित और सहमति-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. किस संविधान संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन को स्थिर (Freeze) कर दिया था?

(a) 44वाँ (b) 42वाँ

(c) 86वाँ (d) 73वाँ

उत्तर: (b)

मुख्यमंत्री: नियुक्ति, शक्तियाँ एवं पद से हटाना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नवनिर्वाचित नेता सम्राट चौधरी को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख विवरण

- मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य का **वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख** होता है।
- राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः बहुमत दल/गठबंधन से।
- विधानसभा में बहुमत समर्थन बनाए रखना आवश्यक है।
- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।
- **मुख्यतः** बहुमत खोने (फ्लोर टेस्ट) की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है।
- पद से हटाने के अन्य आधारों में **त्यागपत्र, अयोग्यता या राष्ट्रपति शासन** शामिल हैं।

मुख्यमंत्री: स्थिति एवं नियुक्ति

- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है; राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होता है।
- अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल/गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाता है।
- त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के विधानमंडल (विधानसभा या विधानपरिषद) का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन (उच्च या निम्न) का सदस्य निर्वाचित (या मनोनीत) होना अनिवार्य है।

कार्यकाल एवं बहुमत समर्थन

- मुख्यमंत्री "राज्यपाल के प्रसादपर्यंत" पद धारण करता है, किंतु व्यवहार में यह विधानसभा के बहुमत पर निर्भर करता है।
- कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता; जब तक सदन का विश्वास बना रहता है, पद पर बना रहता है।
- संदेह की स्थिति में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है (फ्लोर टेस्ट)।
- गठबंधन का समर्थन समाप्त होने पर बहुमत कम हो सकता है।
- अल्पमत सरकारें बाहरी समर्थन के आधार पर भी टिक सकती हैं।

सामूहिक उत्तरदायित्व

- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा उसके कार्यों का समन्वय करता है।
- यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है।
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों को पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है।

बहुमत खोने पर पद से हटाना

- **सबसे सामान्य तरीका:** विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पराजय।
- यह अविश्वास प्रस्ताव या समर्थन वापसी के कारण उत्पन्न हो सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत निर्धारित करने के उचित माध्यम के रूप में फ्लोर टेस्ट पर बल दिया है।
- कार्यवाही संचालित करने में अध्यक्ष (स्पीकर) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- बहुमत सिद्ध करने में विफलता से त्यागपत्र या पदच्युति होती है।

राज्यपाल द्वारा पद से हटाना

- यदि मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद त्यागपत्र देने से इंकार करे, तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है।
- यह शक्ति असाधारण एवं विवादास्पद मानी जाती है।
- इसका प्रयोग संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए।
- यह न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
- कई मामलों में मनमानी पदच्युति की आलोचना की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र

- मुख्यमंत्री राजनीतिक संकट, पराजय या नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है।

- त्यागपत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।
- प्रायः यह चुनावी पराजय या आंतरिक दलगत संघर्ष के बाद होता है।
- नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री कार्यवाहक (Caretaker) के रूप में बना रह सकता है।
- मुख्यमंत्री के साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी त्यागपत्र देती है।

पद से हटाने की अन्य स्थितियाँ

- यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता और 6 माह के भीतर निर्वाचित होने में विफल रहता है।
- दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) जैसे कानूनों के अंतर्गत अयोग्यता।
- मृत्यु या गंभीर अक्षमता के कारण पद रिक्त हो सकता है।
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होने पर राज्य सरकार पद से हट जाती है।
- न्यायालय के निर्णय (जैसे दोषसिद्धि के कारण अयोग्यता) भी पदच्युति का कारण बन सकते हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री राज्य शासन में केंद्रीय स्थान रखता है, जो राजनीतिक नेतृत्व को कार्यपालिका की शक्ति के साथ जोड़ता है। यद्यपि उसकी औपचारिक नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उसके पद की स्थिरता विधानसभा के बहुमत पर निर्भर करती है। पद से हटाने की व्यवस्थाएँ, विशेषकर फ्लोर टेस्ट, लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखती हैं। समग्र रूप से यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बना रहे, जिससे राज्यों में उत्तरदायी शासन और संवैधानिक संतुलन सुदृढ़ होता है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA)

चर्चा में क्यों: गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) पर हाल की बहसें न्यायालयों की जमानत प्रावधानों, लंबी अवधि की हिरासत तथा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध संभावित दुरुपयोग संबंधी टिप्पणियों के बाद तेज हो गई हैं। इससे सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच तनाव उजागर हुआ है।

प्रमुख विवरण

- भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु बनाया गया प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून।
- व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।
- विस्तारित हिरासत और कठोर जमानत शर्तों का प्रावधान करता है।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) जैसी एजेंसियों को व्यापक जाँच संबंधी अधिकार प्रदान करता है।
- दोषसिद्धि की निम्न दर और संभावित दुरुपयोग के कारण इसकी आलोचना की जाती है।
- नागरिक स्वतंत्रताओं और विधिक प्रक्रिया (Due Process) को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

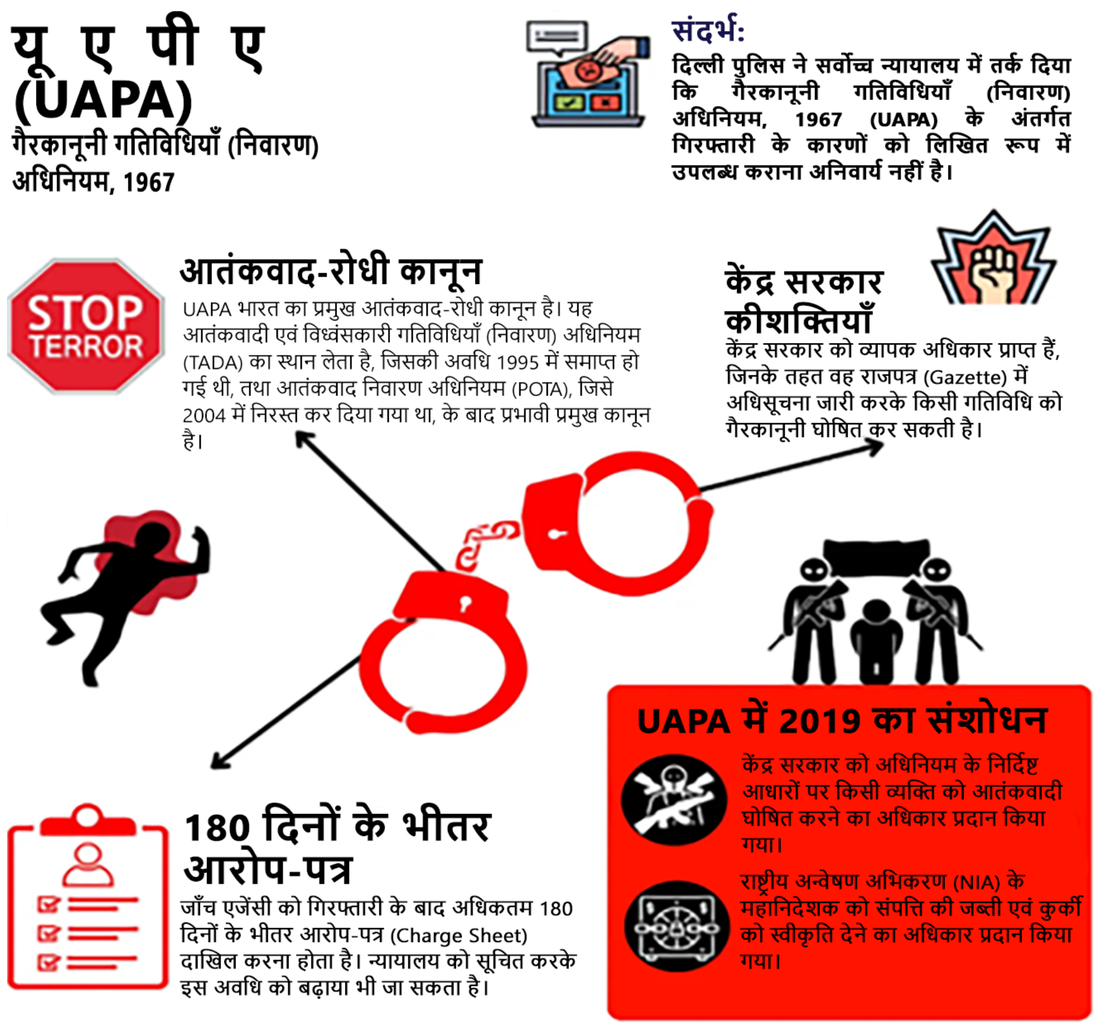

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

- भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु वर्ष 1967 में अधिनियमित किया गया।
- समय के साथ इसे आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सुदृढ़ किया गया।
- राज्य को अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।
- बाद में आतंकवाद-निरोधी प्रावधानों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार किया गया।
- यह भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है।

प्रमुख प्रावधान

- व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।
- विस्तारित हिरासत और जाँच अवधि का प्रावधान करता है।
- आतंकवाद से संबंधित संपत्ति की कुर्की और जब्ती की अनुमति देता है।
- त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।
- कठोर जमानत शर्तें लागू करता है, जिससे रिहाई कठिन हो जाती है।

संशोधन एवं विकास

- **प्रमुख संशोधन:** 2004, 2008, 2012 और 2019
- वर्ष 2019 के संशोधन ने व्यक्तियों (केवल संगठनों को नहीं) आतंकवादी घोषित करने की अनुमति दी।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की शक्तियों को सुदृढ़ किया गया।
- आतंकवाद के वित्तपोषण और साइबर गतिविधियों को शामिल करते हुए दायरे का विस्तार किया गया।
- यह अधिक कठोर सुरक्षा ढाँचे की ओर बदलाव को दर्शाता है।

चिंताएँ एवं आलोचनाएँ

- कार्यकर्ताओं और असहमति व्यक्त करने वालों के विरुद्ध संभावित दुरुपयोग के लिए इसकी आलोचना की जाती है।
- कठोर जमानत प्रावधान लंबे कारावास की समस्या उत्पन्न करते हैं।
- दोषसिद्धि की निम्न दरें प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ बढ़ाती हैं।
- अत्यधिक हस्तक्षेप और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन का जोखिम रहता है।
- इसे अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा राज्य की शक्ति को प्राथमिकता देने वाला माना जाता है।

न्यायिक एवं विधिक सुरक्षा उपाय

- न्यायालय इसके प्रावधानों के अनुप्रयोग में कठोर न्यायिक परीक्षण (Strict Scrutiny) पर बल देते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- कुछ मामलों में अभियोजन से पूर्व स्वीकृति (Sanction) आवश्यक होती है।
- न्यायिक पुनरावलोकन मनमाने उपयोग पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है।
- सुधारों और सुरक्षा उपायों को लेकर बहस जारी है।

महत्त्व एवं आगे की राह

- आतंकवाद-निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अभी भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- दुरुपयोग रोकने हेतु स्पष्ट सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- प्रवर्तन में जवाबदेही और पारदर्शिता पर बल दिया जाना चाहिए।
- न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करना और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण विधिक साधन बना हुआ है, किंतु इसके कठोर प्रावधानों का दुरुपयोग होने पर नागरिक स्वतंत्रताएँ प्रभावित हो सकती हैं। प्रभावी आतंकवाद-निरोध, संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, सुदृढ़ न्यायिक निगरानी, पारदर्शी प्रवर्तन तथा समयबद्ध सुनवाई के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसके मूल उद्देश्य को संरक्षित रखते हुए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में सुधार करना भारत में सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता दोनों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

राज्य चुनावों में आदर्श आचार संहिता (MCC)

चर्चा में क्यों: हाल ही में राज्य चुनावों की घोषणाओं के कारण आदर्श आचार संहिता (MCC) चर्चा में है, जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार और सरकारी आचरण पर कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं।

प्रमुख विवरण

- आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है।
- यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रभाव में आ जाती है और परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है।
- सत्तारूढ़ सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने या चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग से प्रतिबंधित किया जाता है।
- राजनीतिक दलों को वोट प्राप्त करने के लिए घृणा भाषण, रिश्वत तथा धर्म या जाति के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों, उड़न दस्तों (Flying Squads) और कठोर प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से उल्लंघनों की निगरानी करता है।

अर्थ एवं उद्देश्य

- आदर्श आचार संहिता (MCC) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को विनियमित करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य शक्ति और अनुचित लाभ के दुरुपयोग को रोककर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।
- यह ऐसा समान अवसर का वातावरण (Level Playing Field) तैयार करती है ताकि किसी भी दल को अनुचित लाभ न मिले।
- MCC नैतिक चुनाव प्रचार को बढ़ावा देती है तथा भ्रष्ट या विभाजनकारी गतिविधियों को हतोत्साहित करती है।
- यह चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करती है।

MCC कब लागू होती है

- निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही MCC तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है।
- यह संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने, जिसमें परिणामों की घोषणा भी शामिल है, तक लागू रहती है।

- यह चुनावों में शामिल सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा सरकारी प्राधिकरणों पर लागू होती है।
- इस अवधि के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कड़ी निगरानी की जाती है।
- किसी भी उल्लंघन पर आयोग द्वारा चेतावनी, नोटिस या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए नियम

- राजनीतिक दलों को घृणा भाषण, व्यक्तिगत हमलों तथा धर्म या जाति के आधार पर वोट माँगने से बचना चाहिए।
- उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत नहीं दे सकते और न ही धन, उपहार या शराब का वितरण कर सकते हैं।
- चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित न हो।
- दलों को विपक्षी नेताओं का सम्मान करना चाहिए तथा भ्रामक या झूठी जानकारी फैलाने से बचना चाहिए।
- सभी चुनावी गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कानूनों और निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

सरकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध

- सत्तारूढ़ सरकार ऐसी नई योजनाओं, परियोजनाओं या नीतियों की घोषणा नहीं कर सकती जो मतदाताओं को प्रभावित करें।
- मंत्री और अधिकारी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, वाहनों या सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं कर सकते।
- सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संसाधनों का उपयोग निष्पक्ष एवं बिना पक्षपात के किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित उपलब्धियों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर इस अवधि में प्रतिबंध रहता है।
- अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।

चुनाव प्रचार संबंधी विनियम

- चुनाव प्रचार निर्धारित समय-सीमा और ध्वनि-नियंत्रण नियमों का पालन करेगा, ताकि सार्वजनिक व्यवधान न हो।
- लाउडस्पीकरों और रैलियों का उपयोग संबंधित प्राधिकरणों से उचित अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकता है।
- राजनीतिक दलों को चुनावी व्यय में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए तथा व्यय सीमा का पालन करना चाहिए।
- पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स केवल अनुमत स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं।
- मीडिया और सोशल मीडिया प्रचार में फर्जी समाचार (Fake News) और भ्रामक सूचनाओं से बचना चाहिए।

प्रवर्तन एवं महत्त्व

- निर्वाचन आयोग उड़न दस्तों (Flying Squads), प्रेक्षकों तथा निगरानी दलों के माध्यम से MCC का प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।
- MCC के उल्लंघन पर निंदा (Censure), FIR अथवा कुछ मामलों में अयोग्यता तक हो सकती है।
- यद्यपि MCC विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह मजबूत नैतिक प्राधिकार और सार्वजनिक जवाबदेही रखती है।
- राज्य चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- समग्र रूप से MCC यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष, व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।

निष्कर्ष

आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह राजनीतिक हितधारकों के बीच निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण तथा नैतिक चुनाव प्रचार को प्रोत्साहित करके यह चुनावी प्रक्रिया में जनविश्वास को सुदृढ़ करती है। भारत में राज्य चुनावों की विश्वसनीयता और अखंडता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इसका प्रभावी प्रवर्तन अत्यंत आवश्यक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आदर्श आचार संहिता (MCC) के महत्त्व पर चर्चा कीजिए। इसके प्रमुख प्रावधानों, सीमाओं तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इसके प्रवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भारत के उपराष्ट्रपति : संवैधानिक भूमिका

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच त्रिंकोमाली हब जैसी ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय सामरिक विकास को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई।

प्रमुख विवरण

- उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी हैं तथा कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संबंधित भूमिकाएँ निभाते हैं।
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होते हैं और उसकी कार्यवाही का संचालन सुनिश्चित करते हैं।
- रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे शासन की निरंतरता बनी रहती है (अनुच्छेद 65)।
- उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है तथा उन्हें संसद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 67)।
- कार्यपालिका संबंधी मामलों में यह पद मुख्यतः औपचारिक है, किंतु विधायी कार्यप्रणाली में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

संवैधानिक स्थिति

- भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- यह पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत सृजित किया गया है, जो भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे इस पद की महत्वपूर्ण विधायी भूमिका स्थापित होती है।

निर्वाचन प्रक्रिया

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार संपन्न होता है।
- मतदान प्रणाली एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अनुसरण करती है, जिससे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

योग्यताएँ

- उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने हेतु उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- उम्मीदवार भारत सरकार के अधीन लाभ का कोई पद (Office of Profit) धारण नहीं कर सकता, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
- ये शर्तें अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं।

कार्यकाल एवं पद से हटाना

- उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, किंतु उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं।
- कार्यकाल संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 67 के अंतर्गत विनियमित हैं।
- उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, जो संसदीय नियंत्रण को दर्शाता है।

शक्तियाँ एवं कार्य (कार्यपालिका संबंधी भूमिका)

- राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने जैसी रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं, जिससे शासन में निरंतरता बनी रहती है।
- यह भूमिका अनुच्छेद 65 द्वारा विनियमित है।

शक्तियाँ एवं कार्य (विधायी भूमिका)

- राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति उसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं।
- उपराष्ट्रपति प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेते हैं और बहसों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
- बराबरी की स्थिति (Tie) होने पर ही उपराष्ट्रपति मतदान करते हैं, जिससे वे निष्पक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

पद की सीमाएँ

- सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति के पास कोई महत्वपूर्ण स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होती।
- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति को छोड़कर कार्यपालिका क्षेत्र में उनकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है।
- राज्यसभा की अध्यक्षता करने के बावजूद उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते।

पद का महत्त्व

- उपराष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में कार्यपालिका की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, जिससे किसी संवैधानिक रिक्तता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
- यह पद राज्यसभा के सुचारु संचालन को सुदृढ़ करता है और स्थिर तथा निष्पक्ष नेतृत्व प्रदान करता है।
- यह पद भारत में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक शासन के सुचारु संचालन में योगदान देता है।

निष्कर्ष

भारत के उपराष्ट्रपति का पद शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने तथा राज्यसभा में विधायी अनुशासन बनाए रखने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। यद्यपि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ सीमित हैं, परंतु राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पद संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है तथा संवैधानिक स्थिरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

संविधान संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों: संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 को आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त होने के बाद संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जिससे संघीय सहमति, राजनीतिक मतभेदों तथा संशोधन शक्ति की सीमाओं पर बहस पुनः तेज हो गई है।

प्रमुख विवरण

- अनुच्छेद 368 का ढाँचा: संवैधानिक संशोधन एक संरचित प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिससे लचीलापन और मूल सिद्धांतों की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहता है।
- मूल संरचना सिद्धांत: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्थापित सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती।
- संघीय चिंताएँ: राज्यों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है, जिससे सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया जाता है।
- राज्यों की विधायी भूमिका: संघीय संशोधनों में राज्य विधानसभाएँ प्रमुख हितधारक के रूप में कार्य करती हैं और क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय कानून-निर्माण से जोड़ती हैं।
- न्यायिक निगरानी: सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है और संशोधन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है।

संविधान संशोधन विधेयक: अर्थ एवं प्रकृति

- संविधान संशोधन विधेयक एक विधायी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन करना होता है और यह अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है।
- इन विधेयकों का उद्देश्य देश की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान को ढालना है।
- संविधान की सर्वोच्चता: संशोधनों को संविधान की मूल संरचना का सम्मान करना होता है, जिसे संसद भी परिवर्तित नहीं कर सकती।
- लचीलापन और कठोरता का संतुलन: संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन की अनुमति देते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए लचीलापन और कठोरता के बीच संतुलन स्थापित करती है।

संविधान संशोधनों के प्रकार

- **साधारण बहुमत द्वारा संशोधन**
  - कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे नागरिकता या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और इन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता।

- **विशेष बहुमत द्वारा संशोधन**
  - ➢ अधिकांश संशोधनों के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
- **विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन सहित**
  - ➢ संघीय संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- **संघीय विषयों के उदाहरण**
  - ➢ इनमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, शक्तियों के वितरण अथवा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित परिवर्तन शामिल हैं।

संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया

- **प्रस्तुति**
- विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती।
- **संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं**
  - ➢ दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे सहमति अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
- **मतदान की आवश्यकता**
  - ➢ विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिससे व्यापक राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित होता है।
- **राज्यों द्वारा अनुमोदन (यदि आवश्यक हो)**
  - ➢ यदि संशोधन संघीय प्रावधानों को प्रभावित करता है, तो कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति**
  - ➢ पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है, जिससे यह संवैधानिक संशोधन बन जाता है।

संसद और राज्यों की भूमिका

- **संसद की शक्ति**
  - ➢ संसद को संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, जो सीमित संसदीय संप्रभुता को प्रतिबिंबित करती है।
- **राज्यों की भागीदारी**
  - ➢ संघीय संरचना को प्रभावित करने वाले संशोधनों में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।
- **कुछ मामलों में राज्यों की भूमिका नहीं**
  - ➢ कई संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की भागीदारी आवश्यक नहीं होती, जिससे संसद की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट होती है।
- **शक्ति का संतुलन**
  - ➢ यह व्यवस्था केंद्रीय प्राधिकरण और राज्यीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखती है।

संशोधन शक्ति की सीमाएँ

- **मूल संरचना सिद्धांत**
  - ➢ सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती।
- **न्यायिक पुनरावलोकन**
  - ➢ संशोधनों का न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन न करें।
- **मूल संरचना के उदाहरण**
  - ➢ इनमें लोकतंत्र, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण तथा संघवाद शामिल हैं।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण**
  - ➢ ये सीमाएँ संविधान में मनमाने अथवा अधिनायकवादी परिवर्तनों को रोकती हैं।

संविधान संशोधन विधेयकों का महत्त्व

- **गतिशील संविधान**
  - ➢ ये सुनिश्चित करते हैं कि संविधान समय के साथ प्रासंगिक और अनुकूलनीय बना रहे।
- **सामाजिक-आर्थिक सुधार**
  - ➢ ये सरकार को आरक्षण नीतियों अथवा GST जैसे सुधार लागू करने में सक्षम बनाते हैं।
- **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना**
  - ➢ ये शासन और संस्थागत दक्षता में सुधार करने में सहायता करते हैं।
- **विधिक विकास**
  - ➢ ये संविधान को न्यायिक व्याख्याओं और सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित होने की अनुमति देते हैं।

प्रमुख संविधान संशोधनों के उदाहरण

- **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम**
  - ➢ इसे "लघु संविधान (Mini-Constitution)" कहा जाता है; इसने केंद्र सरकार को सशक्त बनाने हेतु व्यापक परिवर्तन किए।
- **44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम**
  - ➢ इसने लोकतांत्रिक विशेषताओं को पुनर्स्थापित किया तथा आपातकालीन शक्तियों को सीमित किया।
- **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम**
  - ➢ इसने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया, जिससे भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परिवर्तन आया।
- **73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम**
  - ➢ इसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया।

निष्कर्ष

संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य विधानसभाओं की भागीदारी मिलकर भारत की संतुलित संघीय संरचना को प्रतिबिंबित करती है, जो लोकतांत्रिक लचीलेपन को संस्थागत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ती है। जहाँ संसद संवैधानिक परिवर्तन को आगे बढ़ाती है, वहीं राज्य समावेशन और संघीय वैधता सुनिश्चित करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन मूल मूल्यों की रक्षा करता है। वर्तमान बहसें संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने, केंद्र–राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं कि संशोधन अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय दीर्घकालिक लोकतांत्रिक स्थिरता की सेवा करें।

दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

चर्चा में क्यों: हाल के राजनीतिक दल-बदल, अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने में विलंब तथा न्यायालयी हस्तक्षेपों के कारण दल-बदल विरोधी कानून चर्चा में है। इससे लोकतंत्र के कमजोर होने और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

प्रमुख विवरण

- 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लागू किया गया, जिसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) जोड़ी गई।

- **अयोग्यता के आधार:** पार्टी व्हिप (Whip) की अवहेलना करना, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना या किसी अन्य दल में शामिल होना।
- **निर्णय प्राधिकारी:** अध्यक्ष/सभापति अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जिनके निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होते हैं।
- **अपवाद:** यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों तो अयोग्यता लागू नहीं होती (विभाजन संबंधी प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया)।
- **मुख्य समस्या:** निर्णयों में विलंब, पक्षपात तथा विधायकों की स्वतंत्रता में कमी, जिसके कारण सुधारों की माँग उठती है।

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

- दल-बदल विरोधी कानून को व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए लाया गया था।
- इसका उद्देश्य निर्वाचित सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना तथा मतदाताओं के जनादेश की रक्षा करना है।
- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लागू किया गया।
- इसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
- इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया गया।

अयोग्यता के आधार

- यदि कोई विधायक/सांसद स्वेच्छा से अपनी दल सदस्यता त्याग देता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- पार्टी निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना, बिना अनुमति के, अयोग्यता का आधार बनता है।
- स्वतंत्र सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएँ, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन के छह माह बाद किसी दल में शामिल होते हैं, तो वे अयोग्य घोषित किए जाते हैं।
- यह कानून विधायिका में दलीय अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है।

अपवाद एवं सुरक्षा उपाय

- **विलय प्रावधान:** यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत हों, तो दल-बदल लागू नहीं माना जाएगा।
- पूर्व में विभाजन (Split) संबंधी प्रावधान था, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया।
- अध्यक्ष/सभापति जैसे पीठासीन अधिकारी दल से त्यागपत्र देकर भी अयोग्यता से बच सकते हैं।
- यह व्यवस्था राजनीतिक संरेखण में सीमित लचीलेपन के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाई गई है।
- यह वास्तविक राजनीतिक पुनर्संरेखण (Realignment) की अनुमति देते हुए दुरुपयोग को रोकती है।

पीठासीन अधिकारी की भूमिका

- अध्यक्ष या सभापति अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेते हैं।
- उनके निर्णय अंतिम माने जाते हैं, किंतु न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन रहते हैं।
- वे एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
- इसके कारण प्रायः विलंब और पक्षपात के आरोप लगते हैं।

आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ

- यह विधायकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
- यह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पार्टी के उच्च नेतृत्व (High Command) का नियंत्रण बढ़ाता है।
- अध्यक्षों के निर्णयों को कभी-कभी राजनीतिक रूप से प्रभावित माना जाता है।
- समयबद्ध निर्णयों के अभाव में रणनीतिक विलंब की संभावना बढ़ती है।
- आलोचकों का तर्क है कि इससे संसदीय बहस और असहमति कमजोर होती है।

महत्त्व एवं आगे की राह

- यह भारत में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह "आया राम, गया राम" जैसी बार-बार होने वाली राजनीतिक दल-बदल की प्रवृत्ति को रोकता है।
- पीठासीन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध निर्णय जैसे सुधारों की आवश्यकता है।
- निर्णय लेने की शक्ति को एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण (Independent Tribunal) को सौंपने का सुझाव दिया गया है।
- दलीय अनुशासन और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

दल-बदल विरोधी कानून राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और अवसरवादी दल-बदल को रोकने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, किंतु इसकी प्रभावशीलता निर्णयों में विलंब, पक्षपातपूर्ण फैसलों तथा विधायकों की सीमित स्वतंत्रता के कारण प्रभावित होती है। सुधारों, समयबद्ध निर्णयों और स्वतंत्र न्यायनिर्णयन की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। भारत की संसदीय व्यवस्था में दलीय अनुशासन और लोकतांत्रिक असहमति दोनों की रक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

संवैधानिक नैतिकता एवं न्यायपालिका

चर्चा में क्यों: सबरीमाला और नवतेज सिंह जौहर जैसे मामलों के बाद न्यायिक विमर्श में 'संवैधानिक नैतिकता' बनाम 'सामाजिक नैतिकता' की बहस पुनः तेज़ हो गई है। इसने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और न्यायिक कार्यप्रणाली को लेकर नई चिंताओं को जन्म दिया है।

प्रमुख विवरण

- संवैधानिक नैतिकता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और विधिक विमर्श में लगातार चर्चा हो रही है।
- इसे सबरीमाला (2018) और नवतेज सिंह जौहर (2018) जैसे ऐतिहासिक मामलों में लागू किया गया है।
- आलोचकों का मत है कि यह एक अस्पष्ट अवधारणा है, जबकि समर्थक इसे एक मार्गदर्शक संवैधानिक सिद्धांत मानते हैं।
- यह बहस न्यायिक अतिक्रमण, मनमानी तथा संवैधानिक मूल्यों के क्षरण संबंधी चिंताओं को प्रतिबिंबित करती है।

संवैधानिक नैतिकता – अर्थ एवं उद्गम

- **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अवधारणा**
  - ➢ संवैधानिक नैतिकता से आशय केवल संविधान के पाठ का पालन करना

नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, प्रक्रियाओं और भावना के प्रति निष्ठा रखना है। डॉ. अम्बेडकर ने विविध समाज में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसे आवश्यक माना था।

- **प्रमुख तत्त्व**
  - ➢ इसमें विधि का शासन, संस्थाओं के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शामिल हैं, जो संवैधानिक शासन की नैतिक आधारशिला का निर्माण करते हैं।
- **कठोर विधिक मानक नहीं**
  - ➢ यह कोई कठोर विधिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक मानक-निर्देशक (Normative Guiding) सिद्धांत है, जो व्याख्या को दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप हों।
- **लोकतंत्र में प्रासंगिकता**
  - ➢ भारत जैसे बहुलतावादी समाज में संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि बहुसंख्यक दबावों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता

- **संवैधानिक नैतिकता**
  - ➢ न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित, जो विधिक तर्क और संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से लागू होते हैं।
- **सामाजिक नैतिकता**
  - ➢ परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक मानदंडों से निर्मित, जो कभी-कभी बहिष्कारी या भेदभावपूर्ण हो सकते हैं।
- **व्यवहार में टकराव**
  - ➢ सबरीमाला जैसे मामलों में सामाजिक प्रथाओं को समानता और गरिमा की संवैधानिक गारंटियों के विरुद्ध चुनौती दी गई।

न्यायिक अनुप्रयोग एवं प्रमुख मामले

- **सबरीमाला मामला (2018)**
  - ➢ सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के सभी आयु वर्गों को प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें धार्मिक परंपराओं की अपेक्षा लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी गई।
- **नवतेज सिंह जौहर मामला (2018)**
  - ➢ समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त किया गया तथा व्यक्तिगत गरिमा, निजता और समानता को मान्यता दी गई, जबकि सामाजिक कलंक को अस्वीकार किया गया।
- **शायरा बानो मामला (तीन तलाक)**
  - ➢ न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे लैंगिक न्याय और संवैधानिक सर्वोच्चता को सुदृढ़ किया गया।
- **महत्त्व**
  - ➢ ये मामले दर्शाते हैं कि संवैधानिक नैतिकता न्यायालयों को अधिकारों, परंपराओं और संस्थागत स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता करती है।

संवैधानिक नैतिकता की आलोचनाएँ

- **अस्पष्टता एवं अनिश्चितता**
  - ➢ आलोचकों का तर्क है कि इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे यह न्यायिक व्यक्तिपरक व्याख्या के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- **न्यायिक अतिक्रमण**
  - ➢ इस पर अत्यधिक निर्भरता न्यायालयों को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त करने की ओर ले जा सकती है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **लोकतंत्र के साथ टकराव**
  - ➢ कुछ लोग इसे अधोगामी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, जो सामाजिक सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है।

न्यायिक कार्यप्रणाली में चुनौतियां

- **मनमानेपन की धारणा**
  - ➢ असंगत तर्क और भिन्न-भिन्न परिणाम न्यायपालिका की पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं।
- **प्रक्रियात्मक चिंताएँ**
  - ➢ विलंब, चयनात्मक सुनवाई और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे विधि के शासन और जनविश्वास को प्रभावित करते हैं।
- **हालिया चिंताएँ**
  - ➢ मतदाता अधिकार-ह्रास (Voter Disenfranchisement) तथा संस्थागत संवेदनशीलता जैसे मुद्दों के प्रबंधन को लेकर की गई आलोचनाएँ न्यायिक जवाबदेही पर प्रश्न उठाती हैं।
- **प्रभाव**
  - ➢ न्यायिक अनुशासन के कमजोर होने से संवैधानिक नैतिकता स्वयं प्रभावित हो सकती है, जिससे संस्थागत असंतुलन उत्पन्न होता है।

निदानात्मक उपकरण के रूप में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका

- **राज्य की कार्रवाइयों का मूल्यांकन**
  - ➢ यह आकलन करने में सहायता करती है कि कानून और नीतियाँ मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।
- **मनमानी शक्ति पर नियंत्रण**
  - ➢ यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।
- **तर्कसंगत निर्णयों को बढ़ावा**
  - ➢ यह न्यायालयों को लोकप्रिय भावना के बजाय तर्क, निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना**
  - ➢ यह सुनिश्चित करती है कि शासन **अधिकार-आधारित, समावेशी और जवाबदेह** बना रहे।

आगे की राह

- **स्पष्ट न्यायिक मानक**
  - ➢ न्यायालयों को संवैधानिक नैतिकता के अनुप्रयोग हेतु संरचित सिद्धांत विकसित करने चाहिए, ताकि मनमानेपन को कम किया जा सके और एकरूपता बढ़ाई जा सके।
- **सक्रियता और संयम के बीच संतुलन**
  - ➢ न्यायपालिका को अधिकारों की रक्षा और विधायी क्षेत्र के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
- **संवैधानिक संस्कृति को सुदृढ़ करना**
  - ➢ नागरिक शिक्षा, जागरूकता और संस्थागत अखंडता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि समाज में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार हो सके।

- **संस्थागत जवाबदेही**
  - ➢ न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा प्रक्रियात्मक अनुशासन का पालन जनविश्वास और वैधता को सुदृढ़ कर सकता है।

निष्कर्ष

संवैधानिक नैतिकता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है। यद्यपि यह हर प्रश्न का अंतिम उत्तर प्रदान नहीं करती, फिर भी यह संस्थाओं को न्याय, समानता और तर्कसंगत शासन की दिशा में निर्देशित करती है। गणराज्य केवल विधिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि संस्थाओं और नागरिकों की संवैधानिक मूल्यों के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता से फलता-फूलता है। मनमानेपन को रोकने तथा भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता की रक्षा अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता मुख्यतः किससे संबंधित है?

(a) सामाजिक रीति-रिवाज एवं परंपराएँ

(b) संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा

(c) संसदीय सर्वोच्चता

(d) न्यायिक सर्वोच्चता

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "संवैधानिक नैतिकता भारत में बहुसंख्यकतावाद के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।" उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

भारत में सुदृढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र का निर्माण

चर्चा में क्यों: The Hindu Business Line में प्रकाशित एक हालिया संपादकीय ने भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित होते परिदृश्य पर प्रकाश डाला है, जिसमें असंचारी रोगों (NCDs), डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख विवरण

- वर्ष 2023 के The Lancet अध्ययन के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह तथा लगभग 13 करोड़ लोग प्री-डायबिटीज से प्रभावित हैं।
- भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय GDP का लगभग 2% है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2.5% GDP लक्ष्य से कम है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक ABHA आईडी बनाई जा चुकी हैं।
- भारत भर में 1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs) निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित होकर संचालित हैं।
- चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर 2025 तक 810 से अधिक हो गई है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र के मानव संसाधनों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र: उभरता हुआ परिवर्तन

जनसांख्यिकीय लाभांश और स्वास्थ्य सेवा

- भारत विश्व की सबसे युवा आबादियों में से एक का धनी है, जिससे जनसांख्यिकीय क्षमता को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- एक स्वस्थ कार्यबल आर्थिक वृद्धि, श्रम उत्पादकता और दीर्घकालिक सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान देता है।
- तीव्र शहरीकरण, जीवनशैली में परिवर्तन तथा वृद्ध होती आबादी एक साथ स्वास्थ्य संबंधी बोझ को बढ़ा रहे हैं।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य एक अंतरसंचालनीय (Interoperable) डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जो रोगी अभिलेखों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है।

- 80 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) बनाए जा चुके हैं।
- 4.85 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्री से एकीकृत की जा चुकी हैं।
- यह पहल सूचना विषमता को कम करती है और विखंडित स्वास्थ्य प्रणालियों में देखभाल की निरंतरता को बेहतर बनाती है।

टेलीमेडिसिन और डिजिटल पहुँच

- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से दूरसंचार और डिजिटल सेवाएँ ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श तक पहुँच को बेहतर बनाती हैं।
- अक्टूबर 2025 तक देशभर में 41 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श (Teleconsultations) किए जा चुके थे।
- डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ यात्रा लागत, प्रतीक्षा समय और भौगोलिक स्वास्थ्य असमानताओं को कम करती हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs)

- भारत चयनात्मक स्वास्थ्य सेवा मॉडल से आगे बढ़कर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की ओर अग्रसर हुआ है।
- 1.8 लाख से अधिक AAMs प्रारंभिक रोग पहचान और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित होकर संचालित हैं।
- ये केंद्र विशेष रूप से NCDs, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बढ़ते बोझ से निपटने में महत्वपूर्ण हैं।

स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान

- उच्च रक्तचाप के लिए 41.5 करोड़ से अधिक लोगों की जाँच की जा चुकी है।
- लगभग 41.3 करोड़ लोगों की मधुमेह जाँच की गई है।
- प्रारंभिक पहचान दीर्घकालिक उपचार लागत को कम करती है और जटिलताओं को रोकती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय (Catastrophic Health Expenditure) के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

- यह योजना प्रति परिवार ₹5 लाख वार्षिक बीमा कवरेज के साथ लगभग 12 करोड़ कमजोर परिवारों को कवर करती है।
- फरवरी 2026 तक PM-JAY के अंतर्गत 11.69 करोड़ से अधिक अस्पताल भर्ती अनुमोदित की जा चुकी थीं।
- यह कार्यक्रम जेब से होने वाले व्यय (Out-of-Pocket Expenditure) को कम करता है और स्वास्थ्य सेवाओं की वहनीयता बढ़ाता है।

स्वदेशी मेडटेक और फार्मा क्षेत्र की वृद्धि

PLI योजना और बल्क ड्रग पार्क

- भारत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है।
- **तीन बल्क ड्रग पार्कों को निम्न राज्यों में स्वीकृति दी गई है:**
  - आंध्र प्रदेश
  - गुजरात
  - हिमाचल प्रदेश
- चिकित्सा उपकरणों हेतु PLI योजना ने ₹12,000 करोड़ से अधिक बिक्री उत्पन्न की है, जिसमें ₹5,800 करोड़ का निर्यात शामिल है।

BioE3 नीति और बायोफार्मा शक्ति

- BioE3 नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को 300 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।
- केंद्रीय बजट 2026–27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई, जिसके लिए पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत को जैविक औषधियों (Biologics) और बायोसिमिलर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।

महामारी विज्ञान निगरानी और महामारी तैयारी

PM-ABHIM और जीनोम इंडिया

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और रोग निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करता है।
- इस योजना के अंतर्गत एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं हेतु लगभग 64,180 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- जीनोम इंडिया ने जीनोमिक अनुसंधान और परिशुद्ध चिकित्सा (Precision Medicine) के समर्थन हेतु 10,000 से अधिक भारतीय जीनोमों का अनुक्रमण पूरा कर लिया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियाँ महामारी तैयारी और रोग पूर्वानुमान में सुधार करती हैं।

चिकित्सा मानव संसाधनों का विस्तार

चिकित्सा महाविद्यालय और नर्सिंग अवसंरचना

- चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर 2025 तक 810 से अधिक हो गई है।
- संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु 157 नए नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- डॉक्टर-जनसंख्या और नर्स-जनसंख्या अनुपात में सुधार हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार आवश्यक है।

भारत की वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति

वैक्सीन नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण

- भारत वैश्विक वैक्सीन मांग का 50% से अधिक पूरा करता है, जिससे "विश्व की फार्मेसी" के रूप में उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है।
- भारत WHO के पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र की मेजबानी करता है और AYUSH आधारित वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- स्वास्थ्य कूटनीति भारत की सामरिक सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करती है।

भारत में चिकित्सा मूल्य पर्यटन और HEAL

चिकित्सा पर्यटन की संभावनाएँ

- भारत सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 4.5 लाख से अधिक विदेशी चिकित्सा पर्यटकों ने भारत का दौरा किया।
- "HEAL in India" पहल आधुनिक चिकित्सा को AYUSH आधारित समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करती है।

भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

निम्न सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय

- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी GDP के लक्षित 2.5% से कम है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण अवसंरचना विस्तार, मानव संसाधन भर्ती और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को सीमित करता है।
- स्वास्थ्य वित्तपोषण में राज्यों को अभी भी बड़ा राजकोषीय भार वहन करना पड़ता है।

उच्च जेब से होने वाला व्यय (OOPE)

- जेब से होने वाला व्यय अभी भी भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 39% है।
- चिकित्सा आपात स्थितियाँ हर वर्ष लाखों परिवारों को गरीबी की ओर धकेलती रहती हैं।
- विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है।

ग्रामीण–शहरी स्वास्थ्य विभाजन

- लगभग 73% अस्पताल बिस्तर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि भारत की लगभग 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र अभी भी डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं।
- भौगोलिक असमानताएँ न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सीमित करती हैं।

असंचारी रोगों (NCDs) का बोझ

- भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोगों की तीव्र महामारी विज्ञानीय वृद्धि देखी जा रही है।
- NCDs से संबंधित उत्पादकता हानि वर्ष 2030 तक भारत की आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
- वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी निवारण-उन्मुख होने के बजाय उपचार-उन्मुख बनी हुई है।

एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण और जूनोटिक रोग

एक स्वास्थ्य अवधारणा

- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण निम्नलिखित के परस्पर संबंध को स्वीकार करता है:**
  - ➢ मानव स्वास्थ्य
  - ➢ पशु स्वास्थ्य
  - ➢ पर्यावरणीय स्वास्थ्य
- यह स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय शासन के क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देता है।
- COVID-19, इबोला और निपाह वायरस जैसे प्रकोपों के बाद इस दृष्टिकोण का वैश्विक महत्व बढ़ गया है।

प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR)

- स्वास्थ्य सेवा और पशुपालन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग ने प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) को तेज किया है।
- भारत की राष्ट्रीय AMR कार्ययोजना एंटीबायोटिक उपयोग को विनियमित करने और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।
- AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) एक ऐसी स्थिति का खतरा पैदा करता है जहाँ एंटीबायोटिक बेअसर हो जाते हैं और सामान्य संक्रमण भी असाध्य बन सकते हैं।

आगे की राह

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:** स्वास्थ्य पर GDP के 2.5% व्यय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।
- **निवारक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना:** प्रारंभिक जाँच, पोषण कार्यक्रमों और जीवनशैली जागरूकता अभियानों का विस्तार किया जाए।
- **ग्रामीण–शहरी अंतर को कम करना:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना और विशेषज्ञ उपलब्धता में सुधार किया जाए।
- **एक स्वास्थ्य शासन को बढ़ावा देना:** मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों को एकीकृत किया जाए।
- **डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना:** डिजिटल स्वास्थ्य मंचों के प्रति जागरूकता और पहुँच में सुधार किया जाए।
- **स्वदेशी मेडटेक को प्रोत्साहन:** API, निदान उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटल नवाचार, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा स्वदेशी औषधि एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग की वृद्धि के कारण एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तथापि, कम सार्वजनिक व्यय, ग्रामीण–शहरी असमानताएँ, बढ़ते असंचारी रोग तथा स्वास्थ्यकर्मियों की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सीमित करती हैं। एक सुदृढ़, समावेशी और निवारक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र, जो एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण पर आधारित हो, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित करने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
2. यह सभी नागरिकों को ₹5 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है।
3. इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) का निर्माण शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। भारत में एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में "एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण" किस प्रकार योगदान दे सकता है? (250 शब्द, 15 अंक)

वित्त आयोग

चर्चा में क्यों: केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों तथा संसाधनों के बँटवारे पर चल रही बहसों, साथ ही हाल के वित्त आयोगों की सिफारिशों पर चर्चाओं ने वित्त आयोग की भूमिका पर पुनः ध्यान आकर्षित किया है।

प्रमुख विवरण

- वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक (Advisory) होती हैं, किंतु सामान्यतः सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं।
- यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के समक्ष रखते हैं।
- यह समर्पित निधियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन वित्तपोषण में भूमिका निभाता है।
- यह राज्यों के बीच राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
- संसाधनों के आवंटन में जनसांख्यिकी तथा प्रदर्शन जैसे विकसित होते मानदंडों का उपयोग करता है।

भारत का वित्त आयोग – एक अवलोकन

- वित्त आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है।
- इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले किया जाता है।
- इसकी मुख्य भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का **निष्पक्ष वितरण** सुनिश्चित करना है।
- यह केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में एक **तटस्थ मध्यस्थ** के रूप में कार्य करता है।

संरचना

- इसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।
- सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उनकी योग्यताएँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- सामान्यतः सदस्यों में लोक वित्त, अर्थशास्त्र और प्रशासन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

कार्य

- केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण/Vertical Devolution) की सिफारिश करता है।
- राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन (क्षैतिज हस्तांतरण/Horizontal Devolution) का सुझाव देता है।
- भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को अनुदान-सहायता (Grants-in-Aid) की सिफारिश करता है।
- विशेष रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों पर परामर्श देता है।
- राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय पर भी विचार कर सकता है।

हस्तांतरण (Devolution) के प्रकार

- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution)

- ➢ केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बँटवारा।
- **क्षैतिज हस्तांतरण** (Horizontal Devolution)
  - ➢ राज्यों के हिस्से का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण।
- **मानदंड**
  - ➢ जनसंख्या, आय दूरी (Income Distance), क्षेत्रफल, वन आवरण, कर प्रयास आदि को आधार बनाया जाता है।

महत्त्व

- भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को बढ़ावा देता है।
- समानता और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है।
- अंतर-राज्यीय असमानताओं को कम करने में सहायता करता है।
- राज्यों की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करता है।
- सहकारी संघवाद को मजबूत बनाता है।

प्रवृत्तियाँ (उदाहरण: 15वाँ वित्त आयोग)

- अध्यक्ष: एन. के. सिंह
- राज्यों को 41% कर हस्तांतरण की सिफारिश की।
- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों पर बल दिया।
- स्वास्थ्य, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

चुनौतियाँ

- सीमित संसाधनों के बीच राज्यों की बढ़ती मांगें।
- राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले सशर्त अनुदानों को लेकर चिंताएँ।
- आवंटन में समानता बनाम दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती।
- नीति आयोग जैसे निकायों के साथ बढ़ती भूमिका-अतिव्यापन की स्थिति।

निष्कर्ष

वित्त आयोग भारत की संघीय संरचना में राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने मानदंडों को समयानुकूल बनाकर तथा उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए यह संसाधनों के न्यायसंगत और कुशल वितरण को सुनिश्चित करता है। इसकी स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना, आँकड़ों की पारदर्शिता में सुधार करना तथा सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना, बदलती आर्थिक आवश्यकताओं और अंतर-सरकारी वित्तीय संबंधों के प्रभावी प्रबंधन के लिए इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ाएगा।

नीति आयोग (NITI Aayog)

चर्चा में क्यों: नीति आयोग और *फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट* ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खेल उपकरणों के निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी (0.5%) को रेखांकित किया गया है। यह मजबूत क्षमता के बावजूद मौजूद संरचनात्मक बाधाओं की ओर संकेत करती है।

प्रमुख विवरण

- पाँच वर्षीय योजनाओं के स्थान पर तीन-वर्षीय कार्यसूची (Three-Year Action Agenda) की अवधारणा प्रस्तुत की।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति निर्माण में भूमिका निभाता है।
- अंतर-क्षेत्रीय तथा अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- राज्यों में क्षमता निर्माण तथा शासन सुधारों को समर्थन प्रदान करता है।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा वैश्विक थिंक टैंकों के साथ सहयोग करता है।

नीति आयोग का परिचय

- वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया।
- भारत सरकार के **नीति-विचार मंच** (Policy Think Tank) के रूप में कार्य करता है।
- **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।
- **सतत और समावेशी विकास** पर केंद्रित है।
- सरकार को रणनीतिक एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करता है।

नीति आयोग के उद्देश्य

- **सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद** को बढ़ावा देना।
- नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रों के बीच **समावेशी विकास** सुनिश्चित करना।
- **निचले स्तर से ऊपर की ओर योजना निर्माण** (Bottom-up Planning) को प्रोत्साहित करना।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण** (Evidence-based Policymaking) का समर्थन करना।

संरचना

- **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री।
- **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- **शासी परिषद** (Governing Council)**:** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रमुख।
- **क्षेत्रीय परिषदें:** विशिष्ट मुद्दों के लिए गठित।
- विभिन्न क्षेत्रों के **विशेषज्ञ और विशेषज्ञता-युक्त पेशेवर** शामिल होते हैं।

प्रमुख कार्य

- दीर्घकालिक नीति ढाँचे (Long-term Policy Frameworks) तैयार करना।
- सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) के लिए **ज्ञान केंद्र** (Knowledge Hub) के रूप में कार्य करना।
- सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- **अंतर-राज्यीय समन्वय** को सुगम बनाना।
- विभिन्न पहलों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना।

प्रमुख पहलें

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** (Aspirational Districts Programme)
  - ➢ पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित।
- **अटल नवाचार मिशन** (Atal Innovation Mission - AIM)
  - ➢ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय SDG सूचकांक**
  - ➢ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति का आकलन करता है।
- **इंडिया इनोवेशन इंडेक्स**
  - ➢ नवाचार के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है।
- **स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक** (SEQI)

महत्त्व

- केंद्रीकृत योजना व्यवस्था के स्थान पर गतिशील नीति निर्माण को बढ़ावा देता है।

- केंद्र–राज्य संबंधों को सुदृढ़ करता है।
- डेटा-आधारित शासन (Data-driven Governance) को प्रोत्साहित करता है।
- राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- नीतियों को वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है।

चुनौतियाँ

- वैधानिक/संवैधानिक दर्जे का अभाव।
- योजना आयोग की तुलना में सीमित वित्तीय शक्तियाँ।
- कार्यान्वयन राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है।
- विविध क्षेत्रों में समन्वय संबंधी समस्याएँ।
- परिणामों का प्रभावी मापन अभी भी जटिल बना हुआ है।

निष्कर्ष

भारत का खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र खेलों में मजबूत सांस्कृतिक भागीदारी के बावजूद महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता रखता है। उत्पादन का विखंडन, सीमित प्रौद्योगिकी अपनाना और अपर्याप्त वैश्विक एकीकरण जैसी संरचनात्मक बाधाएँ इसकी वृद्धि को सीमित करती हैं। लक्षित नीतिगत समर्थन, बेहतर अवसंरचना और निर्यात-उन्मुख रणनीतियों के माध्यम से भारत अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने से रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बल मिलेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प नीति आयोग की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) वित्तीय वितरण हेतु संवैधानिक निकाय

(b) भारत सरकार का नीति-विचार मंच (Policy Think Tank)

(c) उद्योगों के लिए नियामक प्राधिकरण

(d) न्यायिक परामर्शदात्री निकाय

उत्तर: (b)

इकाई 02

अंतरराष्ट्रीय संबंध

संबंधों का पुनर्निर्माण

चर्चा में क्यों: भारत ने 2025 के पश्चात उत्पन्न संघर्षों, पूर्व शत्रुता तथा भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तुर्की और अज़रबैजान के साथ राजनयिक वार्ताओं को पुनः प्रारम्भ किया है, जो व्यावहारिक सहभागिता की दिशा में एक रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- नई दिल्ली ने एक वर्ष के तनाव के बाद तुर्की और अज़रबैजान के साथ पुनः राजनयिक संवाद प्रारम्भ किया।
- तनाव की पृष्ठभूमि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बनी।
- भारत ने इन दोनों देशों को पाकिस्तान के साथ संरेखित माना, जिससे विश्वास में कमी आई।
- बहिष्कार, पर्यटन में कमी तथा व्यापारिक व्यवधानों के कारण आर्थिक संबंध प्रभावित हुए।
- हाल की राजनयिक पहलें व्यावहारिक विदेश नीति की ओर झुकाव का संकेत देती हैं।

कूटनीति में नीतिगत परिवर्तन

- नई दिल्ली ने हाल ही में तुर्की और अज़रबैजान के साथ राजनयिक संपर्क पुनः स्थापित किया।
- यह पूर्व की टकरावपूर्ण नीति से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- यह परिवर्तन लगभग एक वर्ष तक तनावपूर्ण संबंधों के बाद सामने आया।
- यह विदेश नीति की प्राथमिकताओं के पुनर्संतुलन की दिशा में एक कदम है।
- इससे अतीत के तनावों के बावजूद संवाद पुनर्निर्माण की इच्छा का संकेत मिलता है।

पृष्ठभूमि : संघर्ष और राजनयिक प्रभाव

- भारत–पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद तनाव बढ़ गया।
- भारत ने केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसके समर्थक माने जाने वाले देशों पर भी असंतोष व्यक्त किया।
- पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया ने भारत की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की।
- भारत ने आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान असहयोगी देशों के राजनयिकों को बाहर रखा।
- राजनयिक तथा सार्वजनिक स्तर पर संबंधों में तीव्र गिरावट आई।

सामरिक एवं सैन्य चिंताएँ

- संघर्ष के दौरान भारत ने तुर्की को एक अप्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा।
- यह माना गया कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान को तकनीकी समर्थन प्रदान किया।
- सैन्य ब्रीफिंग में सीमाओं पर अनेक प्रतिकूल शक्तियों की उपस्थिति को रेखांकित किया गया।
- चिंताएँ प्रत्यक्ष संघर्ष से आगे बढ़कर भू-राजनीतिक गठबंधनों तक पहुँच गईं।
- बाहरी हस्तक्षेप की धारणा के कारण विश्वास में कमी आई।

आर्थिक एवं राजनयिक परिणाम

- तुर्की और अज़रबैजान के साथ व्यापार तथा पर्यटन में उल्लेखनीय गिरावट आई।
- सोशल मीडिया अभियानों ने दोनों देशों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया।
- भारत ने ईरान संकट (जून 2025) के दौरान इन देशों के मार्गों से निकासी अभियान चलाने से परहेज़ किया।
- वैकल्पिक मार्गों के रूप में आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान को प्राथमिकता दी गई।
- भारत–आर्मेनिया–ग्रीस तथा पाकिस्तान–तुर्की–अज़रबैजान के बीच प्रतिगुटों की चर्चा उभरकर सामने आई।

पुनः सहभागिता और व्यावहारिक दृष्टिकोण

- भारत ने पुनः वार्ताएँ प्रारम्भ कीं तथा दोनों देशों के अधिकारियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया।
- दोनों पक्ष अब संबंधों की बहाली में पारस्परिक लाभ देखते हैं।
- भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थान पर व्यावहारिक कूटनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
- भारत कठोर भू-राजनीतिक गुटों में शामिल होने से बचता रहा है।
- प्रतिकूल संबंधों का प्रबंधन करते हुए सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने पर बल दिया गया।

निष्कर्ष

भारत की पुनः आरम्भ की गई सहभागिता अस्थिर वैश्विक वातावरण में उसकी विदेश नीति के व्यावहारिक पुनर्संतुलन को दर्शाती है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ते हुए नई दिल्ली सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रणनीतिक हितों के संतुलन पर बल दे रही है। प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ रचनात्मक संवाद तनावों को कम कर सकता है, आर्थिक संबंधों को पुनर्स्थापित कर सकता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ कर सकता है। इससे भारत की स्वतंत्र एवं संतुलित कूटनीति की परंपरा और मजबूत होगी तथा वह कठोर भू-राजनीतिक गुटों से दूरी बनाए रख सकेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "भारत की विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता और व्यावहारिक सहभागिता के बीच संतुलन आवश्यक है।" तुर्की और अज़रबैजान के प्रति भारत की हालिया राजनयिक पहल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध

चर्चा में क्यों: ली जे म्युंग की दिल्ली यात्रा ने व्यापार, प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा सामरिक सहयोग के माध्यम से भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों को नई गति प्रदान की है। यह पहल वैश्विक भू-राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच की गई है।

मुख्य बिंदु

- **सामरिक साझेदारी का उन्नयन :** भारत और दक्षिण कोरिया ने भविष्य उन्मुख सहयोग के लिए एक विशेष सामरिक साझेदारी दृष्टि (Special Strategic Partnership Vision) प्रारम्भ की।
- **व्यापार लक्ष्य का विस्तार :** दोनों देशों का लक्ष्य दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग :** महत्त्वपूर्ण खनिजों, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कोरियाई प्रौद्योगिकी को भारत की विशाल उत्पादन क्षमता के साथ जोड़ा जा रहा है।
- **अप्रयुक्त संभावनाएँ :** मजबूत सामरिक संबंधों के बावजूद व्यापार (लगभग 27 अरब डॉलर) तथा जन-से-जन संपर्क अभी भी संभावित स्तर से कम हैं।
- **भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य :** हिंद-प्रशांत स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक व्यवधानों को लेकर साझा चिंताएँ दोनों देशों को निकट ला रही हैं।

यात्रा का महत्व एवं सामरिक प्रासंगिकता

- ली जे म्युंग की भारत यात्रा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें शामिल थीं, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रही।
- यह पिछले आठ वर्षों में उनकी पहली यात्रा थी, जिससे इसे दीर्घकालिक राजनयिक सहभागिता का महत्व प्राप्त हुआ।
- चर्चाओं का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भविष्य उन्मुख संबंधों को मजबूत करना था।

प्रमुख समझौते एवं आर्थिक लक्ष्य

- दोनों देशों ने दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया।
- एक संयुक्त वक्तव्य में भारत–कोरिया गणराज्य विशेष सामरिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की गई।
- समझौतों में जहाज निर्माण, समुद्री रसद, ऊर्जा सुरक्षा तथा सतत विकास शामिल थे।
- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लगभग 15 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक सहयोग

- इस साझेदारी का उद्देश्य कोरियाई तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की बड़े पैमाने की विनिर्माण क्षमता के साथ जोड़ना है।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों तथा क्वांटम कंप्यूटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही भारी उद्योगों और उपभोक्ता वस्तुओं में मौजूदा क्षमताओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।
- अनेक दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत में मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जिससे भारत एक प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा है।

सांस्कृतिक संबंध एवं कमजोरियाँ

- ऐतिहासिक संबंधों की जड़ें ह्यो ह्वांग-ओक तक जाती हैं, जो प्राचीन संपर्कों का प्रतीक मानी जाती हैं।
- के-पॉप और कोरियाई धारावाहिकों की लोकप्रियता के बावजूद दोनों देशों के बीच जन-से-जन संपर्क सीमित हैं।
- दो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार स्तर (लगभग 27 अरब डॉलर) अपेक्षाकृत कम है।
- पर्यटन प्रवाह तथा प्रवासी समुदाय की संख्या अभी भी संभावनाओं से काफी कम है।

चुनौतियाँ एवं भावी मार्ग

- संबंधों को और मजबूत करने के लिए गहन राजनीतिक, सामरिक तथा हिंद-प्रशांत सहयोग की आवश्यकता है।
- लंबे समय से लंबित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों ने वैश्विक संघर्षों, विशेषकर अमेरिका–इज़राइल युद्ध तथा उसके व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर साझा चिंताएँ व्यक्त कीं।
- इस यात्रा ने वैश्विक व्यवधानों से निपटने तथा साझा लोकतांत्रिक एवं आर्थिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक साझा रणनीति विकसित करने का अवसर प्रदान किया।

निष्कर्ष

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आर्थिक पूरकताओं के बावजूद उनकी पूर्ण क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। संबंधों को और मजबूत करने के लिए गहन व्यापारिक एकीकरण, सीईपीए पर शीघ्र सहमति तथा जन-से-जन संपर्कों के विस्तार की आवश्यकता होगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में एक मजबूत साझेदारी पारस्परिक आर्थिक सुदृढ़ता, तकनीकी प्रगति तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "मजबूत पूरकताओं के बावजूद भारत–दक्षिण कोरिया संबंध अपनी पूर्ण क्षमता से नीचे बने हुए हैं।" हिंद-प्रशांत संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

चाबहार बंदरगाह और उसका महत्व

चर्चा में क्यों: भारत–ईरान के दीर्घकालिक परिचालन समझौते, प्रतिबंधों के बीच इसके पुनः प्राप्त भू-राजनीतिक महत्व तथा पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए वैकल्पिक व्यापार मार्गों को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका के कारण चाबहार बंदरगाह चर्चा में है।

मुख्य बिंदु

- दीर्घकालिक पट्टा भारत को 10 वर्षों के लिए परिचालन नियंत्रण प्रदान करता है, जो एक गहरी सामरिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- प्रतिबंधों से छूट को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है, जिससे निवेशकों और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- ईरान से जुड़े वित्तीय और बीमा जोखिमों के कारण निजी क्षेत्र में संकोच बना हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ एकीकरण अभी आंशिक है, जिससे पूर्ण व्यापारिक क्षमता का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- मानवीय व्यापार, विशेषकर अफगानिस्तान के लिए आपूर्ति, पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- IMEC (भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा) जैसे नए गलियारों से प्रतिस्पर्धा उभर रही है।

अवस्थिति एवं सामरिक महत्व

- यह ओमान की खाड़ी में दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित है।
- यह भारत महासागर तक प्रत्यक्ष पहुँच रखने वाला ईरान का एकमात्र बंदरगाह है।
- पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक पहुँच प्रदान करता है।
- यह चीन के ग्वादर बंदरगाह के लिए संतुलनकारी भूमिका निभाता है।

भारत की भूमिका

- भारत और ईरान के बीच विकसित समझौते के आधार पर इसका संचालन किया जा रहा है।
- इसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
- भारत ने बंदरगाह टर्मिनलों, क्रेनों तथा आधारभूत संरचना में निवेश किया है।
- यह भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति से जुड़ा हुआ है।

संपर्क एवं व्यापारिक क्षमता

- यह चाबहार–जाहेदान–जरंज गलियारे के माध्यम से अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है।
- यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ एकीकृत है।
- यह मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार में समय और लागत को कम करता है।
- इससे भारतीय वस्तुओं का निर्यात पाकिस्तान से पारगमन प्रतिबंधों के बिना संभव होता है।

आर्थिक एवं क्षेत्रीय महत्व

- यह क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा मार्गों को सुदृढ़ करता है।
- इससे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है।
- यह ईरान के सिस्तान–बलूचिस्तान क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इसमें बहु-माध्यम परिवहन (समुद्र–सड़क–रेल) के केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध वित्तपोषण और संचालन को प्रभावित करते हैं।
- रेल संपर्क (चाबहार–जाहेदान रेल लाइन) में विलंब बना हुआ है।
- चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह से प्रतिस्पर्धा है।
- क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता भी एक चुनौती है।

हाल के घटनाक्रम

- भारत ने बंदरगाह संचालन हेतु दीर्घकालिक समझौते (2024) पर हस्ताक्षर किए।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के बीच INSTC एकीकरण पर ध्यान बढ़ा है।
- भू-राजनीतिक तनावों तथा व्यापार विविधीकरण के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है।

आगे की राह

- आधारभूत संरचना और रेल संपर्क को सुदृढ़ किया जाए।
- प्रतिबंधों के बीच संतुलित कूटनीति सुनिश्चित की जाए।
- क्षेत्रीय साझेदारियों (मध्य एशिया, रूस) को मजबूत किया जाए।
- चाबहार को यूरेशिया के लिए एक प्रमुख व्यापारिक द्वार के रूप में स्थापित किया जाए।

निष्कर्ष

चाबहार बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय संपर्क नीति, विदेशी व्यापार रणनीति तथा यूरेशियाई बाजारों तक पहुँच का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। तथापि, इसकी सफलता प्रतिबंधों से संबंधित अनिश्चितताओं, आधारभूत संरचना विकास तथा उभरते वैश्विक व्यापार गलियारों के साथ सामंजस्य पर निर्भर करेगी। तीव्र गति से बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसके आर्थिक एवं भू-राजनीतिक सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करने के लिए ईरान तथा अन्य हितधारकों के साथ सतत राजनयिक सहभागिता आवश्यक होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. चाबहार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान करता है।
2. यह फारस की खाड़ी में स्थित है।
3. इसके विकास में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर : (c)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का ओपेक से बाहर निकलना

चर्चा में क्यों: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से बाहर निकलने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक तेल मूल्य स्थिरता तथा भारत जैसे प्रमुख आयातकों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

मुख्य बिंदु

- सऊदी अरब द्वारा निर्धारित उत्पादन कोटा को लेकर वर्षों से चले आ रहे मतभेदों के बाद यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। यह कदम अपने तेल उत्पादन तथा बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करने की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है।
- प्रमुख सदस्य के बाहर निकलने से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने की ओपेक की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे वैश्विक बाजारों को स्थिर बनाए रखने में कार्टेल का प्रभाव कम हो सकता है।
- यूएई का लक्ष्य वैश्विक बाजार में कम कीमतों के बावजूद तेल उत्पादन बढ़ाना है। यह सामूहिक नियंत्रण के बजाय व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की दिशा में एक रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।
- भारत के लिए कम तेल कीमतें आयात बिल को कम करेंगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करेंगी। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85–90 प्रतिशत आयात करता है, जिससे वह मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना रहता है।

ओपेक : गठन और भूमिका

उत्पत्ति

- ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण तथा उत्पादन में पश्चिमी तेल कंपनियों के प्रभुत्व का मुकाबला करना था।

उद्देश्य

- यह संगठन वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के लिए तेल आपूर्ति का प्रबंधन करता है।
- उत्पादन कोटा का उपयोग मूल्य गिरावट अथवा अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है।

ओपेक+ गठबंधन

- इसमें रूस जैसे गैर-ओपेक देशों को भी शामिल किया गया है, जिससे बाजार नियंत्रण को मजबूती मिली है।
- विस्तारित समूह वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

घटता प्रभाव

- वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी समय के साथ कम हुई है।
- विशेषकर अमेरिकी शेल उद्योग जैसे गैर-ओपेक उत्पादक अब आपूर्ति पर अधिक प्रभाव रखते हैं।

यूएई के बाहर निकलने के कारण

- उत्पादन संबंधी सीमाएँ : ओपेक कोटा के कारण यूएई अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था।
- कम लागत का लाभ : यूएई विश्व के सबसे कम लागत वाले तेल उत्पादकों में से एक है, जिससे कम कीमतों पर भी लाभ अर्जित किया जा सकता है।
- बाजार हिस्सेदारी की रणनीति : भविष्य में वैश्विक तेल मांग के चरम पर पहुँचने की संभावना को देखते हुए यूएई शीघ्र उत्पादन कर अपने भंडार का दोहन करना चाहता है।
- भू-राजनीतिक अंतर : सऊदी अरब के साथ मतभेद तथा बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों ने इस निर्णय को प्रभावित किया।

वैश्विक तेल बाजार की गतिशीलता

आपूर्ति प्रबंधन

- तेल की कीमतें वैश्विक मांग और आपूर्ति संतुलन से प्रभावित होती हैं।
- परंपरागत रूप से ओपेक मूल्य स्थिरता हेतु आपूर्ति को नियंत्रित करता रहा है।

मूल्य अस्थिरता

- उत्पादकों के बीच समन्वय में कमी से कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
- अधिक आपूर्ति दीर्घकाल में कीमतों को नीचे ला सकती है।

सामरिक जलडमरूमध्यों की भूमिका

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- किसी भी व्यवधान का आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
  - ➢ ऊर्जा संक्रमण
- नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता रुझान दीर्घकालिक तेल मांग वृद्धि को सीमित कर रहा है।
- इससे तेल निर्यातक देशों की उत्पादन रणनीतियाँ प्रभावित हो रही हैं।

अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव

अल्पकालिक स्थिरता

- वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों के कारण तेल कीमतों पर तात्कालिक प्रभाव सीमित रहेगा।

दीर्घकालिक दबाव

- बढ़ा हुआ उत्पादन भविष्य में अधिक आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- इससे तेल कीमतों में दीर्घकालिक गिरावट आ सकती है।

संभावित मूल्य युद्ध

- अन्य उत्पादक भी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
- इससे प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता बढ़ सकती है।

बाजार अनिश्चितता

- समन्वित कार्रवाई में कमी से वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

भारत पर प्रभाव

आयात बिल में कमी

- कम तेल कीमतों से भारत का कच्चे तेल आयात व्यय घटेगा।
- तेल कीमतों में प्रति डॉलर की कमी वार्षिक आयात बिल को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण

- सस्ते तेल से ईंधन तथा परिवहन लागत घटेगी।

- इससे समग्र आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा।

ऊर्जा सुरक्षा

- विविधीकृत आपूर्ति और कम कीमतें भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी।

आर्थिक वृद्धि

- कम ऊर्जा लागत औद्योगिक विकास और राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित करेगी।

भू-राजनीतिक निहितार्थ

खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में परिवर्तन

- यूएई का निर्णय ओपेक और जीसीसी देशों के भीतर बदलते शक्ति संतुलन का संकेत देता है।

अमेरिकी कारक

- यह कदम तेल कीमतों को नियंत्रित रखने में अमेरिका के हितों के अनुरूप माना जाता है।
- इससे यूएई और पश्चिमी देशों के बीच सामरिक संबंध मजबूत हो सकते हैं।

ओपेक की एकजुटता

- अन्य सदस्य देश भी अपनी सदस्यता पर पुनर्विचार कर सकते हैं।
- इससे संगठन की एकता कमजोर हो सकती है।

रूस–सऊदी भूमिका

- ओपेक+ का भविष्य प्रमुख उत्पादकों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगा।

भावी चुनौतियाँ

- बाजार अस्थिरता
- तेल निर्यातक देशों के लिए राजस्व हानि
- ऊर्जा संक्रमण से उत्पन्न अनिश्चितता
- सामूहिक स्थिरता की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने से बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

आगे की राह

- संतुलित उत्पादन रणनीति अपनाई जानी चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में मूल्य स्थिरता बनी रहे।
- उत्पादकों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत जैसे आयातक देशों को ऊर्जा विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना चाहिए।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण अल्पकालिक आपूर्ति झटकों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

यूएई का ओपेक से बाहर निकलना ऊर्जा भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। यद्यपि इससे दीर्घकाल में तेल कीमतों में कमी और कार्टेल नियंत्रण में गिरावट आ सकती है, किंतु यह वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता भी उत्पन्न करता है। भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ओपेक और वैश्विक तेल बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ओपेक वैश्विक तेल उत्पादन के 70% से अधिक भाग को नियंत्रित करता है।
2. यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ओपेक छोड़ा है।
3. कम वैश्विक तेल कीमतें भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए लाभकारी हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर : (b) केवल 2 और 3

'येलो लाइन' सुरक्षा रणनीति

चर्चा में क्यों: अप्रैल 2026 में हिज़्बुल्लाह के साथ हुए युद्धविराम के बाद इज़राइल ने अपनी 'येलो लाइन' सुरक्षा रणनीति को गाज़ा पट्टी से दक्षिणी लेबनान तक विस्तारित कर दिया है। यह रणनीति लितानी नदी तक एक सैन्य बफर क्षेत्र स्थापित करती है और इज़राइल की क्षेत्रीय सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

- 'येलो लाइन' शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों के भीतर इज़राइली रक्षा बलों द्वारा स्थापित एक सुदृढ़ सैन्य बफर क्षेत्र है।
- इसे अक्टूबर 2025 के गाज़ा संघर्ष के दौरान पहली बार लागू किया गया और 2026 में दक्षिणी लेबनान तक विस्तारित किया गया।
- इसका उद्देश्य हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे उग्रवादी संगठनों को इज़राइल की सीमाओं के निकट अपनी परिचालन क्षमता पुनः स्थापित करने से रोकना है।
- यह बफर क्षेत्र कथित रूप से लेबनान में लितानी नदी तक विस्तृत है।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने विस्थापन, सैन्यीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघनों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

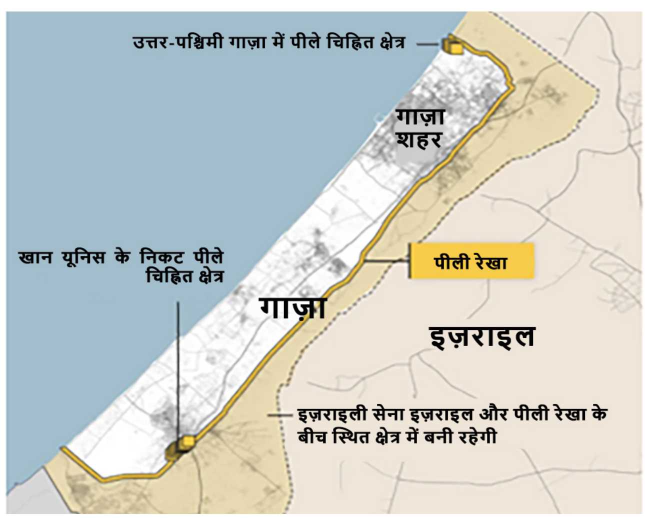

येलो लाइन रणनीति : अर्थ एवं अवधारणा

- **येलो लाइन का अर्थ :** यह एक सैन्य सीमांकन है जिसका उपयोग इज़राइल संघर्ष क्षेत्रों के भीतर नियंत्रित बफर क्षेत्र स्थापित करने के लिए करता है।
- **अग्रिम रक्षा सिद्धांत :** पारंपरिक सीमाओं के विपरीत, यह रणनीति खतरों को इज़राइल की सीमाओं तक पहुँचने से पहले पड़ोसी क्षेत्रों में ही निष्प्रभावी करने पर आधारित है।
- **परिचालन नियंत्रण तंत्र :** येलो लाइन के अधीन क्षेत्र अत्यधिक सैन्यीकृत सुरक्षा क्षेत्र होता है, जहाँ नागरिक आवागमन और आधारभूत संरचना गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
- **सैन्य सिद्धांत में परिवर्तन :** यह रणनीति अस्थायी सैन्य अभियानों से स्थायी क्षेत्रीय नियंत्रण की दिशा में परिवर्तन को दर्शाती है।

इज़राइल की सुरक्षा सीमाओं का ऐतिहासिक संदर्भ

ग्रीन लाइन और पूर्ववर्ती सुरक्षा मॉडल

- येलो लाइन, 1967 की ग्रीन लाइन तथा पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) के अवरोधों जैसी पूर्ववर्ती सुरक्षा व्यवस्थाओं से वैचारिक समानता रखती है।
- हालांकि, राजनीतिक सीमाओं के विपरीत, येलो लाइन मुख्यतः विवादित क्षेत्रों के भीतर सैन्य नियंत्रण का एक साधन है।

2025 का गाज़ा संघर्ष

- यह रणनीति अक्टूबर 2025 के गाज़ा युद्ध के दौरान उभरी।
- इसे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े शांति ढाँचे के अंतर्गत सुरक्षा प्रस्तावों से जोड़ा गया।

येलो लाइन रणनीति की विशेषताएँ

स्थायी रक्षा अवसंरचना

- येलो लाइन में स्थायी सैन्य अवसंरचना शामिल है, जिसमें किलेबंद चौकियाँ, संचार टावर, अवरोधक तथा ऊँचे मिट्टी के बांध शामिल हैं।
- यह चलायमान युद्ध से स्थिर क्षेत्रीय रक्षा की ओर परिवर्तन को दर्शाती है।

सैन्यीकृत बफर क्षेत्र

- येलो लाइन के पूर्व के क्षेत्रों को इज़राइली सैन्य नियंत्रण के अंतर्गत बंद सैन्य क्षेत्र माना जाता है।
- इन क्षेत्रों में नागरिकों और आर्थिक गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

गहन क्षेत्रीय प्रवेश

- यह रणनीति केवल मान्यता प्राप्त सीमाओं तक सीमित न रहकर पड़ोसी क्षेत्रों के भीतर गहरी सैन्य उपस्थिति स्थापित करती है।
- गाज़ा में, रिपोर्टों के अनुसार लगभग 70% क्षेत्र प्रत्यक्ष इज़राइली सैन्य नियंत्रण में आ गया।

भौतिक सीमांकन

- येलो लाइन को पीले रंग से चिह्नित अवरोधों, कंक्रीट बैरिकेडों और दृश्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा चिह्नित किया गया है।
- ये संरचनाएँ दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय पृथक्करण का प्रतीक हैं।

दक्षिणी लेबनान में विस्तार

लेबनान मोर्चा

- अप्रैल 2026 के युद्धविराम के बाद इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के विरुद्ध दक्षिणी लेबनान तक येलो लाइन का विस्तार किया।
- यह बफर क्षेत्र कथित रूप से लितानी नदी तक विस्तृत है, जो दक्षिणी लेबनान की एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है।

लेबनान में उद्देश्य

- इसका उद्देश्य हिज़्बुल्लाह को इज़राइली क्षेत्र के निकट सैन्य अवसंरचना पुनः स्थापित करने से रोकना है।
- साथ ही, भविष्य में सीमा-पार हमलों के विरुद्ध सामरिक गहराई प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।

येलो लाइन का सामरिक महत्व

निवारक सुरक्षा सिद्धांत

- यह रणनीति इज़राइल के पूर्व-सक्रिय और निवारक सुरक्षा अभियानों पर बल को दर्शाती है।
- इसका उद्देश्य खतरों को इज़राइली नागरिक आबादी तक पहुँचने से पहले ही निष्प्रभावी करना है।

सैन्य प्रभुत्व

- यह संघर्ष क्षेत्रों में स्थायी सैन्य नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व की ओर परिवर्तन को दर्शाती है।
- इससे इज़राइल की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और निगरानी व्यवस्था मजबूत होती है।

क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में परिवर्तन

- लेबनान तक विस्तार पश्चिम एशिया की व्यापक सुरक्षा संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है।
- यह पश्चिम एशिया में युद्ध और सीमा नियंत्रण के भविष्य के स्वरूप को प्रभावित कर सकता है।

मानवीय एवं विधिक चिंताएँ

नागरिक विस्थापन

- मानवाधिकार संगठनों के अनुसार यह रणनीति नागरिक आबादी के जबरन विस्थापन को बढ़ावा देती है।
- नागरिकों की वापसी और कृषि भूमि तक पहुँच पर लगाए गए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप नहीं माने जाते।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बफर क्षेत्रों में नागरिक हताहतों और सैन्य अभियानों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- आलोचकों का मत है कि कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर स्थायी सैन्य क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकते हैं।

गेट्टोकरण (Ghettoization) संबंधी चिंताएँ

- मानवीय एजेंसियाँ येलो लाइन को नागरिक आबादी को अलग-थलग करने वाले तंत्र के रूप में देखती हैं।

- शहरी केंद्रों, संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं तक सीमित पहुँच मानवीय संकट को और गहरा कर सकती है।

इज़राइल के भीतर आंतरिक आलोचना

सामरिक संवेदनशीलता

- कुछ इज़राइली सैन्य विशेषज्ञों का मत है कि स्थायी रक्षा व्यवस्थाएँ गुरिल्ला युद्ध, स्नाइपर हमलों तथा टैंक-विरोधी मिसाइल हमलों के प्रति सैनिकों को अधिक संवेदनशील बना सकती हैं।
- स्थायी तैनाती लंबे समय तक सैन्य दबाव उत्पन्न कर सकती है।

ऐतिहासिक समानताएँ

- आलोचक इसकी तुलना दक्षिणी लेबनान में इज़राइल की पूर्ववर्ती लंबी सैन्य उपस्थिति से करते हैं, जो महंगी और राजनीतिक रूप से विवादास्पद सिद्ध हुई थी।
- यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि स्थायी कब्जा-प्रकार की तैनाती संघर्ष को और बढ़ा सकती है।

आर्थिक एवं सैन्य बोझ

- येलो लाइन के रखरखाव के लिए भारी सैन्य तैनाती और रसद समर्थन की आवश्यकता होती है।
- केवल गाज़ा क्षेत्र में ही अनेक सैन्य डिवीजनों की तैनाती की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आरक्षित बलों और रक्षा व्यय पर दबाव बढ़ता है।

क्षेत्रीय भू-राजनीति पर प्रभाव

तनाव वृद्धि का जोखिम

- सैन्यीकृत बफर क्षेत्रों का विस्तार क्षेत्रीय तनावों को बढ़ा सकता है और उग्रवादी समूहों द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों को प्रेरित कर सकता है।
- इससे युद्धविराम वार्ताओं और दीर्घकालिक शांति प्रयासों में जटिलता उत्पन्न हो सकती है।

शांति प्रक्रिया पर प्रभाव

- स्थायी सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्र राजनीतिक समझौतों और क्षेत्रीय समझौते की संभावनाओं को कमजोर कर सकते हैं।
- इससे इज़राइल और पड़ोसी समाजों के बीच अविश्वास और गहरा हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव

- इस रणनीति पर संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक शक्तियों की निगरानी बढ़ सकती है।
- इससे कब्जा, संप्रभुता और संघर्ष समाधान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई बहसें प्रारम्भ हो सकती हैं।

आगे की राह

- राजनीतिक समाधान को बढ़ावा दिया जाए।
- सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
- युद्धविराम तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- स्थायी सैन्यीकरण से बचा जाए।
- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

येलो लाइन रणनीति इज़राइल की सुरक्षा नीति में अस्थायी सैन्य अभियानों से स्थायी क्षेत्रीय रक्षा और बफर क्षेत्रों की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। यद्यपि इज़राइल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है, परंतु इससे मानवीय परिणामों, विधिक विवादों और दीर्घकालिक संघर्ष के जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। लेबनान तक इसका विस्तार आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक और सुरक्षा संरचना को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में समाचारों में रही 'येलो लाइन' रणनीति किससे संबंधित है?

(a) दक्षिण चीन सागर में समुद्री सीमा विवाद

(b) इज़राइल द्वारा स्थापित सैन्य बफर क्षेत्र

(c) उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच असैन्यीकृत क्षेत्र

(d) रूस और यूक्रेन के बीच सीमा समझौता

उत्तर : (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पश्चिम एशिया में इज़राइल की 'येलो लाइन' सुरक्षा रणनीति के सामरिक महत्व तथा इसके मानवीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत–रूस आरईएलओएस (RELOS) समझौता

चर्चा में क्यों: भारत और रूस ने फरवरी 2025 में हस्ताक्षर तथा रूस द्वारा अनुमोदन के बाद पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौते (RELOS) को क्रियान्वित किया है। यह पारंपरिक क्रेता–विक्रेता ढाँचे से आगे बढ़ते हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के बड़े विस्तार का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

- पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता (RELOS) भारत और रूस को एक-दूसरे की सैन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- यह समझौता दोनों देशों को एक साथ 3,000 सैनिकों, पाँच युद्धपोतों तथा दस विमानों की तैनाती की अनुमति देता है।
- आरईएलओएस की प्रारंभिक अवधि पाँच वर्ष की है, जिसे पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- यह समझौता बंदरगाह पहुँच, मरम्मत, रखरखाव, ईंधन, नौवहन तथा वायु यातायात सहायता सहित लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करता है।
- यह समझौता संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण तथा मानवीय सहायता अभियानों के माध्यम से भारत–रूस रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करता है।

आरईएलओएस समझौता : अर्थ एवं दायरा

आरईएलओएस का अर्थ

- **पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता** (RELOS) भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक साझेदारी की व्यवस्था है।
- यह दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को ईंधन भरने, मरम्मत, पुनःपूर्ति, परिवहन तथा परिचालन सहायता हेतु एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

आरईएलओएस का उद्देश्य

- यह समझौता दोनों देशों के बीच परिचालन सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता तथा सैन्य तत्परता में सुधार लाने का प्रयास करता है।
- यह सामरिक गतिशीलता को बढ़ाता है तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक तैनाती का समर्थन करता है।

आरईएलओएस समझौते के प्रमुख प्रावधान

सैन्य कर्मियों की तैनाती

- यह समझौता अभ्यासों, अभियानों अथवा सहमत मिशनों के दौरान दोनों देशों के क्षेत्रों में अधिकतम **3,000 सैनिकों** की तैनाती की अनुमति देता है।
- यह प्रावधान सैन्य समन्वय को बढ़ाता है तथा दोनों देशों के बीच सामरिक विश्वास को मजबूत करता है।

नौसैनिक एवं वायु पहुँच

- आरईएलओएस दोनों देशों की सुविधाओं में अधिकतम **पाँच नौसैनिक युद्धपोतों** तथा **दस सैन्य विमानों** की तैनाती की अनुमति देता है।
- यह नौसैनिक बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रखरखाव अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहायता प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करता है।

लॉजिस्टिक एवं रखरखाव सहायता

- समझौते में ईंधन भरने, मरम्मत सेवाएँ, पुनःपूर्ति तथा तकनीकी रखरखाव सहायता शामिल है।
- यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके सैन्य प्लेटफार्मों का बड़ा भाग रूसी मूल का है।

संयुक्त अभ्यास एवं प्रशिक्षण

- यह समझौता संयुक्त सैन्य अभ्यासों, कार्मिक आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करता है।
- इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध और मानवीय अभियानों में अंतर-संचालन क्षमता मजबूत होती है।

मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)

- आरईएलओएस मानवीय संकटों, आपदाओं और आपातकालीन निकासी अभियानों के दौरान सहयोग को सक्षम बनाता है।
- इससे क्षेत्रीय आपात स्थितियों तथा समुद्री आपदाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है।

आरईएलओएस का सामरिक महत्व

सुदृढ़ सैन्य लॉजिस्टिक्स

- यह समझौता दीर्घकालिक सैन्य तैनाती और नौसैनिक अभियानों के दौरान निर्बाध लॉजिस्टिक समर्थन सुनिश्चित करता है।
- इससे परिचालन विलंब कम होता है तथा सैन्य परिसंपत्तियों की निरंतरता क्षमता में सुधार होता है।

भारत के लिए आर्कटिक पहुँच

- आरईएलओएस भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सुविधाओं तक सामरिक पहुँच प्रदान करता है, जो बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है।
- आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ खनिज तथा ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से उभरते समुद्री व्यापार मार्ग उपलब्ध हैं।

बेहतर परिचालन तत्परता

- यह समझौता भारतीय और रूसी सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता और समन्वय को मजबूत करता है।
- इससे रणनीतिक आकस्मिक परिस्थितियों तथा सैन्य अभियानों के दौरान तीव्र तैनाती क्षमता बढ़ती है।

सामरिक स्वायत्तता

- यह समझौता तीसरे पक्ष की सैन्य लॉजिस्टिक सहायता पर निर्भरता को कम करता है।
- यह बढ़ती ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्था में भारत की **सामरिक स्वायत्तता** की नीति के अनुरूप है।

भारत–रूस रक्षा संबंध

विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी

- भारत और रूस के बीच **विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी** विद्यमान है।
- रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है।

रूसी मूल के रक्षा उपकरण

- भारत के लगभग **60–70 प्रतिशत** सैन्य उपकरण रूसी अथवा सोवियत मूल के हैं।
- प्रमुख प्लेटफार्मों में **S-400 ट्रायम्फ**, **T-90 टैंक** तथा **Su-30 एमकेआई** शामिल हैं।

संयुक्त विकास एवं उत्पादन

- संबंध केवल रक्षा आयात तक सीमित न रहकर सह-विकास और विनिर्माण की दिशा में विकसित हुए हैं।
- उदाहरणस्वरूप, **ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम** और **एके-203 राइफल निर्माण परियोजना** शामिल हैं।

संस्थागत रक्षा ढाँचा

- रक्षा सहयोग का संचालन भारत–रूस अंतर-सरकारी सैन्य एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग आयोग द्वारा किया जाता है।
- यह तंत्र रक्षा खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सामरिक सहयोग की निगरानी करता है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

- भारत और रूस नियमित रूप से इंद्र (INDRA) अभ्यास आयोजित करते हैं।
- ये अभ्यास परिचालन समन्वय, युद्धक तैयारी तथा विभिन्न सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करते हैं।

आधुनिक युद्ध में लॉजिस्टिक्स समझौतों का महत्व

शक्ति प्रक्षेपण क्षमता

- ऐसे समझौते देशों को अपने क्षेत्र से दूर भी सैन्य अभियानों को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।
- वे सामरिक पहुँच, समुद्री उपस्थिति तथा तीव्र सैन्य तैनाती क्षमता को बढ़ाते हैं।

परिचालन निर्भरता में कमी

- ऐसे समझौते विदेशी मध्यस्थों पर निर्भरता कम करते हैं तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं।
- ये संघर्ष, आपातकाल और मानवीय अभियानों के दौरान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

समुद्री सुरक्षा

- विदेशी बंदरगाहों तक पहुँच नौसैनिक अभियानों को मजबूत बनाती है।
- यह भारत की समुद्री सुरक्षा तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति को समर्थन प्रदान करती है।

भारत के अन्य लॉजिस्टिक्स समझौते

भारत ने निम्न देशों के साथ भी इसी प्रकार के समझौते किए हैं—

- संयुक्त राज्य अमेरिका — लेमोआ (LEMOA)
- फ्रांस
- ऑस्ट्रेलिया
- जापान
- सिंगापुर

ये समझौते भारत की वैश्विक सैन्य गतिशीलता तथा सामरिक पहुँच को सुदृढ़ करते हैं।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ

- रूस के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग को पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
- रूस–पश्चिम तनाव निरंतर कूटनीतिक जटिलताएँ उत्पन्न करते हैं।

रूसी उपकरणों पर निर्भरता

- रूसी सैन्य उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी कमजोरियाँ उत्पन्न करती है।
- भारत रणनीतिक निर्भरता कम करने के लिए रक्षा आयात का विविधीकरण कर रहा है।

प्रौद्योगिकी एवं भुगतान संबंधी मुद्दे

- प्रतिबंधों से संबंधित भुगतान तंत्र तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंध भविष्य के रक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं।
- निर्बाध रक्षा आपूर्ति बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- **स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करना :** आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घरेलू रक्षा उत्पादन का विस्तार किया जाए।
- **संयुक्त विकास को बढ़ावा देना :** उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और रक्षा नवाचार के सह-विकास पर ध्यान दिया जाए।
- **विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना :** रूस और पश्चिमी साझेदारों के साथ संबंधों के माध्यम से सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखा जाए।
- **समुद्री सहयोग का विस्तार करना :** हिंद-प्रशांत और आर्कटिक क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने हेतु लॉजिस्टिक्स समझौतों का उपयोग किया जाए।
- **अंतर-संचालन क्षमता में सुधार :** संयुक्त अभ्यासों और परिचालन समन्वय तंत्र की आवृत्ति बढ़ाई जाए।

निष्कर्ष

भारत–रूस आरईएलओएस समझौता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक क्रेता–विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ते हुए यह गहन परिचालन और सामरिक सहयोग की दिशा में अग्रसर है। लॉजिस्टिक पहुँच, सैन्य तत्परता और अंतर-संचालन क्षमता को सुदृढ़ करके यह समझौता भारत की सामरिक पहुँच तथा रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को मजबूत करता है। बहुध्रुवीय और अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था में आरईएलओएस भारत की रक्षा तैयारी को सशक्त बनाते हुए उसकी स्वतंत्र विदेश नीति दृष्टिकोण को संरक्षित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में समाचारों में रहा पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता (RELOS) किससे संबंधित है?

(a) भारत के परमाणु ऊर्जा सहयोग से

(b) द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स और सैन्य सहायता समझौते से

(c) रक्षा उपकरणों में मुक्त व्यापार समझौते से

(d) संयुक्त साइबर सुरक्षा पहल से

उत्तर : (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की रक्षा तैयारी और सामरिक स्वायत्तता के संदर्भ में भारत–रूस आरईएलओएस समझौते के सामरिक महत्व की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

इकाई 03 अर्थव्यवस्था एवं कृषि

एट लॉन्ग लास्ट

चर्चा में क्यों: भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने पहली बार क्रिटिकलिटी (स्व-संचालित निरंतर नाभिकीय शृंखला अभिक्रिया) प्राप्त की, जो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का संकेत है, किन्तु विलंब, लागत वृद्धि तथा नियामकीय चिंताओं ने इसकी दक्षता और भावी नीति दिशा पर प्रश्न खड़े किए हैं।

मुख्य विवरण

- PFBR ने प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त की, जो भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रवेश का संकेत है।
- परियोजना को 16 वर्षों की देरी तथा ₹8,000 करोड़ से अधिक की लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा।
- यह अधिक प्लूटोनियम उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए गए ईंधन तथा क्षीणित यूरेनियम का उपयोग करता है।
- वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान केवल लगभग 3% है।
- यह ईंधन दक्षता, कम भूमि आवश्यकता तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करता है।
- यह नियामकीय अतिव्यापन, पारदर्शिता तथा आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित चिंताएँ भी उत्पन्न करता है।

सावधानी के साथ उपलब्धि

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द्वारा प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उपलब्धि है।
- तथापि, यह उपलब्धि लंबी देरी और लागत वृद्धि से प्रभावित रही है।
- यह वैज्ञानिक प्रगति तथा शासन संबंधी कमियों दोनों को प्रतिबिंबित करती है।

विलंब और लागत वृद्धि से संबंधित समस्याएँ

- कुल लागत बढ़कर ₹8,181 करोड़ हो गई, जो स्वीकृत बजट से दो गुना से अधिक है।
- प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभी भी लंबित रहने के कारण परियोजना में लगभग 16 वर्षों का विलंब हुआ।
- इसके कारणों में दुर्बल योजना निर्माण, खरीद प्रक्रिया की अक्षमताएँ तथा कमजोर निगरानी शामिल हैं।
- राजनीतिक संरक्षण के कारण उत्तरदायित्व और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई प्रभावित हुई।

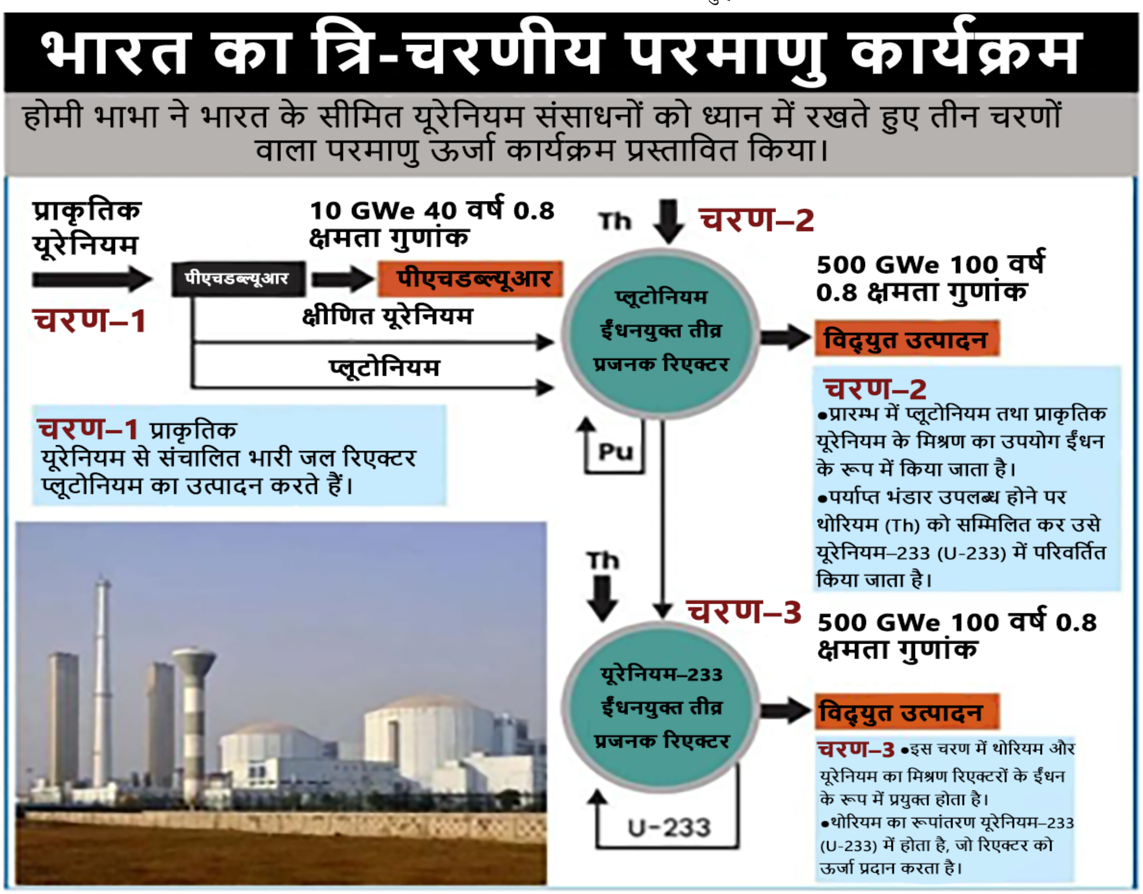

नाभिकीय कार्यक्रम में सामरिक भूमिका

- भारत के तीन-चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण में PFBR पहला वाणिज्यिक कदम है।
- यह प्लूटोनियम उत्पादन के लिए पुनर्प्रसंस्कृत प्रयुक्त ईंधन तथा क्षीणित यूरेनियम का उपयोग करता है।
- दीर्घकालिक लक्ष्य तृतीय चरण में थोरियम आधारित रिएक्टरों की ओर संक्रमण करना है।
- यह रणनीति भारत के विशाल थोरियम भंडार पर आधारित है, जिससे भविष्य में स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

लाभ और उभरती चिंताएँ

- नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तुलना में उच्च ईंधन दक्षता तथा कम भूमि आवश्यकता प्रदान करती है।
- यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है तथा यूरेनियम आयात पर निर्भरता को कम करती है।
- तथापि, कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान अभी भी केवल लगभग 3% है।
- सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के घटते खर्च नाभिकीय ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता को चुनौती देते हैं।
- भविष्य की ऊर्जा नीतियों का निर्धारण आर्थिक दक्षता के आधार पर किया जाना चाहिए।

आगे की राह एवं संस्थागत सुधार

- पारदर्शिता, प्रदर्शन लेखा-परीक्षण तथा परिचालन संबंधी त्रुटियों की स्वीकार्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- FBR-1 और FBR-2 रिएक्टरों के विस्तार से पूर्व PFBR से प्राप्त अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- प्रोत्साहन और विनियमन संबंधी भूमिकाओं को अलग करके नियामकीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- बेहतर शासन व्यवस्था हेतु परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) जैसे निगरानी संस्थानों में सुधार किया जाना चाहिए।
- नाभिकीय विस्तार को लागत-प्रभावशीलता, सततता तथा नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

PFBR की उपलब्धि भारत की दीर्घकालिक नाभिकीय रणनीति में प्रगति को दर्शाती है, किन्तु साथ ही यह योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा निगरानी से संबंधित कमियों को भी उजागर करती है। नाभिकीय ऊर्जा के लाभों और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा नवीकरणीय विकल्पों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। वास्तविक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, नियामकीय स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भविष्य का विस्तार प्रदर्शन, लागत-प्रभावशीलता तथा सततता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के महत्व की विवेचना कीजिए। इनके क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का परीक्षण करते हुए एक सतत नाभिकीय नीति हेतु आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए।" (250 शब्द, 15 अंक)

भारत के अनौपचारिक शहरी कार्यबल की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों: नोएडा में हाल के श्रमिक विरोध प्रदर्शनों ने बढ़ती शहरी असुरक्षा, घटती सौदेबाजी शक्ति, तथा अनौपचारिकीकरण को उजागर किया है, जिससे श्रम अधिकारों, जीवन परिस्थितियों तथा भारत के शहरी विकास मॉडल की स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

मुख्य विवरण

- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत के लगभग 90% कार्यबल का संबंध अनौपचारिक क्षेत्र से है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी रोजगार सीमित हैं, जिससे असुरक्षा बढ़ रही है।
- **घटती सौदेबाजी शक्ति:** विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता राज्य संस्थाओं और नियोक्ताओं के समक्ष कमजोर हुई है, जहाँ कानूनी संरक्षण का अभाव है।
- **शहरी परिवर्तन:** नगरों का स्वरूप औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों (जैसे मुंबई और अहमदाबाद में मिलों के बंद होने) से बदलकर जीविका-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रों में परिवर्तित हो गया है।
- **नीतिगत परिवर्तन:** वाशिंगटन सर्वसम्मति के प्रभाव में अधिकार-आधारित सेवाओं में कमी तथा निजीकरण और बाजार-आधारित शासन को बढ़ावा दिया गया।
- **असुरक्षित जीवन परिस्थितियाँ:** ऊँचे किराये, झुग्गी बस्तियों में बढ़ती आबादी, ऋण पर निर्भरता (भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, 2025 में उल्लिखित) तथा जलवायु जोखिमों के कारण शहरी असमानताएँ बढ़ रही हैं।

शहरी श्रमिकों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन

- नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में हाल के श्रमिक प्रदर्शन शहरी रोजगार में बढ़ती असुरक्षा को रेखांकित करते हैं।
- ये प्रदर्शन अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि भारतीय शहरों में व्याप्त व्यापक संरचनात्मक संकट का संकेत हैं।
- समान परिस्थितियों वाले अन्य शहरी केन्द्रों में भी इस प्रकार की अशांति फैलने की संभावना है।

श्रमिकों की घटती सौदेबाजी शक्ति

- दशकों के दौरान विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में लगातार गिरावट आई है।
- अब राज्य (नगरपालिका, राज्य और संघ) तथा नियोक्ता श्रम संबंधों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं।
- इस असंतुलन के कारण श्रमिकों की उचित वेतन और संरक्षण प्राप्त करने की क्षमता कम हुई है।

अनौपचारिक रोजगार का प्रभुत्व

- भारत के लगभग 90% कार्यबल का संबंध अनौपचारिक क्षेत्र से है।
- शहरी क्षेत्रों में, PLFS के अनुसार, नियमित वेतनभोगी रोजगार अभी भी सीमित हैं।
- अधिकांश श्रमिक अस्थिर, अनियमित तथा कम सुरक्षा वाले रोजगारों पर निर्भर हैं।

शहरी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन

- नगरों का स्वरूप औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों से बदलकर उन केन्द्रों में परिवर्तित हो गया है जो मूलभूत जीवन-निर्वाह और सामाजिक पुनरुत्पादन पर आधारित हैं।
- मिलों और कारखानों के बंद होने (जैसे मुंबई और अहमदाबाद) से संगठित श्रम व्यवस्था कमजोर हुई है।
- शहरी जीवन अब स्थायी रोजगार के बजाय भोजन, जल और बाल देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गया है।

अधिकार-आधारित सेवाओं से बाजार-आधारित सेवाओं की ओर परिवर्तन

- वाशिंगटन सर्वसम्मति (जिसे जॉन विलियमसन ने प्रतिपादित किया) के प्रभाव में राज्य ने अधिकार-आधारित कल्याणकारी व्यवस्था में अपनी भूमिका सीमित कर दी।
- ध्यान निजीकरण, राजकोषीय अनुशासन और उदारीकरण पर केंद्रित हो गया।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जैसी आवश्यक सेवाएँ क्रमशः बाजार-आधारित और शुल्क-आधारित होती गईं।

शहरी असुरक्षा और नीतिगत चुनौतियाँ

- शहरी श्रमिकों को अनौपचारिक रोजगार, असुरक्षित आवास तथा ऊँची जीवन-यापन लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- शहरी गरीबों का लगभग 40% भाग झुग्गी बस्तियों में निवास करता है और अपनी आय का 30–50% किराये पर व्यय करता है।
- अनेक बस्तियाँ आपदा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता के कारण निजीकरण, बेदखली अभियान, कमजोर श्रम कानून तथा ऋण-जाल जैसी समस्याएँ और गंभीर हो जाती हैं।
- श्रमिक परिषदों (जैसे केरल शहरी आयोग) जैसी पहलें अनौपचारिक श्रमिकों को शासन प्रक्रिया में शामिल करने तथा मजबूत श्रमिक गठबंधनों के निर्माण का प्रयास करती हैं।

निष्कर्ष

भारत का शहरी संकट विकास-उन्मुख नीतियों और श्रम कल्याण के बीच विद्यमान एक संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है। शहरी असुरक्षा के समाधान के लिए श्रम अधिकारों को सुदृढ़ करना, सुलभ आवास का विस्तार करना, मूलभूत सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा अनौपचारिक श्रमिकों को शासन प्रक्रिया में सम्मिलित करना आवश्यक है। श्रमिक परिषदों जैसे सहभागितापूर्ण मॉडल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तथा लचीलापन के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अधिक न्यायसंगत शहरों के निर्माण में सहायक हो सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "भारत में शहरीकरण ने समावेशी विकास के बजाय श्रम के अनौपचारिकीकरण और असुरक्षा को बढ़ावा दिया है।" उपयुक्त उदाहरणों सहित समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

कृषि आपूर्ति संकट एवं मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों: ईरान से संबंधित जारी भू-राजनीतिक तनावों ने उर्वरक तथा कृषि-रसायनों की आपूर्ति में व्यवधान को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, यद्यपि भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध हैं।

मुख्य विवरण

- भारत के पास वर्तमान में गेहूँ और चावल का पर्याप्त भंडार है तथा रिकॉर्ड रबी उत्पादन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित बनी हुई है।
- किन्तु, ईरान से संबंधित संघर्ष ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया से आने वाली उर्वरक एवं कीटनाशक आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित किया है।
- अमोनिया, सल्फर तथा डीएपी जैसे प्रमुख इनपुट की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे लागत संबंधी दबाव बढ़ा है।
- यह स्थिति आगामी खरीफ मौसम तथा भविष्य की खाद्य मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

खाद्य सुरक्षा बफर एवं मुद्रास्फीति की स्थिरता

- **बफर स्टॉक तंत्र:** भारत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी संस्थाओं के माध्यम से बफर स्टॉक बनाए रखता है। मार्च 2026 तक गेहूँ (~23.6 मिलियन टन) तथा चावल (~36.5 मिलियन टन) का भंडार पर्याप्त है, जिससे तात्कालिक मुद्रास्फीति के दबावों को रोका जा सका है।
- **रिकॉर्ड रबी उत्पादन:** वर्ष 2025 में अनुकूल मानसून तथा दानों के भराव के समय उपयुक्त मौसम के कारण गेहूँ, दलहन एवं तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे आपूर्ति पक्ष की स्थिरता मजबूत हुई है।
- **आपूर्ति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रण:** अनाजों की उच्च उपलब्धता तथा चीनी की स्थिर कीमतें (~₹38–45/किलोग्राम) यह दर्शाती हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति वर्तमान में नियंत्रण में है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अनुरूप है।
- पूर्व **उदाहरण (कोविड-19):** महामारी काल की भाँति कृषि क्षेत्र ने आघात अवशोषक (Shock Absorber) के रूप में कार्य किया, जिससे वैश्विक संकटों के दौरान आर्थिक स्थिरता को समर्थन मिला।

• दोहरी चिंता: बढ़ती कीमतें, गिरते शेयर बाज़ार

उर्वरक उत्पादों की बिक्री (लाख टन में)

उर्वरक	अप्रैल-मार्च 2024-25	अप्रैल-फ़रवरी 2024-25	अप्रैल-फ़रवरी 2025-26
यूरिया	387.92*	371.04	376.90*
अमोनियम सल्फेट	8.76	8.12	9.94
अमोनियम क्लोराइड	0.49	0.45	0.53
डीएपी (DAP)	92.81	90.14	89.59
टीएसपी (TSP)	3.28	3.15	6.46
एमएपी (MAP)	0.19	0.19	0.01
एमओपी (MOP)	22.02	20.43	20.89
एसएसपी (SSP)	49.28	47.28	52.75
एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स	142.14	136.01	134.41
कुल	706.91	676.81	691.48

संक्षिप्त रूप:
- DAP – डाइ-अमोनियम फॉस्फेट
- TSP – ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
- MAP – मोनो-अमोनियम फॉस्फेट
- MOP – म्यूरेट ऑफ पोटाश
- SSP – सिंगल सुपर फॉस्फेट
- * यूरिया में 0.18 लाख टन सल्फर-लेपित यूरिया सम्मिलित है।
- * एमओपी में 0.20 लाख टन सल्फर-लेपित एमओपी सम्मिलित है।

स्रोत: उर्वरक संघ, भारत (The Fertiliser Association of India)

उर्वरक आवश्यकता व उपलब्धता की तुलना (लाख टन में)

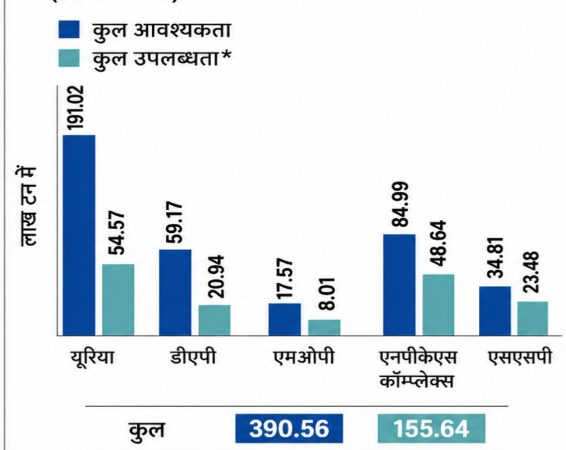

* 2 अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

उर्वरक आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता

- **आयात निर्भरता:** भारत यूरिया, डीएपी, एलएनजी तथा अमोनिया सहित उर्वरकों एवं कच्चे पदार्थों का बड़ा भाग मुख्यतः खाड़ी देशों से आयात करता है, जिससे वह भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- **मूल्य वृद्धि:** अमोनिया की कीमतें \$450 से बढ़कर \$750 प्रति टन, सल्फर की कीमतें \$200 से बढ़कर \$700+ तथा डीएपी की कीमत लगभग \$825 तक पहुँच गई हैं, जिससे सब्सिडी भार और किसानों की लागत बढ़ रही है।
- **खरीफ मौसम का जोखिम:** वर्तमान उर्वरक भंडार केवल प्रारंभिक खरीफ मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, जिससे जून-जुलाई के बुवाई काल में समय पर उपलब्धता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **सब्सिडी दबाव:** वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की पुनर्गणना की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे राजकोषीय स्थिति तथा नीतिगत निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

कृषि-रसायनों की आपूर्ति में व्यवधान

- **पेट्रो-रासायनिक संबंध:** कृषि-रसायन नैफ्था, प्रोपिलीन तथा बेंजीन जैसे पेट्रो-रासायनिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं, जिनका बड़ा भाग पश्चिम एशिया से प्राप्त होता है।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला का संकेंद्रण:** वैश्विक स्तर पर लगभग 55% नैफ्था आपूर्ति पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई है, जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **लागत का संचरण:** मध्यवर्ती रसायनों की कीमतों में वृद्धि से ग्लाइफोसेट जैसे

कीटनाशकों की उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे किसानों के निवेश व्यय में वृद्धि होती है।

- **पैकेजिंग लागत मुद्रास्फीति:** एचडीपीई, पीईटी बोतलों तथा पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में 30–40% तक वृद्धि से कृषि-रसायनों की कुल लागत और बढ़ जाती है।

निवेश लागत एवं मुद्रास्फीति का संबंध

- **लागत प्रेरित मुद्रास्फीति:** उर्वरकों एवं कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें खेती की लागत में वृद्धि करती हैं, जो अंततः खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित होती हैं।
- **किसानों की लाभप्रदता पर प्रभाव:** यदि बढ़ी हुई लागत के अनुपात में न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य नहीं बढ़ते, तो किसानों की आय में कमी आ सकती है, जिससे ग्रामीण मांग प्रभावित होगी।
- **विलंबित मुद्रास्फीति प्रभाव:** यद्यपि वर्तमान भंडार तत्काल मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहे हैं, किन्तु भविष्य के खरीफ और रबी मौसम मूल्य दबावों का सामना कर सकते हैं।
- **वैश्विक संचरण माध्यम:** ऊर्जा कीमतें, मुद्रा अवमूल्यन तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ आयातित मुद्रास्फीति के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं।

भारतीय कृषि की संरचनात्मक समस्याएँ

- **असंतुलित उर्वरक उपयोग:** यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता पोषक तत्वों के असंतुलन को बढ़ाती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन टन यूरिया का उपयोग होता है, जो संतुलित आवश्यकता से कहीं अधिक है।
- **आयात निर्भरता:** उर्वरकों और कृषि-रसायनों के लिए भारी आयात निर्भरता भारत को बाहरी संकटों और मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **कम निवेश दक्षता:** उर्वरकों का अकुशल उपयोग उत्पादकता को घटाता है तथा मृदा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सहित पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाता है।
- **नीतिगत विकृतियाँ:** अत्यधिक सब्सिडी आधारित नीतियाँ बाजार संकेतों को विकृत करती हैं, जिससे कुछ इनपुटों का अत्यधिक उपयोग तथा अन्य का कम उपयोग होता है।

कृषि सुधारों के लिए अवसर

- **संतुलित उर्वरीकरण:** यूरिया के स्थान पर जटिल उर्वरकों (NPK) को बढ़ावा देने से पोषक तत्व दक्षता और सततता में सुधार किया जा सकता है।
- **घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन:** आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के अंतर्गत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम की जा सकती है।
- **आयात स्रोतों का विविधीकरण:** पश्चिम एशिया से परे अन्य क्षेत्रों से आयात बढ़ाने से भू-राजनीतिक जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकीय समाधान:** सटीक कृषि, नैनो-उर्वरकों तथा जैव-उर्वरकों को अपनाने से निवेश की तीव्रता कम होगी तथा कृषि क्षेत्र की लचीलापन क्षमता बढ़ेगी।

निष्कर्ष

भारत की मजबूत खाद्यान्न भंडारण स्थिति अल्पकाल में मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से राहत प्रदान करती है, किन्तु ईरान से संबंधित आपूर्ति व्यवधान कृषि निवेशों में विद्यमान संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करते हैं। आत्मनिर्भरता, संतुलित उर्वरीकरण, आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण तथा सतत कृषि पद्धतियों की दिशा में रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। इस संकट को भारत की कृषि निवेश प्रणाली में सुधार तथा दीर्घकालिक लचीलेपन को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

औद्योगिक नीति एवं विनिर्माण वृद्धि

चर्चा में क्यों: भारत की स्मार्टफोन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना औद्योगिक नीति के एक सफल मॉडल के रूप में उभरी है, जिससे इसके अन्य क्षेत्रों में विस्तार को लेकर चर्चा तेज हुई है।

मुख्य विवरण

- स्मार्टफोन PLI (2020 में प्रारम्भ) के कारण उत्पादन $30 अरब (2020) से बढ़कर लगभग $64 अरब (वित्त वर्ष 2025) तक पहुँच गया।
- निर्यात $3.1 अरब से बढ़कर लगभग $24 अरब हो गया, जिससे वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 1% से बढ़कर 8% हो गई।
- लगभग 1.5–2 लाख रोजगार सृजित हुए, जिसमें वैश्विक कंपनियों की मजबूत भागीदारी रही।
- नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना है।

भारत में औद्योगिक नीति – अवधारणा एवं विकास

- **परिभाषा एवं उद्देश्य:** औद्योगिक नीति से आशय उन सरकारी हस्तक्षेपों से है जिनके माध्यम से प्रोत्साहनों, शुल्कों तथा सुधारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका लक्ष्य विकास, रोजगार तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना होता है।
- **ऐतिहासिक विकास:** लाइसेंस राज (1991 से पूर्व) से लेकर उदारीकरण के बाद के सुधारों तक, भारत ने राज्य-नियंत्रित व्यवस्था से बाज़ार-आधारित औद्योगीकरण की ओर संक्रमण किया।
- **समकालीन फोकस:** हाल की नीतियाँ जैसे मेक इन इंडिया, PLI योजनाएँ तथा आत्मनिर्भर भारत विनिर्माण, निर्यात तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण पर बल देती हैं।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:** चीन और वियतनाम जैसे देशों ने औद्योगिक नीति के माध्यम से सफलतापूर्वक विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकास किया, जिससे भारत की रणनीति प्रभावित हुई है।

स्मार्टफोन PLI की सफलता – प्रमुख परिणाम

- **निर्यात-आधारित वृद्धि:** इस योजना ने निर्यात को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप स्मार्टफोन निर्यात में आठ गुना वृद्धि हुई तथा भारत वैश्विक बाजारों से जुड़ सका।
- **निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि:** लगभग $1.2 अरब के प्रोत्साहन के साथ उत्पादन लगभग $64 अरब तक पहुँच गया, जो लक्षित सब्सिडियों के उच्च गुणक प्रभाव को दर्शाता है।
- **रोजगार सृजन:** श्रम-प्रधान असेंबली इकाइयों ने 1.5–2 लाख रोजगार उत्पन्न किए, जिनमें विनिर्माण इकाइयों में महिला श्रमिकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।
- **वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकरण:** फॉक्सकॉन तथा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के प्रवेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत किया।

निर्यातोन्मुखी रणनीति बनाम आयात प्रतिस्थापन

- **निर्यात-आधारित रणनीति:** पारंपरिक नीतियों के विपरीत, स्मार्टफोन PLI ने संरक्षणवाद के बजाय निर्यात पर बल दिया, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हुई।
- **पैमाने का लाभ:** वैश्विक बाजारों की तुलना में भारत की घरेलू मांग सीमित है; अतः निर्यात ने पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं तथा उत्पादकता लाभ को संभव बनाया।
- **पूर्वी एशिया से सीख:** चीन जैसे देशों ने निर्यात-प्रथम मॉडल अपनाया, जिसका अनुकरण भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कर रहा है।

औद्योगीकरण में निम्नवर्ती असेंबली की भूमिका

- **प्रवेश बिन्दु के रूप में असेंबली:** नीति का लक्ष्य अंतिम असेंबलरों पर केंद्रित था, जो औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
- **रोजगार सृजन की क्षमता:** बड़ी इकाइयाँ (जैसे फॉक्सकॉन संयंत्र) हजारों लोगों को रोजगार देती हैं, जिससे असेंबली श्रम अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण बनती है।
- **एमएसएमई संबंध:** असेंबलर घटकों की मांग उत्पन्न करते हैं, जिससे आपूर्ति शृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ मिलता है।
- **क्रमिक विकास मॉडल:** चीन और वियतनाम की भाँति भारत भी पहले असेंबली और फिर ऊपरी स्तर के घटक विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आपूर्ति शृंखला एवं निवेश लागत का युक्तिकरण

- **आयात शुल्कों में कमी:** घटकों पर कम शुल्क से लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ तथा नीतिगत विरोधाभासों से बचाव हुआ।
- **इनपुट की सुगमता:** कच्चे माल और घटकों की उपलब्धता ने सुचारु उत्पादन चक्र सुनिश्चित किए।
- **नीतिगत विकृतियों से बचाव:** अनेक क्षेत्रों में उच्च शुल्क प्रोत्साहनों के प्रभाव को कम कर देते हैं; स्मार्टफोन नीति ने इससे बचते हुए नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित किया।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता का कारक:** मूल्य-संवेदनशील वैश्विक बाजारों में निर्यात बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी इनपुट लागत आवश्यक है।

व्यवसाय सुगमता एवं प्रशासनिक समर्थन

- **प्रशासनिक उत्तरदायित्व:** अवसंरचना (जैसे हवाई माल ढुलाई क्षमता) के त्वरित विस्तार ने निर्यात लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाया।
- **केन्द्र-राज्य समन्वय:** राज्य सरकारों ने श्रम और परिचालन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक की भूमिका निभाई।
- **नीतिगत स्थिरता:** पूर्वानुमेय नीतियों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया तथा वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया।
- **परामर्शात्मक दृष्टिकोण:** उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद ने नीतियों को व्यावहारिक और उत्तरदायी बनाया।

अन्य क्षेत्रों में PLI की सीमाएँ

- **कम निधि वितरण:** आवंटित ₹1.97 लाख करोड़ की PLI राशि का केवल लगभग 10% ही उपयोग हो सका, जो क्रियान्वयन संबंधी कमियों को दर्शाता है।
- **निर्यात फोकस का अभाव:** अनेक क्षेत्र अभी भी घरेलू बाजार पर केंद्रित हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित होती है।
- **उच्च निवेश लागत:** अन्य उद्योगों में शुल्क अवरोध प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता को कम कर देते हैं।
- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** अवसंरचना की कमी, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत तथा नियामकीय बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं।

औद्योगिक नीति के लिए आगे की राह

- **निर्यात-केन्द्रित दृष्टिकोण:** वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा खिलौनों जैसे वैश्विक मांग वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **आपूर्ति शृंखलाओं का सुदृढ़ीकरण:** ECMS जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू घटक विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाए।
- **श्रम-प्रधान विनिर्माण:** बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।
- **दीर्घकालिक नीतिगत प्रतिबद्धता:** वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए निरंतर समर्थन आवश्यक है, जैसा कि चीन द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के व्यय से स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष

स्मार्टफोन क्षेत्र की सफलता भारत की औद्योगिक नीति के लिए एक अनुकरणीय प्रारूप प्रस्तुत करती है, जो निर्यातोन्मुखी रणनीति, आपूर्ति शृंखला एकीकरण तथा व्यवसाय सुगमता के महत्व को रेखांकित करती है। तथापि, इस सफलता को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए नीतिगत सामंजस्य, सतत निवेश तथा क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होगी। प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के मध्य संतुलित दृष्टिकोण भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र में परिवर्तित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

दिवाला सुधार एवं अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों: संसद ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसका उद्देश्य विलंब को कम करना, वसूली में सुधार करना तथा भारत की दिवाला व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है।

मुख्य विवरण

- IBC संशोधन 2026 का उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया में तेजी लाना तथा न्यायिक विलंब को कम करना है।
- इसमें न्यायालय के बाहर की व्यवस्था (ऋणदाता-प्रारंभित CIRP), समूह दिवाला तथा सीमा-पार दिवाला ढाँचा शामिल किया गया है।
- एनसीएलटी द्वारा समयबद्ध स्वीकृति तथा ऋणदाताओं की बेहतर निगरानी पर बल दिया गया है।
- प्रणालीगत कमियों को दूर करने हेतु प्रवर समिति (2025) की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किए गए हैं।

IBC – पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

- **समयबद्ध दिवाला ढाँचा (2016):** वर्ष 2016 में लागू दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) ने SICA तथा SARFAESI जैसे बिखरे हुए कानूनों का स्थान लिया। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान (180–330 दिन) सुनिश्चित करना था।
- **वसूली के बजाय समाधान का सिद्धांत:** प्राथमिक उद्देश्य केवल ऋण वसूली नहीं, बल्कि व्यवहार्य कंपनियों का पुनर्जीवन तथा परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है, जिससे रोजगार और आर्थिक मूल्य संरक्षित रहें।
- **संस्थागत ढाँचा:** प्रमुख संस्थाओं में NCLT, NCLAT, दिवाला पेशेवर तथा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) शामिल हैं, जो एक संरचित दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करते हैं।
- **बेहतर ऋण संस्कृति:** IBC ने ऋण अनुशासन को मजबूत किया है, जिससे जानबूझकर किए गए चूकों में कमी आई है तथा भारत की व्यवसाय सुगमता (Resolving Insolvency Indicator) रैंकिंग में सुधार हुआ है।

नए संशोधनों की आवश्यकता

- **समाधान प्रक्रिया में विलंब:** 14 दिनों की स्वीकृति समय-सीमा के बावजूद मामलों को स्वीकार होने में कई महीने लग जाते थे, जिससे संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य घटता था।
- **कम वसूली दर:** वर्ष 2025 तक वित्तीय ऋणदाताओं के लिए वसूली दर लगभग 34% रही, जिससे दक्षता पर प्रश्न उठे।
- **न्यायिक लंबित मामले:** NCLT और NCLAT पर अत्यधिक भार के कारण स्वीकृति तथा अपील दोनों में देरी हुई, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ।
- **प्रक्रियागत अक्षमताएँ:** प्रक्रियाओं में अतिव्यापन, मुकदमेबाजी में विलंब तथा स्पष्टता के अभाव ने IBC के समयबद्ध समाधान के मूल उद्देश्य को बाधित किया।

तेज स्वीकृति एवं प्रक्रियागत दक्षता

- **चूक के प्रमाण पर अनिवार्य स्वीकृति:** संशोधन के अनुसार चूक सिद्ध होने पर NCLT को आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य होगा, जिससे विवेकाधीन विलंब समाप्त होगा।
- **प्रारंभिक बाधाओं में कमी:** पहले प्रक्रियागत परीक्षण के कारण विलंब होता था; अब स्पष्ट मानदंड दिवाला प्रक्रिया में प्रवेश को सरल बनाएँगे।
- **समयबद्ध न्यायिक कार्रवाई:** समय-सीमा को सुदृढ़ करने से प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ होगी और परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को रोका जा सकेगा।
- **निवेशकों के विश्वास में वृद्धि:** शीघ्र स्वीकृति अनिश्चितता को कम करेगी तथा संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेशकों एवं समाधान आवेदकों को प्रोत्साहित करेगी।

ऋणदाता-प्रारंभित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)

- **न्यायालय के बाहर की व्यवस्था:** ऋणदाताओं द्वारा प्रारंभ की जाने वाली व्यवस्था औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया के बाहर समाधान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे मुकदमेबाजी का बोझ कम होगा।
- **51% ऋणदाता स्वीकृति की सीमा:** कम-से-कम 51% वित्तीय ऋणदाताओं की सहमति आवश्यक होगी, जिससे सर्वसम्मति आधारित निर्णय सुनिश्चित होगा।
- **लंबी कार्यवाही का विकल्प:** यह पारंपरिक एनसीएलटी मार्ग की तुलना में अधिक त्वरित विकल्प प्रदान करता है, जिससे दक्षता और वसूली की संभावना बढ़ती है।
- **संकटग्रस्त परिसंपत्ति बाजार को प्रोत्साहन:** इससे निजी इक्विटी तथा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और पूँजी प्रवाह में सुधार होगा।

समूह दिवाला ढाँचा

- **कॉरपोरेट समूहों का समग्र समाधान:** विशेषकर साझा देनदारियों वाले परस्पर जुड़े उद्यम समूहों का एक साथ समाधान संभव होगा।
- **खंडित कार्यवाहियों की रोकथाम:** पहले अलग-अलग दिवाला प्रक्रियाओं के कारण मूल्य हानि तथा समन्वय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती थीं।
- **बेहतर वसूली परिणाम:** समेकित समाधान से परिसंपत्तियों का बेहतर मूल्यांकन तथा समन्वित पुनर्गठन संभव होगा।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप:** यह जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं के प्रबंधन संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है।

सीमा-पार दिवाला ढाँचा

- **विदेशी कार्यवाहियों की मान्यता:** विभिन्न देशों में स्थित परिसंपत्तियों अथवा ऋणदाताओं से जुड़े मामलों में स्पष्टता प्रदान की जाएगी।
- **न्यायिक सहयोग:** भारतीय न्यायालयों और विदेशी न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर कुशल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- **वैश्विक मानकों के अनुरूपता:** यह यूएनसिट्रल मॉडल कानून (UNCITRAL Model Law) जैसे ढाँचों की दिशा में एक कदम है, जिससे भारत की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **विदेशी निवेश को बढ़ावा:** पूर्वानुमेय कानूनी वातावरण सीमा-पार लेन-देन में निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा।

संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण

- **हितों के टकराव की समाप्ति:** समाधान पेशेवर (RP) परिसमापक नहीं बन सकेंगे, जिससे निष्पक्ष एवं पक्षपात-रहित निर्णय सुनिश्चित होंगे।
- **अपीलों की समय-सीमा:** NCLAT के लिए तीन माह की समय-सीमा अपीलीय विलंब को कम करेगी और दक्षता में सुधार लाएगी।
- **आईबीबीआई को सशक्त बनाना:** IBBI अब ऋणदाताओं की समिति (CoC) के आचरण तथा समय-सीमा को विनियमित कर सकेगा।
- **आपराधिक दंड से नागरिक दंड की ओर परिवर्तन:** छोटे उल्लंघनों के लिए अब नागरिक दंड का प्रावधान होगा, जिससे अपराधीकरण का भय कम होगा तथा अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

IBC का प्रदर्शन – आँकड़े एवं परिणाम

- **समाधान प्राप्त मामले:** दिसंबर 2025 तक IBC के अंतर्गत 1,300 से अधिक कंपनियों का समाधान किया जा चुका था।
- **वसूली राशि:** ऋणदाताओं ने लगभग ₹4.1 लाख करोड़ की वसूली की, जो इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
- **हेयरकट संबंधी चिंताएँ:** कुछ मामलों में अत्यधिक हेयरकट परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास तथा विलंबित समाधान की समस्या को उजागर करते हैं।
- **प्रणालीगत प्रभाव:** बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार, एनपीए में कमी तथा वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने में आईबीसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **सुधारों के बावजूद विलंब:** मुकदमेबाजी तथा संस्थागत क्षमता की कमी के कारण निरंतर विलंब इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।
- **हेयरकट और मूल्य ह्रास:** ऋणदाताओं को कई बार भारी नुकसान स्वीकार करना पड़ता है, जिससे परिसंपत्ति मूल्यांकन की दक्षता पर प्रश्न उठते हैं।
- **क्षमता संबंधी बाधाएँ:** NCLT/NCLAT में न्यायाधीशों और अवसंरचना की कमी समयबद्ध निपटान को प्रभावित करती है।
- **हितों का संतुलन:** ऋणदाताओं की वसूली और व्यवसायों के पुनर्जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है।

निष्कर्ष

वर्ष 2026 के संशोधन भारत की दिवाला व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे दिवाला समाधान प्रक्रिया की गति बढ़ाने तथा इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी। हालांकि, इन सुधारों की वास्तविक सफलता संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण, अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी तथा वसूली के बजाय समाधान के मूल उद्देश्य को बनाए रखने पर निर्भर करेगी। एक मजबूत और प्रभावी IBC ढाँचा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन), 2026 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये सुधार भारत की दिवाला व्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों का किस प्रकार समाधान करते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

प्रवासन शासन में कमियाँ

चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया से हाल ही में किए गए निकासी अभियानों ने भारत की संकट-प्रतिक्रिया क्षमता की मजबूती, लेकिन दीर्घकालिक प्रवासन शासन ढाँचे की कमजोरी को उजागर किया है।

मुख्य विवरण

- भारत ने वर्ष 2026 में पश्चिम एशिया से 4.75 लाख से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला, जो उसकी मजबूत कूटनीतिक और लॉजिस्टिक क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- वर्ष 2025 के आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार, लगभग 99 लाख (9.9 मिलियन) भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में रह रहे हैं।
- वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, भारत को मिलने वाले कुल प्रेषण (Remittances) में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) यानी खाड़ी क्षेत्र का योगदान लगभग 38% रहा है।
- भारत में प्रवासन शासन अभी भी खंडित, प्रतिक्रियात्मक तथा आँकड़ों की कमी से ग्रस्त है।

भारत में प्रवासन शासन

- **आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन:** भारत में राज्यों के भीतर तथा विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है, जो रोजगार, शिक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रेरित है।
- **आर्थिक महत्त्व:** भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है (~125 अरब डॉलर, विश्व बैंक 2023), जो आर्थिक स्थिरता में प्रवासन की भूमिका को दर्शाता है।
- **श्रम बाजार से संबंध:** प्रवासन निर्माण, सेवा तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करता है, विशेषकर शहरी और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में।
- **विकास का संकेतक:** प्रवासन गरीबी उन्मूलन, कौशल गतिशीलता तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़ा है, किन्तु यह अनेक कमजोरियों को भी उजागर करता है।

संकट-आधारित दृष्टिकोण

- **निकासी-केंद्रित नीति:** सरकार की प्रतिक्रिया मुख्यतः कोविड-19 (वंदे भारत मिशन) अथवा खाड़ी देशों से निकासी जैसे संकटों के दौरान दिखाई देती है।
- **प्रवासन जीवन-चक्र की उपेक्षा:** नीतियाँ वापसी और बचाव पर केंद्रित रहती हैं, जबकि प्रस्थान-पूर्व तैयारी, कार्य परिस्थितियाँ तथा पुनर्समावेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
- **अल्पकालिक दृश्यता:** संकट प्रबंधन राष्ट्रीय गौरव उत्पन्न करता है, लेकिन यह संरचनात्मक शासन संबंधी कमियों को छिपा देता है।
- **निवारक ढाँचे का अभाव:** प्रारंभिक चेतावनी तंत्र और श्रमिकों की निगरानी व्यवस्था के अभाव के कारण हस्तक्षेप में विलंब होता है।

खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता

- **भारतीयों की उच्च उपस्थिति:** लगभग 99 लाख भारतीय GCC देशों में रहते हैं, जिससे यह एक प्रमुख प्रवासन गलियारा बन गया है।
- **प्रेषण पर निर्भरता:** खाड़ी क्षेत्र भारत के कुल प्रेषण प्रवाह का लगभग 38% योगदान देता है, जो घरेलू उपभोग और राज्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय रोजगार:** भारतीय मुख्यतः निर्माण, घरेलू कार्य और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ वे प्रायः कम कौशल वाले और संवेदनशील स्थिति में होते हैं।
- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलता:** पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा कल्याण प्रणाली पर पड़ता है।

खंडित संस्थागत ढाँचा

- **अनेक मंत्रालयों की भागीदारी:**
  - विदेश मंत्रालय → प्रवासन एवं कूटनीति
  - श्रम मंत्रालय → श्रमिक कल्याण
  - राज्य सरकारें → कौशल विकास एवं कल्याणकारी योजनाएँ
- **समन्वय का अभाव:** प्रवासी की यात्रा जिला स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली होती है, लेकिन शासन व्यवस्था अलग-अलग खंडों में बँटी हुई है।
- **नीतिगत निरंतरता का अभाव:** कोई एकल प्राधिकरण संपूर्ण प्रवासन जीवन-चक्र का प्रबंधन नहीं करता।
- **क्रियान्वयन संबंधी अंतराल:** राज्यों की क्षमता में भिन्नता के कारण प्रवासियों को असमान सहायता प्रणाली प्राप्त होती है।

आँकड़ों की कमी एवं दृश्यता का अंतर

- **वास्तविक समय के आँकड़ों का अभाव:** विशेषकर आंतरिक प्रवासियों के लिए भारत में सूक्ष्म एवं गतिशील प्रवासन डेटाबेस का अभाव है।
- **नीतिगत अंधे क्षेत्र:** सटीक आँकड़ों के बिना सहभागितापूर्ण शासन तथा कल्याणकारी लक्ष्यों का निर्धारण कठिन हो जाता है।
- **कोविड-19 से सीख:** प्रवासी संकट ने पोर्टेबल लाभों तथा श्रमिक पंजीकरण प्रणाली की अनुपस्थिति को उजागर किया।
- **केरल मॉडल एक अपवाद:** केरल के प्रवासन सर्वेक्षण तथा कल्याण कोष आँकड़ा-आधारित शासन की सफलता को प्रदर्शित करते हैं।

प्रवासन व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियाँ

- **असुरक्षित रोजगार:** प्रवासी प्रायः अनौपचारिक अनुबंध, वेतन असुरक्षा तथा खराब कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं।
- **बढ़ता लागत दबाव:** मुद्रास्फीति, एलपीजी की कीमतों तथा जीवन-यापन की लागत में वृद्धि से वास्तविक आय और बचत क्षमता प्रभावित होती है।
- **भर्ती में शोषण:** भर्ती एजेंसियों के विनियमन के अभाव के कारण ऋण-जाल और शोषण की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **कमजोर पुनर्समावेशन व्यवस्था:** लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार, कौशल उपयोग तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नीतिगत विकास एवं अवसर

- **विदेशी गतिशीलता सुविधा एवं कल्याण विधेयक:** इसका उद्देश्य प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक संरचित ढाँचा तैयार करना है।
- द्विपक्षीय श्रम समझौते: भारत, खाड़ी देशों के साथ श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समझौतों को मजबूत कर रहा है।
- **डिजिटल मंच:** ई-माइग्रेट जैसी पहलें निगरानी और पारदर्शिता को बेहतर बना सकती हैं, किन्तु इनके विस्तार की आवश्यकता है।
- **कौशल भारत एवं प्रवासन:** वैश्विक श्रम मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम सुरक्षित प्रवासन मार्गों को सुदृढ़ कर सकते हैं।

एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रवासन

- **जीवन-चक्र दृष्टिकोण:** प्रवासन का प्रबंधन विभिन्न चरणों में किया जाना चाहिए— प्रस्थान-पूर्व → रोजगार → कल्याण → वापसी → पुनर्समावेशन
- **एकीकृत नीतिगत ढाँचा:** आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को परस्पर संबद्ध प्रणालियों के रूप में देखा जाना चाहिए।

- **सामाजिक सुरक्षा प्रणाली:** एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **समावेशी शासन:** प्रवासियों को अस्थायी श्रमिक नहीं, बल्कि आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देना आवश्यक है

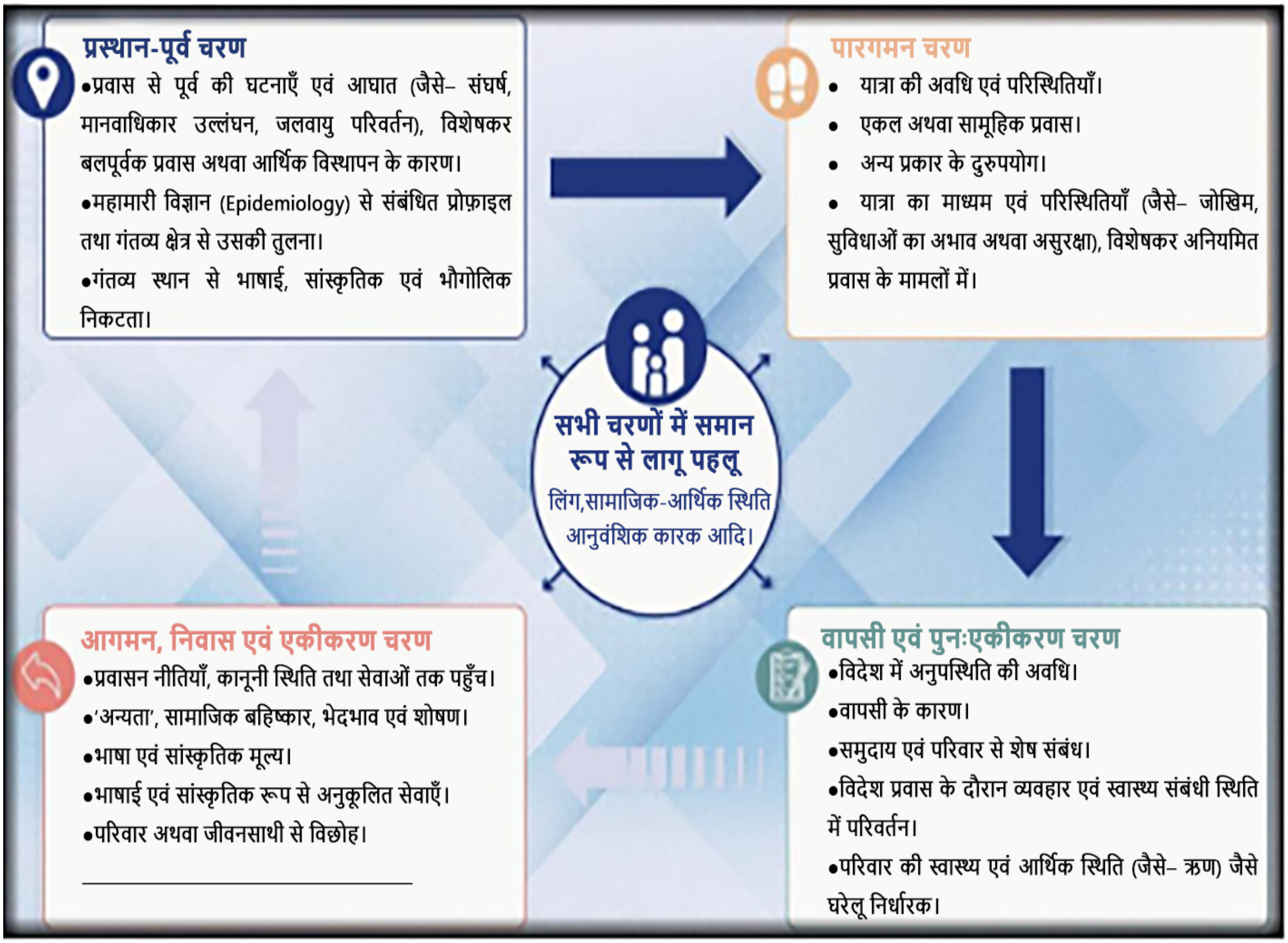

आगे की राह

- **एकीकृत प्रवासन प्राधिकरण की स्थापना:** विभिन्न मंत्रालयों को जोड़कर संपूर्ण प्रवासन शासन सुनिश्चित किया जाए।
- **राष्ट्रीय प्रवासन डेटाबेस का विकास:** वास्तविक समय पर आधारित जिला-स्तरीय आँकड़ों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए।
- **सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** प्रवासियों के लिए पोर्टेबल लाभ, बीमा तथा कल्याणकारी योजनाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- **भर्ती प्रणाली का विनियमन:** एजेंसियों की कठोर निगरानी के माध्यम से शोषण को रोका जाए।
- **द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से बेहतर श्रम अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ।

निष्कर्ष

भारत के प्रवासन शासन को केवल संकट-प्रतिक्रिया मॉडल से आगे बढ़कर एक समग्र और जीवन-चक्र आधारित ढाँचे की ओर अग्रसर होना होगा। जैसे-जैसे प्रवासन आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्क का प्रमुख आधार बनता जा रहा है, प्रवासियों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। एक सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण प्रवासन को सतत विकास और सामाजिक न्याय के प्रेरक तत्व में परिवर्तित कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है।
2. खाड़ी देश भारतीय प्रवासियों के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का निवास स्थान हैं।
3. भारत में एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रवासन प्राधिकरण विद्यमान है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रवासन के महत्त्व की चर्चा कीजिए। भारत में जीवन-चक्र आधारित प्रवासन शासन ढाँचे की आवश्यकता क्यों है? (250 शब्द, 15 अंक)

GDP रैंकिंग एवं विनिमय दर

चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook) के अनुसार, GDP के पुनरीक्षण तथा रुपये के अवमूल्यन के कारण वर्ष 2026 में भारत वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पहुँच गया है।

मुख्य विवरण

- वर्ष 2026 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, जो यूनाइटेड किंगडम (4.2 ट्रिलियन डॉलर) तथा जापान (4.38 ट्रिलियन डॉलर) से पीछे है।
- GDP के आधार वर्ष में संशोधन के कारण पूर्व अनुमान ₹357 लाख करोड़ से घटकर ₹345 लाख करोड़ रह गया।
- भारतीय रुपये के अवमूल्यन ने डॉलर के संदर्भ में अंतर को और बढ़ा दिया।
- IMF का अनुमान है कि भारत 2027 तक पुनः चौथे स्थान पर पहुँच जाएगा।

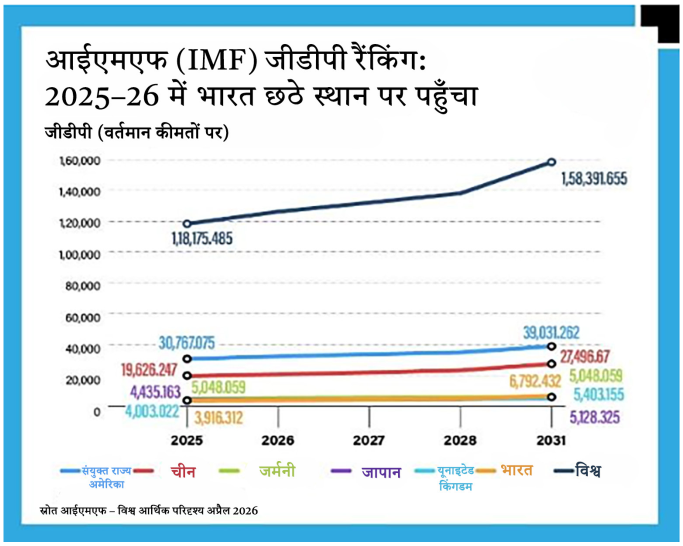

GDP मापन एवं वैश्विक रैंकिंग

- **सामान्य (Nominal) GDP बनाम PPP :** वैश्विक रैंकिंग सामान्य GDP (वर्तमान अमेरिकी डॉलर) पर आधारित होती है, न कि क्रय शक्ति समता (PPP) पर, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- **वास्तविक वृद्धि, लेकिन सामान्य रैंकिंग:** कोई देश वास्तविक GDP वृद्धि के आधार पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो सकता है, लेकिन यदि उसकी मुद्रा कमजोर होती है, तो सामान्य अमेरिकी डॉलर मूल्य के आधार पर उसकी रैंकिंग गिर सकती है।
- **IMF की पद्धति:** IMF स्थानीय मुद्रा में घरेलू उत्पादन का आकलन करता है और उसे अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए विनिमय दरों का उपयोग करता है, जिससे रैंकिंग मुद्रा उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- **आर्थिक आकार का संकेतक:** GDP कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है, किन्तु यह आय असमानता, मानव विकास तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की शक्ति को नहीं दर्शाता, जो भारत के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।
- **निकटवर्ती अर्थव्यवस्थाएँ:** अमेरिका और चीन के बाद भारत, ब्रिटेन, जापान तथा जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाएँ लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर स्थित हैं, जिससे उनकी रैंकिंग अत्यधिक परिवर्तनशील रहती है।

सामान्य GDP एवं वास्तविक GDP में अंतर

विशेषता	सामान्य GDP (वर्तमान मूल्य)	वास्तविक GDP (स्थिर मूल्य)
मूल्य आधार	वर्तमान वर्ष के प्रचलित मूल्यों का उपयोग	आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों का उपयोग
मुद्रास्फीति	शामिल होती है। यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो उत्पादन स्थिर रहने पर भी सामान्य जीडीपी बढ़ जाती है।	शामिल नहीं होती। वास्तविक उत्पादन को दर्शाने हेतु मुद्रास्फीति का समायोजन किया जाता है।
गणना	$Q \times P$ (वर्तमान)	$Q \times P$ (आधार वर्ष)
उपयोगिता	वैश्विक तुलना एवं ऋण-जीडीपी अनुपात के लिए प्रयुक्त	अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर मापने के लिए प्रयुक्त

भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण

- **GDP आँकड़ों का पुनरीक्षण:** भारत ने वर्ष 2026 में अपने GDP आधार वर्ष में संशोधन किया, जिसके कारण आर्थिक आकार का नीचे की ओर पुनर्मूल्यांकन हुआ और पूर्व के अधिक अनुमानित आँकड़ों को सुधारा गया।
- **विनिमय दर में अवमूल्यन:** भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, जिससे वास्तविक वृद्धि के बावजूद डॉलर के संदर्भ में भारत के GDP मूल्य में कमी आई।
- **वैश्विक मुद्रा परिवर्तनों का प्रभाव:** अमेरिकी डॉलर की तुलना में पाउंड स्टर्लिंग और येन की मजबूती के कारण ब्रिटेन और जापान अपेक्षाकृत बड़े दिखाई दिए।
- **सांख्यिकीय बनाम वास्तविक परिवर्तन:** रैंकिंग में गिरावट आर्थिक संकुचन का संकेत नहीं है, बल्कि यह सांख्यिकीय समायोजन तथा मुद्रा प्रभावों का परिणाम है।

GDP रैंकिंग में विनिमय दर की भूमिका

- **मुद्रा रूपांतरण प्रभाव:** कमजोर रुपया, घरेलू उत्पादन बढ़ने के बावजूद, GDP के डॉलर मूल्य को कम कर देता है, जिससे बाह्य संवेदनशीलता उजागर होती है।
- **आयातित मुद्रास्फीति का संबंध:** रुपये के अवमूल्यन से तेल और मशीनरी जैसे आयात महँगे हो जाते हैं, जिससे व्यापार संतुलन तथा मुद्रास्फीति प्रभावित होती है और अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।
- **पूँजी प्रवाह एवं विदेशी मुद्रा भंडार:** विनिमय दरों में अस्थिरता पर विदेशी निवेश प्रवाह, ब्याज दरों तथा वैश्विक अनिश्चितता का प्रभाव पड़ता है।
- **नीतिगत चुनौती:** निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखते हुए मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संतुलन का कार्य है।

भारत की विकास यात्रा एवं संरचनात्मक शक्तियाँ

- **उच्च वृद्धि दर:** भारत उपभोग, सेवाओं तथा सार्वजनिक निवेश के समर्थन से 6–7% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** युवा कार्यबल दीर्घकालिक विकास की क्षमता प्रदान करता है, जबकि जापान और जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाएँ वृद्धावस्था की चुनौती का सामना कर रही हैं।
- **डिजिटल एवं अवसंरचना प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया, गति शक्ति तथा PLI योजनाएँ उत्पादकता और विनिर्माण क्षमता को मजबूत कर रही हैं।
- **निर्यात क्षमता:** सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, औषधि उद्योग, कृषि निर्यात तथा स्टार्टअप भारत की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

तुलनात्मक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

- **अमेरिका एवं चीन का प्रभुत्व:** अमेरिका (~32 ट्रिलियन डॉलर) और चीन (~20 ट्रिलियन डॉलर) अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी:** जापान और जर्मनी कम वृद्धि, वृद्ध होती जनसंख्या तथा औद्योगिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जिससे दीर्घकाल में भारत को लाभ मिल सकता है।
- **भारत का मध्यम अवधि का परिदृश्य:** IMF के अनुसार भारत 2027 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा संभावित रूप से 2030–31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- **भू-राजनीतिक एवं व्यापारिक गतिशीलता:** व्यापार समझौते, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ तथा भू-राजनीतिक परिवर्तन भारत की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करेंगे।

आगे की राह

- **रुपये की स्थिरता को मजबूत करना:** विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर, निर्यात को प्रोत्साहित कर तथा आयात निर्भरता घटाकर मुद्रा को स्थिर बनाया जाए।
- **आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार:** पारदर्शी एवं सुदृढ़ सांख्यिकीय व्यवस्था सटीक GDP अनुमान तथा वैश्विक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।
- **वास्तविक वृद्धि के प्रेरकों पर ध्यान:** विनिर्माण, MSME तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जाए।
- **वैश्विक एकीकरण:** व्यापार समझौतों का विस्तार तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण आर्थिक लचीलापन बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

भारत का छठे स्थान पर पहुँचना एक अस्थायी सांख्यिकीय घटना है, न कि आर्थिक कमजोरी का संकेत। मजबूत आधारभूत संरचना, जनसांख्यिकीय लाभ तथा निरंतर सुधारों के बल पर भारत एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है और अपनी दीर्घकालिक विकास यात्रा को पुनः पुष्ट कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook) किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है?

(a) विश्व बैंक

(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

(c) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

(d) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उसकी भावी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

यूपीआई ने पूरे किए 10 वर्ष

चर्चा में क्यों: भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI : Unified Payments Interface) ने वर्ष 2026 में अपने संचालन के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली के रूप में उभरी है, जो वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान लेन-देन का लगभग 49% हिस्सा रखती है।

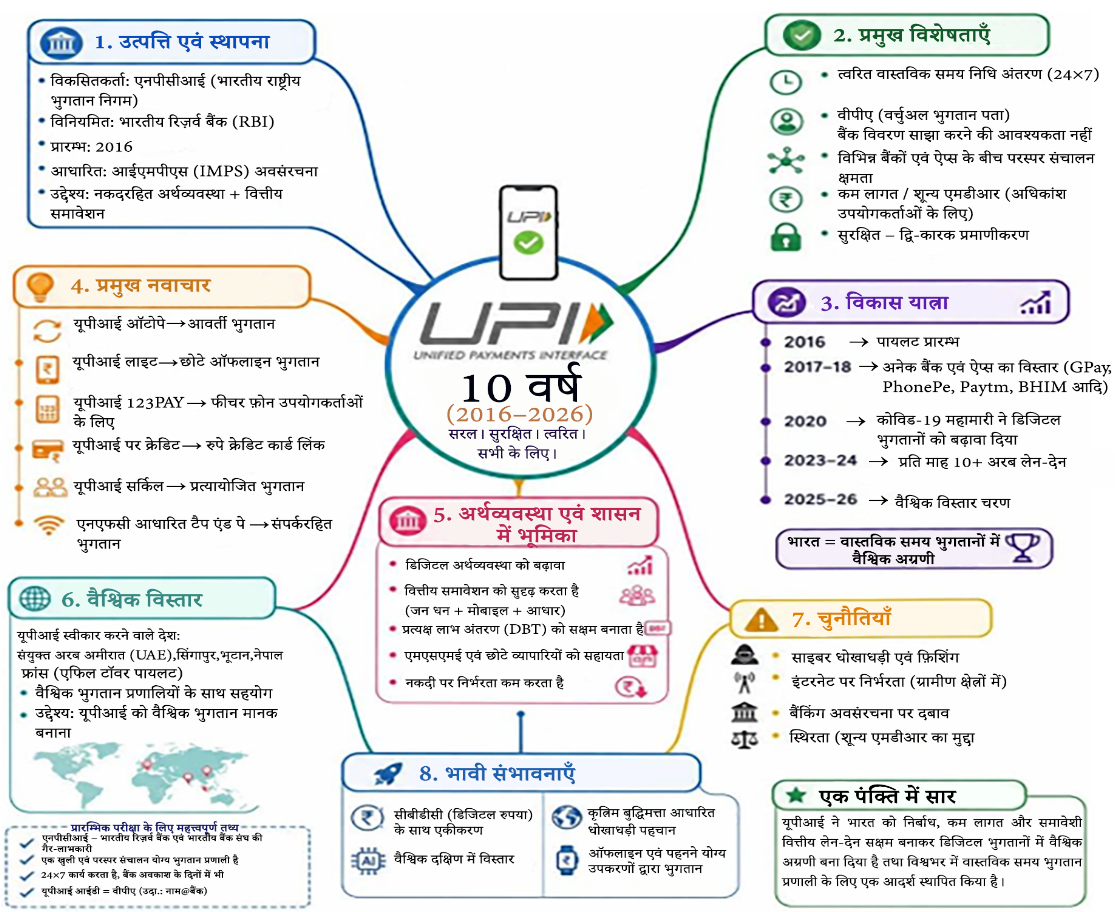

मुख्य विवरण

- UPI लेन-देन की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में 2 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ हो गई।
- लेन-देन का मूल्य एक दशक में ₹0.07 लाख करोड़ से बढ़कर ₹314 लाख करोड़ हो गया।
- वर्तमान में UPI प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ लेन-देन संसाधित करता है, जिनका मूल्य लगभग ₹0.86 लाख करोड़ प्रतिदिन है।
- वर्ष 2016 में प्रारम्भ के समय केवल 21 बैंक जुड़े थे, जबकि अब 703 से अधिक बैंक UPI पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हैं।
- UPI भारत के डिजिटल भुगतान की मात्रा का लगभग 85% योगदान करता है और विश्व के 8 देशों में संचालित है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- यूपीआई की शुरुआत वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामकीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत की गई थी।
- यह एक वास्तविक समय अंतरसंचालनीय भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल उपकरणों के माध्यम से वर्चुअल भुगतान पते (VPA) का उपयोग कर तत्काल बैंक-से-बैंक धन अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।
- यूपीआई, आधार तथा जन धन योजना के साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का एक प्रमुख स्तंभ है।
- यह मंच व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) तथा व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) दोनों प्रकार के लेन-देन को सहज रूप से समर्थित करता है।

यूपीआई की विकास यात्रा

लेन-देन की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

- पिछले 10 वर्षों में यूपीआई के वार्षिक लेन-देन की संख्या लगभग 12,000 गुना बढ़ी, जो भारत में गहन डिजिटल प्रसार को दर्शाती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई ने 24,161 करोड़ से अधिक लेन-देन दर्ज किए, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े भुगतान पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया।
- अगस्त 2025 में पहली बार मासिक लेन-देन की संख्या 2,000 करोड़ से अधिक हो गई।
- मार्च 2026 में अब तक का सर्वाधिक मासिक लेन-देन 2,264 करोड़ दर्ज किया गया।

लेन-देन के मूल्य में वृद्धि

- यूपीआई लेन-देन का मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 के ₹0.07 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹314 लाख करोड़ हो गया।
- यह वृद्धि दर्शाती है कि यूपीआई का उपयोग केवल सूक्ष्म भुगतानों के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च मूल्य के हस्तांतरण और वाणिज्यिक लेन-देन के लिए भी बढ़ा है।
- यूपीआई ने नकदी पर निर्भरता को कम किया है और भारत के कम-नकदी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को गति दी है।

यूपीआई और वित्तीय समावेशन

समावेशी डिजिटल विकास

- यूपीआई ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम लागत वाले डिजिटल लेन-देन को सक्षम बनाकर वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।
- सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, गिग श्रमिकों तथा एमएसएमई ने क्यूआर-कोड आधारित भुगतान प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया है।
- इस मंच ने लेन-देन की लागत को कम किया तथा औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाया।
- सस्ते स्मार्टफोन और कम लागत वाले इंटरनेट ने यूपीआई के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

JAM त्रयी और सुशासन

- यूपीआई, JAM त्रयी (जन धन–आधार–मोबाइल संपर्क) का पूरक है।
- इसने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को मजबूत किया है, जिससे सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों का तेज तथा पारदर्शी हस्तांतरण संभव हुआ है।
- डिजिटल भुगतान ने रिसाव को कम करने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायता की है।

डिजिटल भुगतान में भारत का वैश्विक नेतृत्व

आईएमएफ की मान्यता

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई को लेन-देन की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है।
- वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 49% है।
- यूपीआई उन विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन गया है, जो विस्तार योग्य और समावेशी डिजिटल भुगतान अवसंरचना विकसित करना चाहते हैं।

यूपीआई का वैश्विक विस्तार

- **वर्तमान में यूपीआई निम्न देशों में संचालित है—**
  - सिंगापुर
  - संयुक्त अरब अमीरात
  - फ्रांस
  - भूटान
  - नेपाल
  - श्रीलंका
  - मॉरीशस
  - कतर
- सीमा-पार एकीकरण पर्यटन भुगतान, प्रेषण तथा प्रवासी भारतीयों के लेन-देन को सुगम बनाता है।
- इससे वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल कूटनीति तथा फिनटेक सहयोग को भी बल मिलता है।

पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और संस्थागत भागीदारी

बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

- यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या प्रारम्भ के समय 21 बैंकों से बढ़कर मार्च 2026 तक 703 से अधिक बैंकों तक पहुँच गई।
- **अब यूपीआई में निम्न संस्थानों की भागीदारी है—**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
  - निजी बैंक

- ➢ लघु वित्त बैंक
- ➢ सहकारी बैंक
- ➢ भुगतान बैंक
- इस व्यापक संस्थागत भागीदारी ने भौगोलिक पहुँच और भुगतान की अंतरसंचालनीयता को मजबूत किया है।

लेन-देन का वर्गीकरण एवं उपभोक्ता व्यवहार

व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेन-देन का प्रभुत्व

- P2M लेन-देन कुल लेन-देन की मात्रा का लगभग 63% हिस्सा रखते हैं।
- लगभग 86% व्यापारी लेन-देन ₹500 से कम के होते हैं, जो दैनिक खुदरा खरीद में यूपीआई की प्रधानता को दर्शाते हैं।
- **यूपीआई का व्यापक उपयोग निम्न कार्यों में होता है—**
  - ➢ किराना भुगतान
  - ➢ परिवहन किराया
  - ➢ उपयोगिता बिल
  - ➢ छोटे व्यवसायिक लेन-देन

व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेन-देन

- P2P लेन-देन कुल लेन-देन के मूल्य का लगभग 71% योगदान करते हैं।
- यह उच्च मूल्य वाले व्यक्तिगत हस्तांतरण तथा व्यावसायिक निपटानों के लिए यूपीआई में बढ़ते सार्वजनिक विश्वास को दर्शाता है।
- यूपीआई की सरलता और त्वरित निपटान तंत्र ने इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाया है।

यूपीआई का आर्थिक महत्त्व

डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रेरक

- लेन-देन की दक्षता बढ़ाकर तथा नकदी पर निर्भरता घटाकर यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन गया है।
- इसने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को बढ़ावा दिया तथा कर पारदर्शिता में सुधार किया।
- इस मंच ने भारत में फिनटेक नवाचार तथा स्टार्टअप विकास को प्रोत्साहित किया है।
- डिजिटल भुगतान ने व्यापार सुगमता तथा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि में योगदान दिया है।

एमएसएमई एवं स्टार्टअप के लिए समर्थन

- यूपीआई एमएसएमई के लिए त्वरित भुगतान निपटान तथा कम लागत वाली भुगतान स्वीकृति प्रणाली उपलब्ध कराता है।
- डिजिटल लेन-देन अभिलेख छोटे व्यवसायों को औपचारिक ऋण तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में सहायता करते हैं।
- इसने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूत किया है।

यूपीआई से जुड़ी चुनौतियाँ

साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी के जोखिम

- **तीव्र डिजिटलीकरण ने निम्न जोखिमों को बढ़ाया है—**
  - ➢ साइबर धोखाधड़ी
  - ➢ फ़िशिंग हमले
  - ➢ नकली भुगतान अनुप्रयोग
  - ➢ आँकड़ों की गोपनीयता संबंधी चिंताएँ
- साइबर सुरक्षा अवसंरचना तथा डिजिटल साक्षरता को मजबूत करना आवश्यक है।

डिजिटल विभाजन

- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच तथा स्मार्टफोन उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- वृद्ध जनसंख्या तथा डिजिटल रूप से अशिक्षित वर्गों को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल विभाजन को कम करना आवश्यक है।

यूपीआई को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया ने भारत में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आरबीआई और एनपीसीआई के नवाचार

- **प्रमुख हालिया नवाचारों में शामिल हैं—**
  - ➢ यूपीआई लाइट
  - ➢ फीचर फोन हेतु यूपीआई 123PAY
  - ➢ यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड संयोजन
  - ➢ सीमा-पार भुगतान प्रणाली
- इन पहलों का उद्देश्य पहुँच, सुविधा तथा समावेशन को बढ़ाना है।

आगे की राह

- **साइबर सुरक्षा को मजबूत करना:** डिजिटल सुरक्षा ढाँचे और धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- **ग्रामीण संपर्क का विस्तार:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच तथा स्मार्टफोन उपलब्धता को बढ़ाया जाए।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रथाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाए।
- **यूपीआई का वैश्वीकरण:** अंतरराष्ट्रीय अंतरसंचालनीयता तथा सीमा-पार भुगतान साझेदारियों का विस्तार किया जाए।
- **फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहन:** सक्षम विनियमन तथा डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से उभरते फिनटेक स्टार्टअप को समर्थन दिया जाए।

निष्कर्ष

यूपीआई वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। पिछले एक दशक में इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, कम लागत वाले डिजिटल लेन-देन को सक्षम बनाकर तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को गति देकर भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित कर दिया है।

निरंतर नवाचार, नीतिगत समर्थन तथा अंतरराष्ट्रीय विस्तार के साथ यूपीआई डिजिटल वित्त और समावेशी प्रौद्योगिकी विकास में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को और सुदृढ़ करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. एकीकृत भुगतान अंतरफलक (UPI) का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था?

(a) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

(b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

(c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

(d) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में यूपीआई की भूमिका की चर्चा कीजिए। साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जुड़ी चुनौतियों को भी स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्वर्ण कीमतों में गिरावट

चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया के संघर्ष के बढ़ने के बावजूद, वैश्विक तथा घरेलू स्वर्ण कीमतों में असामान्य रूप से तीव्र गिरावट देखी गई है। परंपरागत रूप से स्वर्ण भू-राजनीतिक संकटों के दौरान सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति (Safe-Haven Asset) के रूप में कार्य करता है, किन्तु वर्तमान व्यापक आर्थिक परिस्थितियों ने इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति को उलट दिया है।

मुख्य विवरण

- वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गईं, जिससे विश्वभर में मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ा।
- प्रमुख केंद्रीय बैंकों, विशेषकर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व, ने ब्याज दरों को ऊँचा बनाए रखते हुए कठोर मौद्रिक नीति अपनाई।
- अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज बढ़ने से निवेशक सोने को छोड़कर बॉन्ड की तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि सोने पर कोई नियमित ब्याज नहीं मिलता।
- अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) की मजबूती ने अन्य मुद्राओं के संदर्भ में स्वर्ण को महँगा बनाकर वैश्विक मांग को कम किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025 के अंत तक अपने स्वर्ण भंडार को 880 मीट्रिक टन से अधिक कर लिया, जो दीर्घकालिक डी-डॉलरकरण प्रवृत्ति को दर्शाता है।

पारंपरिक सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति के रूप में स्वर्ण

स्वर्ण का सुरक्षित निवेश स्वरूप

- स्वर्ण को परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति माना जाता है, अर्थात् निवेशक वित्तीय अस्थिरता, भू-राजनीतिक संघर्ष अथवा मुद्रास्फीति संबंधी अनिश्चितता के समय इसे प्राथमिकता देते हैं।
- **ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण की कीमतों में निम्न घटनाओं के दौरान वृद्धि हुई—**
  - 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट
  - कोविड-19 महामारी
  - रूस-यूक्रेन संघर्ष (2022)
- वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद स्वर्ण कीमतों में गिरावट वैश्विक व्यापक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन को दर्शाती है।

स्वर्ण और ब्याज दरें

- स्वर्ण एक बिना प्रतिफल वाली परिसंपत्ति है, अर्थात् इससे ब्याज या लाभांश प्राप्त नहीं होता।
- जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं, तो निवेशक सरकारी बॉण्ड जैसे ब्याज प्रदान करने वाले साधनों को प्राथमिकता देते हैं।
- ऊँची ब्याज दरें स्वर्ण को धारण करने की अवसर लागत बढ़ा देती हैं, जिससे इसकी मांग घटती है।
- परिणामस्वरूप, स्वर्ण कीमतों और ब्याज दरों के बीच सामान्यतः विलोम संबंध पाया जाता है।

स्वर्ण कीमतों में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारक

तेल मूल्य संकट और मुद्रास्फीतिक दबाव

- पश्चिम एशियाई संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित किया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।
- ऊँची ऊर्जा कीमतों ने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिक दबाव को बढ़ाया।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने संभावित ब्याज दर कटौती को स्थगित कर दिया और कठोर मौद्रिक नीति बनाए रखी।
- लंबे समय तक ऊँची ब्याज दरों की अपेक्षा ने वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की मांग को कमजोर किया।

बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि

- बढ़ती ब्याज दरों और सुनिश्चित प्रतिफल के कारण अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड अत्यधिक आकर्षक बन गए।
- वैश्विक निवेशकों ने बेहतर प्रतिफल देने वाली स्थिर आय प्रतिभूतियों की ओर धन स्थानांतरित किया।
- इस पूँजी बहिर्वाह ने स्वर्ण की निवेश मांग को कम किया, जिससे कीमतों में और गिरावट आई।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती

- अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अमेरिकी डॉलर में किया जाता है।
- डॉलर की मजबूती अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए स्वर्ण को अधिक महँगा बना देती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मांग कम होती है।
- अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) में वृद्धि स्वर्ण कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डालती है।
- इससे स्वर्ण और अमेरिकी डॉलर के बीच परंपरागत विलोम संबंध परिलक्षित होता है।

तरलता संकट और लाभ बुकिंग

- हालिया सुधार से पहले स्वर्ण कीमतें रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गई थीं।
- वैश्विक शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट के कारण निवेशकों को तरलता संकट और मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा।
- अनेक निवेशकों ने शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाभदायक स्वर्ण निवेशों को बेचा।

- बड़े पैमाने पर हुई लाभ बुकिंग ने बाजार में आपूर्ति बढ़ा दी, जिससे कीमतों में गिरावट तेज हुई।

प्रमुख सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में अमेरिकी डॉलर का उभरना

वैश्विक बाजारों में डॉलर का प्रभुत्व

- अल्पकाल में अमेरिकी डॉलर, स्वर्ण के स्थान पर प्रमुख सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति के रूप में उभरा है।
- वैश्विक तेल व्यापार अभी भी मुख्यतः पेट्रोडॉलर प्रणाली के अंतर्गत डॉलर आधारित है।
- तेल कीमतों में वृद्धि से डॉलर की वैश्विक मांग बढ़ी, जिससे अमेरिकी मुद्रा और मजबूत हुई।
- डॉलर की इस मजबूती ने मूल्य संचय के वैकल्पिक साधन के रूप में स्वर्ण के आकर्षण को कम किया।

दीर्घकालिक डी-डॉलरकरण की प्रवृत्तियाँ

- अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद अनेक केंद्रीय बैंक स्वर्ण भंडार बढ़ाना जारी रखे हुए हैं।
- उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु अपने भंडारों का विविधीकरण कर रही हैं।
- **यह रणनीति निम्न चिंताओं से जुड़ी है—**
  - ➢ पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंध
  - ➢ मुद्रा का भू-राजनीतिक उपयोग
  - ➢ वैश्विक वित्तीय अस्थिरता
- भारत, चीन तथा कई ब्रिक्स देश सक्रिय रूप से भंडार विविधीकरण रणनीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

स्वर्ण और भारत

भारत में स्वर्ण भंडार

- भारत स्वर्ण को एक रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण आरक्षित परिसंपत्ति मानता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण के लिए अपने स्वर्ण भंडार में निरंतर वृद्धि कर रहा है।
- वर्ष 2025 के अंत तक आरबीआई का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन से अधिक हो गया, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 15.17% था।

भारत में स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र

- भारत में स्वर्ण मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाया जाता है।
- **प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य हैं—**
  - ➢ कर्नाटक
  - ➢ आंध्र प्रदेश
  - ➢ झारखंड
  - ➢ राजस्थान
- कोलार गोल्ड फील्ड्स विश्व के सबसे पुराने और गहरे स्वर्ण खनन क्षेत्रों में से एक है।
- हुट्टी गोल्ड माइन्स वर्तमान में भारत का प्रमुख सक्रिय स्वर्ण खनन केंद्र है।

स्वर्ण की वैज्ञानिक एवं आर्थिक विशेषताएँ

भौतिक एवं रासायनिक गुण

- स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक Au है, जो लैटिन शब्द Aurum से व्युत्पन्न है।
- इसका परमाणु क्रमांक 79 है।
- स्वर्ण ज्ञात धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय तथा तन्य धातु है।
- यह एक उत्कृष्ट धातु है, अर्थात् इसमें आसानी से जंग या क्षरण नहीं होता।
- स्वर्ण केवल एक्वा रेजिया (नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण) में घुलता है।

औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय उपयोग

- स्वर्ण विद्युत तथा ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक है।
- **इसका व्यापक उपयोग निम्न क्षेत्रों में होता है—**
  - ➢ इलेक्ट्रॉनिक्स
  - ➢ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
  - ➢ दंत चिकित्सा एवं चिकित्सा
  - ➢ नैनो प्रौद्योगिकी
- स्वर्ण नैनोकणों का उपयोग उन्नत चिकित्सीय निदान तथा लक्षित उपचारों में बढ़ रहा है।

स्वर्ण का आर्थिक महत्त्व

रणनीतिक आरक्षित परिसंपत्ति

- केंद्रीय बैंक वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और मुद्रा उतार-चढ़ाव से सुरक्षा के लिए स्वर्ण भंडार बनाए रखते हैं।
- स्वर्ण मुद्रास्फीति और विनिमय दर अस्थिरता के विरुद्ध सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है।
- ऐतिहासिक रूप से स्वर्ण अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण मानक प्रणाली का आधार था।

भारत में सांस्कृतिक एवं घरेलू महत्त्व

- सांस्कृतिक, सामाजिक तथा निवेश संबंधी मांग के कारण भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ औपचारिक वित्तीय पहुँच सीमित है, स्वर्ण धन संचय का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- स्वर्ण भारत के आभूषण तथा रत्न-आभूषण निर्यात क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

आगे की राह

- **आरक्षित परिसंपत्तियों का विविधीकरण:** देशों को स्वर्ण, विदेशी मुद्राओं और अन्य रणनीतिक परिसंपत्तियों के संतुलित भंडार बनाए रखने चाहिए।
- **घरेलू खनन को सुदृढ़ करना:** आयात निर्भरता कम करने के लिए सतत अन्वेषण और खनन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **वित्तीय साक्षरता बढ़ाना:** निवेशकों को ब्याज दरों और मुद्रा परिवर्तनों के वस्तु कीमतों पर प्रभाव को समझना चाहिए।
- **स्वर्ण मुद्रीकरण को प्रोत्साहन:** स्वर्ण मुद्रीकरण योजना तथा सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक वित्तीय जोखिमों की निगरानी:** नीति-निर्माताओं को तेल संकटों, मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।

निष्कर्ष

भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद स्वर्ण कीमतों में हालिया गिरावट यह दर्शाती है कि बढ़ती ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती तथा बॉण्ड बाजार का आकर्षण जैसे व्यापक आर्थिक कारक अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। यद्यपि स्वर्ण दीर्घकाल में एक रणनीतिक आरक्षित परिसंपत्ति और सुरक्षित निवेश के रूप में महत्त्वपूर्ण बना रहेगा,

किन्तु अल्पकालिक बाजार व्यवहार वैश्विक मौद्रिक नीति तथा तरलता परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है। भारत के बढ़ते स्वर्ण भंडार तथा दीर्घकालिक डी-डॉलरकरण की प्रवृत्तियाँ संकेत देती हैं कि विकसित हो रही वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्वर्ण अपना आर्थिक और रणनीतिक महत्त्व बनाए रखेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुलता है?

(a) सल्फ्यूरिक अम्ल
(b) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(c) नाइट्रिक अम्ल
(d) एक्वा रेजिया

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल के समय में भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद स्वर्ण कीमतों में आई गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वर्ण के रणनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (VASP)

चर्चा में क्यों: वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने अपनी मार्च 2026 की रिपोर्ट "ऑफशोर आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के जोखिमों को समझना और उनका न्यूनीकरण" में घरेलू पर्यवेक्षण से बाहर संचालित अपतटीय क्रिप्टो मंचों के विरुद्ध भारत द्वारा किए जा रहे नियामकीय और प्रवर्तन उपायों को रेखांकित किया है।

मुख्य विवरण

- भारत, विश्लेषण और स्वचालित निगरानी के माध्यम से अपंजीकृत तथा उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो मंचों की पहचान हेतु आभासी परिसंपत्ति प्रयोगशाला (Virtual Asset Lab) स्थापित कर रहा है।
- गृह मंत्रालय ने अवैध डिजिटल सामग्री और साइबर-संबंधित गतिविधियों के समन्वित निष्कासन के लिए सहयोग पोर्टल प्रारम्भ किया है।
- राजस्व विभाग ने क्रिप्टो-संबंधित जोखिमों पर विभिन्न एजेंसियों के समन्वय हेतु आभासी परिसंपत्ति संपर्क उप-समूह (2023) की स्थापना की।
- प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जैसी एजेंसियाँ क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़े अपतटीय साइबर अपराध नेटवर्क की जाँच कर रही हैं।
- भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अनुपालन हेतु VASP को भारत-आधारित प्रधान अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य की है।

आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (VASP)

अर्थ एवं परिभाषा

- FATF के अनुसार, आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (VASP) वह इकाई है, जो ग्राहकों की ओर से आभासी परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है।
- इन गतिविधियों में शामिल हैं—
  - ➢ आभासी परिसंपत्तियों और वैधानिक मुद्राओं के बीच विनिमय
  - ➢ आभासी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण
  - ➢ क्रिप्टो परिसंपत्तियों का संरक्षण और प्रशासन
  - ➢ आभासी परिसंपत्तियों के निर्गम से संबंधित वित्तीय सेवाएँ
- VASP में क्रिप्टो एक्सचेंज, संरक्षक वॉलेट सेवा प्रदाता, क्रिप्टो एटीएम संचालक तथा डिजिटल परिसंपत्ति व्यापार मंच शामिल हैं।

अपतटीय आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (oVASP)

oVASP का अर्थ

- अपतटीय आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (oVASP) ऐसे क्रिप्टो-संबंधित संस्थान हैं, जो किसी देश के घरेलू नियामकीय ढाँचे के बाहर कार्य करते हैं।
- ये मंच प्रायः कमजोर या उदार वित्तीय विनियमन वाले क्षेत्रों से संचालित होते हैं।
- oVASP, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की प्रत्यक्ष निगरानी के बिना क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी, टोकन तथा अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं।

अपतटीय VASP की प्रमुख विशेषताएँ

क्षेत्राधिकार मध्यस्थता

- oVASP अक्सर कमजोर नियामकीय मानकों वाले देशों में अपनी गतिविधियाँ स्थापित करते हैं, ताकि कठोर अनुपालन दायित्वों से बचा जा सके।
- इससे "नियामकीय मध्यस्थता" उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से संस्थाएँ अन्य क्षेत्रों में लागू कड़े कानूनों से बच निकलती हैं।

सीमा-पार डिजिटल संचालन

- oVASP उपयोगकर्ता देशों में भौतिक उपस्थिति के बिना डिजिटल मंचों के माध्यम से कार्य करते हैं।
- इनकी सीमा-पार प्रकृति राष्ट्रीय प्राधिकारियों के लिए प्रवर्तन और कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कठिन बना देती है।

पंजीकरण एवं निगरानी का अभाव

- अनेक अपतटीय मंच घरेलू नियामकों के साथ पंजीकृत नहीं होते तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण से बाहर कार्य करते हैं।
- विनियमन की अनुपस्थिति धोखाधड़ी, धन शोधन तथा निवेशकों के शोषण के जोखिमों को बढ़ाती है।

गोपनीयता एवं कमजोर KYC अनुपालन

- oVASP प्रायः मजबूत अपने ग्राहक को जानिए (KYC) तथा ग्राहक सत्यापन तंत्र का अभाव रखते हैं।
- क्रिप्टो लेन-देन की छद्मनामिक प्रकृति उपयोगकर्ताओं तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान को जटिल बनाती है।

oVASP के विरुद्ध भारत के नियामकीय उपाय

आभासी परिसंपत्ति प्रयोगशाला

- भारत उच्च जोखिम वाले तथा अपंजीकृत क्रिप्टो मंचों की पहचान हेतु आभासी परिसंपत्ति प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है।
- **यह प्रयोगशाला निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करेगी—**
  - ➢ ब्लॉकचेन विश्लेषण
  - ➢ मुक्त-स्रोत खुफिया जानकारी
  - ➢ स्वचालित वेब निगरानी
  - ➢ लेन-देन निगरानी प्रणाली
- यह क्रिप्टो विनियमन और प्रवर्तन के प्रति भारत के प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सहयोग पोर्टल

- गृह मंत्रालय ने अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई हेतु **सहयोग पोर्टल** प्रारम्भ किया है।

- यह मंच सामग्री हटाने तथा साइबर प्रवर्तन के लिए सोशल मीडिया मंचों, वेब होस्टों और डिजिटल मध्यस्थों के साथ त्वरित समन्वय को सक्षम बनाता है।

अंतर-एजेंसी समन्वय

- राजस्व विभाग ने जुलाई 2023 में **आभासी परिसंपत्ति संपर्क उप-समूह** का गठन किया।
- **यह निम्न संस्थाओं के बीच समन्वय को सुगम बनाता है—**
  - ➢ प्रवर्तन एजेंसियाँ
  - ➢ खुफिया संस्थाएँ
  - ➢ वित्तीय नियामक
  - ➢ साइबर अपराध इकाइयाँ

- यह तंत्र जोखिम प्रवृत्तियों, कार्यप्रणालियों तथा प्रवर्तन रणनीतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।

भारत-आधारित प्रधान अधिकारी

- FIU-IND ने VASP के लिए भारत-आधारित प्रधान अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य की है।
- **उनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं—**
  - ➢ संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) प्रस्तुत करना
  - ➢ लेन-देन की निगरानी करना
  - ➢ PMLA के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- इससे भारत में संचालित क्रिप्टो मंचों की जवाबदेही मजबूत होती है।

FATF और वैश्विक क्रिप्टो विनियमन

FATF की सिफारिशें

- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल निम्न गतिविधियों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान करता है—
  - ➢ धन शोधन
  - ➢ आतंकवाद वित्तपोषण
  - ➢ अवैध वित्तीय प्रवाह
- FATF ने “यात्रा नियम (Travel Rule)” प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत VASP को लेन-देन के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी साझा करनी होती है।
- इसका उद्देश्य आभासी परिसंपत्ति लेन-देन में गुमनामी को कम करना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है।

क्रिप्टो और वित्तीय सुरक्षा

- FATF ने चेतावनी दी है कि अनियमित अपतटीय मंचों का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है—
  - ➢ आतंकवाद वित्तपोषण
  - ➢ साइबर अपराध से प्राप्त आय
  - ➢ मादक पदार्थों की तस्करी
  - ➢ अवैध सीमा-पार धन हस्तांतरण
- रिपोर्ट ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वित विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया।

अपतटीय VASP से जुड़ी चुनौतियाँ

वित्तीय अखंडता के जोखिम

- oVASP कमजोर निगरानी तंत्र के कारण धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं।

- क्रिप्टो लेन-देन की छद्मनामिक संरचना अवैध धन के स्रोतों का पता लगाना कठिन बना देती है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताएँ

- उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी, हैकिंग, दिवालियापन अथवा मंच के ध्वस्त होने की स्थिति में पर्याप्त कानूनी संरक्षण नहीं मिलता।
- **निवेशक निम्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं—**
    - ➢ उच्च अस्थिरता
    - ➢ पॉन्जी योजनाएँ
    - ➢ धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टो परियोजनाएँ
    - ➢ बाजार हेरफेर

पूँजी पलायन एवं कर अपवंचन

- अपतटीय मंच बिना लेखांकन वाले सीमा-पार धन प्रवाह को सक्षम बनाते हैं, जिससे पूँजी पलायन बढ़ता है।
- इससे कर अनुपालन कमजोर होता है और सरकारी राजस्व संग्रह प्रभावित होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरे

- oVASP का उपयोग डार्कनेट लेन-देन, अवैध व्यापार तथा साइबर अपराध वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
- इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

भारत की क्रिप्टो कराधान नीति

2022 की आभासी परिसंपत्ति कर व्यवस्था

- भारत ने वर्ष 2022 में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान लागू किया, जिसमें शामिल हैं—
    - ➢ क्रिप्टो लाभ पर 30% कर
    - ➢ क्रिप्टो लेन-देन पर 1% टीडीएस
- इन उपायों के बाद व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा भाग अपंजीकृत अपतटीय मंचों की ओर स्थानांतरित हो गया।
- इससे विनियमन, नवाचार तथा बाजार प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती उजागर होती है।

आगे की राह

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना: FATF, G20 तथा वैश्विक नियामकीय ढाँचों के माध्यम से समन्वित क्रिप्टो विनियमन को बढ़ावा दिया जाए।
- विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना: नियामकीय मध्यस्थता को कम करने तथा अपतटीय मंचों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समान अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित किए जाएँ।
- घरेलू कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करने वाली विदेशी क्रिप्टो संस्थाओं पर अधिकार-क्षेत्र का विस्तार किया जाए।
- प्रौद्योगिकीय समाधानों को अपनाना: उन्नत ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी तथा डिजिटल पर्यवेक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाए।
- उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना: निवेशकों को क्रिप्टो जोखिमों, साइबर धोखाधड़ी तथा सुरक्षित डिजिटल परिसंपत्ति प्रथाओं के संबंध में शिक्षित किया जाए।

निष्कर्ष

आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाता वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरे हैं, किन्तु अनियमित अपतटीय मंच धन शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण, कर अपवंचन तथा साइबर अपराध से जुड़े गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं। भारत का विकसित होता नियामकीय ढाँचा, तकनीकी निगरानी तंत्र तथा अंतर-एजेंसी समन्वय नवाचार और वित्तीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की सक्रिय रणनीति को दर्शाते हैं। मजबूत घरेलू प्रवर्तन तथा तकनीकी क्षमता के साथ एक समन्वित वैश्विक नियामकीय व्यवस्था, आभासी परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASP) के विनियमन हेतु वैश्विक मानक प्रदान करता है?

(a) IMF (b) FATF

(c) WTO (d) BIS

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. अपतटीय आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (oVASP) द्वारा वित्तीय अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में भारत की नियामकीय प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

इकाई 04

पर्यावरण एवं भूगोल

लोचशील नियम

चर्चा में क्यों: भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में वर्ष 2026 के संशोधनों ने कमजोर प्रवर्तन, अनुपालन में लचीलापन तथा पुनर्चक्रित सामग्री पर बढ़ते जोर को उजागर किया है, जिससे अप्रभावी अपशिष्ट संग्रहण, जवाबदेही में कमी तथा पर्यावरणीय परिणामों को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

मुख्य विवरण

- विकसित होते नियम (2016 से) प्लास्टिक अपशिष्ट को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए, किन्तु इनके क्रियान्वयन में चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से लगातार नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व** (EPR) **ढाँचे** (2022) के तहत वर्ष **2024–25 तक** प्लास्टिक अपशिष्ट के **100% पुनर्चक्रण** (Recycling) **का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2026 के संशोधनों में कठोर प्लास्टिक में 30–60% पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
- अनुपालन में लचीलापन कंपनियों को अपनी कमी को 3 वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति देता है।
- **प्रमुख कमियाँ:** कम संग्रहण दक्षता (50–60%), भविष्य के लक्ष्यों का अभाव तथा व्यापार योग्य प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता।

प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों की पृष्ठभूमि

- भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में नियमित रूप से संशोधन किए गए हैं, जो निरंतर विकसित होती नीतिगत दृष्टि को दर्शाते हैं।
- **31 मार्च, 2026 को किए गए नवीनतम संशोधन** प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के मार्ग में आने वाली **सीमाओं और व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित** करते हैं।
- मुख्य उद्देश्य लैंडफिल, नदियों, महासागरों तथा सार्वजनिक स्थानों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को कम करना रहा है।

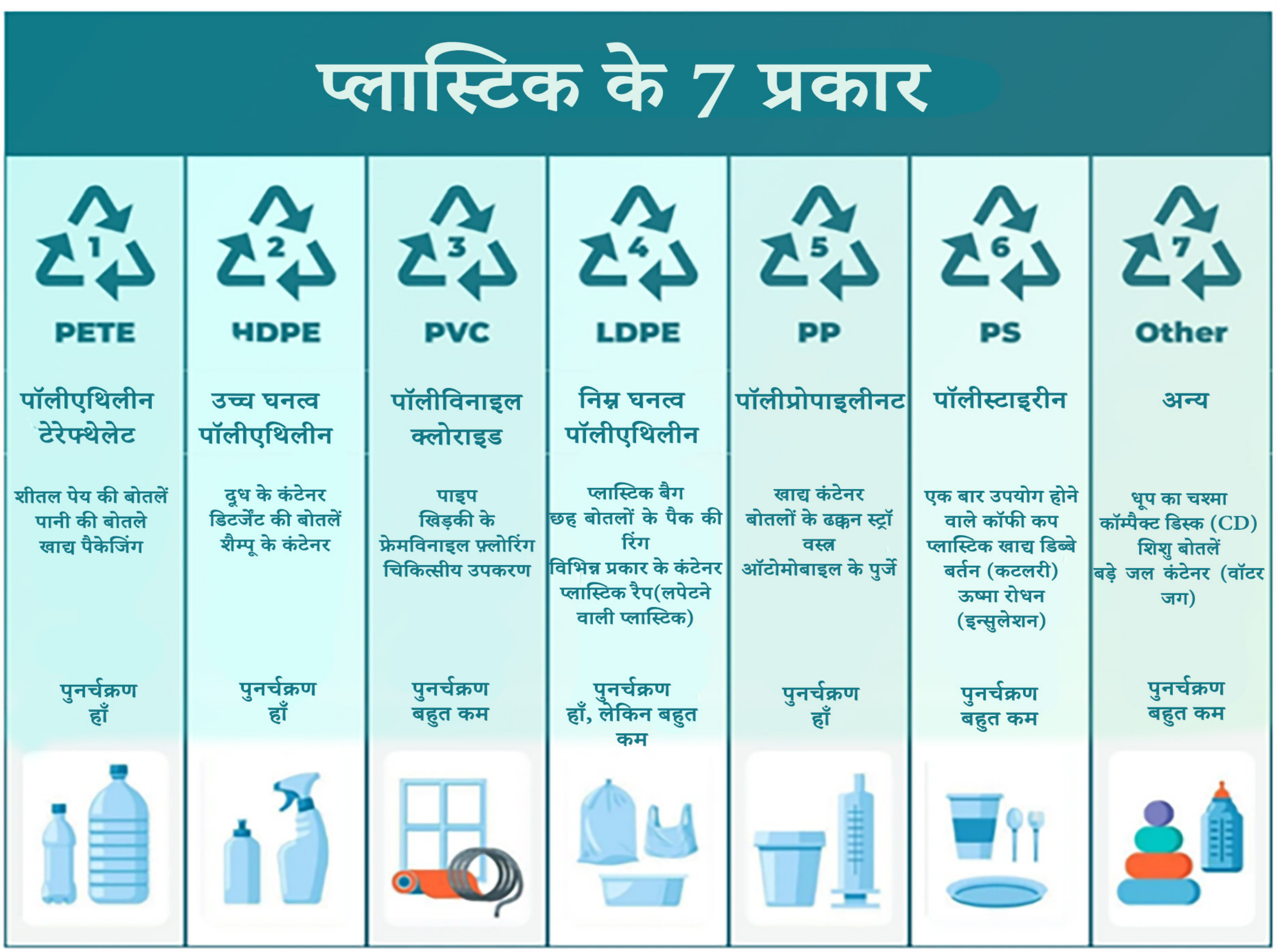

नियमों के पीछे तर्क

- प्लास्टिक का व्यापक उपयोग इसकी बहुउपयोगिता, कम लागत तथा लचीलेपन के कारण होता है।
- यही गुण इसे संग्रहित करने, पुनर्चक्रण करने तथा विनियमित करने को कठिन बनाते हैं।
- इसलिए, प्लास्टिक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु मजबूत नियामकीय तंत्र आवश्यक हो गया।
- इसका उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन-चक्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना था।

वर्ष 2026 के संशोधनों में प्रमुख परिवर्तन

- पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का अनिवार्य उपयोग:
  - ➢ कठोर प्लास्टिक के लिए न्यूनतम 30%, जो वर्ष 2028–29 तक बढ़कर 60% हो जाएगा।
- पुनर्चक्रण लक्ष्यों के साथ-साथ पुनः उपयोग संबंधी दायित्वों को भी शामिल किया गया।
- कंपनियों को, प्रत्येक वर्ष आंशिक अनुपालन की स्थिति में, अपनी कमी को अधिकतम 3 वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई।

चिंताएँ और नीतिगत कमियाँ

- कंपनियाँ लक्ष्य प्राप्ति में विलंब कर सकती हैं, जिससे प्रवर्तन कमजोर होगा (उदाहरण के लिए, 2025–26 के लक्ष्य 2028–29 तक बढ़ सकते हैं)।
- वर्तमान संग्रहण दक्षता केवल 50–60% है, जो निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम है।
- वर्ष 2025 के बाद के लिए कोई स्पष्ट भविष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- बाजार तंत्र (व्यापार योग्य प्रमाण-पत्रों) पर निर्भरता जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।
- पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण लक्ष्यों के अधूरे रहने का जोखिम बना हुआ है, जिससे EPR व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष

यद्यपि वर्ष 2026 के संशोधन पुनर्चक्रित सामग्री तथा पुनः उपयोग को बढ़ावा देकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, किन्तु कमजोर प्रवर्तन और अनुपालन में लचीलापन उनकी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। कठोर निगरानी, स्पष्ट भविष्य लक्ष्य तथा बेहतर संग्रहण प्रणाली के अभाव में EPR ढाँचा अपने पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकता है। जवाबदेही, प्रोत्साहनों तथा मजबूत क्रियान्वयन का संतुलित संयोजन सतत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की प्रभावशीलता तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

अरेस्ट द ग्रीफ

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य अवैध रेत खनन, हिंसा तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण चर्चा में है, जो शासन की विफलता तथा पारिस्थितिकीय खतरों को उजागर करता है।

मुख्य विवरण

- यह घड़ियाल तथा गंगा नदी डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करता है।
- रेत खनन महत्त्वपूर्ण प्रजनन पर्यावासों (बालू तटों) को नष्ट कर रहा है।
- अंतर-राज्यीय अधिकार-क्षेत्र संबंधी कमियों के कारण माफिया तंत्र फल-फूल रहा है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
- खननकर्ताओं द्वारा बढ़ती हिंसा तथा उन्नत हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है।
- स्थानीय बेरोज़गारी अवैध खनन नेटवर्क में भर्ती को बढ़ावा देती है।

चंबल अभयारण्य का पारिस्थितिकीय महत्त्व

- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों में फैले एक प्रवाही नदी पारितंत्र की रक्षा करता है।
- यह संकटग्रस्त तथा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का एक महत्त्वपूर्ण पर्यावास है।
- **प्रमुख प्रजातियाँ हैं—**
  - ➢ घड़ियाल (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)
  - ➢ रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल
  - ➢ गंगा नदी डॉल्फिन (संकटग्रस्त)
- ये प्रजातियाँ प्रजनन तथा अस्तित्व के लिए रेतीले तटों और बालू पट्टियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

अवैध रेत खनन से उत्पन्न खतरा

- संगठित रेत खनन माफिया ने पारितंत्र को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाई है।
- उत्तर भारत में निर्माण गतिविधियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेत निकाली जाती है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इन्हें "आधुनिक डाकू" कहा है।
- खनन गतिविधियाँ सीधे महत्त्वपूर्ण पर्यावासों, विशेषकर प्रजनन स्थलों को नष्ट करती हैं।

शासन संबंधी विफलताएँ एवं अधिकार-क्षेत्र संबंधी कमियाँ

- अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, जिससे समन्वय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
- राज्य सरकारें प्रायः उत्तरदायित्व एक-दूसरे पर डालती हैं, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है।
- इस नियामकीय निष्क्रियता ने माफिया तंत्र को सुदृढ़ होने का अवसर दिया है।

बढ़ती हिंसा और अपराधीकरण

- **अवैध खननकर्ता अत्यधिक हिंसक और संगठित हो चुके हैं—**
  - ➢ वर्ष 2017–2024 के दौरान वन रक्षकों तथा पुलिसकर्मियों को कुचलने की घटनाएँ।
  - ➢ प्रवर्तन अभियानों के दौरान गोलीबारी की घटनाएँ।
- पुलिस की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जीपीएस तथा मोबाइल अनुप्रयोगों जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
- वर्ष 2023 तक गिरोह अर्ध-स्वचालित हथियारों का प्रयोग करने लगे थे, जिससे स्थानीय प्रशासन की क्षमता पर दबाव बढ़ा।

नीतिगत दुविधाएँ एवं न्यायिक हस्तक्षेप

- राज्यों ने अभयारण्य के भीतर सीमित खनन को वैध बनाने का प्रयास किया—
  - ➢ मध्य प्रदेश का प्रस्ताव स्थगित होकर वापस ले लिया गया।
  - ➢ राजस्थान का प्रस्ताव न्यायालय द्वारा रोक दिया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यों को निम्न कानूनों के उपयोग की चेतावनी दी—
  - ➢ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
  - ➢ गुंडा अधिनियम
- इससे यह बहस उत्पन्न होती है कि क्या न्यायालयों को शासन का नियमन करना चाहिए अथवा उसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य

परिचय

- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य—जिसे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है—भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी-आधारित संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
  - ➢ यह देश का पहला और एकमात्र त्रि-राज्यीय (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) संरक्षित क्षेत्र है। यह लगभग **5,400 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में विस्तृत है, जो चंबल नदी की 960 किलोमीटर लंबी कुल धारा में से लगभग **600 किलोमीटर** के हिस्से को कवर करता है।

जैव विविधता

- यहाँ विश्व की शेष बची जंगली घड़ियाल आबादी का लगभग 90% पाया जाता है तथा बड़ी संख्या में संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन भी पाई जाती हैं।

  अन्य प्रमुख प्रजातियाँ हैं—
  - ➢ मार्श क्रोकोडाइल (मगरमच्छ)
  - ➢ रेड-क्राउन्ड रूफ टर्टल (कछुआ)
  - ➢ स्मूथ-कोटेड ऑटर (ऊदबिलाव)
  - ➢ 330 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, जैसे—इंडियन स्किमर (भारतीय स्किमर)
  - ➢ यह अभयारण्य भारत सरकार की 'प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल' पहल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 1975 में घड़ियाल और मगरमच्छ वर्ग की अन्य प्रजातियों की घटती संख्या को बचाने के उद्देश्य से की गई थी।

संरक्षण की स्थिति

- इसे महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह एक प्रस्तावित रामसर स्थल है।
- इसे यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी/संभावित सूची में शामिल किया गया है।
- इसे IUCN की श्रेणी-IV (पर्यावास/प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र) के संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है

चंबल नदी :

- प्राचीन नाम: 'चर्मण्वती', महाभारत में उल्लेख मिलता है।
- उद्गम स्थल: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के पास विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी (सिंगार चौरी चोटी) से
- प्रवाह क्षेत्र: यह नदी भारत के तीन राज्यों — मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है
- समापन (संगम): उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास (पचनद क्षेत्र में) यह यमुना नदी में विलीन हो जाती है
- चूलिया जलप्रपात: राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) में इस नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो 18 मीटर ऊँचा है

चंबल नदी पर बने प्रमुख बांध :

- गांधी सागर बांध: यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और इस परियोजना का पहला बांध है
- राणा प्रताप सागर बांध: यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा) में स्थित है
- जवाहर सागर बांध: यह राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों की सीमा पर स्थित एक पिकअप बांध है
- कोटा बैराज: यह कोटा शहर के पास स्थित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है

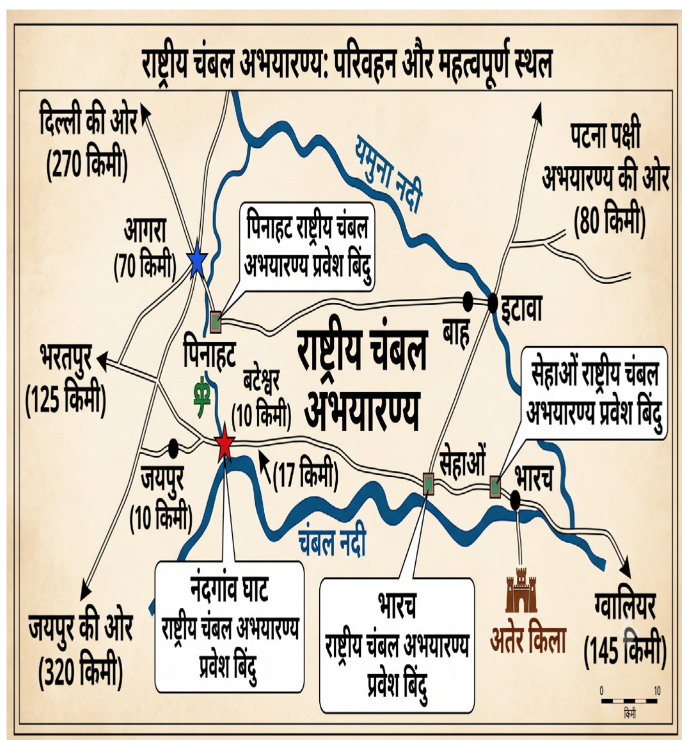

सामाजिक-आर्थिक कारण एवं आगे की राह

- चंबल के बीहड़ों में कृषि की सीमित क्षमता के कारण आजीविका के अवसर कम हैं।
- अनेक युवा आर्थिक आवश्यकता के कारण खनन कार्य में शामिल हो जाते हैं, जिससे माफिया नेटवर्क को बल मिलता है।
- केवल बल-आधारित कार्रवाई स्थानीय असंतोष को बढ़ाकर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- सतत समाधान हेतु आवश्यक है—
    - ➢ स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका
    - ➢ निष्पक्ष और निरंतर प्रवर्तन
    - ➢ अवैध नेटवर्कों के प्रति सामाजिक समर्थन को कम करना
- दीर्घकालिक परिवर्तन पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

चंबल संकट शासन और आजीविका से जुड़ी गहरी चुनौतियों को दर्शाता है। केवल दमनात्मक उपायों से जड़ जमा चुकी अवैध अर्थव्यवस्थाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। सतत संरक्षण के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, अंतर-राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करना तथा व्यवहार्य आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता के साथ संतुलित प्रवर्तन जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है, साथ ही सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों का समाधान करते हुए दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय सुरक्षा और विधि के शासन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है।
2. इसकी स्थापना मुख्यतः घड़ियाल के संरक्षण के लिए की गई थी।
3. यह गंगा नदी बेसिन में स्थित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

जन स्वास्थ्य आपातस्थिति के रूप में जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों: भारत में जलवायु परिवर्तन को तेजी से जन स्वास्थ्य आपातस्थिति के रूप में मान्यता दी जा रही है, क्योंकि बढ़ता तापमान, चरम मौसम की घटनाएँ तथा प्रदूषण रोगों को बढ़ा रहे हैं, उनके प्रसार का विस्तार कर रहे हैं तथा स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

मुख्य विवरण

- जलवायु परिवर्तन मौजूदा रोगों तथा स्वास्थ्य जोखिमों को और अधिक गंभीर बनाता है।
- बाढ़ और सूखा जलजनित तथा अतिसार संबंधी रोगों में वृद्धि करते हैं।
- बढ़ते तापमान से डेंगू और मलेरिया जैसे वाहक-जनित रोगों का विस्तार होता है।
- वायु प्रदूषण (PM2.5) श्वसन तथा हृदय-धमनी संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करता है।
- ऊष्मा तनाव संवेदनशील समूहों तथा शिशुओं के स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करता है।

जन स्वास्थ्य संकट के रूप में जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक प्रमुख स्वास्थ्य आपातस्थिति है।
- यह मौजूदा रोगों को अधिक गंभीर बनाता है तथा नए स्वास्थ्य खतरों के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।
- इसका प्रभाव आपदाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक चिकित्सीय परिणामों तक पहुँचता है।

जल संबंधी चरम घटनाएँ और रोगों का बोझ

- शहरी बाढ़ (जैसे मुंबई) हैजा और टाइफाइड जैसे जलजनित रोगों को बढ़ाती है।
- अत्यधिक दबाव वाली स्वच्छता प्रणालियाँ पेयजल स्रोतों को दूषित कर देती हैं।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षित जल उपयोग बढ़ जाता है, जिससे अतिसार संबंधी रोग और निर्जलीकरण बढ़ते हैं।

संक्रामक रोगों का बढ़ता प्रसार

- बदलते जलवायु पैटर्न डेंगू और मलेरिया जैसे वाहक-जनित रोगों में वृद्धि कर रहे हैं।
- बढ़ता तापमान मच्छरों के प्रजनन काल तथा उनके विस्तार क्षेत्र को बढ़ा रहा है।
- रोग कम प्रतिरक्षा स्तर वाले नए भौगोलिक क्षेत्रों तक फैल रहे हैं।

वायु प्रदूषण और बहु-अंगीय प्रभाव

- ऊर्जा उपयोग में वृद्धि से PM2.5 प्रदूषण बढ़ता है, जो फेफड़ों, हृदय और गुर्दों को प्रभावित करता है।
- इससे श्वसन रोग, हृदय-धमनी संबंधी रोग तथा गुर्दा क्षति होती है।
- प्रदूषण और ऊष्मा मिलकर एक हानिकारक प्रतिपुष्टि चक्र (Feedback Loop) बनाते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और बढ़ जाते हैं।

ऊष्मा तनाव और संवेदनशील जनसंख्या

- बढ़ता तापमान लू, हृदयाघात तथा हृदय-धमनी तनाव का कारण बनता है।
- बाहरी कार्य करने वाले श्रमिक तथा गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- रात्रिकालीन तापमान में वृद्धि शरीर के पुनर्प्राप्ति समय को कम कर देती है, जिससे स्वास्थ्य परिणाम और खराब होते हैं।
- इसका संबंध समयपूर्व जन्म तथा शिशुओं में कम जन्म भार से भी है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन तथा खाद्य आपूर्ति को बाधित करता है।
- इससे विशेषकर बच्चों में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी बढ़ती है।
- ऊष्मा तनाव दुग्ध उत्पादन को कम करता है, जिससे पोषण प्रभावित होता है।
- समग्र रूप से कमजोर पोषण रोगों के प्रति संवेदनशीलता तथा कमजोर प्रतिरक्षा को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय समस्या के रूप में नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना, जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना का विकास करना तथा संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। जलवायु नीतियों में स्वास्थ्य संबंधी विचारों को शामिल करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सशक्त बनाना तथा संवेदनशील जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जोखिमों को कम करने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य प्रभावों के विरुद्ध दीर्घकालिक सहनशीलता विकसित करने की कुंजी होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "भारत में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख जन स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है।" जलवायु परिवर्तन के विभिन्न स्वास्थ्य प्रभावों की चर्चा कीजिए तथा जलवायु-सहिष्णु स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिबद्धताएँ

चर्चा में क्यों: भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की घोषणा की है। वैश्विक दबाव, विकास संबंधी आवश्यकताओं, ऊर्जा संबंधी बाधाओं तथा जलवायु न्याय और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धताओं के बीच जलवायु लक्ष्यों को अद्यतन किया गया है।

मुख्य विवरण

- वर्ष 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी का लक्ष्य।
- कुल विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य।
- कार्बन सिंक में वृद्धि (3.5–4 अरब टन)।
- विकास संबंधी आवश्यकताओं और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन।
- हरित संक्रमण की उच्च लागतों का सामना।

भारत के अद्यतन NDCs : भविष्य में एक संतुलित कदम

- पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।
- मुख्य ध्यान निरंतरता और क्रमिक प्रगति पर है, न कि अचानक बड़े परिवर्तनों पर।
- नीतियाँ ऊर्जा तथा विकास संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
- प्रतिबद्धताएँ जलवायु न्याय और एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका के अनुरूप हैं।
- सरकार को वैश्विक स्तर पर न्यायसंगत उत्तरदायित्वों को पूरा करने का विश्वास है।

तीन प्रमुख जलवायु लक्ष्य

- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक 47% कमी का लक्ष्य।
- **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता:** कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य।
- **कार्बन सिंक में वृद्धि:** वनावरण बढ़ाकर 3.5–4 अरब टन CO_2 समतुल्य के अवशोषण की क्षमता विकसित करना।
- ये लक्ष्य पूर्ववर्ती प्रतिबद्धताओं के क्रमिक सुदृढ़ीकरण को दर्शाते हैं।
- दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों पर विशेष बल दिया गया है।

संरचनात्मक बाधाएँ और नीतिगत संदर्भ

- भारत सीमित संसाधनों वाला एक निम्न-मध्यम आय वाला देश बना हुआ है।
- दीर्घकालिक वित्तीय बाधाएँ UNFCCC के अंतर्गत जलवायु संबंधी विकल्पों को प्रभावित करती हैं।
- पेरिस समझौते के चक्र के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में प्रतिबद्धताओं को अद्यतन करना आवश्यक है।
- हाल की वैश्विक जलवायु अनिश्चितताएँ नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
- अल्पकालिक वास्तविकताएँ दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावित कर रही हैं।

भारत के विस्तृत जलवायु कार्य प्रयास

- विद्युत वाहनों तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का तीव्र विस्तार।
- हरित हाइड्रोजन तथा कार्बन अवशोषण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी।

- हालाँकि, जवाबदेही की आवश्यकताओं के कारण सभी प्रयास औपचारिक NDC प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित नहीं किए गए हैं।

हरित संक्रमण की चुनौतियाँ और लागतें

- भारत की ऊर्जा व्यवस्था अभी भी कोयले पर अत्यधिक निर्भर है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में उच्च वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक लागतें शामिल हैं।
- बैटरी भंडारण और ग्रिड संतुलन अभी भी महँगे और सीमित हैं।
- जलविद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय तथा नियामकीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- ऊर्जा संक्रमण से तापीय विद्युत की परिचालन लागत तथा समग्र आर्थिक भार में वृद्धि होती है।

बहस, आलोचना और विकास संबंधी प्राथमिकताएँ

- आलोचकों का मत है कि भारत को 1.5°C वैश्विक लक्ष्य के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।
- कुछ विशेषज्ञ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से संबंधित मापदंडों की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाते हैं।
- "भारत और अधिक कर सकता है" जैसे तर्क प्रायः विकास संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं।
- भविष्य में औद्योगिक विकास, शहरीकरण तथा ऊर्जा पहुँच की आवश्यकता बनी रहेगी।
- भारत की प्रतिबद्धताएँ रणनीतिक, सावधानीपूर्ण तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित हैं।

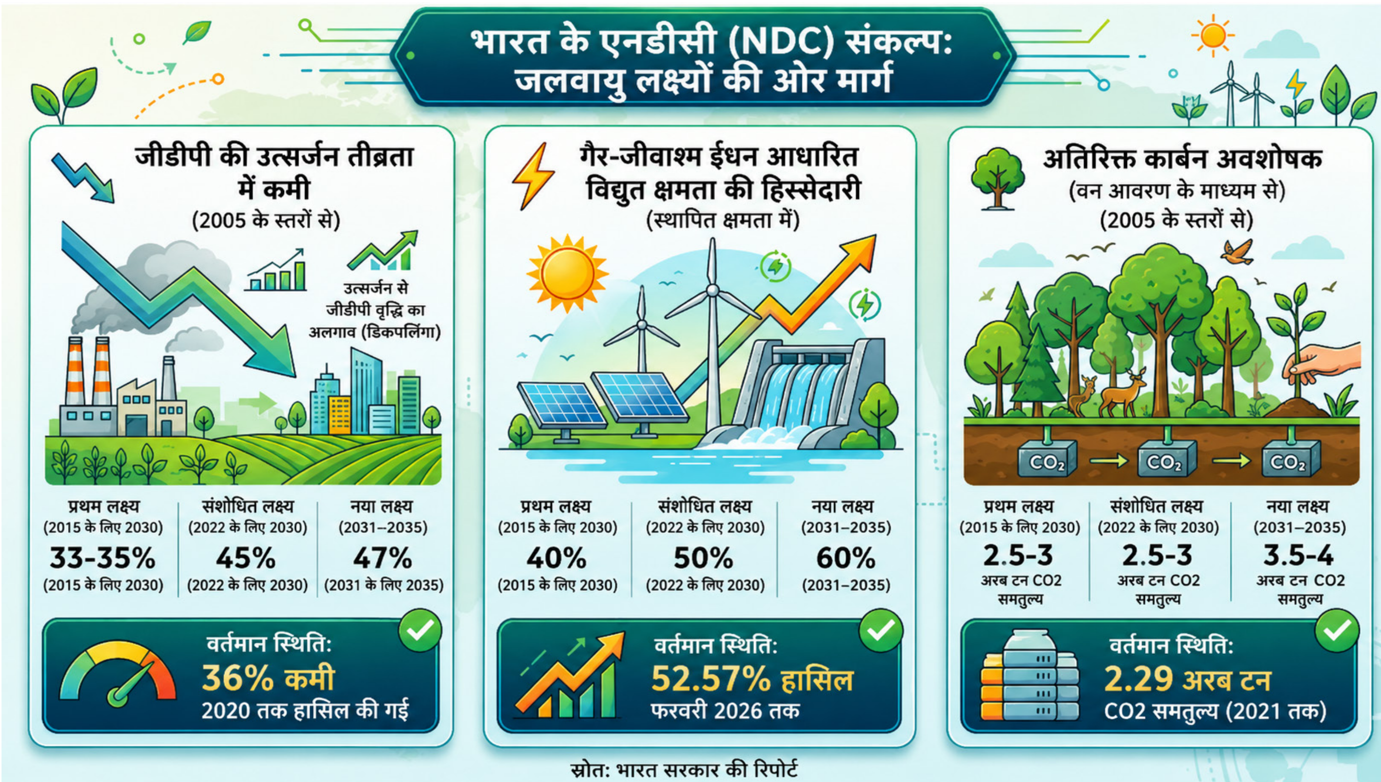

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) किसी देश की वह आधिकारिक जलवायु कार्य योजना है, जिसे पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन के प्रयासों का उल्लेख होता है।
- यह स्व-निर्धारित होता है, अर्थात प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है, तथा यह समयबद्ध और प्रगतिशील होता है, जिसमें प्रत्येक 5–10 वर्षों में बढ़ती महत्वाकांक्षा के अनुरूप अद्यतन किया जाता है।
- NDC में सामान्यतः उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, अनुकूलन रणनीतियाँ तथा वित्तीय एवं तकनीकी आवश्यकताएँ सम्मिलित होती हैं।
- यह पेरिस समझौते का मुख्य परिचालन तंत्र है, क्योंकि वैश्विक जलवायु कार्रवाई इन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के सामूहिक प्रयास और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

भारत की NDC यात्रा

- प्रथम NDC (2015):
  - ➢ आधार वर्ष के रूप में 2005 को अपनाया गया।
  - ➢ उत्सर्जन तीव्रता में 33–35% की कमी का लक्ष्य।
  - ➢ लगभग 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य।
  - ➢ वर्ष 2030 तक 2.5–3 अरब टन कार्बन सिंक के निर्माण का लक्ष्य।
- अद्यतन NDC (2022):
  - उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी (2005 के स्तर की तुलना में)।
  - गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
  - ये लक्ष्य COP-26 (ग्लासगो) में की गई घोषणाओं के अनुरूप थे।

निष्कर्ष

भारत के संशोधित NDCs जलवायु उत्तरदायित्व और विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच एक व्यावहारिक संतुलन को प्रतिबिंबित करते हैं। यद्यपि शमन लक्ष्यों को आगे बढ़ाया गया है, भारत संरचनात्मक बाधाओं, ऊर्जा निर्भरता तथा वित्तीय सीमाओं के प्रति सजग बना हुआ है। एक क्रमिक और रणनीतिक दृष्टिकोण विकास से समझौता किए बिना स्थिरता सुनिश्चित करता है। विकासशील देशों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में सक्षम बनाने तथा न्यायसंगत विकास और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करते हुए वैश्विक सहयोग एवं जलवायु वित्त की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।" संशोधित NDCs की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए तथा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

शहरी वायु प्रदूषण और प्रशासनिक उपाय

चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने शीतकालीन धुंध से निपटने के लिए नियामकीय, प्रौद्योगिकीय तथा प्रवर्तन-आधारित उपायों के माध्यम से वायु प्रदूषण शमन कार्ययोजना 2026 प्रारम्भ की है।

मुख्य विवरण

- नवंबर से केवल बीएस-VI, सीएनजी अथवा विद्युत मालवाहक वाहनों के प्रवेश की अनुमति, ताकि वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
- 'पीयूसी नहीं, ईंधन नहीं' नियम का कठोर प्रवर्तन तथा 62 प्रदूषण हॉटस्पॉटों का भीड़मुक्तीकरण।
- सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, जिसके अंतर्गत 13,760 बसों (ई-बसों को प्राथमिकता) तथा 32,000 ईवी चार्जिंग बिंदुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ग्रीन वॉर रूम, वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों तथा वार्ड-स्तरीय 'वायु रक्षक' दलों की स्थापना।

शहरी वायु प्रदूषण के स्रोत

- **वाहनजनित उत्सर्जन:** वाहनों का PM2.5 तथा NOx स्तरों में महत्त्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में, जहाँ वाहनों का घनत्व अधिक होने से वायु गुणवत्ता लगातार प्रभावित होती है।
- **सड़क धूल और निर्माण गतिविधियाँ:** सड़क एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल शहरी कणीय प्रदूषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर शुष्क मौसम में।
- **औद्योगिक तथा जैव-पदार्थ दहन:** औद्योगिक उत्सर्जन तथा पड़ोसी राज्यों में पराली दहन से सीमापार प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मौसमी धुंध की स्थिति गंभीर हो जाती है।
- **मौसम संबंधी कारक:** शीतकाल के दौरान तापमान प्रतिलोमन तथा कम पवन वेग प्रदूषकों को रोक लेते हैं, जिससे AQI का स्तर अत्यधिक गंभीर (अक्सर 400 से अधिक – "गंभीर" श्रेणी) हो जाता है।

नियामकीय उपाय और नीतिगत ढाँचा

- **भारत चरण (BS-VI) मानक:** बीएस-VI उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन से सल्फर की मात्रा तथा वाहनजनित उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे भारत वैश्विक उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होता है।
- **'पीयूसी नहीं, ईंधन नहीं' प्रवर्तन:** प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) यह सुनिश्चित करता है कि वाहन उत्सर्जन मानकों का पालन करें; कठोर प्रवर्तन अनुपालन बढ़ाता है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करता है।
- **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP):** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अंतर्गत एक वैधानिक तंत्र, जो AQI स्तरों के आधार पर प्रतिबंध लागू करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण ढाँचा:** वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत नीतियाँ प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों का मार्गदर्शन करती हैं।

प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप एवं स्मार्ट शासन

- **बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यातायात प्रणाली यातायात प्रवाह को अनुकूलित करती है, भीड़भाड़ कम करती है तथा निष्क्रिय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाती है।
- **वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी:** निगरानी नेटवर्क के विस्तार तथा आँकड़ा विश्लेषण के उपयोग से साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण और समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होते हैं।
- **ग्रीन वॉर रूम एवं कमांड सेंटर:** केंद्रीकृत मंच विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाते हैं, जिससे जवाबदेही, त्वरित प्रतिक्रिया और नीति प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
- **धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ:** यांत्रिक सफाई मशीनें, एंटी-स्मॉग गन तथा मिस्ट प्रणाली सड़क धूल और निर्माण स्थलों से उत्पन्न कणीय पदार्थ को कम करने में सहायक हैं।

सतत शहरी गतिशीलता एवं विद्युत वाहन संक्रमण

- **सार्वजनिक परिवहन का विस्तार:** वर्ष 2028–29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 करने का लक्ष्य, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी आएगी।
- **विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा:** 32,000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा ई-बसों, ई-ऑटो तथा दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहन, जिससे परिवहन क्षेत्र का कार्बनमुक्तीकरण संभव होगा।
- **एकीकृत परिवहन प्रणाली:** मेट्रो, RRTS तथा फीडर सेवाओं का एकीकरण अंतिम छोर तक संपर्क बढ़ाता है तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **नीतिगत समर्थन:** दिल्ली की ईवी नीति, भारत की कार्बन तीव्रता में कमी तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

संस्थागत तंत्र एवं बहु-स्तरीय शासन

- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):** दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के समन्वय हेतु स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो अंतर-राज्यीय प्रदूषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है।
- **स्थानीय शासन – वायु रक्षक दल:** वार्ड-स्तरीय दल जमीनी निगरानी, सामुदायिक सहभागिता तथा प्रदूषण मानकों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करते हैं।
- **अंतर-राज्यीय समन्वय:** पराली दहन जैसे प्रदूषण स्रोतों के समाधान के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग आवश्यक है।
- **जवाबदेही एवं समयबद्ध लक्ष्य:** लैंडफिल हटाने (जैसे गाजीपुर को वर्ष 2027 तक हटाना) तथा उत्सर्जन निगरानी प्रणालियाँ शासन की दक्षता को बढ़ाती हैं।

पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव

- **जन स्वास्थ्य संकट:** वायु प्रदूषण का संबंध श्वसन रोगों, हृदय-धमनी रोगों तथा समयपूर्व मृत्यु से है; भारत वैश्विक प्रदूषण भार का बड़ा हिस्सा वहन करता है।

- **आर्थिक लागत:** उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि तथा पर्यावरणीय क्षरण आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।
- **संवेदनशील समूह:** बच्चे, वृद्धजन तथा शहरी गरीब असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे समावेशी नीतियों की आवश्यकता रेखांकित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन से संबंध:** ब्लैक कार्बन जैसे वायु प्रदूषक वैश्विक तापवृद्धि में योगदान करते हैं, जिससे स्थानीय प्रदूषण और वैश्विक जलवायु चिंताएँ परस्पर जुड़ जाती हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली की प्रारंभिक कार्ययोजना वायु प्रदूषण से निपटने में प्रतिक्रियात्मक शासन से सक्रिय शासन की ओर परिवर्तन को दर्शाती है। तथापि, दीर्घकालिक सफलता के लिए क्षेत्रीय सहयोग, कठोर प्रवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन तथा दीर्घकालिक शहरी नियोजन सुधार आवश्यक हैं। स्वच्छ वायु को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, नीति और नागरिक सहभागिता का समन्वित उपयोग आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से शहरी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं?

1. वाहनजनित उत्सर्जन
2. सड़क धूल
3. औद्योगिक उत्सर्जन
4. जैव-पदार्थ दहन

सही उत्तर का चयन कीजिए—

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों तथा शासन-संबंधी सुधारों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

वन पारिस्थितिकी एवं संरक्षण

चर्चा में क्यों: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में मसूरी में ओक (बलूत) वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई है, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में उनके पारिस्थितिक महत्त्व पर प्रकाश पड़ा है।

मुख्य विवरण

- उच्च न्यायालय ने मसूरी में ओक वृक्षों की कटाई रोकने के लिए एक नागरिक निर्माण परियोजना में हस्तक्षेप किया।
- हिमालय में ओक के वन जल संरक्षण, जैव विविधता तथा स्थानीय आजीविकाओं के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मानवीय दबावों के कारण हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 0.36 वर्ग किमी/वर्ष की दर से वन क्षरण हो रहा है।
- ओक के स्थान पर चीड़ जैसी प्रजातियों का विस्तार वनाग्नियों तथा पारिस्थितिक असंतुलन को बढ़ा रहा है।

आधारभूत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में ओक वन

हिमालय की पारिस्थितिक आधारशिला

- ओक (वंश Quercus) मध्य ऊँचाई वाले हिमालयी वनों (800–3000 मीटर) में प्रमुखता रखते हैं तथा आधारभूत प्रजाति (Keystone Species) के रूप में अनेक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।
- **उच्च जैव विविधता का समर्थन:** ओक वन ऑर्किड, काई तथा झाड़ियों जैसे समृद्ध वनस्पति समुदायों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे बहु-स्तरीय आवासों का निर्माण होता है।
- **जीव विविधता:** हिमालयी लंगूर, एशियाई काला भालू तथा जे जैसे पक्षी भोजन एवं आश्रय के लिए ओक के फल तथा पर्णसमूह पर निर्भर रहते हैं।
- **सूक्ष्मजीव एवं मृदा जीवन:** ये वन कीटों, कनखजूरों तथा सूक्ष्मजीवों का संरक्षण करते हैं, जिससे पोषक चक्रण एवं मृदा उर्वरता में योगदान मिलता है।

ओक वनों द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकी सेवाएँ

- **जल संरक्षण एवं झरनों का पुनर्भरण:** ओक वन मृदा में जल के अवशोषण को बढ़ाकर भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करते हैं, जो हिमालयी झरनों तथा ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **मृदा संरक्षण:** घनी जड़ प्रणाली तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकती है तथा भूस्खलन एवं भूमि क्षरण के जोखिम को कम करती है।
- **जलवायु विनियमन:** ओक वृक्ष कार्बन अवशोषण में योगदान देते हैं तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखते हैं।
- **आजीविका समर्थन:** स्थानीय समुदाय चारा, ईंधन तथा गौण वन उत्पादों के लिए ओक वनों पर निर्भर रहते हैं, जिससे इनका सामाजिक-आर्थिक महत्त्व बढ़ जाता है।

हिमालयी ओक की विविधता

- **प्रजातीय समृद्धि:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ओक की लगभग 35 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- **उत्तराखंड की प्रमुख प्रजातियाँ:** बांज ओक, मोरू ओक, खरसू ओक, रियांज ओक तथा फल्यांत ओक, जो विभिन्न ऊँचाइयों एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित हैं।
- **ऊँचाई के अनुसार वितरण:** ओक 800–3000 मीटर की ऊँचाई पर उगते हैं और उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्पाइन क्षेत्रों के मध्य एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक पट्टी का निर्माण करते हैं।
- **पारिस्थितिक स्वास्थ्य का संकेतक:** ओक वनों की उपस्थिति स्थिर एवं आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, जबकि चीड़-प्रधान क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक क्षीण होते हैं।

खतरे : क्षरण एवं मानवीय दबाव

- **वनों की कटाई एवं विकास परियोजनाएँ:** अवसंरचनात्मक विस्तार के कारण वन क्षेत्रों की सफाई होती है, जिससे नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
- **अत्यधिक दोहन:** चारे और ईंधन के लिए अत्यधिक कटाई से वृक्षों की कैनोपी कम होती है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन एवं बीज उत्पादन प्रभावित होता है।
- **वन क्षरण:** मानवीय दबाव, अवसंरचना विकास, वनाग्नि, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन हिमालयी वनों की गुणवत्ता और क्षेत्रफल को प्रभावित कर रहे हैं।
- **धीमा पुनर्जनन:** निरंतर व्यवधान पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति को बाधित करता है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है।

वन संरचना में परिवर्तन एवं पारिस्थितिक दबाव

- **चीड़ का विस्तार:** कुछ हिमालयी क्षेत्रों में ओक वनों के स्थान पर चीड़ का बढ़ता प्रभुत्व वन संरचना, जैव विविधता, जल संरक्षण तथा वनाग्नि जोखिम को प्रभावित कर सकता है।
- **जैव विविधता पर प्रभाव:** चीड़ वन, ओक वनों की तुलना में कम जैव विविधता का समर्थन करते हैं।
- **वनाग्नि का बढ़ता जोखिम:** चीड़ की सुइयाँ/पत्तियाँ (pine needles) जमीन पर एकत्र होकर ज्वलनशील ईंधन उपलब्ध कराती हैं, जिससे उपयुक्त परिस्थितियों में वनाग्नि का जोखिम बढ़ सकता है।

विधिक एवं नीतिगत आयाम

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
- **वन संरक्षण ढाँचा:** ओक वन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा सतत वन उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के अंतर्गत संरक्षित हैं।
- **सामुदायिक सहभागिता:** संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) जैसी पहलें स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** ओक वनों का संरक्षण पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है।

आगे की राह

- **वैज्ञानिक वन प्रबंधन:** चीड़ जैसे एकल प्रजातीय वृक्षारोपण के स्थान पर ओक-आधारित वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- **सामुदायिक आधारित संरक्षण:** स्थानीय समुदायों को संरक्षण, पुनर्जनन एवं सतत उपयोग में सम्मिलित कर संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) को सुदृढ़ किया जाए।
- **विकासात्मक गतिविधियों का विनियमन:** हिमालयी क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) सुनिश्चित किया जाए।
- **आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण:** चीड़ तथा अन्य आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को सीमित करने हेतु लक्षित कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- वनाग्नि प्रबंधन रणनीतियाँ: प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, अग्नि रेखाएँ तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** वनावरण एवं क्षरण की वास्तविक समय निगरानी के लिए दूरसंवेदी तकनीक, GIS मानचित्रण तथा वन निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाए।
- **जलवायु लक्ष्यों के साथ नीतिगत समन्वय:** ओक वन संरक्षण को भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तथा दीर्घकालिक जलवायु सहनशीलता रणनीतियों के साथ जोड़ा जाए।

निष्कर्ष

ओक वन हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिरता, जल सुरक्षा तथा जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। मानवीय दबावों तथा पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण उनका क्षरण गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है। हाल का न्यायिक हस्तक्षेप विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ओक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत में सतत विकास तथा जलवायु सहनशीलता प्राप्त करने की आधारशिला है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. ओक वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. वे जल संरक्षण एवं जलागम कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. वे हिमालयी क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता का समर्थन करते हैं।
3. वे स्थानीय समुदायों को चारा, ईंधन एवं अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

पश्चिमी विक्षोभ एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मौसम चेतावनी

चर्चा में क्यों: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अप्रैल 2026 के शुरुआती सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की।

मुख्य विवरण

- एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित किया
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा कई उत्तरी राज्यों में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया
- मध्य भारत में आंधी, बिजली गिरने तथा तेज हवाएँ चलने की संभावना जताई गई
- उत्तर-पश्चिम भारत में दिन का तापमान सामान्य से कम अथवा सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया।
- चेतावनियों में कृषि, अवसंरचना, परिवहन तथा जन सुरक्षा पर संभावित प्रभावों का उल्लेख किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ – अर्थ एवं उत्पत्ति

- **पश्चिमी विक्षोभ (WD):** यह एक बहिर्उष्णकटिबंधीय तूफानी तंत्र है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होती है तथा यह पश्चिमी पवनों के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत तक पहुँचता है।
- **प्रकृति:** यह भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर तथा काला सागर क्षेत्रों से नमी लेकर आता है और उत्तर भारत में शीतकालीन तथा पूर्व-मानसूनी वर्षा का कारण बनता है।
- **द्रोणिका एवं चक्रवाती परिसंचरण:** पश्चिमी विक्षोभ सामान्यतः मध्य अक्षांशीय पश्चिमी पवनों में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरणों तथा द्रोणिकाओं से संबंधित होते हैं।
- **मौसमीता:** ये शीत ऋतु और वसंत ऋतु के प्रारम्भ में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं तथा भारत की जलवायु एवं कृषि को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

भारत में पश्चिमी विक्षोभों का महत्त्व

शीतकालीन वर्षा का स्रोत

- पश्चिमी विक्षोभ उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में महत्त्वपूर्ण शीतकालीन वर्षा प्रदान करते हैं।
- यह वर्षा गेहूँ, सरसों तथा जौ जैसी रबी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है।

हिमालयी क्षेत्र में हिमपात

- इनके कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में हिमपात होता है।
- हिम संचय हिमनदों, नदी प्रणालियों, जलविद्युत उत्पादन तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा को समर्थन प्रदान करता है।

जलवायु का संतुलन

- पश्चिमी विक्षोभ बादल और वर्षा लाकर उत्तर-पश्चिम भारत में अत्यधिक गर्मी को कम करते हैं।
- ये संक्रमणकालीन महीनों में मौसमी तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

रंग कोड	अलर्ट	चेतावनी	प्रभाव	सुझाए गए उपाय
हरा (कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं)	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहता है।	तापमान आरामदायक रहता है। किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं।	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं।
पीला अलर्ट (सतर्क रहें)	लू (हीट वेव) अलर्ट	अलग-अलग क्षेत्रों में लू की स्थिति लगातार 2 दिनों तक बनी रहती है।	तापमान मध्यम रूप से अधिक रहता है। सामान्य लोगों के लिए सहनीय, परंतु शिशुओं, बुजुर्गों तथा दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम मध्यम रहता है।	(क) धूप के संपर्क से बचें। (ख) हल्के रंग के, ढीले तथा सूती वस्त्र पहनें। (ग) सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढकें।
नारंगी अलर्ट (तैयार रहें)	गंभीर लू अलर्ट	(i) गंभीर लू की स्थिति लगातार 2 दिनों तक बनी रहे। (ii) अत्यधिक गंभीर न होने पर भी लू 4 दिन या उससे अधिक समय तक बनी रहे।	तापमान अत्यधिक अधिक रहता है। लंबे समय तक धूप में रहने या भारी शारीरिक कार्य करने वाले लोगों में लू एवं गर्मी से संबंधित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। शिशुओं, बुजुर्गों तथा दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उच्च स्वास्थ्य जोखिम।	(क) धूप से बचें तथा शरीर को ठंडा रखें। निर्जलीकरण से बचें। (ख) प्यास न लगने पर भी पर्याप्त पानी पिएँ। (ग) ओआरएस, लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करें ताकि शरीर में जल की कमी न हो।
लाल अलर्ट (तत्काल कार्रवाई करें)	अत्यधिक गंभीर लू अलर्ट	(i) गंभीर लू की स्थिति 2 दिनों से अधिक बनी रहे। (ii) कुल लू/गंभीर लू वाले दिनों की संख्या 6 दिनों से अधिक हो जाए।	सभी आयु वर्गों में लू एवं हीट स्ट्रोक होने की अत्यधिक संभावना।	विशेष रूप से संवेदनशील एवं जोखिमग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यधिक सावधानी एवं तत्काल सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक।

वर्तमान घटना के लिए उत्तरदायी मौसम तंत्र

नवीन पश्चिमी विक्षोभ

- पूर्वी ईरान तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर विकसित चक्रवाती परिसंचरण एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तित हो गया है।
- यह उष्णकटिबंधीय पश्चिमी पवनों के प्रभाव में पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है।

ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण

- दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा असम के ऊपर अनेक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुए हैं।
- ये तंत्र वायुमंडलीय अस्थिरता को बढ़ाते हैं और आंधी-तूफान तथा वर्षा की गतिविधियों को तीव्र करते हैं।

द्रोणिका का निर्माण

- बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तक विस्तारित द्रोणिकाएँ नमी के अभिसरण को बढ़ा रही हैं।
- इससे मध्य तथा पूर्वी भारत में व्यापक आंधी और ओलावृष्टि की परिस्थितियाँ बन रही हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत के लिए IMD का पूर्वानुमान

वर्षा एवं हिमपात

- 3–5 अप्रैल 2026 के दौरान हिमालयी राज्यों में छिटपुट से व्यापक वर्षा तथा हिमपात की संभावना है।
- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा और आंधी-तूफान की संभावना है।

ओलावृष्टि की चेतावनी

- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ओलावृष्टि की संभावना है।
- ओलावृष्टि से खड़ी फसलें, बागवानी उत्पाद, विद्युत अवसंरचना तथा कमजोर संरचनाएँ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।

आंधी-तूफान की स्थिति

- उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में 50–70 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएँ चल सकती हैं।
- इन हवाओं से वृक्ष उखड़ने, अवसंरचना को क्षति तथा परिवहन बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है।

मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत की मौसम स्थितियाँ

मध्य भारत

- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा विदर्भ में आंधी-तूफान के साथ वर्षा की संभावना है।
- मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में 3 अप्रैल तक ओलावृष्टि की संभावना है।

पश्चिमी भारत

- महाराष्ट्र तथा गुजरात में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।
- मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र में तेज झोंकों वाली हवाओं तथा ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

दक्षिण भारत

- कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु में बिजली के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।
- आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।

कृषि पर प्रभाव

फसल क्षति का जोखिम

- ओलावृष्टि और भारी वर्षा खड़ी फसलों, बागवानी उत्पादों तथा वृक्षारोपण फसलों को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है।
- गेहूँ, सरसों, दलहन, सब्जियाँ तथा फल विशेष रूप से कटाई के मौसम में अधिक संवेदनशील होते हैं।

जलभराव एवं मृदा अपरदन

- भारी वर्षा निम्न क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों में जलभराव उत्पन्न कर सकती है तथा मृदा की उर्वरता को प्रभावित कर सकती है।
- अत्यधिक नमी फसल की गुणवत्ता और भंडारण स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

IMD की कृषि-मौसम संबंधी सलाह

- किसानों को परिपक्व फसलों की शीघ्र कटाई कर सुरक्षित भंडारण करने की सलाह दी गई है।
- ओला-रोधी जाल, उचित जल निकासी व्यवस्था तथा फसल सुरक्षा उपाय अपनाने की अनुशंसा की गई है।

आपदा प्रबंधन एवं जन सुरक्षा

शहरी बाढ़ एवं अवसंरचना पर दबाव

- स्थानीय स्तर पर बाढ़ एवं जलभराव परिवहन व्यवस्था और शहरी गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।
- तेज हवाएँ विद्युत लाइनों, संचार प्रणालियों तथा अस्थायी संरचनाओं को क्षति पहुँचा सकती हैं।

भूस्खलन का जोखिम

- हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा और हिमपात के कारण भूस्खलन तथा मलबा प्रवाह का खतरा बना रहता है।
- इससे सड़कों, पर्यटन तथा सीमावर्ती संपर्क व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

बिजली गिरने का खतरा

- आंधी-तूफान के दौरान बिजली गिरना भारत में मौसम संबंधी मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- लोगों को खुले खेतों, जलाशयों तथा एकाकी वृक्षों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भूमिका

राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारत की प्रमुख मौसम पूर्वानुमान संस्था है।

- यह चक्रवात, लू, वर्षा तथा चरम मौसम घटनाओं के लिए प्रारम्भिक चेतावनियाँ जारी करता है।
- IMD मौसम संबंधी परामर्शों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, विमानन, कृषि तथा समुद्री गतिविधियों को सहयोग प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसम घटनाएँ

मौसम की बढ़ती अनिश्चितता

- जलवायु परिवर्तन के कारण आंधी-तूफान, ओलावृष्टि तथा असामयिक वर्षा जैसी चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है।
- गर्म वातावरण में नमी धारण क्षमता तथा अस्थिरता बढ़ने से गंभीर मौसम प्रणालियाँ अधिक शक्तिशाली हो रही हैं।

कृषि की संवेदनशीलता

- भारत की कृषि मौसमी मौसम प्रतिरूपों पर निर्भर होने के कारण अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील है।
- वर्षा और तापमान में अनिश्चितता खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की आजीविका के लिए चुनौती उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना: जिला स्तर तक मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और प्रसार में सुधार किया जाए।
- जलवायु-सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देना: फसल बीमा, सहनशील बीज तथा अनुकूलनशील कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- शहरी जल निकासी अवसंरचना में सुधार: भारी वर्षा के दौरान शहरी बाढ़ एवं जलभराव को रोकने के लिए उपाय किए जाएँ।
- आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना: IMD, NDMA तथा राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
- जन जागरूकता बढ़ाना: बिजली गिरने से सुरक्षा, मौसम साक्षरता तथा आपातकालीन तैयारी के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाए।

निष्कर्ष

हाल का पश्चिमी विक्षोभ भारत में सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है। यद्यपि ऐसी प्रणालियाँ वर्षा और कृषि के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी बढ़ती तीव्रता अवसंरचना, आजीविका तथा जन सुरक्षा के लिए जोखिम भी उत्पन्न कर रही है। सतत विकास तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जलवायु सहनशीलता और प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना अत्यावश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है?

(a) अरब सागर (b) बंगाल की खाड़ी

(c) भूमध्यसागरीय क्षेत्र (d) दक्षिण चीन सागर

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की जलवायु और कृषि में पश्चिमी विक्षोभों के महत्त्व की चर्चा कीजिए। इनके कारण उत्पन्न चरम मौसम घटनाओं के प्रति भारत अपनी सहनशीलता कैसे बढ़ा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

भारत ने UNFCCC के अंतर्गत COP33 की मेज़बानी की दावेदारी वापस ली

चर्चा में क्यों: भारत ने वर्ष 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के अंतर्गत आयोजित होने वाले 33वें पक्षकार सम्मेलन (COP33) की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली है। वर्ष 2028 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा का हवाला देते हुए उठाए गए इस कदम ने वैश्विक दक्षिण में भारत की जलवायु कूटनीति और नेतृत्व की भूमिका पर बहस को जन्म दिया है।

मुख्य विवरण

- भारत ने वर्ष 2028 के COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।
- विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय व्यवस्थागत बोझ, अन्य वैश्विक आयोजनों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा अधिक महत्त्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं के दबाव से जुड़ा है।
- ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये द्वारा COP31 (2026) तथा इथियोपिया द्वारा COP32 (2027) की मेज़बानी के बाद, दक्षिण कोरिया COP33 का प्रमुख दावेदार बना हुआ है।
- भारत इससे पूर्व वर्ष 2002 में COP8 की मेज़बानी कर चुका है।
- वर्ष 2026 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तथा उत्सर्जन तीव्रता से संबंधित अधिक सशक्त लक्ष्यों के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अद्यतन किया।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC)

अर्थ एवं उद्देश्य

- UNFCCC एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली में मानवजनित खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है। यह जलवायु वार्ताओं और देशों के बीच सहयोग के लिए वैश्विक ढाँचा प्रदान करती है।
- वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया तथा वर्ष 1994 से प्रभावी यह अभिसमय ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

UNFCCC के मूल सिद्धांत

समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)

- CBDR-RC का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, परन्तु विकसित देशों की ऐतिहासिक उत्सर्जनों के कारण अधिक जिम्मेदारी है।
- यह विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधनों तथा विकासात्मक प्राथमिकताओं के अंतर को भी स्वीकार करता है।

सतत विकास का सिद्धांत

- UNFCCC ऐसी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करे।
- यह इस बात पर बल देता है कि जलवायु नीतियाँ विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास से समझौता न करें।
- यह सिद्धांत भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जो विकास तथा ऊर्जा पहुँच की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

UNFCCC की संस्थागत संरचना

पक्षकार सम्मेलन (COP)

- पक्षकार सम्मेलन (COP), UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और यह प्रतिवर्ष जलवायु वार्ताओं एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित होता है।
- COP बैठकें उत्सर्जन में कमी, जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर वार्ताओं के लिए वैश्विक मंच प्रदान करती हैं।

UNFCCC सचिवालय

- बॉन (जर्मनी) स्थित सचिवालय सदस्य देशों के बीच जलवायु वार्ताओं, आँकड़ा विश्लेषण और समन्वय को सुगम बनाता है।
- यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे समझौतों के क्रियान्वयन में भी सहयोग करता है।

पारदर्शिता एवं प्रतिवेदन तंत्र

- सदस्य देश नियमित रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु कार्यों से संबंधित राष्ट्रीय संचार तथा द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
- यह तंत्र जवाबदेही को बढ़ाता है तथा जलवायु लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी में सहायता करता है।

UNFCCC के अंतर्गत वित्तीय तंत्र

हरित जलवायु कोष (GCF)

- **हरित जलवायु कोष** (GCF) विश्व का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है, जो विकासशील देशों में शमन और अनुकूलन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है।
- वर्ष 2026 तक इसने विश्वभर में 350 से अधिक परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, जिनकी प्रतिबद्धताएँ **20 अरब अमेरिकी डॉलर** से अधिक हैं।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा** (GEF) पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह बड़े पैमाने के जलवायु और जैव विविधता कार्यक्रमों के लिए प्रारंभिक वित्तपोषण का कार्य करती है।

हानि एवं क्षति प्रतिक्रिया कोष (FRLD)

- **हानि एवं क्षति कोष** बाढ़, चक्रवात, सूखा तथा समुद्र-स्तर वृद्धि जैसी जलवायु आपदाओं से प्रभावित संवेदनशील देशों को सहायता प्रदान करता है।
- यह जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्ति संबंधी चिंताओं की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।

अनुकूलन कोष

- यह कोष सूखा-सहिष्णु कृषि, तटीय संरक्षण तथा जल प्रबंधन जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- यह जलवायु-संवेदनशील विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

UNFCCC के अंतर्गत प्रमुख विधिक साधन

क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

- क्योटो प्रोटोकॉल ने मुख्यतः विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लगाए।
- इसने CBDR-RC सिद्धांत को कार्यान्वित किया, किन्तु सीमित भागीदारी और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियों के कारण इसकी आलोचना भी हुई।

पेरिस समझौता (2015)

- पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तरों की तुलना में **2°C से काफी नीचे**, तथा संभव हो तो **1.5°C** तक सीमित करना है।
- इसके अंतर्गत **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान** (NDCs) की व्यवस्था की गई, जिसके तहत देश स्वेच्छा से जलवायु लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

वैश्विक मूल्यांकन (GST)

अर्थ एवं महत्त्व

- **वैश्विक मूल्यांकन** (GST) पेरिस समझौते के अंतर्गत एक आवधिक समीक्षा तंत्र है, जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करना है।
- पहला GST वर्ष 2023 में सम्पन्न हुआ, जबकि दूसरा वर्ष 2028 में प्रस्तावित है, जिससे COP33 भविष्य की जलवायु महत्वाकांक्षाओं की समीक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ

अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

- मार्च 2026 में भारत ने अद्यतन NDCs की घोषणा की, जिसके अंतर्गत वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का **60% गैर-जीवाश्म ईंधनों** से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी तथा 3.5–4 अरब टन CO_2 समतुल्य कार्बन सिंक के निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया।

भारत का जलवायु नेतृत्व

- भारत ने स्वयं को **वैश्विक दक्षिण** की एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित किया है, जो जलवायु न्याय, समानता तथा विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की वकालत करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन** (ISA) तथा सतत जीवनशैली पर बल जैसी पहलों ने भारत की जलवायु कूटनीति को सुदृढ़ किया है।

COP33 की दावेदारी से भारत के हटने के कारण

व्यवस्थागत एवं प्रशासनिक बोझ

- COP की मेज़बानी के लिए व्यापक व्यवस्थागत तैयारियों, वित्तीय व्यय तथा कूटनीतिक समन्वय की आवश्यकता होती है।
- विश्लेषकों का मानना है कि भारत अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और प्रतिबद्धताओं के साथ टकराव से बचना चाहता है।

अधिक महत्त्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों का दबाव

- COP की मेज़बानी प्रायः देशों पर अधिक कठोर जलवायु प्रतिबद्धताएँ और महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य घोषित करने का दबाव बढ़ाती है।
- भारत विकासात्मक आवश्यकताओं और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीतिगत लचीलापन बनाए रखना चाहता है।

रणनीतिक जलवायु वार्ता संबंधी चिंताएँ

- भारत लगातार समानता तथा विकसित देशों की जलवायु वित्त संबंधी जिम्मेदारियों पर बल देता रहा है।
- मेज़बान की भूमिका से दूर रहना भारत को अतिरिक्त कूटनीतिक दायित्वों के बिना अधिक सशक्त वार्तात्मक स्थिति प्रदान कर सकता है।

वैश्विक जलवायु राजनीति के लिए महत्त्व

वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व पर प्रभाव

- भारत के पीछे हटने से विकासशील देशों के बीच उसकी नेतृत्वकारी भूमिका की धारणा प्रभावित हो सकती है।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी होने के कारण भारत जलवायु शासन की बहसों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

- COP की मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय समूहों के बीच घूर्णन के आधार पर होती है। भारत के हटने के बाद दक्षिण कोरिया एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख उम्मीदवार बन गया है।
- इससे एशिया के भीतर जलवायु कूटनीति की गतिशीलता में परिवर्तन आ सकता है।

वैश्विक जलवायु शासन की चुनौतियाँ

जलवायु वित्त का अंतर

- विकसित देशों द्वारा किए गए वादों के बावजूद विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
- प्रतिवर्ष **100 अरब अमेरिकी डॉलर** के अपूर्ण जलवायु वित्त लक्ष्य की समस्या UNFCCC वार्ताओं में प्रमुख चिंता बनी हुई है।

विकास और कार्बनमुक्तीकरण के बीच संतुलन

- भारत जैसे विकासशील देशों को औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा पहुँच के साथ उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों में संतुलन स्थापित करना पड़ता है।

- यह स्थिति विकासात्मक प्राथमिकताओं और वैश्विक कार्बनमुक्तीकरण की अपेक्षाओं के बीच तनाव को दर्शाती है।

आगे की राह

जलवायु कूटनीति को सुदृढ़ करना

- भारत को जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त तथा न्यायसंगत कार्बन स्पेस के मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण की चिंताओं का नेतृत्व जारी रखना चाहिए।
- भविष्य की COP वार्ताओं में रचनात्मक सहभागिता आवश्यक बनी रहेगी।

हरित संक्रमण को गति देना

- नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, विद्युत गतिशीलता तथा सतत अवसंरचना का विस्तार भारत की जलवायु विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।
- जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार होगा।

जलवायु सहनशीलता पर ध्यान

- कृषि, जल संसाधन तथा तटीय क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अनुकूलन रणनीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना तथा आपदा तैयारी सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

COP33 की मेज़बानी की दौड़ से भारत का हटना, UNFCCC ढाँचे के अंतर्गत जलवायु कूटनीति, विकासात्मक प्राथमिकताओं तथा रणनीतिक वार्ताओं के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। यद्यपि इस निर्णय से भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रश्न उठ सकते हैं, फिर भी नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, जलवायु न्याय की वकालत तथा सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत वैश्विक जलवायु शासन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. UNFCCC के अंतर्गत कौन-सा सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है?

(a) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत

(b) सावधानी सिद्धांत

(c) समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)

(d) अंतर-पीढ़ीगत समानता

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक जलवायु शासन में UNFCCC ढाँचे के महत्त्व की चर्चा कीजिए तथा जलवायु वार्ताओं में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना

चर्चा में क्यों: जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को 16वें वित्त आयोग अवधि (2026–27 से 2030–31) तक बढ़ा दिया है, जो भारत के एकीकृत, सतत एवं बेसिन-स्तरीय जल संसाधन प्रबंधन पर बल को दर्शाता है।

मुख्य विवरण

- नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह योजना नदी बेसिन स्तर पर नदियों, सहायक नदियों, झीलों तथा भूजल के एकीकृत नियोजन और सतत प्रबंधन पर केंद्रित है।
- इसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग (CWC) तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) जैसी प्रमुख संस्थाएँ सम्मिलित हैं।
- योजना में ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता तथा सिंधु बेसिन जैसे पारिस्थितिक एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नदी बेसिनों को प्राथमिकता दी गई है।
- इस विस्तार का उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई नियोजन, जलविद्युत विकास तथा पारिस्थितिकीय स्थिरता को सुदृढ़ करना है।

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना – अर्थ एवं महत्त्व

- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:** RBM योजना पूरे नदी बेसिन को एक एकीकृत जलवैज्ञानिक इकाई के रूप में मानती है, न कि नदियों और भूजल का अलग-अलग प्रबंधन करती है। इससे जल संसाधनों का समन्वित नियोजन सुनिश्चित होता है।
- **सतत विकास दृष्टिकोण:** यह योजना सतही जल, भूजल, पारिस्थितिक तंत्र तथा मानवीय आवश्यकताओं के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **वैज्ञानिक बेसिन-स्तरीय नियोजन:** नदी बेसिन जल नियोजन की सर्वाधिक उपयुक्त जलवैज्ञानिक इकाई माने जाते हैं, क्योंकि सभी सहायक नदियाँ, अपवाह नालियाँ तथा भूजल तंत्र आपस में जुड़े होते हैं।
- **जलवायु सहनशीलता:** एकीकृत बेसिन प्रबंधन बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन तथा जलवायु-जनित जल तनाव के विरुद्ध सहनशीलता को बढ़ाता है।

RBM योजना का संस्थागत ढाँचा

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, अपरदन प्रबंधन, जल निकासी विकास तथा सतत नदी बेसिन नियोजन पर कार्य करता है।
- यह असम के माजुली द्वीप जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो गंभीर नदी तटीय अपरदन का सामना कर रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग (CWC)

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सर्वेक्षण, जलवैज्ञानिक अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों जैसे दुर्गम भूभागों में सिंचाई विकास, बाढ़ प्रबंधन तथा जलविद्युत नियोजन को समर्थन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA)

- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण राष्ट्रीय स्तर पर जल नियोजन तथा नदी जोड़ो कार्यक्रम (ILR Programme) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करता है।
- इसका उद्देश्य अधिशेष नदी बेसिनों से जल को जल-अभाव वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर क्षेत्रीय जल असंतुलन को दूर करना है।

RBM योजना का भौगोलिक फोकस

रणनीतिक नदी बेसिन

योजना निम्नलिखित को प्राथमिकता देती है—

- ब्रह्मपुत्र बेसिन
- बराक बेसिन
- तीस्ता बेसिन
- सिंधु बेसिन

ये क्षेत्र जल सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन तथा पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

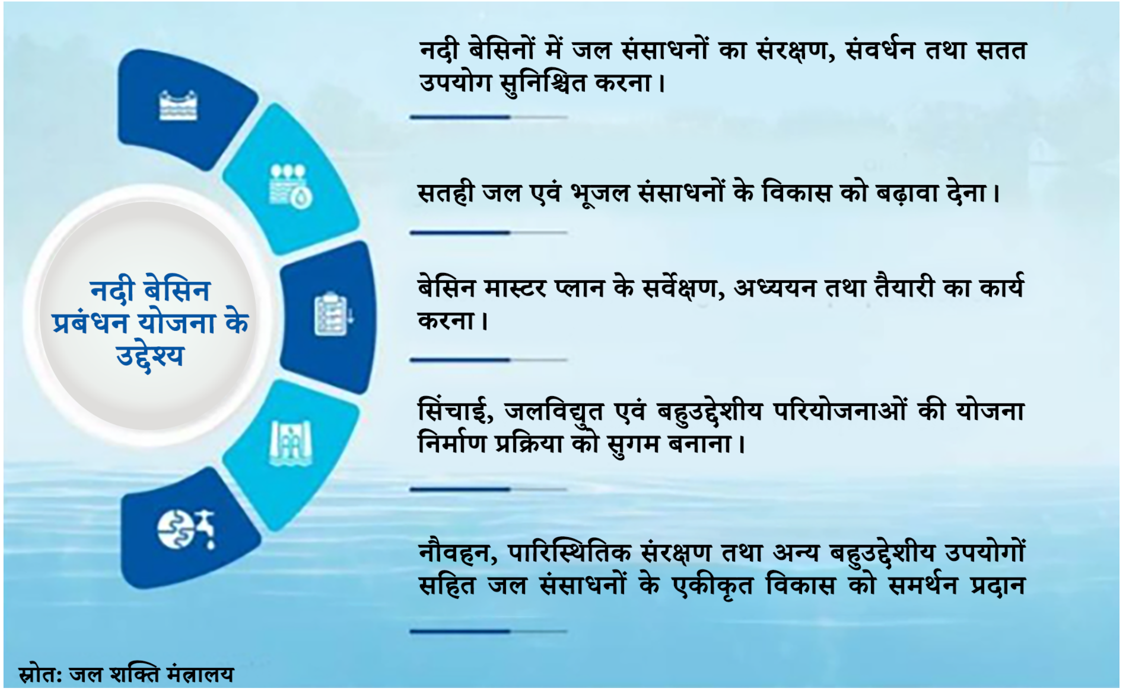

उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

- यह योजना उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और जटिल नदी प्रणालियों के कारण विशेष प्राथमिकता देती है।
- इन क्षेत्रों में विशाल जलविद्युत क्षमता तथा भू-राजनीतिक महत्त्व भी है, क्योंकि यहाँ की अनेक नदियाँ अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की हैं।

RBM योजना के प्रमुख उद्देश्य

बाढ़ एवं अपरदन प्रबंधन

- योजना संवेदनशील आबादी तथा कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण एवं अपरदन-निरोधक उपायों को लागू करती है।
- असम जैसे बाढ़-प्रवण राज्यों में नदी तट संरक्षण एवं जल निकासी सुधार परियोजनाएँ विशेष महत्त्व रखती हैं।

सिंचाई एवं जलविद्युत विकास

- DPR तैयार करने से सिंचाई नेटवर्क के विस्तार तथा जलविद्युत उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा मिलता है।
- हिमालयी नदियों में विशाल अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता उपलब्ध है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

प्रौद्योगिकीय एकीकरण

- RBM योजना में **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), LiDAR मानचित्रण, उपग्रह चित्रण तथा ड्रोन सर्वेक्षण** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- ये तकनीकें स्थलाकृतिक सटीकता, जलवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा आपदा तैयारी को बेहतर बनाती हैं।

सामुदायिक सहभागिता

- यह योजना जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों के बीच **स्प्रिंगशेड प्रबंधन** जैसी स्थानीय जल संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है।
- सामुदायिक भागीदारी जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती है तथा जमीनी स्तर पर जल शासन को मजबूत बनाती है।

नदी बेसिन – अर्थ एवं विशेषताएँ

नदी बेसिन का अर्थ

- नदी बेसिन उस सम्पूर्ण क्षेत्र को कहते हैं, जिसका जल किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। यह जल संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन की एक एकीकृत जलवैज्ञानिक इकाई के रूप में कार्य करता है।
- इसमें नदियाँ, जलधाराएँ, झीलें, भूजल तंत्र तथा प्राकृतिक अपवाह प्रतिरूपों से जुड़े आसपास के जलग्रहण क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

नदी बेसिन की प्रमुख विशेषताएँ

सहायक नदियाँ

- मुख्य नदी में मिल जाने वाली छोटी नदियाँ या जलधाराएँ सहायक नदियाँ कहलाती हैं। वे मुख्य धारा में जल एवं अवसाद पहुँचाती हैं।

संगम

- दो नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। इन स्थलों का भौगोलिक, पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व होता है।

जलविभाजक

- जलविभाजक वह ऊँची सीमा होती है, जो दो अपवाह बेसिनों को अलग करती है। यह सतही जल प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है।

उद्गम एवं मुहाना

- उद्गम वह स्थान है जहाँ से नदी प्रारम्भ होती है, जबकि मुहाना वह स्थान है जहाँ नदी समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में मिलती है।
- उद्गम से मुहाने तक का प्रवाह क्षेत्रीय पारिस्थितिकी, कृषि एवं मानव बस्तियों को प्रभावित करता है।

भारत के नदी बेसिन

नदी बेसिनों का वर्गीकरण

भारत की अपवाह प्रणाली को 20 नदी बेसिन समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें—

- 12 प्रमुख नदी बेसिन
- 8 संयुक्त नदी बेसिन

प्रमुख नदी बेसिन

20,000 वर्ग किमी से अधिक अपवाह क्षेत्र वाले प्रमुख नदी बेसिनों में शामिल हैं—

गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना

1. सिंधु	2. गोदावरी
3. कृष्णा	4. कावेरी
5. महानदी	6. नर्मदा
7. ताप्ती	8. साबरमती
9. माही	10. पेन्नार
11. ब्राह्मणी–बैतरणी	

गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना बेसिन

- गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना भारत के प्रमुख नदी बेसिनों में सबसे बड़ा है और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 11 लाख वर्ग किमी है।
- यह भारत की प्रमुख नदियों के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 43% से अधिक भाग समाहित करता है तथा विशाल जनसंख्या एवं कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है।

संयुक्त नदी बेसिन

- इनमें छोटी नदी प्रणालियाँ तथा तटीय नदियाँ सम्मिलित होती हैं, विशेषकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में।
- उदाहरणों में कच्छ एवं सौराष्ट्र की नदियाँ, सुवर्णरेखा समूह तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तटीय नदियाँ सम्मिलित हैं।

भारत में नदी बेसिन प्रबंधन का महत्त्व

जल सुरक्षा

- एकीकृत बेसिन प्रबंधन सीमित मीठे जल संसाधनों के कुशल एवं सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- यह जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जल तनाव से निपटने में सहायक है।

आपदा प्रबंधन

- नदी बेसिन नियोजन बाढ़, सूखा तथा नदी तटीय अपरदन के प्रति तैयारी को बेहतर बनाता है।
- यह संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन एवं आपदा सहनशीलता को मजबूत करता है।

पारिस्थितिकीय स्थिरता

- नदी बेसिन जैव विविधता, आर्द्रभूमियों, वनों, मत्स्य संसाधनों तथा भूजल पुनर्भरण का समर्थन करते हैं।
- सतत बेसिन प्रबंधन पारिस्थितिक संतुलन एवं पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है।

अंतर-राज्यीय समन्वय

- सभी प्रमुख तथा कई मध्यम नदी बेसिन अंतर-राज्यीय प्रकृति के हैं और ये मिलकर देश के लगभग 81% भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं।
- बेसिन-स्तरीय शासन राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाता है तथा जल-वितरण संबंधी विवादों को कम करता है।

नदी बेसिन प्रबंधन की चुनौतियाँ

- अंतर-राज्यीय जल विवाद एवं प्रतिस्पर्धी जल माँग।
- उद्योगों, कृषि एवं शहरी बस्तियों से होने वाला प्रदूषण।
- भूजल का अत्यधिक दोहन तथा नदी प्रवाह में कमी।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ एवं सूखे की बढ़तीआवृत्ति।
- जल संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी अनेक एजेंसियों के कारण संस्थागत विखंडन।

आगे की राह

- **एकीकृत नदी बेसिन शासन:** राज्यों एवं जल प्रबंधन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित नियोजन:** GIS, उपग्रह निगरानी तथा वास्तविक समय जलवैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग का विस्तार किया जाए।
- **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय जल संरक्षण एवं सहभागी जलग्रहण प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाए।
- **जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना:** सतत बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा प्रबंधन प्रणालियों का विकास किया जाए।
- **पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन:** वैज्ञानिक नियोजन के माध्यम से आर्द्रभूमियों, पुनर्भरण क्षेत्रों तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण किया जाए।

निष्कर्ष

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना भारत में एकीकृत एवं सतत जल शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। नदी बेसिनों को परस्पर जुड़े पारिस्थितिक एवं जलवैज्ञानिक तंत्रों के रूप में देखते हुए यह योजना जल सुरक्षा, आपदा सहनशीलता तथा पर्यावरणीय स्थिरता को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। जलवायु परिवर्तन के युग में विकासात्मक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन नदी जोड़ो कार्यक्रम (ILR Programme) के अंतर्गत व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है?

(a) केंद्रीय भूजल बोर्ड
(b) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(c) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
(d) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में सतत जल संसाधन शासन सुनिश्चित करने में नदी बेसिन प्रबंधन के महत्त्व की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

ऑलिव रिडले टर्टल

जुगनू ताज़ा खबरें

मेघालय में दो नई प्रजातियों की खोज

खबर में क्यों?

वैज्ञानिकों ने हाल ही में जुगनुओं की दो पहले अज्ञात प्रजातियों— **डायाफ्रेनेस मेघालयानस** और **डायाफ्रेनेस मावलिननॉग**— की खोज की है, जो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स की हैं। यह खोज राज्य में जुगनुओं के पहले औपचारिक दस्तावेजीकरण को चिह्नित करती है।

नई प्रजातियों के बारे में

डायाफेनेस मेघालयानस

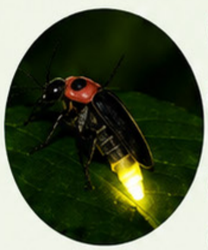

- मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में पाई गई, जो इस क्षेत्र में इसकी व्यापक वितरण को दर्शाती है।
- अर्ध-सदाबहार वनों और पत्थरों वाली नदियों के पास बाँस के झुरमुटों में पाई गई।
- फरवरी के दौरान विशेष रूप से देखी गई।
- ठंडे, नमम स्थितियों में फलती-फूलती है (18–20°C तापमान और 77–80% आर्द्रता)।
- 10–15 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है, और अंधेरे में धीरे-धीरे चमकती है।

डायाफेनेस मावलिननॉग

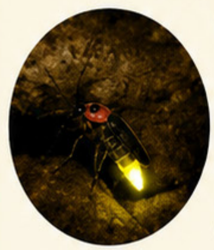

- मावलिननॉग गाँव, जहाँ सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया, में पाई गई।
- स्थानीय खासी समुदाय के बारे में जानकारी देती है।
- आवास-विशिष्ट: घने जंगलों में, बाँस के झुरमुटों और चट्टानी धाराओं के पास रहती है।
- नर जमीन से लगभग 15 मीटर की ऊँचाई पर उड़ते हुए देखे गए।
- जंगली मादा चक्र के दौरान साँस लेने योग्य बोल्डर के नीचे पाई जाती हैं।
- मादाएँ धीमी, लंबे समय तक पल्सेटिंग चमक देती हैं, जो नर की चमक की तुलना में कम होती है।

आवास और पारिस्थितिकी

- दोनों प्रजातियाँ अंधेरे, नम वातावरण में पनपती हैं, जहाँ मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।
- ये अविकसित जंगलों, धाराओं और बाँस के घने क्षेत्रों को पसंद करती हैं।
- स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की संकेतक प्रजातियाँ हैं।

विशेष अवलोकन

डायाफ्रेनेस मेघालयानस

- सक्रिय उड़ने वाली प्रजाति।
- 10–15 मीटर की ऊँचाई पर देखी गई।
- संचार के लिए नरम, लयात्मक चमक का उपयोग करती है।

डायाफ्रेनेस मावलिननॉग

- नर: लगभग 15 मीटर ऊँचाई पर सक्रिय उड़ने वाले।
- मादा: बिना पंख वाली; साँस लेने योग्य बोल्डर के नीचे पाई जाती हैं।
- अलग, लंबे समय तक पल्सेटिंग चमक देती है।

जुगनुओं के बारे में

- परिवार: लैम्पिरिडे
- विश्वव्यापी वितरण, अंटार्कटिका को छोड़कर।
- रासायनिक प्रक्रिया (बायोल्यूमिनेसेंस) के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
- संचार के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं।
- आवास की बाधा और प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील।

पारिस्थितिक महत्व

- छोटे कीटों और कीटों के प्राकृतिक शिकारी।
- वन स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता के संकेतक।
- परागण और पोषक तत्वों के चक्र में सहायता करते हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र के अवक्षय (अपघटन) के संकेतक।

संरक्षण संदेश

- जंगलों, धाराओं और आर्द्रभूमियों के आवास की रक्षा करें।
- प्रकाश प्रदूषण और रासायनिक उपयोग को कम करें।
- समुदाय जागरूकता और नागरिक विज्ञान का समर्थन करें।
- जुगनुओं का संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण का अर्थ है।

त्वरित तथ्य मेघालय में अब जुगनुओं की 2 नई प्रजातियों की दस्तावेजीकरण के साथ पहचान की गई है।

कुगती वन्यजीव अभयारण्य

हिमाचल प्रदेश का उच्च-ऊचाई पर स्थित जैव विविधता का खजाना

ताज़ा खबरें

हाल ही में 'तहर' नामक दुर्लभ सफेद मादा हिमालयी तहर को **चंबा जिले के भरमौर** स्थित कुगती वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज किया गया है।

स्थान मानचित्र

■ कुगती वन्यजीव अभयारण्य
जिला: चंबा
क्षेत्र : भरमौर

कुगती वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह हिमाचल प्रदेश में स्थित दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है।
- यहां प्रसिद्ध **मणिमहेश मंदिर** है, जो कठिन भू-भाग और चरम ठंडी परिस्थितियों के बावजूद हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।
- यह **रवि और चेनाब नदियों** के बीच स्थित है।
- यह **धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य** (दक्षिण-पूर्व) और **तुंधा वन्यजीव अभयारण्य** (उत्तर-पश्चिम) से घिरा हुआ है।
- **ऊँचाई सीमा:** समुद्र तल से 2,195 मीटर से 5,040 मीटर तक।

वनस्पति

- अल्पाइन घास के मैदान
- पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन
- देवदार के नम वन

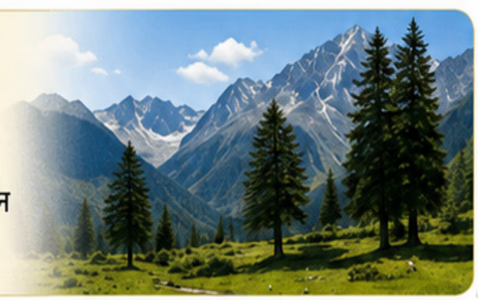

जीव-जंतु (प्रमुख प्रजातियाँ)

नीलकण्ठी भरल

कस्तूरी मृग

मोनाल
हिमालयी तीतर

हिमालयी सूरखा

हिमालयी काला भालू

कोकलास तीतर

वनस्पति (मुख्य प्रजातियाँ)

देवदार
(सेड्रस डियोडारा)

कैल
(पिनस वॉलिचियाना)

स्प्रूस
(पिसया स्थियानी)

इकाई 05

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में किफायती कैंसर उपचार की चुनौती

चर्चा में क्यों: एक हालिया जांच रिपोर्ट में भारत में कैंसर प्रतिरक्षा-चिकित्सा (इम्यूनोथेरेपी) दवा 'कीट्रूडा' (Keytruda) के बढ़ते उपयोग, इसकी अत्यधिक लागत और नकली दवाओं के बढ़ते जोखिम को रेखांकित किया गया है; जिससे इसकी उपलब्धता और नियामक नियंत्रण (विनियमन) को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

मुख्य विवरण

- कीट्रूडा एक प्रतिरक्षा-चिकित्सा (इम्यूनोथेरेपी) दवा है, जिसका उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार में किया जाता है।
- यह एकल-प्रतिरक्षी (Monoclonal Antibody) आधारित उपचार से संबंधित है, जो कीमोथेरेपी की तुलना में कम दुष्प्रभावों के साथ लक्षित उपचार प्रदान करता है।
- इसकी अत्यधिक लागत (लगभग ₹3 लाख प्रति माह) तथा सीमित बीमा कवरेज भारत में इसकी पहुँच को सीमित करते हैं।
- जांच में नकली दवाओं के प्रसार का खुलासा हुआ है, जिससे नियामकीय तथा अस्पताल-स्तरीय कमियाँ सामने आई हैं।

भारत में कैंसर का भार

- **बढ़ती घटनाएँ:** GLOBOCAN के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में कैंसर के लगभग 14.1 लाख मामलों का पंजीकरण हुआ था, जिसके 2045 तक लगभग 73% बढ़कर 24.5 लाख होने का अनुमान है।
- **वृद्धि दर:** कैंसर की घटनाएँ 1990 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 84.8 से बढ़कर 2023 में लगभग 107 प्रति 1 लाख हो गई हैं, जो जीवनशैली परिवर्तन, वृद्ध होती जनसंख्या तथा पर्यावरणीय कारकों को दर्शाती हैं।
- **तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य:** यद्यपि भारत में कैंसर की घटना दर (~98.5 प्रति 1 लाख) ऑस्ट्रेलिया (~462 प्रति 1 लाख) जैसे विकसित देशों की तुलना में कम है, परन्तु विशाल जनसंख्या के कारण कुल रोग-भार अत्यधिक है।
- **मृत्यु संबंधी चिंता:** प्रतिवर्ष 9 लाख से अधिक मौतें देर से निदान, उपचार तक सीमित पहुँच तथा वहनीयता की समस्याओं को दर्शाती हैं।

प्रतिरक्षा-चिकित्सा (इम्यूनोथेरेपी): अवधारणा एवं लाभ

- **परिभाषा:** इम्यूनोथेरेपी ऐसी उपचार पद्धति है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है।
- **कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी से भिन्नता:** जहाँ कीमोथेरेपी स्वस्थ एवं कैंसर दोनों प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, वहीं इम्यूनोथेरेपी लक्षित होती है, जिससे सहायक ऊतकों की क्षति कम होती है तथा जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है।
- **उन्नत कैंसरों में प्रभावशीलता:** अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि इम्यूनोथेरेपी कुछ अंतिम चरण के कैंसरों में जीवन अवधि बढ़ाने तथा कभी-कभी ट्यूमर को समाप्त करने में सक्षम है, जिससे कैंसर विज्ञान में एक नई दिशा मिली है।
- **परिशुद्ध चिकित्सा दृष्टिकोण:** यह व्यक्तिनिष्ठ चिकित्सा (Personalised Medicine) की अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें उपचार आनुवंशिक एवं आणविक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कीट्रूडा और एकल-प्रतिरक्षी

- **कार्यविधि:** कीट्रूडा (पेम्ब्रोलिज़ुमैब) एक PD-1 अवरोधक तथा एकल-प्रतिरक्षी है, जो प्रतिरक्षा जाँच-बिंदुओं (Immune Checkpoints) को अवरुद्ध कर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाता है।
- **लक्षित उपचार:** यह कैंसर से संबंधित विशिष्ट प्रोटीनों से जुड़कर उपचार को अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है।
- **वैश्विक महत्त्व:** इसका उपयोग फेफड़ों के कैंसर, मेलानोमा तथा सिर एवं गर्दन के कैंसर जैसे रोगों के उपचार में व्यापक रूप से किया जाता है तथा इसे आधुनिक चिकित्सा की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
- **उच्च निर्माण जटिलता:** सामान्य दवाओं (जैसे पैरासिटामोल) के विपरीत, एकल-प्रतिरक्षियों (Monoclonal Antibodies) के निर्माण हेतु उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

अन्य उभरती प्रतिरक्षा-चिकित्साएँ

- **CAR-T कोशिका चिकित्सा:** इसमें रोगी की टी-कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित कर कैंसर कोशिकाओं पर आक्रमण करने योग्य बनाया जाता है। भारत की स्वदेशी चिकित्सा NexCAR19 जैव-प्रौद्योगिकी में प्रगति को दर्शाती है।
- **mRNA कैंसर टीके:** ये प्रतिरक्षा प्रणाली को नव-प्रतिजन (Neoantigens) की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे पुनरावृत्ति को रोकने और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है।
- **संयोजन उपचार:** इम्यूनोथेरेपी का उपयोग अक्सर कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी के साथ किया जाता है, जिससे समग्र उपचार परिणाम बेहतर होते हैं।
- **वैश्विक अनुसंधान प्रवृत्तियाँ:** जीनोमिक्स एवं जैव-प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति इम्यूनोथेरेपी को भविष्य के कैंसर उपचार का प्रमुख आधार बना रही है।

भारत में उपलब्धता एवं वहनीयता संबंधी समस्याएँ

- **उच्च लागत की बाधा:** कीट्रूडा की लागत लगभग ₹3 लाख प्रति माह है, जिससे अधिकांश रोगियों के लिए यह बिना बीमा या सहायता के वहन करना कठिन हो जाता है।
- **सीमित बीमा कवरेज:** सामान्य स्वास्थ्य बीमा केवल आंशिक कवरेज प्रदान करते हैं, जबकि विशेष कैंसर बीमा योजनाएँ व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- **रोगी सहायता कार्यक्रम:** औषधि कंपनियाँ कुछ योजनाएँ (जैसे प्रारंभिक खरीद के बाद निःशुल्क उपचार) प्रदान करती हैं, परन्तु पात्रता संबंधी प्रतिबंधों के कारण इनकी पहुँच सीमित रहती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ:** CGHS जैसी योजनाओं के अंतर्गत कुछ सहायता उपलब्ध है, परन्तु मांग की तुलना में कवरेज अपर्याप्त है।

पेटेंट, मूल्य निर्धारण एवं बाज़ार की गतिशीलता

- **पेटेंट संरक्षण:** उच्च कीमतें मुख्यतः पेटेंट एकाधिकार के कारण हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है।
- **संभावित मूल्य में कमी:** वर्ष 2028 में कीट्रूडा का पेटेंट समाप्त होने के बाद जेनेरिक दवाओं के प्रवेश से इसकी कीमतों में लगभग 70% तक कमी आने की संभावना है।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** भारत ने कुछ कैंसर दवाओं पर मूल सीमा शुल्क समाप्त किया है, जिससे उनकी वहनीयता बढ़ाई जा सके।
- **वैश्विक असमानता:** जीवनरक्षक उपचारों तक पहुँच अभी भी असमान है, जो विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर को उजागर करती है।

नकली दवाओं की समस्या एवं नियामकीय कमियाँ

- **नकली दवाओं का बाज़ार:** जांच में कीट्रूडा जैसी महँगी कैंसर दवाओं के लिए बढ़ते नकली बाज़ार का खुलासा हुआ है।
- **प्रणालीगत विफलताएँ:** अस्पताल स्तर की सुरक्षा कमियाँ, अंदरूनी मिलीभगत तथा आपूर्ति श्रृंखला की कमजोर निगरानी प्रमुख समस्याएँ हैं।
- **रोगी जोखिम:** नकली दवाएँ उपचार विफलता, स्वास्थ्य जटिलताओं तथा स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास में कमी का कारण बन सकती हैं।
- **नियामकीय चुनौतियाँ:** भारत में दवाओं की अनुरेखण क्षमता (Drug Traceability), प्रवर्तन तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में कमियाँ विद्यमान हैं।

स्वास्थ्य शासन एवं नैतिक चिंताएँ

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और गरिमा के अधिकार से जुड़े व्यापक विमर्श से संबंधित है।
- **सार्वजनिक बनाम निजी स्वास्थ्य सेवा:** उन्नत उपचारों के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता जेब से होने वाले व्यय (OOPE) को बढ़ाती है।
- **नैतिक प्रश्न:** आवश्यक दवाओं के लाभ-आधारित मूल्य निर्धारण से औषधीय नैतिकता तथा वैश्विक न्याय से जुड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- **नियमन की आवश्यकता:** नवाचार को प्रोत्साहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु अधिक सुदृढ़ नियामकीय व्यवस्था आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत को कैंसर उपचार की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत—

- जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना,
- नियामकीय तंत्र को सुदृढ़ करना,
- बीमा कवरेज का विस्तार करना,
- तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।

दवा अनुरेखण प्रणालियों को सुदृढ़ करना तथा प्रतिरक्षा-चिकित्सा में स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करना उपलब्धता में सुधार ला सकता है। अंततः, किफायती एवं सुरक्षित कैंसर उपचार सुनिश्चित करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए अनिवार्य है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. कीट्रूडा (Keytruda) किससे संबंधित है?

(a) प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) चिकित्सा

(b) एकल-प्रतिरक्षी आधारित कैंसर उपचार

(c) विषाणुजनित रोगों के लिए टीका

(d) हार्मोन चिकित्सा

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में उच्च लागत वाली जीवनरक्षक दवाओं से संबंधित नियामकीय एवं नैतिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। समान एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

चंद्र अन्वेषण एवं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों: अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत अप्रैल 2026 में आर्टेमिस-II मिशन ने चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर लगभग 10 दिनों की यात्रा पर भेजा। यह मिशन अपोलो-17 के बाद पहली मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा थी और चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण

- आर्टेमिस-II मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया।
- इसमें चार अंतरिक्ष यात्री—रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हैनसेन—शामिल थे। मिशन 10 अप्रैल 2026 को पृथ्वी पर लौट आया।
- आर्टेमिस-II अपोलो-17 (1972) के बाद पहली मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा थी।
- नासा का उद्देश्य दीर्घकालिक निवास के लिए **चंद्रमा पर स्थायी मानव आधार** स्थापित करना है।
- चंद्रमा को मंगल सहित **अधिक गहरे अंतरिक्ष अभियानों के प्रक्षेपण केंद्र** के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- भारत, चीन और जापान जैसे देशों की बढ़ती भागीदारी **बहुध्रुवीय अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा** को दर्शाती है।

आर्टेमिस कार्यक्रम एवं चंद्र अभियानों का विकास

- **अन्वेषण से स्थायित्व की ओर परिवर्तन:** अपोलो कार्यक्रम मुख्यतः चंद्रमा पर मानव को भेजने और वैज्ञानिक अन्वेषण पर केंद्रित था, जबकि आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य के मंगल अभियानों की नींव तैयार करना है।
- **चरणबद्ध मिशन संरचना:** आर्टेमिस-I ने मानवयुक्त चंद्र अभियानों के लिए आवश्यक प्रणालियों का परीक्षण किया। इसके बाद आर्टेमिस-II को अप्रैल 2026 में चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा के चारों ओर भेजा गया।
- **आर्टेमिस-III:** फरवरी 2026 में नासा ने आर्टेमिस-III की योजना में बदलाव किया। अब इसे 2027 में निम्न पृथ्वी कक्षा में परीक्षण मिशन के रूप में संचालित करने की योजना है, जिसमें वाणिज्यिक चंद्र लैंडर प्रणालियों के साथ डॉकिंग और अन्य तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा।
- **आर्टेमिस-IV:** नासा ने 2028 में पहली नियोजित आर्टेमिस चंद्र लैंडिंग का लक्ष्य रखा है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में भेजने की योजना है
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समावेशन:** नासा अब **स्पेसएक्स** जैसी निजी कंपनियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर अधिक निर्भर है, जो अंतरिक्ष के बढ़ते व्यावसायीकरण को दर्शाता है।

चंद्रमा का रणनीतिक महत्त्व

- **गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रवेश द्वार:** चंद्रमा मंगल अभियानों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, जीवन-समर्थन प्रणालियों तथा दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा के परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।
- **स्थानीय संसाधनों का उपयोग (ISRU):** चंद्र संसाधन, जैसे जल-बर्फ (ऑक्सीजन एवं ईंधन के लिए), पृथ्वी पर निर्भरता को कम करते हुए सतत अभियानों को संभव बना सकते हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमता:** चंद्रमा प्रारंभिक सौरमंडल, भूवैज्ञानिक विकास तथा अंतरिक्षीय अपक्षय प्रक्रियाओं के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- **भूराजनैतिक महत्त्व:** चंद्र आधार की स्थापना अंतरिक्ष में रणनीतिक प्रभुत्व को सुदृढ़ करती है, जिस प्रकार समुद्री प्रभुत्व ने वैश्विक शक्ति को प्रभावित किया।

स्थायी चंद्र आधार एवं अंतरिक्ष अवसंरचना

- **चंद्र आवास की अवधारणा:** नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समान एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे निरंतर मानव उपस्थिति संभव हो सके।
- **नियमित मिशन एवं रसद प्रबंधन:** छह माह के अंतराल पर अंतरिक्ष यात्रियों, ईंधन तथा उपकरणों को भेजने की योजना है, जिससे सतत संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- **तकनीकी आवश्यकताएँ:** प्रमुख चुनौतियों में विकिरण से सुरक्षा, अत्यधिक तापमान (-173°C से 127°C) तथा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के अनुकूलन के लिए उन्नत अभियांत्रिकी समाधान शामिल हैं।
- **नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग:** नासा की नाभिकीय ऊर्जा चालित प्रणोदन प्रणाली (जैसे Space Reactor-1) अंतरग्रहीय अभियानों की दक्षता को बढ़ा सकती है।

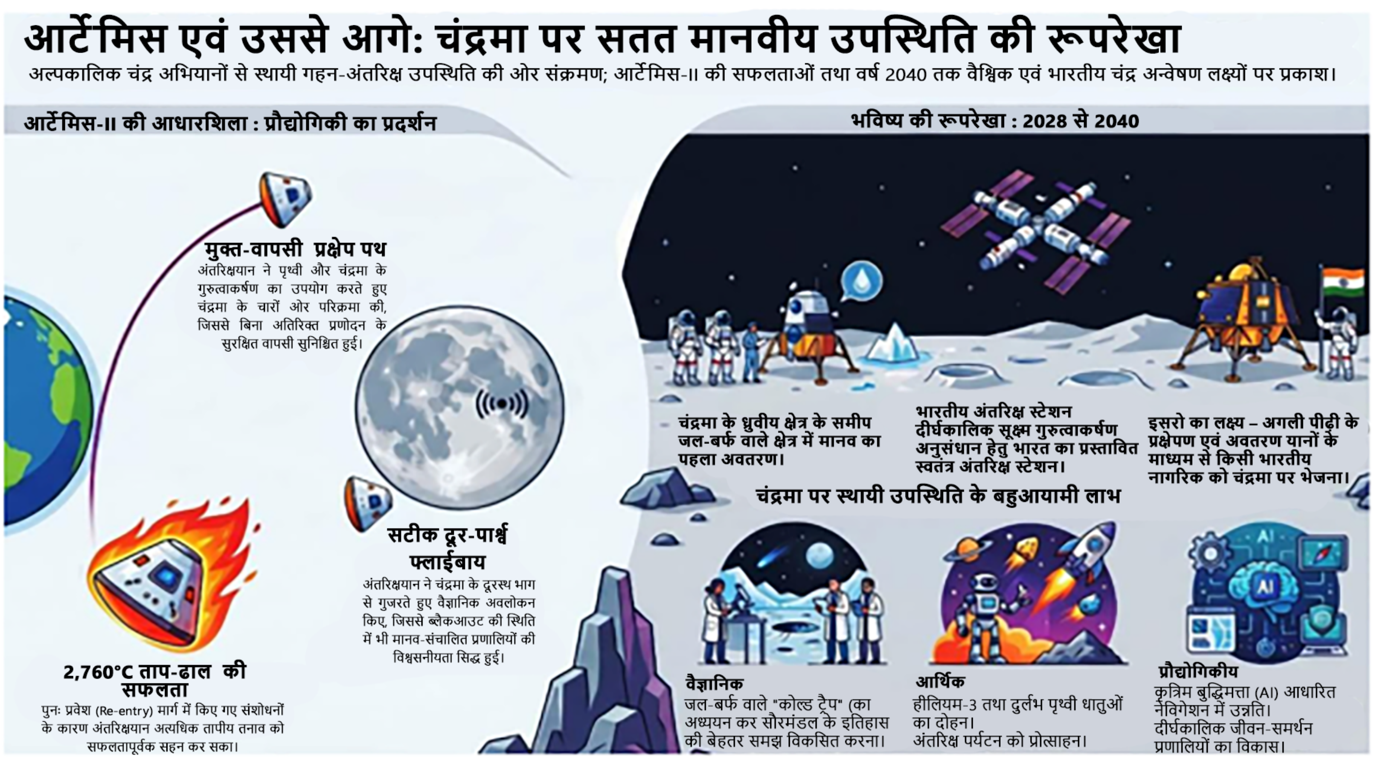

परिवर्तित वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य

- **द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा की ओर:** शीत युद्ध काल की अमेरिका-सोवियत प्रतिस्पर्धा के विपरीत, आज अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत, चीन, जापान तथा निजी कंपनियों सहित अनेक पक्ष शामिल हैं।
- **भारत की बढ़ती भूमिका:** चंद्रयान-3 तथा गगनयान जैसे अभियानों के माध्यम से इसरो एक प्रमुख वैश्विक भागीदार के रूप में उभरा है।
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का उदय:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसे उपग्रह सेवाएँ, अन्वेषण और व्यावसायीकरण गति प्रदान करेंगे।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) शांतिपूर्ण उपयोग, संसाधन साझाकरण तथा वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

चंद्र अन्वेषण से जुड़ी चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **उच्च लागत एवं स्थायित्व:** अंतरिक्ष अभियानों में अत्यधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे विशेषकर विकासशील देशों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अंतरिक्ष शासन से जुड़े प्रश्न:** बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 जैसे वर्तमान ढाँचों में संसाधनों के दोहन एवं स्वामित्व अधिकारों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** बढ़ते अभियानों से अंतरिक्ष मलबे तथा खगोलीय पिंडों पर पारिस्थितिकीय व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।
- **तकनीकी एवं मानव जोखिम:** दीर्घकालिक अभियानों में विकिरण, मनोवैज्ञानिक तनाव तथा प्रणालीगत विफलताओं जैसे जोखिम विद्यमान हैं।

भारत की भूमिका एवं भविष्य की संभावनाएँ

- भारत 2023 में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ
- भारत शांतिपूर्ण, पारदर्शी तथा सहयोगात्मक अंतरिक्ष उपयोग के प्रति प्रतिबद्ध है।
- भारत का गगनयान कार्यक्रम भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- अंतरिक्ष विजन 2047 के तहत भारत ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station—BAS) स्थापित करने तथा 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- अवसर:
  - ➢ पेलोड एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में योगदान।
  - ➢ संयुक्त अभियानों में सहयोग।
  - ➢ वैश्विक ढाँचों के अंतर्गत चंद्र विकास कार्यक्रमों में भागीदारी।

निष्कर्ष

आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण से अंतरिक्ष में सतत मानव उपस्थिति की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जो चंद्रमा को मंगल तथा उससे आगे के अभियानों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करता है। भारत के लिए यह अपने अंतरिक्ष कौशल को सुदृढ़ करने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। नवाचार, स्थिरता तथा वैश्विक अंतरिक्ष शासन पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा निर्धारित करने में निर्णायक होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आर्टेमिस कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) इसका उद्देश्य केवल चंद्रमा का रोबोटिक अन्वेषण करना है।

(b) इसका उद्देश्य चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना है।

(c) यह केवल नासा और रोस्कोस्मोस का संयुक्त मिशन है।

(d) यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्थान लेता है।

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरिक्ष में अन्वेषण से निवास की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन को दर्शाता है।" वैश्विक अंतरिक्ष भू-राजनीति तथा भारत के संदर्भ में इसके महत्त्व की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

सिक्स सिग्मा मानक एवं इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS)

चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सिक्स सिग्मा मानकों को अपनाने तथा घरेलू डिज़ाइन क्षमताओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अनुपालन न करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अंतर्गत मिलने वाले लाभ वापस लिए जा सकते हैं।

मुख्य विवरण

- सिक्स सिग्मा एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति है, जिसका लक्ष्य प्रति दस लाख अवसरों पर केवल 3.4 दोष (DPMO) रखना है।
- सरकार ने ECMS प्रोत्साहनों को वैश्विक विनिर्माण गुणवत्ता मानकों तथा घरेलू डिज़ाइन क्षमता को अपनाने से जोड़ा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) वर्ष 2025 में ₹22,919 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ प्रारंभ की गई थी, जिसे 2026–27 के बजट में बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया।
- वर्ष 2026 तक लगभग ₹61,000 करोड़ मूल्य की 75 परियोजनाओं को ECMS के अंतर्गत स्वीकृति दी जा चुकी है।
- इस योजना का उद्देश्य 2030–31 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के भारत के लक्ष्य को समर्थन देना है।

सिक्स सिग्मा मानक – अर्थ एवं महत्त्व

- **सिक्स सिग्मा का अर्थ:** सिक्स सिग्मा एक आँकड़ा-आधारित गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति है, जिसका उद्देश्य दोषों को न्यूनतम करना और विनिर्माण की परिशुद्धता में सुधार करना है।
- **लक्ष्य मानक:** इसका उद्देश्य प्रति दस लाख अवसरों पर केवल 3.4 दोष (DPMO) तक सीमित रखते हुए लगभग त्रुटिरहित उत्पादन सुनिश्चित करना है।
- **उद्गम:** सिक्स सिग्मा का विकास मोटोरोला कंपनी में 1980 के दशक में हुआ था।
- **मूल सिद्धांत:** यह प्रक्रिया सुधार, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, दक्षता तथा अपव्यय में कमी पर बल देता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सिक्स सिग्मा का महत्त्व

- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता:** अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ सिक्स सिग्मा-प्रमाणित विनिर्माण मानकों वाले विक्रेताओं को प्राथमिकता देती हैं।
- **परिशुद्ध विनिर्माण:** संवेदनशील सूक्ष्म अवयवों एवं अर्धचालकों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:** वैश्विक गुणवत्ता मानकों को अपनाने से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** उच्च गुणवत्ता वाला घरेलू विनिर्माण आयात पर निर्भरता कम करता है तथा आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS)

ECMS के बारे में

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की प्रमुख पहल है।
- योजना को अप्रैल 2025 में अधिसूचित किया गया था और इसका प्रारंभिक परिव्यय ₹22,919 करोड़ निर्धारित किया गया।
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की पूरी मूल्य शृंखला में घरेलू क्षमता और आपूर्ति शृंखला विकसित करना है।
- योजना का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के उत्पादन को बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना है।

ECMS के उद्देश्य

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों में आयात निर्भरता को कम करना।
- स्वदेशी डिज़ाइन एवं नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना।
- बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में स्थापित करना।

ECMS के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना

- ECMS में पात्र कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए टर्नओवर-आधारित तथा पूंजीगत निवेश-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।
- कुछ प्रोत्साहन रोजगार सृजन से जुड़े हुए हैं।
- उत्पादन लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने वाली कंपनियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ दिए जाते हैं।
- इस योजना की अवधि छह वर्ष है तथा टर्नओवर-आधारित लाभों के लिए एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि निर्धारित है।

ECMS के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक घटक

- यह योजना मोबाइल फोन के बिल ऑफ मैटेरियल (BoM) के लगभग 90% भाग को कवर करती है, जिनमें शामिल हैं—
  - ➢ कैमरा मॉड्यूल
  - ➢ डिस्प्ले मॉड्यूल
  - ➢ बहु-स्तरीय मुद्रित परिपथ बोर्ड (PCB)
  - ➢ संधारित्र एवं प्रतिरोधक
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उपकरण तथा पूंजीगत मशीनरी।

ECMS और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र

अन्य योजनाओं के साथ समन्वय

- ECMS निम्नलिखित के साथ कार्य करती है—
  - ➢ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)
  - ➢ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ
  - ➢ संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना
- इस समन्वित दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत में एक पूर्ण "प्लग-एंड-प्ले" इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

ECMS का आर्थिक महत्त्व

- अगले छह वर्षों में यह योजना लगभग ₹10.34 लाख करोड़ के उत्पादन का सृजन कर सकती है।
- इससे लगभग 1.41 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तथा अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज कर चुका है।
- भारत सेवाओं के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखता है।

सरकार द्वारा अपेक्षित प्रमुख सुधार

गुणवत्ता उन्नयन

- निर्माताओं को सिक्स सिग्मा मानकों तथा वैश्विक गुणवत्ता मानकों को अपनाना होगा।
- इससे वैश्विक बाजारों में विश्वसनीयता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी।

आंतरिक डिज़ाइन क्षमता

- सरकार आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता के बजाय स्वदेशी उत्पाद डिज़ाइन पर बल देती है।
- डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण घरेलू मूल्य संवर्धन तथा नवाचार क्षमता को बढ़ाता है।

घरेलू आपूर्ति शृंखला का विकास

- "स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र" को बढ़ावा देकर विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- इससे रणनीतिक एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलता है।

कौशल विकास

- एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यबल तैयार करने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- अर्धचालक निर्माण तथा परिशुद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए कौशल विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जवाबदेही एवं अनुपालन

- सरकार ने लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों से समयबद्ध सुधारों की अपेक्षा की है।
- गुणवत्ता एवं डिज़ाइन मानकों को पूरा न करने वाली कंपनियों को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियाँ

- अर्धचालक घटकों एवं कच्चे माल के आयात पर अत्यधिक निर्भरता।

- सीमित घरेलू अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र।
- वैश्विक विनिर्माण केंद्रों की तुलना में उच्च रसद एवं अवसंरचना लागत।
- उच्च कौशल वाले अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंताओं की कमी।
- चीन, वियतनाम तथा ताइवान जैसे देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा।

आगे की राह

- **घरेलू अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना:** नवाचार तथा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- **गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना:** सिक्स सिग्मा तथा वैश्विक प्रमाणन मानकों को सार्वभौमिक रूप से अपनाना आवश्यक है।
- **अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:** अर्धचालक विनिर्माण तथा घटकों के स्थानीयकरण को गति देना।
- **कुशल कार्यबल का विस्तार:** विशेष तकनीकी शिक्षा तथा उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण में निवेश करना।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से एकीकरण:** निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना तथा दीर्घकालिक वैश्विक निवेश आकर्षित करना।

निष्कर्ष

ECMS के अंतर्गत सिक्स सिग्मा मानकों को अपनाना भारत के निम्न-मूल्य असेंबली कार्यों से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है। गुणवत्ता उन्नयन, घरेलू नवाचार तथा आपूर्ति शृंखला के स्थानीयकरण के माध्यम से भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने तथा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. सिक्स सिग्मा पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आँकड़ा-आधारित प्रक्रिया सुधार एवं गुणवत्ता प्रबंधन की पद्धति है।
2. इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं में दोषों को कम करना तथा उनकी दक्षता और स्थिरता में सुधार करना है।
3. इसमें DMAIC जैसी संरचित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के महत्त्व की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मेथनॉल बंकरिंग

चर्चा में क्यों: दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने अपनी मेथनॉल बंकरिंग क्षमताओं को उन्नत किया है, जो भारत के हरित नौवहन (ग्रीन शिपिंग) की दिशा में संक्रमण तथा वर्ष 2050 तक समुद्री क्षेत्र में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विवरण

- दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने 2 अप्रैल 2026 को भारत का पहला तट-से-पोत (Shore-to-Ship) मेथनॉल बंकरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
- मेथनॉल बंकरिंग तैयारी के लिए पोर्ट रेडीनेस लेवल (PRL) पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह एवं हार्बर संघ (IAPH) द्वारा इसे **स्तर-6 रेटिंग** प्रदान की गई।
- यह पहल नौवहन में **ई-मेथनॉल** और **ई-अमोनिया** जैसे निम्न-कार्बन ईंधनों को अपनाने को बढ़ावा देती है।
- भारत अपने समुद्री क्षेत्र को वर्ष 2050 तक **शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** के वैश्विक लक्ष्य के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहा है।
- दीनदयाल पोर्ट वर्ष 2028–29 तक लगभग 500 KTPA RFNBO-अनुपालक ई-मेथनॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

मेथनॉल – अर्थ एवं विशेषताएँ

मेथनॉल का अर्थ

- मेथनॉल एक सरलतम अल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र CH_3OH है। इसे सामान्यतः **वुड अल्कोहल** भी कहा जाता है।
- यह रंगहीन, ज्वलनशील और विषैला द्रव है।
- मेथनॉल का उपयोग रासायनिक उद्योग, विलायक, ईंधन तथा विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है।
- समुद्री क्षेत्र में इसका उपयोग पारंपरिक समुद्री ईंधनों के विकल्प के रूप में बढ़ रहा है, विशेषकर **द्वि-ईंधन (Dual-Fuel) पोतों** में

मेथनॉल का उत्पादन

- पारंपरिक रूप से मेथनॉल का उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक गैस से प्राप्त संश्लेषण गैस के माध्यम से किया जाता है।
- मेथनॉल का उत्पादन कोयला, बायोमास तथा नगरपालिका अपशिष्ट जैसे विभिन्न फीडस्टॉक से भी किया जा सकता है।
- ई-मेथनॉल (E-Methanol) का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से किया जा सकता है।
- ई-मेथनॉल की वास्तविक जलवायु उपयोगिता उसके पूरे **जीवन-चक्र उत्सर्जन** और प्रयुक्त ऊर्जा एवं कार्बन स्रोत पर निर्भर करती है।

मेथनॉल के प्रमुख गुण :

- मेथनॉल जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है।
- इसमें सल्फर नहीं होता, इसलिए इसके उपयोग से सल्फर ऑक्साइड (SOx) उत्सर्जन को बहुत कम किया जा सकता है।
- इसके उपयोग से पारंपरिक भारी ईंधन तेल की तुलना में कणीय पदार्थ (Particulate Matter) और कुछ अन्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।
- मेथनॉल ज्वलनशील और विषैला होता है, इसलिए इसके भंडारण, परिवहन तथा बंकरिंग के दौरान विशेष सुरक्षा उपाय आवश्यक होते हैं।

मेथनॉल बंकरिंग – अर्थ एवं महत्त्व

बंकरिंग का अर्थ

- बंकरिंग से आशय समुद्री परिचालन हेतु जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से है।
- मेथनॉल बंकरिंग में तट-से-पोत अथवा पोत-से-पोत स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से जहाजों को मेथनॉल ईंधन उपलब्ध कराया जाता है।

मेथनॉल बंकरिंग का महत्त्व

- मेथनॉल एक प्रमुख निम्न-कार्बन समुद्री ईंधन के रूप में उभर रहा है, जो नौवहन क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है।
- यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अंतर्गत वैश्विक समुद्री कार्बन-उन्मूलन लक्ष्यों का समर्थन करता है।

हरित नौवहन एवं समुद्री कार्बन-उन्मूलन

हरित नौवहन का अर्थ

- हरित नौवहन से तात्पर्य पर्यावरण-अनुकूल समुद्री परिवहन पद्धतियों से है, जिनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण एवं पारिस्थितिकीय क्षति को कम करना है।
- इसमें स्वच्छ ईंधनों, ऊर्जा-कुशल पोतों तथा सतत बंदरगाह अवसंरचना को अपनाना शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का नेट-जीरो लक्ष्य

- वैश्विक समुद्री क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- वर्तमान में नौवहन क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3% योगदान देता है, जिससे कार्बन-उन्मूलन आवश्यक हो जाता है।

वैकल्पिक समुद्री ईंधन

- ई-मेथनॉल, ई-अमोनिया, हरित हाइड्रोजन, एलएनजी तथा जैव-ईंधन को भारी ईंधन तेल के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- निम्न जीवन-चक्र कार्बन उत्सर्जन के कारण ई-मेथनॉल तथा ई-अमोनिया को अत्यंत संभावनाशील माना जाता है।

कांडला बंदरगाह पहल का महत्त्व

रणनीतिक भौगोलिक स्थिति

- दीनदयाल पोर्ट गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।
- इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पश्चिमी भारत तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण बनाती है।
- भविष्य में यह वैकल्पिक समुद्री ईंधनों की आपूर्ति तथा हरित नौवहन गलियारों के विकास में भूमिका निभा सकता है।

मौजूदा अवसंरचनात्मक लाभ

- कांडला बंदरगाह पहले से ही ग्रे मेथनॉल कार्गो का संचालन करता रहा है तथा इसके पास भंडारण टैंक, जेट्टी तथा पाइपलाइन जैसी उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध है।
- इससे नई अवसंरचना की आवश्यकता कम हुई तथा तैयारी की गति बढ़ी।

भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना

- हरित ईंधन अवसंरचना का विकास अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार एवं रसद क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
- यह भारत को सतत नौवहन तथा समुद्री ईंधन आपूर्ति शृंखलाओं के भविष्य के केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

पोर्ट रेडीनेस लेवल (PRL) रूपरेखा

PRL का अर्थ

- अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह एवं हार्बर संघ द्वारा विकसित पोर्ट रेडीनेस लेवल (PRL) रूपरेखा वैकल्पिक समुद्री ईंधनों के लिए बंदरगाहों की तैयारी का आकलन करती है।
- यह अवसंरचना, सुरक्षा मानकों, परिचालन क्षमता तथा विनियामक अनुपालन का मूल्यांकन करती है।

कांडला की उपलब्धि

- कांडला बंदरगाह ने स्तर-6 तैयारी प्राप्त की है, जो मेथनॉल बंकरिंग गतिविधियों के लिए उन्नत परिचालन तैयारी को दर्शाता है।
- यह रेटिंग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं सततता मानकों के अनुरूपता को प्रतिबिंबित करती है।

नवीकरणीय गैर-जैविक मूल के ईंधन (RFNBO)

RFNBO का अर्थ

- RFNBO ऐसे ईंधनों को संदर्भित करता है जो नवीकरणीय विद्युत तथा गैर-जैविक स्रोतों से उत्पादित होते हैं, जैसे हरित हाइड्रोजन आधारित ई-मेथनॉल और ई-अमोनिया।
- ये ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में जीवन-चक्र कार्बन उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करते हैं।

समुद्री क्षेत्र में महत्त्व

- RFNBO-अनुपालन ईंधन भविष्य के वैश्विक नौवहन विनियमों तथा कार्बन कटौती लक्ष्यों के केंद्र में होंगे।
- इनका उपयोग नौवहन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय सततता मानकों का पालन करने में सहायता कर सकता है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण में मेथनॉल की भूमिका

स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन

- मेथनॉल पारंपरिक समुद्री ईंधनों की तुलना में कम सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कणीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है।
- यह स्वच्छ परिवहन तथा औद्योगिक कार्बन-उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा

- मेथनॉल का उत्पादन देश के भीतर बायोमास, कोयला तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जा सकता है।
- इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।

आर्थिक अवसर

- मेथनॉल अर्थव्यवस्था हरित ईंधन, जहाज निर्माण, बंदरगाह अवसंरचना तथा रसद क्षेत्र में निवेश के अवसर उत्पन्न कर सकती है।
- इससे स्वच्छ ऊर्जा तथा समुद्री उद्योगों में नए रोजगार अवसर भी सृजित हो सकते हैं।

मेथनॉल-आधारित समुद्री संक्रमण की चुनौतियाँ

अवसंरचना लागत

- मेथनॉल भंडारण, स्थानांतरण तथा बंकरिंग प्रणालियों के विकास के लिए बड़े निवेश तथा विशेष अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
- वैकल्पिक ईंधनों के सुरक्षित संचालन हेतु बंदरगाहों को उन्नत सुरक्षा तंत्र तथा परिचालन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

प्रौद्योगिकीय संक्रमण

- अधिकांश मौजूदा जहाज पारंपरिक ईंधनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिन्हें मेथनॉल आधारित प्रणालियों के लिए पुनः अनुकूलित करना होगा।
- यह परिवर्तन नौवहन कंपनियों के लिए महँगा सिद्ध हो सकता है।

विनियामक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- मेथनॉल विषैला होता है, अतः रिसाव, आग तथा पर्यावरणीय जोखिमों को रोकने के लिए कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल आवश्यक हैं।
- वैकल्पिक समुद्री ईंधनों के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नियम अभी विकसित हो रहे हैं।

हरित समुद्री संक्रमण को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें

- समुद्री भारत दृष्टि 2030
- सरकार का उद्देश्य समुद्री भारत दृष्टि 2030 के अंतर्गत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना तथा सतत समुद्री अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
- हरित ईंधनों को अपनाना तथा स्मार्ट बंदरगाह इस रणनीति के प्रमुख घटक हैं।

हरित नौवहन गलियारों का विकास

- भारत प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ने वाले वैश्विक हरित नौवहन गलियारों हेतु साझेदारियों का अन्वेषण कर रहा है।
- कांडला की मेथनॉल बंकरिंग पहल इन उभरते सतत व्यापार नेटवर्कों में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करती है।

आगे की राह

- हरित ईंधन अवसंरचना का विस्तार: प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर मेथनॉल, अमोनिया तथा हाइड्रोजन हेतु बंकरिंग सुविधाओं का विकास करना।
- स्वदेशी हरित ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना: हरित मेथनॉल एवं नवीकरणीय हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- विनियामक ढाँचे को सुदृढ़ करना: वैकल्पिक समुद्री ईंधनों हेतु वैश्विक मानकों के अनुरूप सुरक्षा एवं परिचालन नियम विकसित करना।
- प्रौद्योगिकीय नवाचार को बढ़ावा देना: द्वि-ईंधन पोतों, पुनर्रूपांतरण तकनीकों तथा हरित जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना: हरित नौवहन गलियारों तथा जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए वैश्विक समुद्री संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण में मेथनॉल बंकरिंग की उन्नति भारत के सतत समुद्री विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ ईंधनों एवं भविष्य के अनुरूप अवसंरचना को अपनाकर भारत वैश्विक हरित नौवहन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। यह पहल जलवायु प्रतिबद्धताओं, ऊर्जा सुरक्षा तथा दीर्घकालिक समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन प्रदान करते हुए भारत की शुद्ध-शून्य समुद्री भविष्य की यात्रा को गति प्रदान करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मेथनॉल को एक महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक समुद्री ईंधन मुख्यतः क्यों माना जाता है?

(a) यह डीज़ल की तुलना में अधिक सल्फर उत्सर्जन करता है।

(b) यह पूर्णतः अज्वलनशील है।

(c) यह अधिक स्वच्छ रूप से जलता है तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है।

(d) इसका उत्पादन केवल कच्चे तेल से किया जा सकता है।

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की समुद्री कार्बन-उन्मूलन रणनीति में मेथनॉल बंकरिंग के महत्त्व तथा सतत नौवहन लक्ष्यों की प्राप्ति में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

इकाई 06

रक्षा एवं सुरक्षा

प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाना : पनडुब्बी प्रभुत्व के माध्यम से

चर्चा में क्यों: **आईएनएस अरिधमान** चर्चा में आया जब रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने इसके कमीशनिंग (सेवा में शामिल होने) के संकेत दिए। यह भारत के **परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम** में प्रगति तथा समुद्र-आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का संकेत है।

मुख्य विवरण

- **तीसरी SSBN:** आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN)।
- **अधिक मारक क्षमता:** 24 तक K-15 तथा 8 K-4/K-5 मिसाइलें ले जाने में सक्षम।
- **परमाणु त्रयी को सुदृढ़ बनाती है:** (थल, जल और वायु आधारित क्षमता)।
- हिन्द महासागर क्षेत्र में द्वितीय प्रहार क्षमता (Second-Strike Deterrence) को मजबूत करती है।
- स्वदेशी रक्षा एवं पनडुब्बी क्षमता को बढ़ावा देती है।

आईएनएस अरिधमान का कमीशनिंग

- अप्रैल 3 को राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच X पर "अरिधमान" का उल्लेख किया, जिससे इसके कमीशनिंग की अटकलें तेज हुईं।
- आईएनएस अरिधमान भारत के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम की **तीसरी SSBN** है।
- इससे पूर्व की पनडुब्बियाँ: **आईएनएस अरिहंत (2016)** तथा **आईएनएस अरिघात (2024)**।
- एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के अनुसार अंतिम परीक्षण चरण में थी।
- अगली अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी भी शीघ्र कमीशन होने की संभावना है।

आईएनएस अरिधमान की उन्नत क्षमताएँ

- बड़ी पनडुब्बी (~7000 टन) तथा अधिक मारक क्षमता।
- **24 तक K-15 सागरिका मिसाइलें** ले जा सकती है।
- **8 परमाणु-सक्षम K-4/K-5 मिसाइलों** की तैनाती भी कर सकती है।
- पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में महत्वपूर्ण उन्नयन (जो कम मिसाइलें ले जाती थीं)।
- SSBN बेड़े में क्रमिक तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत की परमाणु त्रयी को सुदृढ़ बनाना

- भारत की परमाणु त्रयी (थल, वायु एवं जल आधारित क्षमता) को मजबूत करती है।
- भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेणी में स्थापित करती है।
- द्वितीय प्रहार क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है।
- भारत की 'प्रथम प्रयोग नहीं' (No First Use) परमाणु नीति का समर्थन करती है।
- चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है।

आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति

- युद्ध अब **बहु-क्षेत्रीय (Multi-Domain)** हो गया है (थल, जल और वायु परस्पर जुड़े हुए हैं)।
- हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है।
- पश्चिम एशिया के संघर्षों ने समुद्री क्षेत्रों (जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य) की संवेदनशीलता को उजागर किया है।
- **ऑपरेशन सिंदूर** जैसी कार्रवाइयाँ संभावित नौसैनिक भूमिका को रेखांकित करती हैं।
- मजबूत समुद्र-आधारित प्रतिरोधक क्षमता अब रणनीतिक रूप से अनिवार्य हो गई है।

आत्मनिर्भरता एवं भविष्य की पनडुब्बी योजनाएँ

- SSBN कार्यक्रम भारत की **स्वदेशी रक्षा क्षमताओं** को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है।
- भारत **चौथी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी** की योजना बना रहा है।
- 2036–38 तक **स्वदेशी परमाणु आक्रमण पनडुब्बियाँ (SSNs)** विकसित करने का लक्ष्य।
- पनडुब्बी प्रभुत्व राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

निष्कर्ष

आईएनएस अरिधमान का शामिल होना भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक युद्ध के बढ़ते बहु-क्षेत्रीय स्वरूप के बीच एक मजबूत समुद्र-आधारित परमाणु क्षमता अत्यंत आवश्यक है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ यह भारत की उभरते क्षेत्रीय खतरों का सामना करने की क्षमता को सुदृढ़ करता है तथा विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के सिद्धांत को मजबूत बनाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईएनएस अरिधमान एक परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है।
2. यह भारत की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

आतंकवाद-रोधी सुरक्षा रणनीति में परिवर्तन

चर्चा में क्यों: पहलगाम आतंकी हमले (अप्रैल 2025) की पहली वर्षगांठ ने जम्मू-कश्मीर में भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में हुए बड़े बदलाव को रेखांकित किया है।

मुख्य विवरण

- **पहलगाम हमला (2025)** पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें **26 नागरिकों** की मृत्यु हुई, जिससे नई सुरक्षा कमजोरियाँ उजागर हुईं।
- सुरक्षा बलों ने **शहरी-केंद्रित तैनाती** से **भू-भाग प्रधान रणनीति** की ओर बदलाव किया।
- **खुफिया-आधारित अभियानों, निगरानी तकनीक और स्थानीय एकीकरण** पर अधिक ध्यान दिया गया।
- सुधारों के बावजूद **घुसपैठ और खुफिया तंत्र की कमियाँ** प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की प्रकृति

- **सीमा-पार आतंकवाद:** जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद मुख्यतः नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से होने वाली घुसपैठ से जुड़ा है, जिसे बाहरी तत्वों का समर्थन प्राप्त होता है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूह ऐतिहासिक रूप से नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं।
- **सॉफ्ट लक्ष्यों की ओर बदलाव:** पहलगाम हमला सुरक्षा बलों से हटकर नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य सामान्य स्थिति और आर्थिक पुनरुद्धार को बाधित करना है।
- **हाइब्रिड आतंकवादी:** "हाइब्रिड आतंकवादियों" (जिनका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं होता) के उभरने से पहचान और खुफिया जानकारी एकत्र करना अधिक जटिल हो गया है।
- **मनोवैज्ञानिक युद्ध:** पर्यटकों पर हमलों का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुँचाना तथा शासन और स्थिरता में विश्वास को कमजोर करना है।

सुरक्षा चूक एवं 'सॉफ्ट फ्रंटियर' की अवधारणा

- **सुरक्षा के बिना विस्तार:** महामारी के बाद लगभग 70–75 नए पर्यटन स्थलों को खोला गया, लेकिन सुरक्षा तंत्र का समानुपाती विस्तार नहीं हुआ।
- **उच्च पर्वतीय संवेदनशीलता:** पीर पंजाल पर्वतमाला के क्षेत्र घुसपैठ मार्गों के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, भले ही वे पर्यटन केंद्र हों।
- **त्रुटिपूर्ण अनुमान:** सुरक्षा एजेंसियों ने यह मान लिया था कि आतंकवादी शहरी हमलों तक सीमित रहेंगे, जिससे दूरस्थ नागरिक लक्ष्यों को कम प्राथमिकता मिली।
- **सॉफ्ट फ्रंटियर:** नव-विकसित पर्यटन क्षेत्र "सॉफ्ट फ्रंटियर" बन गए—सुलभ तो थे, परंतु पर्याप्त सुरक्षा से वंचित, जिससे तैयारी में कमियाँ उजागर हुईं।

सुरक्षा रणनीति में बदलाव: 'रोड टू रिज' सिद्धांत

- **भू-भाग प्रधानता:** सुरक्षा बलों ने उच्च पर्वतीय चोटियों और दर्रों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु रिज-आधारित तैनाती अपनाई, जिससे आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने सीमित हुए।
- **अस्थायी संचालन अड्डे (TOBs):** लगभग 40 से अधिक TOBs को 9,000 फीट तक की ऊँचाई पर स्थापित किया गया, जिससे निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ी।
- **क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास:** जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार गश्त से आतंकवादियों की घुसपैठ–छिपाव–हमला श्रृंखला को बाधित करने का प्रयास किया गया।
- **एकीकृत तैनाती:** केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और राष्ट्रीय राइफल्स अब समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं।

खुफिया-आधारित आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण

- **इंटेल-फर्स्ट दृष्टिकोण:** अब अभियान प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बजाय वास्तविक समय की खुफिया जानकारी पर आधारित हैं।
- **सटीक अभियान:** उदाहरण के लिए, ऑपरेशन महादेव (2025) में ड्रोन और मानवीय खुफिया की सहायता से आतंकवादियों को निष्क्रिय किया गया।
- **नेटवर्क-आधारित लक्ष्यीकरण:** अब केवल आतंकवादियों को नहीं, बल्कि उनके पूरे आतंकी नेटवर्क और भर्ती तंत्र को निशाना बनाया जा रहा है।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बेहतर समन्वय से प्रतिक्रिया समय कम हुआ है और प्रभावशीलता बढ़ी है।

आंतरिक सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **ड्रोन निगरानी:** निगरानी और युद्धक ड्रोन दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी क्षमता बढ़ाते हैं तथा जोखिम कम करते हैं।
- **चेहरा पहचान एवं QR प्रणाली:** 50,000 से अधिक पर्यटन कर्मियों के लिए आधार-लिंक्ड QR पहचान प्रणाली सत्यापन और घुसपैठ रोकने में सहायक है।
- **ड्रोन-रोधी प्रणाली:** उन्नत प्रणालियाँ हवाई खतरों का मुकाबला करती हैं, जो हाल के अभियानों से मिले अनुभवों को दर्शाती हैं।
- **स्मार्ट निगरानी:** सेंसर, उपग्रह डेटा और AI-आधारित विश्लेषण का एकीकरण वास्तविक समय में स्थिति संबंधी जागरूकता बढ़ाता है।

सामुदायिक एकीकरण एवं 'मानव सुरक्षा कवच'

- **स्थानीय भागीदारी:** गाइड, घोड़ा संचालक और स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी से जमीनी स्तर का खुफिया नेटवर्क मजबूत होता है।
- **विश्वास निर्माण उपाय:** समुदाय की भागीदारी सहयोग बढ़ाती है और अलगाव की भावना को कम करती है।
- **मानव सुरक्षा कवच अवधारणा:** सत्यापित स्थानीय नागरिकों का नेटवर्क पर्यटन क्षेत्रों में आतंकवादी घुसपैठ के विरुद्ध सुरक्षा परत का कार्य करता है।
- **आर्थिक संबंध:** पर्यटन का पुनरुद्धार आजीविका को मजबूत करता है और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षा उद्देश्यों से जोड़ता है।

आंतरिक सुरक्षा की स्थायी चुनौतियाँ

- **LoC के माध्यम से घुसपैठ:** निगरानी के बावजूद दुर्गम भू-भाग और प्रतिकूल मौसम के कारण घुसपैठ जारी रहती है।
- **वन क्षेत्रों में खुफिया कमियाँ:** पीर पंजाल के घने वन खुफिया जानकारी जुटाने को सीमित करते हैं और आतंकवादियों को अस्थायी छिपाव प्रदान करते हैं।
- **तकनीकी सीमाएँ:** ड्रोन और सेंसर अत्यधिक मौसम और कठिन भू-भाग से प्रभावित होते हैं।
- **बाहरी समर्थन:** आतंकवाद को मिलने वाला सीमा-पार समर्थन भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक निरंतर चुनौती है।

व्यापक आंतरिक सुरक्षा निहितार्थ

- **आंतरिक सुरक्षा:** आतंकवाद की बदलती प्रकृति और अनुकूलनशील रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **सीमा प्रबंधन:** एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली और निगरानी के महत्व को दर्शाता है।
- **प्रौद्योगिकी की भूमिका:** शासन में AI, ड्रोन और डिजिटल पहचान प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता को प्रदर्शित करता है।
- विकास–सुरक्षा संबंध: पर्यटन और आर्थिक विकास को मजबूत सुरक्षा ढाँचे के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत को **बहु-स्तरीय आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण** अपनाना होगा, जिसमें प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी, सामुदायिक भागीदारी और कूटनीतिक दबाव का समन्वय हो। सीमा निगरानी को मजबूत करना, मानव खुफिया को उन्नत करना तथा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पहलगाम हमला यह दर्शाता है कि आंतरिक सुरक्षा एक गतिशील क्षेत्र है, जिसके लिए **निरंतर अनुकूलन और सतर्कता** आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में "सॉफ्ट फ्रंटियर" का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?

(a) सैन्यीकृत सीमा क्षेत्र

(b) ऐसे क्षेत्र जो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना खोले गए हों

(c) अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र

(d) तटीय क्षेत्र

उत्तर: (b)

अभ्यास डस्टलिक का 7वाँ संस्करण

चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक' के 7वें संस्करण में भाग लिया, जिसका आयोजन उज़्बेकिस्तान के नमंगन (गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया) में किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, परिचालन समन्वय और संयुक्त अभियान क्षमता को मजबूत करना है।

डस्टलिक के बारे में

- 'डस्टलिक भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन दोनों देशों में बारी-बारी से किया जाता है।
- इसका 6वाँ संस्करण अप्रैल 2025 में पुणे के औंध स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2026 के संस्करण में भारतीय दल में 45 भारतीय सेना के जवान तथा 15 भारतीय वायुसेना के जवान शामिल हुए
- उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी उनकी सेना और वायु सेना के कुल 60 जवानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया
- अभ्यास 'डस्टलिक' की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी।

उज़्बेकिस्तान

- **स्थान:** उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक **स्थलरुद्ध (Landlocked) देश** है, जिसकी सीमाएँ **कज़ाखस्तान (उत्तर), किर्गिस्तान (उत्तर-पूर्व), ताजिकिस्तान (दक्षिण-पूर्व), अफ़ग़ानिस्तान (दक्षिण)** तथा **तुर्कमेनिस्तान (दक्षिण-पश्चिम)** से लगती हैं।
- **भौतिक विशेषताएँ:** उज़्बेकिस्तान का लगभग चार-पाँचवाँ भाग मैदानी क्षेत्र है। इसके उत्तर-मध्य भाग में किज़िलकुम (Kyzylkum) मरुस्थल स्थित है, जबकि देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भाग में पश्चिमी तियान शान तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं।
  - तियान शान, गिस्सार और अलाय पर्वत श्रेणियाँ इसके पूर्वी भाग में स्थित हैं, जबकि उपजाऊ क्षेत्र जैसे फरगाना घाटी और ज़रफ़शान घाटी कृषि तथा ऐतिहासिक नगरों समरकंद और बुखारा के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **प्रमुख विशेषता:** यह एक द्वि-स्थलरुद्ध (Double Landlocked) देश है, अर्थात इसके चारों ओर केवल स्थलरुद्ध देश ही स्थित हैं; विश्व में ऐसा दूसरा देश लिकटेंस्टीन है।
  - उज़्बेकिस्तान की सामरिक महत्ता इसकी कराकल्पाकस्तान क्षेत्र से निकटता के कारण है तथा यह क्षेत्रीय भू-राजनीति और मध्य एशिया में भारत की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एस-400 ट्रायम्फ (सुदर्शन) प्रणाली

चर्चा में क्यों: भारत उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय वायुक्षेत्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से शेष एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद और तैनाती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है।

मुख्य विवरण

- एस-400 ट्रायम्फ, जिसे भारतीय सेवा में आधिकारिक रूप से "सुदर्शन" नाम दिया गया है, विश्व की सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है।
- भारत ने 2018 में रूस के साथ 5.43 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता पाँच स्क्वाड्रनों की खरीद हेतु किया था।
- 2026 तक तीन स्क्वाड्रन पश्चिमी एवं उत्तरी सीमाओं पर परिचालन रूप से तैनात किए जा चुके हैं।
- यह प्रणाली 40 किमी से 400 किमी तक की दूरी पर हवाई खतरों को बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा संरचना के माध्यम से निष्क्रिय कर सकती है।
- हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस प्रणाली ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मिसाइल खतरों को अवरोधित कर अपनी परिचालन क्षमता प्रदर्शित की।

एस-400 ट्रायम्फ – अर्थ एवं उत्पत्ति

- **उन्नत वायु रक्षा प्रणाली:** एस-400 ट्रायम्फ एक लंबी दूरी की **भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल (SAM)** प्रणाली है, जिसे एक साथ अनेक हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है।
- **रूस द्वारा विकसित:** इसका विकास रूस की **अल्माज़-एंटे (Almaz-Antey)** कंपनी ने किया है तथा इसे विश्व की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है।
- **भारतीय नामकरण:** भारतीय सेवा में एस-400 को **"सुदर्शन"** कहा जाता है, जो एक सुरक्षात्मक रणनीतिक कवच का प्रतीक है।
- **रणनीतिक भूमिका:** यह प्रणाली आधुनिक हवाई युद्ध खतरों के विरुद्ध भारत के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क का महत्वपूर्ण घटक है।

बहु-स्तरीय वायु रक्षा क्षमता

- **स्तरीय रक्षा संरचना:** एस-400 विभिन्न श्रेणी की मिसाइलों का उपयोग करता है, जिनकी मारक क्षमता 40 किमी से 400 किमी तक है, जिससे बहु-स्तरीय सुरक्षा कवच निर्मित होता है।
- **व्यापक खतरा दायरा:** यह लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जेट, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), क्रूज़ मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइलों को अवरोधित कर सकता है।
- **रणनीतिक महत्व:** ऐसी बहु-स्तरीय रक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण अवसंरचना, सैन्य अड्डों तथा जनसंख्या केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाती है।
- **प्रतिरोधक क्षमता:** यह क्षमता प्रतिद्वंद्वी देशों की हवाई कार्रवाइयों के विरुद्ध भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है।

उन्नत रडार एवं निगरानी क्षमता

- **उन्नत रडार प्रणाली:** एस-400 अत्याधुनिक रडार से सुसज्जित है, जो अत्यधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है।
- **उच्च ट्रैकिंग क्षमता:** यह एक साथ लगभग 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है तथा लगभग 36 लक्ष्यों पर एक साथ कार्रवाई कर सकता है।
- **सटीक अवरोधन:** उन्नत ट्रैकिंग और अग्नि-नियंत्रण प्रणालियाँ उच्च गति वाले खतरों के विरुद्ध भी अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करती हैं।
- **नेटवर्क-केंद्रित युद्ध:** रडार एकीकरण भारत को नेटवर्क-सक्षम आधुनिक युद्ध प्रणाली की ओर अग्रसर करता है।

भारत की खरीद एवं तैनाती

- **ऐतिहासिक रक्षा समझौता:** भारत ने 2018 में भू-राजनीतिक दबावों और अमेरिकी कानून CAATSA से जुड़े प्रतिबंधों की आशंकाओं के बावजूद रूस के साथ एस-400 समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **तैनाती रणनीति:** परिचालन स्क्वाड्रनों को रणनीतिक रूप से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा तथा चीन से लगी उत्तरी सीमा पर तैनात किया गया है।
- **शेष आपूर्ति:** शेष दो स्क्वाड्रनों की आपूर्ति 2026 के अंत तक होने की संभावना है।
- **द्वि-मोर्चीय खतरे की तैयारी:** यह तैनाती चीन और पाकिस्तान दोनों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भारत की तैयारी को दर्शाती है।

ऑपरेशन सिंदूर एवं परिचालन सत्यापन

- **परिचालन सफलता:** रिपोर्टों के अनुसार एस-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा-पार ड्रोन और मिसाइल खतरों को सफलतापूर्वक अवरोधित किया।
- **वास्तविक समय युद्ध सत्यापन:** सफल अवरोधनों ने वास्तविक परिस्थितियों में प्रणाली की विश्वसनीयता सिद्ध की।
- **वायु सुरक्षा को मजबूती:** इस अभियान ने आधुनिक हवाई खतरों से महत्वपूर्ण वायुक्षेत्र की रक्षा करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया।
- **मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक प्रभाव:** ऐसी सफलताएँ शत्रुतापूर्ण तत्वों के विरुद्ध रणनीतिक संदेश और प्रतिरोधक प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं।

स्वदेशी समन्वय एवं रक्षा आधुनिकीकरण

- **भारतीय प्रणालियों के साथ एकीकरण:** एस-400, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम का पूरक है।
- **प्रोजेक्ट कुशा:** भारत दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता निर्माण के लिए प्रोजेक्ट कुशा विस्तारित दूरी वायु रक्षा प्रणाली भी विकसित कर रहा है।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** यह रणनीति विदेशी खरीद और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण के संतुलन को दर्शाती है।
- **स्तरीय राष्ट्रीय रक्षा:** दोनों प्रणालियाँ मिलकर एक व्यापक, बहु-स्तरीय राष्ट्रीय वायु रक्षा संरचना विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं।

भारत के लिए एस-400 का रणनीतिक महत्व

- **वायुक्षेत्र सुरक्षा:** एस-400 महत्वपूर्ण सैन्य एवं नागरिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता को अत्यधिक सुदृढ़ करता है।
- **क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला:** यह पड़ोसी देशों की उन्नत मिसाइल एवं वायु क्षमताओं के विरुद्ध एक प्रभावी शक्ति-वर्धक के रूप में कार्य करता है।
- **रणनीतिक स्थिरता:** उन्नत रक्षा क्षमता भारत की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है तथा संकट की स्थितियों में संवेदनशीलता कम करती है।
- **तकनीकी उन्नयन:** इसका शामिल होना भारत के नेटवर्क-केंद्रित उन्नत युद्ध प्रणालियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:** आयातित रणनीतिक रक्षा प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक आपूर्ति एवं रखरखाव संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **CAATSA प्रतिबंधों का जोखिम:** रूस से खरीद के कारण भारत को Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) के अंतर्गत संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
- **लागत एवं रखरखाव:** उन्नत रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण, प्रशिक्षण तथा जीवन-चक्र रखरखाव की लागत अधिक होती है।
- **स्वदेशी विकल्पों की आवश्यकता:** रणनीतिक निर्भरता कम करने के लिए भारत को स्वदेशी वायु रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास तेज करना होगा।

आगे की राह

- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सुदृढ़ करना:** प्रोजेक्ट कुशा जैसी स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के विकास को गति दी जाए।
- **एकीकृत वायु रक्षा को मजबूत करना:** आयातित और स्वदेशी प्रणालियों के बीच बेहतर अंतर-संचालनीयता विकसित की जाए।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास का विस्तार:** रडार, मिसाइल प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में निवेश बढ़ाया जाए।
- **रणनीतिक विविधीकरण:** विदेशी रक्षा खरीद और दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

निष्कर्ष

एस-400 ट्रायम्फ (सुदर्शन) प्रणाली का शामिल होना भारत की सामरिक वायु रक्षा

क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। विमान, ड्रोन और मिसाइल खतरों के विरुद्ध मजबूत बहु-स्तरीय सुरक्षा कवच प्रदान कर यह भारत की प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाती है। साथ ही, स्वदेशी रक्षा पहलों के साथ इसका एकीकरण भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में समाचारों में रहा एस-400 ट्रायम्फ प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है?

(a) साइबर युद्ध

(b) बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी प्रौद्योगिकी

(c) लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली

(d) उपग्रह नौवहन प्रणाली

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा आधुनिकीकरण में एस-400 ट्रायम्फ प्रणाली के सामरिक महत्व की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

प्रोजेक्ट 17A का पाँचवाँ पोत – दुनागिरी

चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) में प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट 'दूनागिरी (यार्ड 3023)' सौंपा गया। यह युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य विवरण

- **दूनागिरी:** दूनागिरी नीलगिरी श्रेणी (Project 17A) का पाँचवाँ युद्धपोत और इस श्रेणी का GRSE द्वारा निर्मित दूसरा पोत है। इसका निर्माण कोलकाता स्थित GRSE में किया गया है।
- **ऐतिहासिक विरासत:** नया दूनागिरी पूर्ववर्ती INS दूनागिरी, जो एक लिएंडर-श्रेणी का फ्रिगेट था, का पुनर्निर्मित स्वरूप है। पुराने INS दूनागिरी ने 5 मई 1977 से 10 अक्टूबर 2010 तक लगभग 33 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की थी।
- **स्वदेशी डिजाइन:** प्रोजेक्ट 17A के युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के Warship Design Bureau (WDB) द्वारा तैयार किया गया है। यह परियोजना स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, स्टील्थ, उत्तरजीविता और युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
- **स्वदेशीकरण:** प्रोजेक्ट 17A में लगभग 75% स्वदेशीकरण का स्तर हासिल किया गया है। इस परियोजना में 200 से अधिक MSMEs की भागीदारी रही है तथा लगभग 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है।
- **निर्माण दक्षता:** पहले चार प्रोजेक्ट 17A युद्धपोतों के निर्माण से प्राप्त अनुभव के कारण दूनागिरी के निर्माण की अवधि को 80 महीने तक कम किया गया, जबकि इस श्रेणी के पहले पोत नीलगिरी के निर्माण में 93 महीने लगे थे।

प्रोजेक्ट 17A – नीलगिरी श्रेणी :

- **प्रोजेक्ट 17A:** यह भारतीय नौसेना का उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट निर्माण कार्यक्रम है। इसे प्रोजेक्ट 17 की शिवालिक श्रेणी के फॉलो-ऑन के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें बेहतर स्टील्थ, उन्नत हथियार एवं सेंसर तथा आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियाँ शामिल हैं।
- **कुल पोत:** प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं।
- **निर्माण में भागीदारी:** इन सात पोतों में चार का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और तीन का निर्माण GRSE द्वारा किया जा रहा है।
- **MDL द्वारा निर्मित पोत:** नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी।
- **GRSE द्वारा निर्मित पोत:** हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी।
- **दूनागिरी की स्थिति:** दूनागिरी इस परियोजना का पाँचवाँ पोत है और GRSE में निर्मित इस श्रेणी का दूसरा पोत है। इससे पहले GRSE ने हिमगिरी का निर्माण किया था।

प्रणोदन प्रणाली :

- **CODOG प्रणोदन:** दूनागिरी में Combined Diesel or Gas (CODOG) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया है।
- इसमें डीजल इंजन और गैस टर्बाइन शामिल हैं, जो प्रत्येक शाफ्ट पर लगे Controllable Pitch Propeller (CPP) को संचालित करते हैं।
- युद्धपोत में आधुनिक Integrated Platform Management System (IPMS) भी लगाया गया है, जो जहाज की विभिन्न प्लेटफॉर्म प्रणालियों के निगरानी एवं प्रबंधन में सहायता करता है।

हथियार एवं सेंसर प्रणाली :

- **ब्रह्मोस मिसाइल:** दूनागिरी में ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल (SSM) प्रणाली शामिल है, जो इसकी लंबी दूरी की आक्रामक क्षमता को बढ़ाती है।
- **MFSTAR रडार:** इसमें MFSTAR उन्नत रडार प्रणाली शामिल है, जो हवाई एवं समुद्री लक्ष्यों की निगरानी और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **MRSAM:** पोत में Medium Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) प्रणाली शामिल है, जो वायु रक्षा क्षमता प्रदान करती है।
- **अन्य हथियार:** इसमें 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM) तथा 30 मिमी और 12.7 मिमी क्लोज-इन वेपन सिस्टम भी शामिल हैं।

- **पनडुब्बी-रोधी युद्ध:** दूनागिरी में पनडुब्बी-रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टॉरपीडो उपलब्ध हैं, जिससे यह समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी खतरों से निपटने में सक्षम है।

दूनागिरी का सामरिक महत्व :

- **बहु-मिशन क्षमता:** प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **स्टील्थ क्षमता:** आधुनिक स्टील्थ डिजाइन पोत की पहचान और रडार पर दृश्यता को कम करने में सहायता करता है, जिससे इसकी उत्तरजीविता बढ़ती है।
- **वायु रक्षा:** MRSAM तथा उन्नत सेंसर प्रणाली पोत को हवाई खतरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।
- **सतह युद्ध क्षमता:** ब्रह्मोस मिसाइल इसे समुद्री सतह पर स्थित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभावी मारक क्षमता प्रदान करती है।
- **पनडुब्बी-रोधी क्षमता:** रॉकेट और टॉरपीडो के माध्यम से यह पनडुब्बी-रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** ऐसे बहु-मिशन फ्रिगेट भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी, समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन क्षमता को मजबूत करते हैं

आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्व

- **स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन:** WDB द्वारा डिजाइन किया जाना भारत की घरेलू युद्धपोत डिजाइन क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **घरेलू उद्योग की भागीदारी:** 200 से अधिक MSMEs की भागीदारी से देश के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- **रोजगार सृजन:** परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर हजारों रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- **निर्माण समय में कमी:** पहले के पोतों से प्राप्त अनुभव का उपयोग करके दूनागिरी के निर्माण समय को कम करना भारतीय नौसेना के तेज एवं कुशल युद्धपोत निर्माण की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

निष्कर्ष :

दूनागिरी भारत की बढ़ती स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता, उन्नत नौसैनिक डिजाइन और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित यह स्टील्थ फ्रिगेट ब्रह्मोस, MRSAM, उन्नत रडार तथा पनडुब्बी-रोधी हथियार प्रणालियों से लैस है। 75% स्वदेशीकरण, 200 से अधिक MSMEs की भागीदारी तथा निर्माण समय में कमी इसे आत्मनिर्भर भारत और रक्षा औद्योगिक क्षमता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. प्रोजेक्ट 17A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट नीलगिरी श्रेणी से संबंधित हैं।
2. दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का पाँचवाँ पोत है।
3. दूनागिरी का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा किया गया है।
4. प्रोजेक्ट 17A के सभी सात पोतों का निर्माण केवल एक ही शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) सभी चार

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित दूनागिरी फ्रिगेट भारत की समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

इकाई 07

सामाजिक मुद्दे

भारत के ग्रामीण मॉडल विकास कूटनीति को नई दिशा दे रहे हैं

चर्चा में क्यों: दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित मॉडल अब वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। अफ्रीका सहित विभिन्न देशों में हो रहा इसका विस्तार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग (South-South Cooperation) के क्षेत्र में इसकी बड़ी सफलता को दर्शाता है।

प्रमुख तथ्य

- NRLM ने **10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों** को **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** से जोड़ा है।
- **5 करोड़ से अधिक महिलाओं** को **वित्तीय समावेशन और ऋण सुविधा** उपलब्ध कराई है।
- **महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका, कौशल विकास तथा सामुदायिक संस्थाओं** को बढ़ावा देता है।
- इस मॉडल को **समावेशी विकास** के लिए **अफ्रीकी देशों** द्वारा अपनाया जा रहा है।
- ज्ञान-साझाकरण सहयोग के माध्यम से **भारत की विकास कूटनीति** को सुदृढ़ करता है।

NRLM के उद्देश्य

- वर्ष 2011 में ग्रामीण बहुआयामी गरीबी को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया।
- स्वरोज़गार, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर केंद्रित।
- ग्रामीण परिवारों के लिए सतत आजीविका सृजित करने का लक्ष्य।
- SHGs के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- दीर्घकालिक क्षमता निर्माण तथा आय सृजन को प्रोत्साहित करता है।

विस्तार और उपलब्धियाँ

- 742 जिलों में 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुँच।
- 9 मिलियन+ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन।
- 20 मिलियन से अधिक महिलाएँ, प्रतिवर्ष लगभग ₹1 लाख की आय अर्जित कर रही हैं।
- ₹12 लाख करोड़ का बैंक ऋण-संबंधन तथा ₹51,368 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- केंद्रीय बजट 2026–27 में ₹19,200 करोड़ के आवंटन से सुदृढ़ीकरण।

संस्थागत ढाँचा

- **बहु-स्तरीय सामुदायिक संस्थाओं** (ग्राम से ब्लॉक स्तर तक) पर आधारित।
- अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाने हेतु **सामुदायिक आधारित कार्यकर्ता समूह** विकसित किए गए।
- महिलाओं को **औपचारिक वित्तीय प्रणाली** से जोड़ता है।
- **सहकर्मी अधिगम तथा सामूहिक निर्णय-निर्माण** को प्रोत्साहित करता है।
- **वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही तंत्र** सुनिश्चित करता है।

वैश्विक विस्तार र प्रभाव

- यह मॉडल **वैश्विक दक्षिण**, विशेषकर **अफ्रीका** में अपनाया जा रहा है।
- **इथियोपिया, केन्या, तंज़ानिया और रवांडा** जैसे देश NRLM का अध्ययन कर रहे हैं।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा सहकर्मी अधिगम** को बढ़ावा देता है।
- इसे **दोहराने योग्य एवं विस्तार योग्य विकास मॉडल** के रूप में देखा जाता है।
- पश्चिमी मॉडलों से हटकर **स्थानीय नवाचारों** की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

वैश्विक आकर्षण के कारण

- **महिलाओं के सामूहिक सशक्तिकरण** पर बल देता है।
- विकासशील देशों के लिए उपयुक्त **कम लागत वाला, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण**।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमिता** की आवश्यकताओं के अनुरूप।
- **अल्पकालिक योजनाओं** के बजाय **संस्थागत निर्माण** पर केंद्रित।
- **स्थानीय शासन और जवाबदेही** को सुदृढ़ बनाता है।

भारत की विकास कूटनीति में भूमिका

- **संस्थागत विकास मॉडलों के निर्यात** की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।
- **दीर्घकालिक साझेदारियों तथा ज्ञान-विनिमय** का निर्माण करता है।
- **डिजिटल सुशासन, वित्त तथा कृषि** के क्षेत्रों में नए अवसर खोलता है।
- **ग्रामीण आजीविका ज्ञान विनिमय मंच** (Rural Livelihood Knowledge Exchange Platform) की आवश्यकता को इंगित करता है।
- भारत को **वैश्विक विकास प्रथाओं में अग्रणी** के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

NRLM, **सामाजिक लामबंदी, वित्तीय पहुँच तथा संस्थागत क्षमता निर्माण** को एकीकृत करके **समावेशी ग्रामीण विकास** का एक परिवर्तनकारी मॉडल प्रस्तुत करता है। इसकी बढ़ती **वैश्विक स्वीकृति** स्थानीय स्तर पर विकसित, विस्तार योग्य समाधानों की क्षमता को दर्शाती है। ऐसे मॉडलों के निर्यात के माध्यम से भारत सहायता-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर **विकास सहयोग को पुनर्परिभाषित** कर रहा है तथा साझा अनुभवों, स्थिरता और सशक्तिकरण-आधारित विकास पर आधारित साझेदारियों को प्रोत्साहित कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार घरेलू विकास मॉडल वैश्विक सहयोग को दिशा दे सकते हैं।" विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

आधारभूत शिक्षा एवं साझा उत्तरदायित्व

चर्चा में क्यों: वर्ष 2026 में नए शैक्षणिक सत्र के आरम्भ के साथ लगभग 2 करोड़ बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत आधारभूत शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रमुख तथ्य

- प्रतिवर्ष लगभग **2 करोड़ बच्चे** औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण है।
- **NEP 2020** आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक दक्षता तथा समग्र विकास पर बल देती है।
- **निपुण भारत मिशन** का उद्देश्य कक्षा 3 तक आधारभूत अधिगम सुनिश्चित करना है।
- विद्यालयी शिक्षा में **स्वास्थ्य, कल्याण, बहुभाषिकता तथा डिजिटल संतुलन** पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (FLN) – प्रमुख प्राथमिकता

- **निपुण भारत मिशन:** वर्ष 2021 में प्रारम्भ, इसका उद्देश्य सभी बच्चों को कक्षा 3 तक बुनियादी पठन तथा अंकगणितीय कौशल प्रदान करना है, जिससे प्रारम्भिक वर्षों में सीखने की कमी को दूर किया जा सके।
- **भारत में अधिगम संकट:** ASER जैसी रिपोर्टें दर्शाती हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के अनेक बच्चे बुनियादी पठन और संख्यात्मक दक्षता में कठिनाई का सामना करते हैं, जिससे FLN नीति की प्राथमिकता बन गई है।
- **रटकर सीखने से परिवर्तन:** ध्यान अब स्मरण-आधारित शिक्षा से हटकर **वैचारिक समझ तथा दक्षता-आधारित अधिगम** पर केंद्रित हो गया है, जो आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** मजबूत आधारभूत कौशल अधिगम परिणामों, रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार करते हैं, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश को बढ़ावा मिलता है।

NEP 2020 एवं समग्र शिक्षा दृष्टिकोण

- **5+3+3+4 संरचना:** प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) तथा अनुभवात्मक अधिगम पर केंद्रित नई पाठ्यचर्या संरचना का परिचय।
- **बालक का समग्र विकास:** संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक तथा नैतिक विकास पर बल, जो केवल परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से आगे बढ़ता है।
- **सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का एकीकरण:** कला, खेल तथा व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है ताकि जीवन कौशल एवं रचनात्मकता का विकास हो सके।
- **SDG-4 के साथ सामंजस्य:** NEP, **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)** के अनुरूप है, जो समावेशी एवं समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करता है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं अधिगम वातावरण

- **प्रारम्भिक वर्षों का महत्व (3–8 वर्ष):** शोध दर्शाते हैं कि मस्तिष्क का **85% से अधिक विकास** प्रारम्भिक बाल्यावस्था में होता है, जिससे यह चरण अधिगम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **खेल-आधारित अधिगम:** NEP गतिविधि-आधारित एवं खोज-उन्मुख अधिगम को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों में जिज्ञासा और सहभागिता बढ़ती है।
- **शिक्षकों की भूमिका:** सहयोगी शिक्षक बच्चों की झिझक को आत्मविश्वास एवं सहभागिता में परिवर्तित कर दीर्घकालिक शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- **सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय:** विद्यालयों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, समावेशन तथा अपनत्व की भावना सुनिश्चित करनी चाहिए, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए।

स्वास्थ्य, पोषण एवं शारीरिक कल्याण

- **प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN):** पोषण, उपस्थिति एवं विद्यालय में निरंतरता बढ़ाने हेतु मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है।
- **बढ़ती जीवनशैली संबंधी चिंताएँ:** बढ़ता बाल मोटापा तथा शारीरिक गतिविधियों में कमी, निष्क्रिय जीवनशैली के कारण नीति-स्तरीय हस्तक्षेप की मांग करती है।
- **विद्यालय स्वास्थ्य पहल:** अनिवार्य शारीरिक शिक्षा, पोषण जागरूकता बोर्ड (तेल/चीनी बोर्ड) जैसी पहलें स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती हैं।
- **अधिगम परिणामों से संबंध:** स्वस्थ बच्चे बेहतर एकाग्रता, सहभागिता एवं शैक्षणिक प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं।

प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल चुनौतियाँ

- **डिजिटल अधिगम का विस्तार:** DIKSHA जैसे मंच और ऑनलाइन उपकरण, विशेषकर महामारी के बाद, शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- **अत्यधिक स्क्रीन समय की चिंताएँ:** डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग ध्यान अवधि, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करता है।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** प्रौद्योगिकी को ध्यान भंग करने वाले साधन के बजाय अधिगम-सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए विद्यालयों और अभिभावकों का मार्गदर्शन आवश्यक है।
- **डिजिटल विभाजन:** उपकरणों और इंटरनेट की असमान उपलब्धता शिक्षा में समानता के लिए चुनौती बनी हुई है।

बहुभाषिकता एवं समावेशी शिक्षा

- **मातृभाषा में शिक्षण:** NEP कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण की अनुशंसा करती है, जिससे समझ और अवधारण में सुधार होता है।
- **सांस्कृतिक पहचान:** बहुभाषिक शिक्षा छात्रों में सांस्कृतिक जड़ों और संज्ञानात्मक लचीलेपन को सुदृढ़ करती है।
- **समावेशी कक्षाएँ:** लैंगिक समानता, सामाजिक-आर्थिक समावेशन तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर बल।
- **असमानताओं को कम करना:** शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बनकर असमानताओं को कम करने में सहायता करती है।

साझा उत्तरदायित्व – राज्य, समाज एवं परिवार

- **सरकार की भूमिका:** नीतिगत ढाँचे, वित्तपोषण तथा योजनाएँ शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता एवं समानता सुनिश्चित करती हैं।
- **शिक्षकों की भूमिका:** शिक्षक राष्ट्र-निर्माता के रूप में विद्यार्थियों के मूल्य, कौशल एवं आकांक्षाओं का निर्माण करते हैं।
- **अभिभावकों की सहभागिता:** घरेलू वातावरण बच्चों के अधिगम व्यवहार एवं प्रेरणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

- **सामुदायिक सहभागिता:** सामूहिक भागीदारी शिक्षा के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, जिससे यह एक साझा राष्ट्रीय मिशन बन जाती है।

निष्कर्ष

विद्यालय का प्रथम दिन केवल एक बच्चे की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। आधारभूत अधिगम को सुदृढ़ करना, समावेशी एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना तथा सभी हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति आज शिक्षा में निवेश करने तथा प्रत्येक कक्षा को जिम्मेदार और सक्षम नागरिकों के निर्माण का केंद्र बनाने पर निर्भर करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निपुण भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ष 2021 में प्रारम्भ किया गया था।
2. इसका उद्देश्य बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता प्रदान करना है।
3. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के आधारभूत अधिगम संबंधी लक्ष्यों से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

विद्यालयी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

चर्चा में क्यों: CBSE ने कक्षा **3–8 (2026–27)** के लिए नया **कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पाठ्यक्रम** प्रस्तुत किया है, जिससे इसकी व्यवहारिकता और स्पष्टता को लेकर चर्चा बढ़ी है।

प्रमुख तथ्य

- CBSE का उद्देश्य विद्यार्थियों में **तार्किक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता तथा AI जागरूकता** विकसित करना है।
- पाठ्यक्रम में **कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (कक्षा 3–8)** तथा **AI की अवधारणाएँ (कक्षा 6–8)** शामिल हैं।
- **समय आवंटन:** कक्षा 3–5 के लिए प्रतिवर्ष **50 घंटे** निर्धारित (पर्यावरण अध्ययन एवं गणित के साथ एकीकृत)। कक्षा 6–8 के लिए प्रतिवर्ष **100 घंटे** निर्धारित (40 घंटे उन्नत CT, 20 घंटे AI की आधारभूत अवधारणाएँ, 40 घंटे परियोजनाएँ)।
- इसमें प्रारम्भिक स्तर पर **मशीन लर्निंग, प्रतिगमन** (Regression) **तथा वर्गीकरण** (Classification) जैसे उन्नत विषय शामिल हैं।
- विशेषज्ञों ने **स्पष्टता की कमी, शैक्षणिक असंगति तथा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों** को रेखांकित किया है।
- पाठ्यक्रम का विकास **आईआईटी मद्रास के डॉ. कार्तिक रामन** के नेतृत्व में गठित **10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति** द्वारा किया गया है।

आधारभूत कौशल के रूप में कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT)

- **CT के प्रमुख घटक:** कम्प्यूटेशनल थिंकिंग में **समस्या का विभाजन** (Decomposition), **प्रतिरूप पहचान** (Pattern Recognition), **अमूर्तीकरण** (Abstraction) **तथा एल्गोरिथ्मिक चिंतन** (Algorithmic Thinking) शामिल हैं, जो वास्तविक जीवन में संरचित समस्या-समाधान के लिए आवश्यक हैं।
- **वर्तमान विषयों के साथ एकीकरण:** CT पहले से ही गणित एवं तार्किक तर्कशक्ति के पाठ्यक्रम में आंशिक रूप से समाहित है, किन्तु विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में इसका एकीकरण सीमित है।
- **वैश्विक शैक्षिक प्रवृत्तियाँ:** यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड जैसे देशों ने CT को क्रमिक रूप से अपनाया है, जहाँ तकनीकी जटिलता के बजाय **आयु-उपयुक्त कौशल विकास** पर बल दिया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम: दायरा एवं चिंताएँ

- **जटिल अवधारणाओं का प्रारम्भिक परिचय:** पर्यवेक्षित अधिगम (Supervised Learning), प्रतिगमन (Regression) एवं क्लस्टरिंग (Clustering) जैसे विषय सामान्यतः उच्च शिक्षा स्तर पर पढ़ाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक तैयारी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **वैचारिक असंगति:** मशीन बुद्धिमत्ता और मानव बुद्धिमत्ता को समझने के लिए अमूर्त तर्कशक्ति की आवश्यकता होती है, जो मध्य विद्यालय स्तर के बच्चों में पूर्णतः विकसित नहीं होती।
- **नो-कोड उपकरणों का उपयोग:** यद्यपि नो-कोड AI उपकरण प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा दे सकते हैं, किन्तु इनके कारण अवधारणात्मक समझ के बिना यांत्रिक उपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।
- **अधिगम परिणामों से असंगति:** पाठ्यक्रम के महत्वाकांक्षी लक्ष्य शैक्षणिक पद्धतियों एवं मापनीय अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्पष्ट नहीं हैं, जिससे सतही अधिगम की संभावना बढ़ती है।

AI साक्षरता, नैतिकता एवं सामाजिक प्रभाव

- **AI उपकरणों से बढ़ता संपर्क:** विद्यार्थी चैटबॉट, अनुशंसा प्रणालियों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार AI के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे AI साक्षरता आवश्यक हो गई है।
- **नैतिक चिंताएँ:** पक्षपात (Bias), गोपनीयता (Privacy), डेटा के दुरुपयोग तथा एल्गोरिथ्मिक भेदभाव जैसे मुद्दों को पाठ्यक्रम में गहराई से शामिल करने की आवश्यकता है।
- **AI को प्रामाणिक स्रोत मानने की प्रवृत्ति:** बच्चे अक्सर AI को सर्वज्ञ एवं निष्पक्ष इकाई मान लेते हैं, जिससे आलोचनात्मक चिंतन और स्वतंत्र तर्क क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- आलोचनात्मक डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता: AI शिक्षा का उद्देश्य परिणामों पर प्रश्न उठाना, जानकारी का सत्यापन करना तथा AI प्रणालियों की सीमाओं को समझना होना चाहिए।

भारत में शैक्षणिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, विशेषकर ग्रामीण एवं सरकारी विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना तक पहुँच अभी भी असमान है।
- **शिक्षक तैयारी:** अधिकांश शिक्षकों को AI एवं उभरती प्रौद्योगिकियों का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जिससे प्रभावी कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है।

- **अतिभारित पाठ्यक्रम:** वर्तमान विषयवस्तु को कम किए बिना AI को जोड़ने से सूचना का बोझ तथा विद्यार्थियों में तनाव बढ़ सकता है।
- **रटने पर आधारित शिक्षा प्रणाली:** भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी भी अवधारणात्मक अधिगम से संघर्ष कर रही है, जिससे अंतर्विषयी विषयों का प्रभावी एकीकरण चुनौतीपूर्ण बन जाता है।

CT–AI असंबद्धता एवं वैचारिक मुद्दे

- **भिन्न ज्ञान प्रतिमान:** CT प्रतीकात्मक तर्क एवं एल्गोरिथ्म पर आधारित है, जबकि AI (विशेषकर मशीन लर्निंग) डेटा-आधारित सांख्यिकीय मॉडलों पर निर्भर करती है।
- **कमज़ोर सैद्धांतिक संबंध:** यह दावा कि CT सीधे AI की आधारशिला है, अत्यधिक सरलीकृत है, क्योंकि दोनों में अलग-अलग तर्क प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं।
- **विद्यालयी स्तर की AI शिक्षा पर शोध का अभाव:** वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्तर के लिए प्रभावी AI पाठ्यक्रम निर्माण पर सीमित प्रमाण उपलब्ध हैं।
- **सतही अधिगम का जोखिम:** अवधारणात्मक स्पष्टता के अभाव में विद्यार्थी केवल शब्दावली सीख सकते हैं, बिना वास्तविक समझ विकसित किए, जिससे शिक्षा सुधार का उद्देश्य प्रभावित होता है।

आगे की राह

- **आयु-उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण:** प्राथमिक स्तर पर उन्नत AI अवधारणाओं के बजाय **मूलभूत डिजिटल साक्षरता, तार्किक तर्कशक्ति तथा AI जागरूकता** पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:** DIKSHA एवं NCERT मॉड्यूल जैसे मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षक कौशल उन्नयन कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व AI पाठ्यक्रम को **पायलट चरणों** में लागू किया जाए तथा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर संशोधन किए जाएँ।
- **आलोचनात्मक चिंतन पर बल:** AI को एक **उपकरण** के रूप में प्रस्तुत किया जाए, न कि एक **प्राधिकार** के रूप में; विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, सत्यापन करने तथा स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- **डिजिटल विभाजन को कम करना: डिजिटल इंडिया** एवं **पीएम ई-विद्या** जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ कर समान पहुँच सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

CBSE का AI पाठ्यक्रम भारत की **ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-प्रेरित समाज** बनने की आकांक्षा को दर्शाता है, किन्तु इसकी सफलता महत्वाकांक्षा और जमीनी वास्तविकताओं के संतुलन पर निर्भर करेगी। **शैक्षणिक स्पष्टता, समावेशिता तथा आलोचनात्मक चिंतन** पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि AI शिक्षा विद्यार्थियों को सशक्त बनाए, उन पर अतिरिक्त बोझ न डाले।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में विद्यालयी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

डिजिटल युग में अभिभावकत्व

चर्चा में क्यों: ChatGPT जैसे AI उपकरणों और डिजिटल मंचों के तीव्र विस्तार ने बच्चों के सीखने, संवाद करने तथा कौशल विकसित करने के तरीकों को बदल दिया है, जिससे आधुनिक युग में अभिभावकत्व के दृष्टिकोण को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

प्रमुख तथ्य

- आज अभिभावकों के सामने ऐसी दुनिया में अनुशासन और शैक्षणिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने की चुनौती है, जहाँ जानकारी आसानी से उपलब्ध है। रटकर सीखने जैसी पारंपरिक शिक्षण विधियों पर AI उपकरणों की उपलब्धता के कारण प्रश्न उठ रहे हैं।
- डिजिटल मंच बच्चों को बिना वास्तविक जीवन के अनुभव के ही परिष्कृत संचार सामग्री तुरंत तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। इससे कथित दक्षता और वास्तविक भावनात्मक तथा बौद्धिक परिपक्वता के बीच अंतर उत्पन्न होता है।
- शिक्षा प्रणाली अभी भी परीक्षाओं और रटकर सीखने पर बल देती है, जबकि ये कौशल तीव्र गति से बदलती डिजिटल दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते।
- वर्तमान समय में अभिभावकत्व के लिए नियंत्रण, मार्गदर्शन तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप अनुकूलन के बीच संतुलन आवश्यक है। ध्यान केवल जानकारी प्राप्त करने से हटकर कौशल विकास और चरित्र निर्माण की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

शिक्षा प्रणाली एवं अधिगम मॉडल

- **रटकर सीखने की प्रणाली:** पारंपरिक शिक्षा स्मरण और पुनरुत्पादन पर बल देती है। यह अनुशासन और परीक्षा प्रदर्शन में सहायता करती है, किन्तु रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को सीमित कर सकती है।
- **कौशल-आधारित अधिगम:** आधुनिक अर्थव्यवस्था में समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक चिंतन तथा अनुकूलनशीलता जैसे कौशलों की आवश्यकता है। ये कौशल प्रौद्योगिकी और नवाचार से प्रभावित गतिशील वातावरण में अधिक प्रासंगिक हैं।
- **परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण:** सफलता को अक्सर अंकों और रैंक के आधार पर मापा जाता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ता है और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है।
- **सुधारों की आवश्यकता:** शिक्षा को वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की मांग बढ़ रही है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता और अनुभवात्मक अधिगम को शामिल करना आवश्यक है।

अधिगम पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

- **AI की पहुँच:** ChatGPT जैसे उपकरण जानकारी और सामग्री निर्माण तक त्वरित पहुँच प्रदान करते हैं। इससे रटकर सीखने पर निर्भरता कम होती है, किन्तु मौलिकता और समझ को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।
- **कार्य का स्वचालन:** विद्यार्थी AI का उपयोग ईमेल, असाइनमेंट और संचार सामग्री तैयार करने में कर सकते हैं। इससे स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।
- **अधिगम में परिवर्तन:** ध्यान "जानकारी को जानने" से "जानकारी का उपयोग करना जानने" की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक है।
- **अत्यधिक निर्भरता का जोखिम:** AI पर अत्यधिक निर्भरता संज्ञानात्मक प्रयास को कम कर सकती है तथा दीर्घकालिक बौद्धिक और भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकती है।

अनुशासन एवं अभिभावकत्व की भूमिका

- **अनुशासन एक आधार के रूप में:** अभिभावकीय निगरानी बच्चों में नियमितता और जिम्मेदारी जैसी आदतें विकसित करती है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक हैं।
- **धैर्य एवं दृढ़ता का निर्माण:** बच्चे उन कार्यों को करना सीखते हैं जिन्हें वे पसंद न भी करें। इससे वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं जहाँ निरंतर प्रयास आवश्यक होता है।
- **मूल्यों का संचार:** ईमानदारी, परिश्रम और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों के निर्माण में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन मूल्यों का स्थान प्रौद्योगिकी या स्वचालन नहीं ले सकते।
- **नियंत्रण और स्वतंत्रता में संतुलन:** अत्यधिक नियंत्रण संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, जबकि अत्यधिक स्वतंत्रता तकनीक के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है। स्वस्थ विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

डिजिटल व्यवहार एवं पहचान निर्माण

- **डिजिटल पहचान का निर्माण:** बच्चे AI उपकरणों की सहायता से स्वयं को ऑनलाइन अलग रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे वास्तविक पहचान और आभासी प्रस्तुति के बीच अंतर उत्पन्न हो सकता है।
- **वास्तविक जीवन के संवाद में कमी:** डिजिटल संचार आमने-सामने की बातचीत को कम करता है, जिससे भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल विकसित करने के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **प्रयास और त्रुटि से सीखने की कमी:** पहले गलतियाँ संचार कौशल और अनुभवजन्य सीख को बढ़ावा देती थीं। AI द्वारा निर्मित परिष्कृत सामग्री ऐसे सीखने के अवसरों को कम कर सकती है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** निरंतर तुलना और डिजिटल मान्यता बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है तथा अवास्तविक अपेक्षाएँ उत्पन्न कर सकती है।

आधुनिक अभिभावकत्व की चुनौतियाँ

- **अनिश्चित भविष्य:** तीव्र तकनीकी परिवर्तन भविष्य में आवश्यक कौशलों का अनुमान लगाना कठिन बना देते हैं। अभिभावकों को स्थिर ज्ञान के बजाय अनुकूलनशीलता विकसित करने पर बल देना चाहिए।
- **प्रणालीगत सीमाएँ:** शिक्षा प्रणाली अभी भी पारंपरिक मूल्यांकन विधियों का अनुसरण करती है। इससे अधिगम और वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के बीच असंगति उत्पन्न होती है।
- **प्रौद्योगिकी का समावेशन:** तकनीक पर पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है। इसके बजाय बच्चों को इसका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए।
- **भावनात्मक अंतर:** डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग परिवारों में भावनात्मक जुड़ाव और संवाद को कमजोर कर सकता है। अभिभावकों को केवल शैक्षणिक विषयों से आगे बढ़कर बच्चों के साथ सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए।

नैतिक एवं भावनात्मक विकास

- **गलतियों से सीखना:** वास्तविक जीवन की त्रुटियाँ व्यक्तियों को परिणामों को समझने और व्यवहार में सुधार करने में सहायता करती हैं। यह निर्णय क्षमता और परिपक्वता के विकास के लिए आवश्यक है।
- **प्रामाणिक संवाद:** बिना बाहरी सहायता के अपने विचार व्यक्त करना आत्मविश्वास बढ़ाता है तथा स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव को सुदृढ़ करता है।
- **ईमानदारी और प्रस्तुति के बीच अंतर:** AI उत्तरों को परिष्कृत कर सकता है, किन्तु वास्तविक उद्देश्य और प्रामाणिकता का स्थान नहीं ले सकता। बच्चों को प्रामाणिकता और कृत्रिम परिष्करण के बीच अंतर समझना चाहिए।
- **चरित्र निर्माण:** भावनात्मक दृढ़ता और आत्म-जागरूकता महत्वपूर्ण जीवन कौशल हैं। इनका विकास केवल वास्तविक अनुभवों से हो सकता है, स्वचालित उपकरणों से नहीं।

आगे की राह

- **मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण:** पारंपरिक अनुशासन और आधुनिक कौशल-आधारित शिक्षा का संयोजन शैक्षणिक सफलता और व्यवहारिक दक्षता दोनों सुनिश्चित करेगा।
- **AI के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा:** बच्चों को AI उपकरणों के नैतिक और सीमित उपयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे लाभ प्राप्त करते हुए अत्यधिक निर्भरता को रोका जा सकेगा।
- **शिक्षा सुधार:** रटकर सीखने से हटकर आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता पर बल दिया जाए। मूल्यांकन पद्धतियाँ वास्तविक जीवन कौशलों को प्रतिबिंबित करें।
- **सक्रिय अभिभावकत्व:** खुला संवाद और भावनात्मक सहयोग प्रोत्साहित किया जाए। अभिभावकों को बच्चों के डिजिटल संपर्क को केवल नियंत्रित करने के बजाय उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में अभिभावकत्व के लिए पारंपरिक मूल्यों और तकनीकी वास्तविकताओं के बीच संतुलन आवश्यक है। यद्यपि AI उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं, वे अनुशासन, भावनात्मक विकास और वास्तविक जीवन के अधिगम का स्थान नहीं ले सकते। लक्ष्य यह होना चाहिए कि बच्चे प्रौद्योगिकी का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें, उस पर निर्भर न बनें।

जाति संबंधी प्रश्नों के समाधान में तटस्थता की सीमाएँ

चर्चा में क्यों: **सर्वोच्च न्यायालय** ने **UGC समानता विनियम, 2026 (UGC Equity Regulations, 2026)** पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर हुई बहस के बीच आया है, जिसने उच्च शिक्षा में समावेशन, संवैधानिक समानता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को उजागर किया है।

प्रमुख तथ्य

- उच्च शिक्षा में **जाति-आधारित भेदभाव** पर केंद्रित।
- छात्र आत्महत्याओं तथा **प्रणालीगत जातिगत पक्षपात** से उत्पन्न।
- **जाति-तटस्थ बनाम लक्षित परिभाषा** पर बहस।
- **वास्तविक (सार्थक) समानता** (अनुच्छेद 14 एवं 15) पर बल।
- सुदृढ़ **प्रवर्तन एवं जवाबदेही तंत्र** की आवश्यकता।

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **UGC समानता विनियम, 2026** पर अंतरिम रोक लगाई।
- ये विनियम जाति-आधारित भेदभाव और छात्र आत्महत्याओं से संबंधित एक मामले की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं।
- यह मामला उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने में मौजूद **प्रणालीगत विफलताओं** को उजागर करता है।
- समावेशी और सुरक्षित संस्थागत वातावरण के निर्माण पर बल देता है।
- **संरचनात्मक भेदभाव** को संबोधित करने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा

- अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के विरुद्ध भेदभाव के रूप में परिभाषित।
- ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को लक्ष्य बनाता है।
- जाति को पृथक घटनाओं के बजाय **एक संरचनात्मक समस्या** के रूप में मान्यता देता है।
- बहिष्करण के बजाय स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास करता है।
- संस्थानों में निहित **प्रणालीगत असमानताओं** पर ध्यान केंद्रित करता है।

जाति-तटस्थ दृष्टिकोण की सीमाएँ

- आलोचक **सामान्य वर्ग** के विद्यार्थियों को भी शामिल करने की वकालत करते हैं।
- तटस्थता यह मानकर चलती है कि भेदभाव का प्रभाव सभी समूहों पर समान होता है।
- यह **संरचनात्मक पदानुक्रमों और शक्ति असंतुलनों** की उपेक्षा करती है।
- प्रणालीगत उत्पीड़न को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के समान मानने का जोखिम उत्पन्न करती है।
- जाति-आधारित नुकसान के विरुद्ध लक्षित **कानूनी संरक्षण** को कमजोर करती है।

समानता पर संवैधानिक दृष्टिकोण

- **अनुच्छेद** 14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद** 15 वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
- केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि **सार्थक समानता** को बढ़ावा देता है।
- अन्याय को दूर करने के लिए **भिन्न व्यवहार की आवश्यकता** को स्वीकार करता है।
- असमान समाजों में **एकरूप तटस्थता** के दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है।

प्रभावी क्रियान्वयन का महत्व

- मुख्य समस्या **कमज़ोर प्रवर्तन** और जवाबदेही में निहित है।
- स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है।
- समयबद्ध जाँच और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- लेखा-परीक्षण, निगरानी तथा संस्थागत उत्तरदायित्व आवश्यक हैं।
- वास्तविक समानता प्राप्त करने की कुंजी प्रभावी क्रियान्वयन है।

निष्कर्ष

UGC समानता विनियमों पर चल रही बहस **औपचारिक तटस्थता** और **सार्थक समानता** के बीच के तनाव को उजागर करती है। जाति-आधारित भेदभाव का समाधान करने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाने के बजाय संरचनात्मक असमानताओं को पहचानना आवश्यक है। **क्रियान्वयन, जवाबदेही और संस्थागत संवेदनशीलता** को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल एक मजबूत, संदर्भ-संवेदनशील ढाँचा ही उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए गरिमा, समावेशन और न्याय सुनिश्चित कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "जाति-तटस्थ दृष्टिकोण अक्सर भारतीय समाज में निहित संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करने में विफल रहता है।" UGC समानता विनियम, 2026 से संबंधित बहस के आलोक में उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव के संदर्भ में तटस्थता की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, सार्थक समानता के संवैधानिक आधार की चर्चा करते हुए समावेशी शैक्षणिक संस्थानों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

दिव्यांग-अनुकूल कारागारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

चर्चा में क्यों: हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने भारत की सभी जेलों को **दिव्यांग-अनुकूल** बनाने हेतु एक व्यापक ढाँचा तैयार करने के लिए **उच्चस्तरीय समिति** के गठन का निर्देश दिया।

प्रमुख तथ्य

- यह कदम दिव्यांग कैदियों द्वारा झेली जा रही अमानवीय परिस्थितियों तथा भारतीय जेलों में सुलभ अवसंरचना की कमी को लेकर उठाई गई चिंताओं के उत्तर में उठाया गया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास कैदियों के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करता, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त **गरिमा और समानता के अधिकार** को।

पृष्ठभूमि

यह मुद्दा दिव्यांग कैदियों के साथ व्यवहार संबंधी रिपोर्टों के बाद प्रमुखता से सामने आया, जिनमें शामिल हैं:

- गतिशीलता सहायता का अभाव
- सहायक उपकरणों की उपलब्धता से वंचित होना
- अपर्याप्त चिकित्सीय देखभाल
- जेलों में सुलभता की कमी

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में कहा गया कि भारत की जेलें संरचनात्मक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहिष्करणकारी बनी हुई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

1. उच्चस्तरीय समिति का गठन

न्यायालय ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश **न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट** की अध्यक्षता वाली मौजूदा जेल सुधार समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर उसे विशेष रूप से **दिव्यांग-समावेशी जेल सुधारों** पर कार्य करने का निर्देश दिया।

संरचना

- समिति में शामिल होंगे:
  - ➢ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  - ➢ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
  - ➢ जेल प्रशासन के विशेषज्ञ
  - ➢ राज्यों के प्रतिनिधि

2. दिव्यांग-अनुकूल अवसंरचना का निर्माण

- न्यायालय ने जेलों में सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ करने का निर्देश दिया:
  - ➢ रैम्प एवं हैंडरेल
  - ➢ सुलभ शौचालय
  - ➢ बाधारहित आवागमन
  - ➢ संवेदनशील एवं सुरक्षित वातावरण
  - ➢ व्हीलचेयर-अनुकूल सुविधाएँ

इसका उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित सुलभता मानकों के अनुरूप जेल अवसंरचना का निर्माण करना है।

3. सहायक उपकरणों की उपलब्धता

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया:
  - ➢ व्हीलचेयर
  - ➢ श्रवण यंत्र
  - ➢ ब्रेल सामग्री
  - ➢ कृत्रिम अंगों से संबंधित सहायता
  - ➢ अन्य सहायक प्रौद्योगिकियाँ

न्यायालय ने इन उपकरणों की खरीद एवं रखरखाव हेतु उपयुक्त प्रोटोकॉल विकसित करने का भी निर्देश दिया।

4. चिकित्सीय एवं मानसिक स्वास्थ्य सहायता

- न्यायालय ने निम्नलिखित पर बल दिया:
  - ➢ विशेषीकृत चिकित्सा देखभाल
  - ➢ नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन
  - ➢ मानसिक स्वास्थ्य सहायता
  - ➢ पुनर्वास सेवाएँ

यह भी स्वीकार किया गया कि भीड़भाड़ वाली जेलों में दिव्यांग कैदी अधिक संवेदनशील स्थिति में होते हैं।

5. उन्नत मुलाक़ात एवं संचार अधिकार

- न्यायालय ने निम्नलिखित की आवश्यकता बताई:
  - ➢ परिवार से अधिक सरल मुलाक़ात व्यवस्था
  - ➢ बेहतर संचार सुविधाएँ
  - ➢ मानवीय अभिरक्षा प्रथाएँ

इसका उद्देश्य दिव्यांग कैदियों के **सामाजिक एवं भावनात्मक कल्याण** को सुरक्षित रखना है।

6. समयबद्ध अनुपालन एवं निगरानी

- समिति को चार माह के भीतर समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिससे सुनिश्चित किया जा सके:
  - ➢ एकरूप राष्ट्रीय मानक
  - ➢ नियमित निगरानी
  - ➢ जवाबदेही तंत्र

न्यायालय ने चेतावनी दी कि उल्लंघन की स्थिति में **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

संवैधानिक एवं विधिक आधार

संवैधानिक प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान	प्रासंगिकता
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 21	जीवन एवं गरिमा का अधिकार
अनुच्छेद 41	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता
अनुच्छेद 39A	समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता

वैधानिक ढाँचा

- सुलभता एवं युक्तिसंगत सुविधा (Reasonable Accommodation) को अनिवार्य बनाता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों की समानता एवं गरिमा को मान्यता देता है।
- जेल प्रशासन को विनियमित करता है, यद्यपि इसकी आलोचना इसे पुराना होने के कारण की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय मानक

भारत निम्नलिखित मानकों से भी निर्देशित है:

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)
- कैदियों के साथ व्यवहार संबंधी नेल्सन मंडेला नियम

क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

- **भीड़भाड़ वाली जेलें:** भारतीय जेलें अक्सर अपनी क्षमता से अधिक संचालित होती हैं, जिससे सुलभता सुधार सीमित हो जाते हैं।
- **कमज़ोर अवसंरचना:** अनेक जेलें औपनिवेशिक काल की संरचनाएँ हैं, जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना कठिन है।
- **दिव्यांगता संबंधी आँकड़ों का अभाव:** विश्वसनीय एवं वर्गीकृत आँकड़ों की कमी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती है।
- **वित्तीय सीमाएँ:** सुलभता संबंधी सुधारों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **प्रशासनिक असंवेदनशीलता:** जेल कर्मचारियों में दिव्यांगता संबंधी जागरूकता एवं प्रशिक्षण का अभाव है।
- **संघीय चुनौतियाँ:** जेलें संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य विषय हैं, जिससे राज्यों के बीच असमान क्रियान्वयन की समस्या उत्पन्न होती है।

निर्णय का महत्व

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

- दंड के सुधारात्मक सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
- दिव्यांग अधिकार न्यायशास्त्र का विस्तार करता है।
- कैदियों को अधिकार-संपन्न नागरिकों के रूप में मान्यता देता है।
- समावेशी सुशासन को बढ़ावा देता है।
- संवैधानिक नैतिकता को सशक्त बनाता है।

यह निर्णय मानवीय जेल सुधारों की व्यापक न्यायिक पहल को भी दर्शाता है, जिसमें खुली जेल व्यवस्था तथा जेलों में भीड़ कम करने के उपाय शामिल हैं।

आगे की राह

अवसंरचना का आधुनिकीकरण

- पुरानी जेलों का पुनरुद्धार
- सार्वभौमिक सुलभता मानकों का अनुपालन

क्षमता निर्माण

- जेल अधिकारियों के लिए दिव्यांगता-संवेदनशीलता प्रशिक्षण

तकनीकी एकीकरण

- डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली
- सुलभ संचार उपकरण

बेहतर आँकड़ा संग्रहण

- जेलों का राष्ट्रीय दिव्यांगता लेखा-परीक्षण

स्वतंत्र निगरानी

- राज्य मानवाधिकार आयोग तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नियमित निरीक्षण

जेल सुधार ढाँचा

- दंडात्मक कारावास मॉडल के स्थान पर पुनर्वास-उन्मुख सुधारात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देना

निष्कर्ष

दिव्यांग-अनुकूल जेलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश **गरिमा, समानता और मानवीय व्यवहार** सुनिश्चित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। यह निर्णय पुनः स्थापित करता है कि संवैधानिक अधिकार जेल के द्वार पर समाप्त नहीं होते तथा एक सभ्य लोकतंत्र को सबसे अधिक हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की गरिमा की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभावी क्रियान्वयन अब सहकारी संघवाद, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सतत संस्थागत सुधार पर निर्भर करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्नः

प्रश्न. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांग-अनुकूल कारागारों के संबंध में दिए गए हालिया निर्देशों ने जेल सुधारों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विमर्श का विस्तार किया है। इन निर्देशों के संवैधानिक आधार, क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों तथा समावेशी कारागार प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

इकाई 08

इतिहास एवं संस्कृति

धार्मिक संरक्षण एवं सम्प्रति की विरासत

चर्चा में क्यों: **महावीर जयंती** के अवसर पर प्रधानमंत्री ने **गांधीनगर** में **सम्राट सम्प्रति संग्रहालय** का उद्घाटन किया, जिससे जैन धर्म के प्रसार में सम्प्रति की भूमिका पर प्रकाश पड़ा।

प्रमुख तथ्य

- **सम्प्रति**, अशोक के पौत्र, जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं।
- उनके नाम पर समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन **गांधीनगर** में किया गया, जो जैन विरासत के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
- जहाँ अशोक ने **बौद्ध धर्म** को संरक्षण दिया, वहीं सम्प्रति को भारत और उससे बाहर **जैन धर्म के प्रसार** का श्रेय दिया जाता है।
- ऐतिहासिक एवं जैन ग्रंथों में उनकी भूमिका **मंदिर निर्माण, धर्म प्रचारक गतिविधियों तथा प्रतीकों के प्रसार** में वर्णित है।

मौर्य साम्राज्य एवं धार्मिक बहुलता

- **विविध धार्मिक परम्पराएँ:** मौर्य काल (चौथी–द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) में **बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म** का सहअस्तित्व देखा गया, जो भारत की दीर्घकालिक बहुलतावादी परम्परा को दर्शाता है।
- **धर्मों का राजकीय संरक्षण:** अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किन्तु अभिलेखों से विभिन्न सम्प्रदायों के प्रति **सहिष्णुता** का भी प्रमाण मिलता है।
- **राजवंश की भूमिका:** मौर्य वंश के सदस्य, जिनमें **चन्द्रगुप्त मौर्य** भी शामिल हैं, जैन धर्म से जुड़े रहे, जो शासक वर्ग के भीतर धार्मिक विविधता को दर्शाता है।
- **परम्पराओं की निरंतरता:** अशोक के बौद्ध धर्म पर बल देने के बावजूद, जैन धर्म विशेषकर **पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत** में फलता-फूलता रहा, जो धार्मिक परम्पराओं की स्थायित्व क्षमता को दर्शाता है।

अशोक एवं बौद्ध धर्म का प्रसार

- **राज्य नीति के रूप में धम्म:** अशोक ने **धम्म** का प्रचार किया, जो करुणा, अहिंसा एवं लोककल्याण पर आधारित नैतिक आचार संहिता थी। इसका प्रचार उन्होंने **शिलालेखों एवं स्तम्भलेखों** के माध्यम से किया।
- **धर्म प्रचारक गतिविधियाँ:** उन्होंने **श्रीलंका, मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया** जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार हुआ।
- **संस्थागत समर्थन:** **स्तूपों, विहारों तथा मठों** के निर्माण से बौद्ध संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हुई।
- **नैतिक राजसत्ता का आदर्श:** अशोक को ऐसे आदर्श शासक के रूप में देखा जाता है जिसने **राजनीतिक शक्ति और नैतिक शासन** का समन्वय किया, जिससे बाद की एशियाई राजव्यवस्थाएँ प्रभावित हुईं।

सम्प्रति : अशोक के जैन समकक्ष

- **वंश एवं शासनकाल:** सम्प्रति, अशोक के पौत्र और कुणाल के पुत्र थे। उन्होंने लगभग **230–220 ईसा पूर्व** शासन किया और संभवतः दशरथ के साथ साम्राज्य के विभाजन के बाद सत्ता साझा की।
- **जैन धर्म की ओर दीक्षा:** जैन परम्पराओं के अनुसार उन्होंने **सुहस्तिन मुनि** के मार्गदर्शन में जैन धर्म ग्रहण किया, जिससे राजसत्ता और जैन मठ परम्पराओं का संबंध मजबूत हुआ।
- **श्वेताम्बर परम्परा:** श्वेताम्बर जैन ग्रंथों में सम्प्रति का विशेष स्थान है, जहाँ उन्हें जैन धर्म के समर्पित संरक्षक और प्रचारक के रूप में चित्रित किया गया है।
- **अशोक से समानता:** विद्वान अक्सर सम्प्रति की तुलना अशोक से करते हैं, क्योंकि दोनों शासकों ने धार्मिक विचारधाराओं के प्रसार के लिए राज्य संसाधनों का उपयोग किया।

सम्प्रति के अधीन जैन धर्म का प्रसार

- **धर्म प्रचारक विस्तार:** सम्प्रति को **अफगानिस्तान, नेपाल तथा सम्भवतः मध्य एशिया** तक जैन साधुओं को भेजने का श्रेय दिया जाता है, जिससे धर्म का भौगोलिक विस्तार हुआ।
- **मंदिर निर्माण:** परम्परागत रूप से उन्हें विशेषकर पश्चिमी भारत में **हजारों जैन मंदिरों** के निर्माण से जोड़ा जाता है, यद्यपि अनेक स्थलों पर अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
- **प्रतिमा स्थापना: जिन प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमा-विज्ञान** के प्रचार द्वारा उन्होंने जैन उपासना पद्धतियों को संस्थागत रूप प्रदान किया तथा धार्मिक पहचान को सुदृढ़ किया।
- **सांस्कृतिक समन्वय:** सम्प्रति के अधीन जैन धर्म ने क्षेत्रीय संदर्भों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित किया, जिससे व्यापारिक समुदायों एवं शहरी केन्द्रों में इसका प्रसार सुगम हुआ।

तुलनात्मक विश्लेषण : अशोक बनाम सम्प्रति

- **धार्मिक संरक्षण:** अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जबकि सम्प्रति ने जैन धर्म का समर्थन किया, जो राज्य-समर्थित धार्मिक प्रसार को दर्शाता है।
- **प्रसार की विधि:** दोनों शासकों ने अपने-अपने धर्मों के प्रसार के लिए **धर्म प्रचारकों, स्थापत्य कला तथा प्रतीकों** का उपयोग किया।
- **ऐतिहासिक प्रमाण:** अशोक की विरासत **अभिलेखीय साक्ष्यों** से पुष्ट है, जबकि सम्प्रति का योगदान मुख्यतः **साहित्यिक एवं धार्मिक परम्पराओं** में संरक्षित है।
- **समाज पर प्रभाव:** उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में **अहिंसा, नैतिक आचरण तथा आध्यात्मिक मूल्यों** के प्रसार में योगदान दिया।

समकालीन प्रासंगिकता

- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** सम्राट सम्प्रति संग्रहालय जैसे संस्थानों की स्थापना प्राचीन विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को दर्शाती है।
- **सॉफ्ट पावर एवं सभ्यतागत पहचान:** बौद्ध और जैन परम्पराएँ भारत की **वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति** में योगदान देती हैं।

- **धार्मिक सहिष्णुता:** मौर्यकालीन बहुलता आधुनिक **धर्मनिरपेक्षता और सहअस्तित्व** के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएँ प्रदान करती है।
- **कला एवं स्थापत्य से संबंध:** मंदिर निर्माण और प्रतिमा-विज्ञान भारतीय कला एवं संस्कृति के पाठ्यक्रमों से जुड़े हैं, जिनमें **जैन वास्तुकला एवं मूर्तिकला** भी शामिल हैं।

निष्कर्ष

अशोक और सम्प्रति की विरासत भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। जहाँ अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान ऐतिहासिक रूप से सुविदित है, वहीं सम्प्रति का जैन धर्म से संबंध भारतीय इतिहास में **विविध धार्मिक संरक्षण** के महत्व को उजागर करता है। संग्रहालयों जैसे संस्थानों के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों को स्मरण करना सांस्कृतिक जागरूकता को सुदृढ़ करता है तथा भारत की **बहुलतावाद, सहिष्णुता और नैतिक शासन** की परम्परा को मजबूत बनाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. धम्म के प्रचार हेतु शिलालेख जारी करने के लिए कौन-सा मौर्य शासक प्रसिद्ध है?

(a) चन्द्रगुप्त मौर्य (b) बिन्दुसार

(c) अशोक (d) सम्प्रति

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. अशोक और सम्प्रति की क्रमशः बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रसार में भूमिका की तुलना कीजिए। राज्य संरक्षण ने प्राचीन भारत में धार्मिक विस्तार को किस प्रकार प्रभावित किया? चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

बुद्ध पूर्णिमा, अवशेष कूटनीति

चर्चा में क्यों: **बुद्ध पूर्णिमा** के अवसर पर **लद्दाख** में **गौतम बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों** की पवित्र प्रदर्शनी भारत की सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध कूटनीति तथा आध्यात्मिक पर्यटन के पुनरुत्थान को रेखांकित करती है।

प्रमुख तथ्य

- लद्दाख में **सिंधु नदी के किनारे लेह** में बुद्ध अवशेषों की दो सप्ताह लंबी सार्वजनिक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। सरकारी पहल के अंतर्गत भारत में पहली बार इन अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जा रहा है।
- ये अवशेष मूल रूप से **पिपरहवा** से प्राप्त हुए थे और इन्हें बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से संबंधित माना जाता है। वर्ष 2025 में इनकी भारत वापसी सांस्कृतिक पुनर्स्थापन एवं विरासत संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह आयोजन बौद्ध धर्म की जन्मभूमि तथा प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र के रूप में भारत की पहचान को दर्शाता है। साथ ही यह वैश्विक बौद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य में लद्दाख के महत्व को भी सुदृढ़ करता है।
- इस प्रदर्शनी से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने तथा वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करने की अपेक्षा है। ऐसे आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदायों को आकर्षित करते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत बनाते हैं।

भारत में बौद्ध धर्म

- **बौद्ध धर्म की उत्पत्ति:** बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में **गौतम बुद्ध** की शिक्षाओं के साथ हुआ। यह वैदिक कर्मकाण्डों के विरुद्ध एक सुधारवादी आंदोलन था तथा नैतिक जीवन एवं करुणा पर बल देता था।
- **मुख्य शिक्षाएँ:** चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये शिक्षाएँ संयम, अहिंसा एवं मानसिक अनुशासन को प्रोत्साहित करती हैं।
- **बौद्ध धर्म का प्रसार:** व्यापार मार्गों एवं राजकीय संरक्षण के माध्यम से बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला। यह श्रीलंका, चीन, जापान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक शक्ति बन गया।
- **भारत में पतन:** समय के साथ सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों तथा अन्य परम्पराओं के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। फिर भी इसकी विरासत स्मारकों, दर्शन तथा वैश्विक प्रभाव के माध्यम से जीवित है।

बौद्ध धर्म में अवशेष परंपरा

- **महापरिनिर्वाण की अवधारणा:** बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष विभिन्न शासकों में विभाजित किए गए। ये अवशेष पूजा एवं श्रद्धा के पवित्र प्रतीक बन गए।
- **स्तूप परंपरा:** अवशेषों को स्तूपों में स्थापित किया गया, जो महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गए। स्तूप बुद्ध की उपस्थिति एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं।
- **अशोक का योगदान:** सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में बुद्ध अवशेषों का पुनर्वितरण किया, जिसके परिणामस्वरूप स्तूप निर्माण एवं बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिला।
- **वैश्विक प्रसार:** समय के साथ अवशेष पूजन की परंपरा एशिया के अनेक देशों में फैल गई। आज थाईलैंड, श्रीलंका एवं जापान जैसे देशों में बुद्ध अवशेष संरक्षित हैं।

पिपरहवा अवशेष एवं ऐतिहासिक महत्व

- **खोज:** इन अवशेषों की खोज 1890 के दशक में **विलियम क्लैक्सटन पेपे** द्वारा पिपरहवा में की गई थी। उत्खनन में प्राप्त कलशों पर अंकित अभिलेखों ने इन्हें बुद्ध से संबंधित होने का संकेत दिया।
- **पुरातात्त्विक साक्ष्य:** ब्राह्मी अभिलेख इन अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। यह प्रारम्भिक बौद्ध परम्पराओं का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है।
- **औपनिवेशिक संदर्भ:** औपनिवेशिक काल में अनेक अवशेष विदेश ले जाए गए थे। यह सांस्कृतिक अधिग्रहण और विरासत विस्थापन की समस्या को दर्शाता है।

- **पुनर्प्राप्ति:** भारत वर्ष 2025 में इन अवशेषों के एक हिस्से को सफलतापूर्वक वापस लाने में सफल रहा। यह राष्ट्रीय विरासत संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में लद्दाख

- **भौगोलिक महत्व:** लद्दाख भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित है। इससे बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रसार को बढ़ावा मिला।
- **मठ परंपरा:** यह क्षेत्र प्राचीन मठों एवं स्तूपों का केंद्र है। इन संस्थानों ने बौद्ध शिक्षाओं एवं परंपराओं को संरक्षित रखा है।
- **पुरातात्त्विक विरासत:** मुलबेख मैत्रेय तथा सानी स्तूप जैसे स्थल प्रारम्भिक बौद्ध प्रभाव को दर्शाते हैं और क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्रदान करते हैं।
- **समकालीन प्रासंगिकता:** लद्दाख आज भी बौद्ध साधना एवं तीर्थयात्रा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वर्तमान प्रदर्शनी इसकी वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती है।

सांस्कृतिक कूटनीति एवं सॉफ्ट पावर

- **सॉफ्ट पावर की अवधारणा:** सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराएँ किसी राष्ट्र के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती हैं। भारत एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव के साधन के रूप में बौद्ध धर्म का उपयोग करता है।
- **बौद्ध कूटनीति:** साझा बौद्ध विरासत श्रीलंका एवं जापान जैसे देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करती है। यह आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **वैश्विक सहभागिता:** अवशेष प्रदर्शनी जैसे आयोजन अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं और भारत को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** सांस्कृतिक कूटनीति आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों की पूरक होती है। यह साझा मूल्यों के आधार पर दीर्घकालिक साझेदारियों को विकसित करने में सहायता करती है।

आध्यात्मिक पर्यटन एवं आर्थिक संभावनाएँ

- **पर्यटन का विकास:** धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन भारत में तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। यह रोजगार सृजन करता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है।
- **लद्दाख की क्षमता:** यह क्षेत्र एक प्रमुख वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आकर्षित होंगे।
- **अवसंरचना की आवश्यकता:** पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर संपर्क एवं सुविधाओं की आवश्यकता है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु सतत विकास भी आवश्यक है।
- **सामुदायिक लाभ:** पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करता है तथा सांस्कृतिक परंपराओं एवं विरासत के संरक्षण में सहायता करता है।

बुद्ध की शिक्षाएँ एवं समकालीन प्रासंगिकता

- **मध्यम मार्ग:** बुद्ध ने जीवन में संयम एवं संतुलन का मार्ग बताया। यह सिद्धांत आधुनिक सामाजिक संघर्षों के समाधान में भी प्रासंगिक है।
- **अनित्य (अनिच्चा):** सब कुछ परिवर्तनशील है और निरंतर बदलता रहता है। यह विचार व्यक्तियों को अनिश्चितता और परिवर्तन का सामना करने में सहायता करता है।
- **करुणा एवं शांति:** अहिंसा, सहानुभूति और करुणा पर बल बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएँ हैं। ये मूल्य संघर्षग्रस्त विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **सार्वभौमिक बंधुत्व:** बौद्ध धर्म सभी प्राणियों के बीच सद्भाव और सहअस्तित्व का समर्थन करता है। यह शांति और सहयोग के वैश्विक आदर्शों के अनुरूप है।

आगे की राह

- **विरासत संरक्षण:** सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के प्रयासों को और सुदृढ़ किया जाए। इससे ऐतिहासिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- **सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा:** लद्दाख को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए समन्वित योजना एवं विपणन रणनीतियों की आवश्यकता है।
- **वैश्विक सहयोग:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों हेतु बौद्ध देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए। इससे भारत की सॉफ्ट पावर एवं वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी।
- **जागरूकता एवं शिक्षा:** बौद्ध विरासत एवं मूल्यों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाई जाए। इससे सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

लद्दाख में पिपरहवा अवशेषों का आगमन केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है। यह वर्तमान विश्व में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित करता है तथा वैश्विक संबंधों को सुदृढ़ करने में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका को रेखांकित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. बौद्ध धर्म एवं अवशेष परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बौद्ध धर्म में अवशेष-पूजन की परंपरा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रारम्भ हुई।
2. सम्राट अशोक ने बौद्ध अवशेषों के प्रसार में कोई भूमिका नहीं निभाई।
3. स्तूपों का निर्माण अवशेषों को सुरक्षित रखने तथा तीर्थस्थल के रूप में किया जाता था।

उपरोक्त में से कौन-सा कथन असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) केवल एक

बसव जयंती

चर्चा में क्यों: हाल ही में 12वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, कवि और लिंगायत मत के संस्थापक संत बसवेश्वर (बसवन्ना) की जयंती मनाई गई, जो दक्षिण भारत (विशेषकर कर्नाटक) की समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करती है।

प्रमुख तथ्य

- बसव जयंती 12वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और लिंगायत

परंपरा के संस्थापक भगवान बसवन्ना (बसवेश्वर) की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है।

- **कब मनाई जाती है:** हिंदू पंचांग के अनुसार, बसवन्ना का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन (अक्षय तृतीया) हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर में यह आमतौर पर अप्रैल या मई महीने में आता है।
- **प्रमुख क्षेत्र:** यह त्योहार मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।
- वर्ष 2026 में बसवन्ना जयंती (बसव जयंती) 20 अप्रैल 2026 को मनाई गई।

बसवन्ना सामान्य जानकारी

- बसवन्ना (जिन्हें महात्मा बसवेश्वर भी कहा जाता है), 12वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और लिंगायत संप्रदाय (वीरशैववाद) के संस्थापक थे।
- **जन्म और कालखंड:** उनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी (बीजापुर जिला) में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था
- **राजनीतिक भूमिका:** ये कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री (और मुख्य कोषाध्यक्ष) थे।
- **नोट :** इतिहासकारों के बीच उनके जन्म वर्ष को लेकर अलग-अलग मत हैं, जिनमें 1105 ईस्वी और 1131 ईस्वी दोनों का उल्लेख मिलता है , लेकिन उनका कालखंड 12वीं शताब्दी का ही है।

बसवन्ना की प्रमुख शिक्षाएँ

1. कायक (कार्य ही पूजा)

- बसवन्ना ने बल दिया कि प्रत्येक प्रकार का ईमानदार श्रम पवित्र है।
- उन्होंने जाति के आधार पर वंशानुगत श्रेष्ठता की अवधारणा को अस्वीकार किया।

2. दसोहा (संपत्ति का साझाकरण)

- व्यक्तियों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए।
- करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित किया।

3. सामाजिक समानता

- अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का विरोध किया।
- अंतरजातीय संपर्क और सामाजिक एकीकरण का समर्थन किया।

4. आध्यात्मिक लोकतंत्र

- पुरोहितों की मध्यस्थता के बिना भगवान शिव के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भक्ति का समर्थन किया।
- जटिल कर्मकाण्डों के स्थान पर सरल आध्यात्मिक आचरण को बढ़ावा दिया।

साहित्य में योगदान

- बसवन्ना ने **वचनों (Vachanas)** की रचना की, जो गहन दार्शनिक एवं नैतिक संदेशों वाले संक्षिप्त कन्नड़ काव्य पद हैं।
- वचन साहित्य कन्नड़ साहित्य और भक्ति परम्परा में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया।
- उनके लेखन का केंद्र नैतिकता, भक्ति और सामाजिक सुधार था।

अनुभव मंटप

- बसवन्ना ने **अनुभव मंटप** की स्थापना की, जिसे अक्सर विश्व की पहली आध्यात्मिक-सामाजिक संसद कहा जाता है।
- यह विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए स्त्री-पुरुषों के लिए आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा का मंच था।
- इसने सहभागितापूर्ण संवाद और समावेशिता को बढ़ावा दिया।

समकालीन भारत में प्रासंगिकता

सामाजिक न्याय

- बसवन्ना की शिक्षाएँ जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के समाधान में आज भी प्रासंगिक हैं।

समावेशी शासन

- नैतिक प्रशासन और लोककल्याणकारी शासन पर उनका बल संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।

लैंगिक समानता

- लिंगायत आंदोलन में महिला संतों और विचारकों को स्थान मिला, जो प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सतत एवं नैतिक अर्थव्यवस्था

- **कायक** की अवधारणा श्रम की गरिमा और उत्पादक आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देती है।

संवैधानिक एवं नैतिक आयाम

बसवन्ना का दर्शन निम्नलिखित संवैधानिक मूल्यों से सामंजस्य रखता है:

- **अनुच्छेद 14** – विधि के समक्ष समानता
- **अनुच्छेद 15** – भेदभाव का निषेध
- **अनुच्छेद 17** – अस्पृश्यता का उन्मूलन
- **बंधुता और सामाजिक सद्भाव** को बढ़ावा देने वाले मौलिक कर्तव्य

चुनौतियाँ

- उत्सवों का व्यावसायीकरण और कर्मकाण्डीकरण सुधारवादी आदर्शों को कमजोर कर सकता है।
- निरंतर जातिगत विभाजन बसवन्ना की समानता की दृष्टि के समक्ष चुनौती बने हुए हैं।
- युवा पीढ़ी में वचन साहित्य के प्रति सीमित जागरूकता।

आगे की राह

- बसवन्ना की शिक्षाओं को मूल्य-आधारित शिक्षा में शामिल किया जाए।
- वचन साहित्य के अनुवाद और डिजिटल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए।
- उनकी समतावादी विचारधारा से प्रेरित सामाजिक सद्भाव अभियानों को प्रोत्साहित किया जाए।
- श्रम की गरिमा और नैतिक शासन पर सार्वजनिक विमर्श को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

बसव जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार, समानता और नैतिक जीवन का उत्सव है। बसवन्ना का जीवन और शिक्षाएँ न्याय, बंधुता तथा समावेशी विकास की दिशा में भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आकांक्षाओं को निरंतर प्रेरित करती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. बसवन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे मध्यकालीन भारत में लिंगायत आंदोलन से जुड़े थे।
2. उन्होंने कायक और दसोहा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।
3. उन्होंने जातिगत पदानुक्रम को सामाजिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में समर्थन दिया।
4. उन्होंने वचन नामक दार्शनिक पदों की रचना की।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 2 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (b)

इकाई 09 सरकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III (PMGSY-III) के विस्तार को मंजूरी

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) की अवधि को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक करने को मंजूरी दी है, जिसके लिए संशोधित बजट 83,977 करोड़ रुपये तय किया गया है।

प्रमुख विवरण :

- **समयसीमा :** मैदानी क्षेत्रों में सड़कों व पुलों और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा करना होगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण की समयसीमा को मार्च 2029 तक बढ़ाया गया है।
- **निविदा और आवंटन :** 31 मार्च 2025 से पहले स्वीकृत लेकिन अब तक आवंटित न किए गए कार्यों के लिए निविदा या आवंटन जारी किया जा सकता है।
- **लंबे पुल :** पहले से स्वीकृत सड़कों के संरेखण पर स्थित 161 लंबी अवधि के पुलों को मंजूरी के लिए लंबित होने के बावजूद, निविदा जारी करने या उन्हें पुरस्कृत करने की अनुमति दी जा सकती है।
- **संशोधित बजट :** योजना का मूल वित्तीय परिव्यय 80,250 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

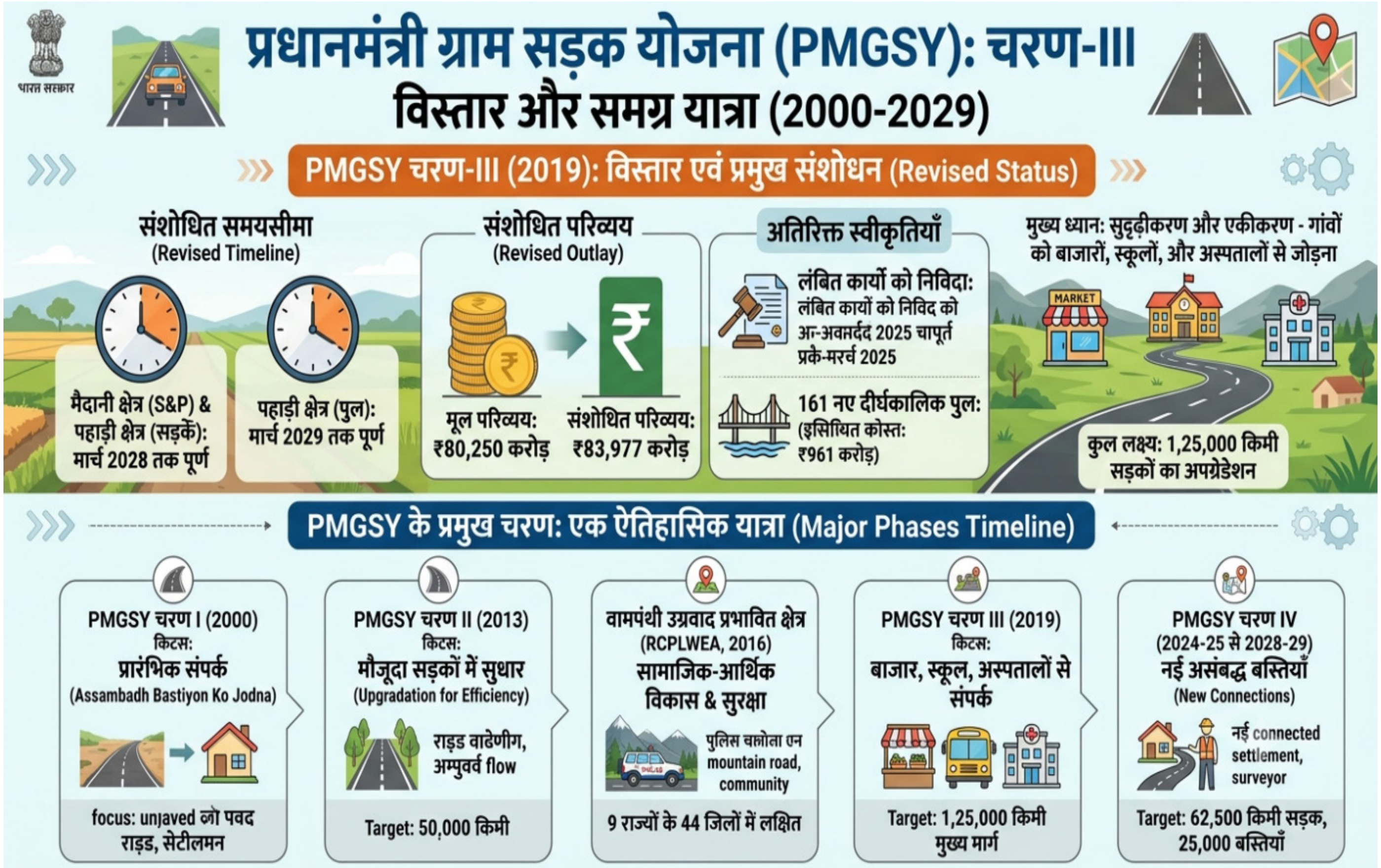

PMGSY के बारे में

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ **25 दिसंबर 2000** को **ग्रामीण विकास मंत्रालय** के अंतर्गत किया गया था।

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों को **सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़क संपर्क** उपलब्ध कराना।

कार्यान्वयन मंत्रालय

- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण (NRIDA) के माध्यम से कार्यान्वित

PMGSY का विकास क्रम

PMGSY-I

- मुख्य फोकस
  - ➢ असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना
  - ➢ कम संपर्क वाले ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देना
- पात्रता मानदंड
  - ➢ मैदानी क्षेत्रों में: 500 या अधिक जनसंख्या
  - ➢ पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में: 250 या अधिक जनसंख्या

PMGSY-II

- मुख्य फोकस
  - ➢ मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण
  - ➢ ग्रामीण परिवहन दक्षता में सुधार

PMGSY-III

वर्ष 2019 में निम्नलिखित विशेष बल के साथ स्वीकृत:

- संपर्क मार्गों तथा प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों का सुदृढ़ीकरण
- निम्नलिखित से संपर्क स्थापित करना:
  - ➢ ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs)
  - ➢ उच्च माध्यमिक विद्यालय
  - ➢ अस्पताल

लक्ष्य

- लगभग **1.25 लाख किमी** ग्रामीण सड़कों का उन्नयन

PMGSY-III विस्तार की प्रमुख विशेषताएँ

1. लंबित परियोजनाओं की पूर्णता

- यह सुनिश्चित करता है कि अधूरी ग्रामीण सड़क परियोजनाएँ संशोधित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों।
- निम्नलिखित कारणों से हुई देरी का समाधान करता है:
  - ➢ कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधान
  - ➢ भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ
  - ➢ निर्माण लागत में वृद्धि

2. ग्रामीण आर्थिक संपर्क पर बल

सड़कें गाँवों को निम्नलिखित से जोड़ेंगी:

- कृषि मंडियाँ

- भंडारण सुविधाएँ
- शैक्षणिक संस्थान
- स्वास्थ्य केंद्र

इससे ग्रामीण आजीविका तथा बाजार एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

3. आकांक्षी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों का समावेशन

विशेष ध्यान:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले
- जनजातीय क्षेत्र
- सीमावर्ती गाँव
- पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र

4. जलवायु-अनुकूल अवसंरचना

यह विस्तार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करता है:

- हरित प्रौद्योगिकी
- सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग
- शीत मिश्रण (Cold Mix) प्रौद्योगिकी
- आपदा-रोधी सड़क निर्माण

PMGSY-III विस्तार का महत्व

आर्थिक महत्व

- परिवहन लागत में कमी
- ग्रामीण बाजारों तक पहुँच में सुधार
- कृषि आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना
- गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देना

सामाजिक महत्व

- विद्यालयों एवं अस्पतालों तक बेहतर पहुँच
- महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की गतिशीलता में सुधार
- क्षेत्रीय असमानताओं में कमी

सुशासन संबंधी महत्व

- विकास योजनाओं के साथ ग्रामीण एकीकरण को सुदृढ़ बनाना
- सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता
- संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ

- स्थानीय विवादों के कारण देरी
- जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भू-भाग

2. रखरखाव की कमी

- अपर्याप्त रखरखाव से समय के साथ सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- स्थायी रखरखाव वित्तपोषण की आवश्यकता।

3. पर्यावरणीय चिंताएँ

- सड़क निर्माण से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई एवं मृदा अपरदन का जोखिम।

4. लागत में वृद्धि

- कच्चे माल की बढ़ती कीमतें परियोजनाओं की लागत बढ़ाती हैं।

बेहतर क्रियान्वयन हेतु सरकारी पहल

- GIS आधारित निगरानी का उपयोग
- ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (OMMAS)
- परियोजनाओं का भू-अंकन (Geo-tagging)
- हरित सड़क प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा

आगे की राह

- केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय द्वारा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
- समर्पित ग्रामीण सड़क निधियों के माध्यम से रखरखाव तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- पर्यावरण-अनुकूल एवं जलवायु-सहिष्णु निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- PMGSY सड़कों को ग्रामीण आर्थिक गलियारों एवं डिजिटल अवसंरचना से जोड़ा जाए।
- सड़क गुणवत्ता की निगरानी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जाए।

निष्कर्ष

PMGSY-III का विस्तार ग्रामीण परिवर्तन और समावेशी अवसंरचना विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण सड़कें केवल परिवहन की सुविधा नहीं हैं; वे सामाजिक न्याय, आर्थिक एकीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास के साधन हैं। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण समृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "ग्रामीण सड़क संपर्क सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है।" भारत में समावेशी ग्रामीण विकास को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के महत्व की चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0)

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख तथ्य

- यह योजना **स्टार्टअप इंडिया पहल** के अंतर्गत वर्ष 2016 में प्रारम्भ किए गए **स्टार्टअप्स हेतु फंड ऑफ फंड्स** (FFS 1.0) का विस्तार है।
- इसका नया चरण **डीप-टेक वित्तपोषण, प्रारंभिक-विकास पूंजी तथा प्रौद्योगिकी-आधारित विनिर्माण** में उभरती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दीर्घकालिक घरेलू वेंचर पूंजी को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है।

फंड ऑफ फंड्स (FoF) तंत्र के बारे में

- फंड ऑफ फंड्स सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता। इसके बजाय:

- यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (AIFs) में पूंजी उपलब्ध कराता है।
- चयनित AIFs आगे पात्र एवं DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं।
- इस प्रकार, सरकारी पूंजी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

FoF 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

1. बड़ा कोष एवं दीर्घकालिक दृष्टि

- कुल कोष: ₹10,000 करोड़
- बहुवर्षीय नवाचार चक्रों को समर्थन देने हेतु डिज़ाइन किया गया।
- निवेश को 16वें एवं 17वें वित्त आयोग की अवधियों में वितरित किया जाएगा।

2. डीप-टेक एवं रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान

प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
- रोबोटिक्स एवं स्वचालन
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- अर्धचालक (Semiconductors)
- जैव प्रौद्योगिकी
- स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत विनिर्माण

3. खंडित निवेश रणनीति

FFS 1.0 के विपरीत, FoF 2.0 **लक्षित दृष्टिकोण** अपनाता है, जिसमें ध्यान केंद्रित है:

- डीप-टेक स्टार्टअप्स, जिन्हें धैर्यपूर्ण पूंजी (Patient Capital) की आवश्यकता होती है।
- प्रारंभिक विकास चरण के उद्यम।
- उच्च जोखिम वाले नवाचार-आधारित क्षेत्र।

4. अप्रत्यक्ष पूंजी संचारण

- सरकार सीधे स्टार्टअप्स को वित्तपोषित नहीं करती।
- इसके बजाय, यह **निजी वेंचर पूंजी** को आकर्षित करती है।
- AIFs से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी योगदान की तुलना में कई गुना अधिक निवेश करेंगी।

5. घरेलू वेंचर पूंजी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना

- विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करता है।
- घरेलू वेंचर फंडों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- महानगरों से बाहर भी वित्तपोषण की पहुँच बढ़ाता है।

FoF 2.0 के उद्देश्य

- प्रारंभिक चरण के नवाचारों में मौजूद **"उच्च जोखिम पूंजी अंतराल"** को कम करना।
- **आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देना।
- वैश्विक **डीप-टेक प्रतिस्पर्धा** में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना।
- स्टार्टअप्स के विस्तार के माध्यम से **रोजगार सृजन** को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी-आधारित **औद्योगिक परिवर्तन** का समर्थन करना।

महत्व

1. डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा

भारत के स्टार्टअप्स अक्सर निम्न क्षेत्रों में वित्तीय कमी का सामना करते हैं:

- दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास चक्र
- पूंजी-गहन नवाचार क्षेत्र

FoF 2.0 इस संरचनात्मक कमी को दूर करने का प्रयास करता है।

2. निजी निवेश पर गुणक प्रभाव

AIFs के माध्यम से निवेश प्रवाहित करके यह योजना:

- संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करती है।
- स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध कुल पूंजी में वृद्धि करती है।

3. स्टार्टअप इंडिया मिशन को सुदृढ़ करना

FoF 2.0, FFS 1.0 की सफलता पर आधारित है, जिसने अनेक AIFs के माध्यम से **1,300 से अधिक स्टार्टअप्स** को समर्थन प्रदान किया था।

4. क्षेत्रीय समावेशन

- टियर-1 शहरों से बाहर भी स्टार्टअप विकास को प्रोत्साहित करता है।
- विकेंद्रीकृत नवाचार केंद्रों को समर्थन देता है।

चुनौतियाँ

- **विलंबित प्रतिफल:** डीप-टेक निवेशों में लंबी परिपक्वता अवधि और उच्च जोखिम सहनशीलता की आवश्यकता होती है।
- **AIF की दक्षता पर निर्भरता:** सफलता चयनित AIFs की गुणवत्ता और सुशासन पर निर्भर करेगी।
- **पूंजी संकेन्द्रण का जोखिम:** निधियाँ अभी भी स्थापित स्टार्टअप केंद्रों में असमान रूप से प्रवाहित हो सकती हैं।
- **निकास बाज़ार की सीमाएँ:** भारत का स्टार्टअप निकास पारिस्थितिकी तंत्र (IPO, अधिग्रहण आदि) अभी विकासशील अवस्था में है।

आगे की राह

- AIF चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निगरानी को सुदृढ़ किया जाए।
- वैश्विक वेंचर कैपिटल फंडों के साथ सह-निवेश को प्रोत्साहित किया जाए।
- शिक्षा जगत के साथ **डीप-टेक अनुसंधान संबंधों** को मजबूत किया जाए।
- स्टार्टअप निकास तंत्र (IPO/अधिग्रहण पारिस्थितिकी तंत्र) को बेहतर बनाया जाए।
- राज्य-स्तरीय नवाचार समूहों (Innovation Clusters) को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 व्यापक स्टार्टअप समर्थन से आगे बढ़कर लक्षित डीप-टेक एवं नवाचार-आधारित वित्तपोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है। सार्वजनिक पूंजी के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी महाशक्ति में परिवर्तित करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सीधे DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में निवेश करता है।
2. यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (AIFs) के माध्यम से कार्य करता है।
3. SIDBI इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

इकाई 10 महत्वपूर्ण रिपोर्ट

भारत के कोर सेक्टरों का प्रदर्शन

चर्चा में क्यों: मार्च 2026 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 0.4% का संकुचन दर्ज किया गया, जो पश्चिम एशिया संकट और आपूर्ति व्यवधानों से उपजी आर्थिक मंदी को दर्शाता है।

प्रमुख तथ्य

- आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में मार्च माह में **0.4% की गिरावट** दर्ज की गई, जो पश्चिम एशिया संकट के कारण **19 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन** है।
- आठ में से **चार क्षेत्रों में संकुचन** दर्ज किया गया, जिनमें उर्वरक क्षेत्र में **24.6% की तीव्र गिरावट** देखी गई।
- **इस्पात और सीमेंट** क्षेत्रों का कमजोर प्रदर्शन निर्माण और निवेश गतिविधियों में मंदी का संकेत देता है।
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग** (IMD) ने सामान्य से कम मानसून का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जिससे कृषि और ग्रामीण मांग को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- बढ़ती मुद्रास्फीति, वैश्विक अनिश्चितताएँ तथा ठहरी हुई आय आर्थिक पुनरुद्धार पर दबाव बढ़ा रही हैं।

आर्थिक मंदी के उभरते संकेत

- आँकड़े पश्चिम एशिया संकट के कारण आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में बढ़ती मंदी का संकेत दे रहे हैं।
- संघर्ष शुरू होने के बाद मार्च का आँकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में **0.4% संकुचन** दर्शाता है।
- यह **19 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन** है, यद्यपि इसकी व्यापक रूप से आशंका पहले से की जा रही थी।
- यह मंदी भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के तात्कालिक प्रभाव को दर्शाती है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन एवं प्रमुख गिरावटें

- आठ प्रमुख क्षेत्रों में से **चार क्षेत्रों में संकुचन** दर्ज किया गया, एक क्षेत्र स्थिर रहा तथा दो क्षेत्रों में उल्लेखनीय मंदी देखी गई।
- **उर्वरक क्षेत्र** 24.6% की तीव्र गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शनकर्ता रहा।
- यह गिरावट मुख्यतः **प्राकृतिक गैस आयात** में व्यवधान के कारण हुई, जो उर्वरक उत्पादन के लिए आवश्यक है।
- दूसरी ओर, घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में **6.4% की वृद्धि** हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों के असमान प्रदर्शन को दर्शाती है।

कृषि एवं अवसंरचना पर प्रभाव

- एल-नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान के कारण कृषि क्षेत्र अतिरिक्त दबाव का सामना कर रहा है।
- कमजोर मानसून से कृषि उत्पादन घट सकता है तथा पहले से ही दबाव में मौजूद **ग्रामीण मांग** और कमजोर हो सकती है।
- **इस्पात और सीमेंट उत्पादन** में मंदी निर्माण एवं अवसंरचना गतिविधियों में गिरावट का संकेत देती है।
- कंपनियाँ निवेश निर्णयों को टाल रही हैं, जो कमजोर व्यावसायिक विश्वास को दर्शाता है।

व्यापक आर्थिक दबाव

- **कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा विद्युत** जैसे क्षेत्रों का कमजोर प्रदर्शन समग्र वृद्धि को और प्रभावित कर रहा है।
- अर्थव्यवस्था ने **कोविड-19 महामारी** के बाद वर्ष 2025–26 में अपनी सबसे कम पूर्ण-वर्षीय वृद्धि दर्ज की है।
- आपूर्ति व्यवधान, ईंधन की कमी तथा वैश्विक अनिश्चितताएँ प्रमुख बाहरी कारक हैं।
- ये प्रवृत्तियाँ आयात पर निर्भरता के कारण भारत की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं।

बाहरी जोखिम एवं नीतिगत चुनौतियाँ

- मंदी का बड़ा हिस्सा **बाहरी वैश्विक कारकों** जैसे भू-राजनीतिक संघर्षों एवं व्यापार तनावों से प्रेरित है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूर्व की आर्थिक उपलब्धियों को कम मुद्रास्फीति और मजबूत विदेशी निवेश का समर्थन प्राप्त था।
- हालांकि, **डोनाल्ड ट्रम्प** के कार्यकाल में आरंभ हुए व्यापारिक तनावों को लेकर चिंताओं ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करना शुरू कर दिया था।
- बढ़ती मुद्रास्फीति और स्थिर **घरेलू आय** अब गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं।
- आर्थिक विकास को पुनर्स्थापित करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए सरकार को अधिक सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक मंदी वैश्विक संकटों और संरचनात्मक कमजोरियों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाती है। बाहरी आपूर्ति व्यवधान, कमजोर घरेलू मांग तथा मुद्रास्फीतिक दबावों के संयुक्त प्रभाव से सतत आर्थिक विकास के समक्ष गंभीर जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार को **मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्रामीण मांग को प्रोत्साहन तथा स्थिर नीतियों के माध्यम से निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने** को प्राथमिकता देनी चाहिए। दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास की गति बनाए रखने के लिए घरेलू क्षमता का सशक्तीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के कोर सेक्टरों के प्रदर्शन एवं आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।" भारत की आर्थिक सहनशीलता को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों सहित चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

अर्थ आवर 2026 में भारत की भागीदारी

चर्चा में क्यों: भारत ने 28 मार्च 2026 को रात 8:30 से 9:30 बजे तक 'अर्थ आवर 2026' में भाग लिया, जिसके तहत ऐतिहासिक स्मारकों की अनावश्यक लाइटें बंद कर वैश्विक जलवायु कार्रवाई और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई गई।

प्रमुख तथ्य

- **पृथ्वी घंटा** वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) द्वारा आयोजित एक वैश्विक पर्यावरणीय अभियान है।
- पृथ्वी घंटा 2026, वर्ष 2007 में शुरू हुए इस अभियान के **20 वर्ष** पूर्ण होने का प्रतीक है।
- वर्ष 2026 की थीम **"Give an Hour for Earth"** है, जो व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संवर्धन हेतु समय देने के लिए प्रेरित करती है।
- यह अभियान वर्ष 2007 में **सिडनी, ऑस्ट्रेलिया** में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप से "लाइट्स ऑफ" पहल के रूप में प्रारम्भ हुआ था।
- आज पृथ्वी घंटा **190 से अधिक देशों और क्षेत्रों** में मनाया जाता है, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े जन-आधारित पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक बन गया है।

पृथ्वी घंटा – अर्थ एवं महत्व

- **वैश्विक पर्यावरणीय पहल:** पृथ्वी घंटा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है।
- **प्रतीकात्मक "लाइट्स ऑफ" आंदोलन:** व्यक्ति, संस्थान, सरकारें और व्यवसाय पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु स्वेच्छा से एक घंटे के लिए अनावश्यक रोशनी बंद करते हैं।
- **जनभागीदारी:** यह अभियान नागरिक-नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देता है तथा ऊर्जा संरक्षण और सततता की दिशा में व्यवहारगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रतीकवाद से आगे:** वर्षों के दौरान पृथ्वी घंटा केवल एक प्रतीकात्मक गतिविधि न रहकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा देने वाला व्यापक आंदोलन बन गया है।

पृथ्वी घंटा की उत्पत्ति एवं विकास

सिडनी में शुरुआत (2007)

- पृथ्वी घंटा की शुरुआत वर्ष 2007 में **सिडनी, ऑस्ट्रेलिया** में WWF और पर्यावरणीय समूहों द्वारा अत्यधिक ऊर्जा खपत एवं वैश्विक तापवृद्धि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।
- प्रारम्भ में यह अभियान घरों एवं सार्वजनिक स्थलों की रोशनी बंद करने पर केंद्रित था, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

वैश्विक आंदोलन के रूप में विस्तार

- समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन गया, जिसमें विश्वभर से लाखों लोग भाग लेते हैं।
- प्रमुख स्मारक, शहर, निगम एवं संस्थान प्रतिवर्ष इसमें भाग लेते हैं, जो जलवायु एवं सततता संबंधी चिंताओं पर वैश्विक एकजुटता को दर्शाता है।

पृथ्वी घंटा 2026 की थीम – "Give an Hour for Earth"

- वर्ष 2026 की थीम लोगों को केवल रोशनी बंद करने तक सीमित न रहकर **60 मिनट प्रकृति और पर्यावरणीय कार्यों को समर्पित करने** के लिए प्रेरित करती है।
- यह अभियान प्रकृति से जुड़ने, पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्स्थापन, जैव विविधता के बारे में सीखने तथा दूसरों को सतत जीवनशैली अपनाने हेतु प्रेरित करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- यह इस बढ़ती समझ को प्रतिबिंबित करता है कि जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतीकात्मक कदमों से आगे बढ़कर व्यवहारगत परिवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व आवश्यक है।

भारत में सहभागिता

WWF-इंडिया की भूमिका

- भारत में पृथ्वी घंटा का समन्वय वर्ष 2009 से **WWF-इंडिया** द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जनसहभागिता एवं संस्थागत भागीदारी निरंतर बढ़ी है।
- यह पहल **58 से अधिक भारतीय शहरों** तक विस्तारित हो चुकी है, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी संस्थान, व्यवसाय और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं।

प्रतिष्ठित स्मारकों की भागीदारी

- प्रमुख विरासत स्थलों एवं सार्वजनिक स्मारकों ने पृथ्वी घंटा 2026 के दौरान जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के समर्थन में रोशनी बंद की।
- यह सहभागिता दर्शाती है कि सार्वजनिक संस्थान पर्यावरणीय जागरूकता और उत्तरदायी ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

"लाइट्स ऑफ" से आगे की गतिविधियाँ

पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

- भारत में पृथ्वी घंटा के अंतर्गत **स्वच्छता अभियान, प्रकृति भ्रमण, जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियाँ** आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य दीर्घकालिक पर्यावरणीय चेतना विकसित करना है।
- ये पहल नागरिकों को दैनिक जीवन में सतत व्यवहार अपनाने तथा पर्यावरणीय संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हैं।

नागरिक विज्ञान एवं सामुदायिक सहभागिता

- यह अभियान जैव विविधता निगरानी, साइक्लोथॉन, वृक्षारोपण अभियान एवं स्थानीय सततता पहलों जैसी नागरिक-आधारित संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- ऐसी सामुदायिक भागीदारी पर्यावरणीय शासन और जलवायु सहनशीलता में जमीनी स्तर की सहभागिता को मजबूत करती है।

पृथ्वी घंटा एवं जलवायु परिवर्तन

जलवायु कार्रवाई जागरूकता

- पृथ्वी घंटा वैश्विक तापवृद्धि, बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा अस्थिर उपभोग पैटर्न जैसी चुनौतियों को रेखांकित करता है।
- यह व्यक्तियों और सरकारों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने हेतु सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है।

ऊर्जा संरक्षण

- यह पहल प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा दक्षता और उत्तरदायी विद्युत उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता मिलती है।

- यद्यपि एक घंटे तक रोशनी बंद करने का प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव सीमित है, किंतु इसका वास्तविक महत्व व्यवहारगत परिवर्तन और जागरूकता निर्माण में निहित है।

पृथ्वी घंटा एवं सतत विकास

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंध

पृथ्वी घंटा निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है:

- **SDG 7:** सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा
- **SDG 11:** सतत शहर एवं समुदाय
- **SDG 12:** उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन
- **SDG 13:** जलवायु कार्रवाई
- **SDG 15:** स्थल पारिस्थितिकी तंत्र पर जीवन

सतत जीवनशैली को बढ़ावा

- यह आंदोलन अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल आदतों को प्रोत्साहित करता है।
- यह इस विचार को सुदृढ़ करता है कि सतत विकास के लिए सरकारों, व्यवसायों तथा सामान्य नागरिकों सभी की भागीदारी आवश्यक है।

जमीनी स्तर के पर्यावरणीय अभियानों का महत्व

सार्वजनिक व्यवहार में परिवर्तन

- पृथ्वी घंटा जैसे अभियान जागरूकता उत्पन्न करते हैं और धीरे-धीरे समाज को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली की ओर प्रेरित करते हैं।
- जनभागीदारी लोकतांत्रिक पर्यावरणीय शासन को मजबूत करती है तथा अधिक प्रभावी जलवायु नीतियों के लिए दबाव बनाती है।

वैश्विक पर्यावरणीय एकजुटता

- पृथ्वी घंटा भौगोलिक, आर्थिक एवं विकासात्मक भिन्नताओं के बावजूद पृथ्वी की रक्षा के प्रति सामूहिक वैश्विक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।
- यह जलवायु सहयोग और पारिस्थितिक सततता की आवश्यकता पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सहमति को दर्शाता है।

पर्यावरणीय जागरूकता अभियानों की चुनौतियाँ

- यदि प्रतीकात्मक अभियानों के साथ नीतिगत कार्रवाई और व्यवहारगत परिवर्तन न हों, तो उनका दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रह सकता है।
- विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में सीमित पर्यावरणीय शिक्षा के कारण जलवायु जागरूकता असमान बनी हुई है।
- बढ़ती जागरूकता के बावजूद उपभोक्तावाद और तीव्र शहरीकरण पर्यावरणीय दबाव बढ़ाते रहते हैं।
- दीर्घकालिक पर्यावरणीय सततता के लिए संस्थागत सुधार, तकनीकी नवाचार तथा वैश्विक सहयोग आवश्यक हैं।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा:** विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों में जलवायु जागरूकता और सततता को शामिल किया जाए।
- **सतत आदतों को प्रोत्साहन:** नागरिक ऊर्जा-कुशल जीवनशैली, अपशिष्ट में कमी तथा उत्तरदायी उपभोग को अपनाएँ।
- **जलवायु नीतियों को सुदृढ़ करना:** सरकारों को जागरूकता अभियानों के साथ मजबूत जलवायु कार्रवाई और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को भी आगे बढ़ाना चाहिए।
- **सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना:** दीर्घकालिक पारिस्थितिक सहनशीलता के लिए स्थानीय पर्यावरणीय पहल और नागरिक-आधारित संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

पृथ्वी घंटा 2026 यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। यद्यपि "लाइट्स ऑफ" आंदोलन जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है, इसका व्यापक महत्व सतत जीवनशैली, पारिस्थितिक उत्तरदायित्व और वैश्विक पर्यावरणीय एकजुटता को बढ़ावा देने में निहित है। दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थानों पर नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक सहभागिता और व्यवहारगत परिवर्तन पर भी निर्भर करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पृथ्वी घंटा (Earth Hour) का वैश्विक स्तर पर आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है?

(a) UNEP (b) ग्रीनपीस

(c) WWF (d) UNESCO

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. जलवायु कार्रवाई और सतत विकास को बढ़ावा देने में वैश्विक पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के रूप में पृथ्वी घंटा (Earth Hour) के महत्व की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2026

चर्चा में क्यों: यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी (GEM) रिपोर्ट 2026 जारी की है, जिसका शीर्षक एक्सेस एंड इक्विटी : काउंटडाउन टू 2030 है।

प्रमुख तथ्य

- यह रिपोर्ट **सतत विकास लक्ष्य**-4 (SDG 4) की दिशा में वैश्विक प्रगति का आकलन करती है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- वर्ष 2030 की समय-सीमा नजदीक आने के साथ, यह रिपोर्ट शिक्षा तक पहुँच में हुई प्रगति तथा बनी हुई असमानताओं दोनों को रेखांकित करती है, जिसमें **समानता, समावेशन और प्रणाली-व्यापी सुधारों** पर विशेष बल दिया गया है।

GEM रिपोर्ट 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

1. वैश्विक शिक्षा की स्थिति: प्रगति, परंतु अपूर्ण समावेशन

- विश्वभर में लगभग **27.3 करोड़ बच्चे और युवा** अभी भी विद्यालय से बाहर हैं।
- वर्ष 2000 के बाद से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु **2015 के बाद प्रगति की गति धीमी** पड़ गई है, विशेषकर निम्न-आय वाले क्षेत्रों में।
- नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी **शिक्षा पूर्णता (Completion) में अंतर** अभी भी बड़ा है, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा में।

2. शिक्षा तक पहुँच का विस्तार

- वर्ष 2000 के बाद से सभी स्तरों पर नामांकन में वृद्धि हुई है:
  - ➢ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच में मजबूत वृद्धि
  - ➢ पूर्व-प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा में भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
- हालांकि, यह विस्तार विशेषकर वंचित क्षेत्रों में **समान शिक्षा-पूर्णता परिणामों** में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो सका है।

3. समानता एक केंद्रीय चिंता

- रिपोर्ट के अनुसार SDG 4 की प्राप्ति में **असमानता सबसे बड़ी बाधा** बनी हुई है।
- गरीब, ग्रामीण एवं संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे अनुपातहीन रूप से विद्यालय से बाहर हैं।
- वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतर कम हुआ है, किन्तु क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं।
- **दिव्यांग विद्यार्थियों** तथा अन्य वंचित समूहों को अभी भी प्रणालीगत बहिष्करण का सामना करना पड़ रहा है।

4. समावेशन की दिशा में नीतिगत परिवर्तन

- अनेक देशों ने समावेशी शिक्षा संबंधी कानून लागू किए हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2000 में नगण्य स्तर से बढ़कर आज पाँचवें हिस्से से अधिक देशों तक पहुँच गई है। निम्नलिखित पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है:
  - ➢ समानता-आधारित वित्तपोषण
  - ➢ छात्रवृत्तियाँ एवं सशर्त नकद अंतरण
  - ➢ विद्यालय पोषण कार्यक्रम
- लगभग 10 में से 1 से भी कम देशों के पास व्यापक एवं सुदृढ़ समानता-आधारित शिक्षा व्यवस्था है।

5. अधिगम एवं शिक्षा-पूर्णता की चुनौतियाँ

- शिक्षा-पूर्णता दर में सुधार हुआ है:
  - ➢ प्राथमिक शिक्षा पूर्णता: ~88%
  - ➢ निम्न माध्यमिक शिक्षा पूर्णता: ~78%
  - ➢ उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्णता: ~61%
- वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार, **सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्णता वर्ष 2100 तक भी प्राप्त नहीं हो सकती।**
- **प्रमुख समस्याएँ:**
  - ➢ कक्षा दोहराव (Grade Repetition)
  - ➢ विद्यालय में देर से प्रवेश
  - ➢ आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता में अधिगम गरीबी

6. उभरती वैश्विक प्रवृत्तियाँ

- डिजिटल शिक्षा उपकरणों का विस्तार, यद्यपि असमान पहुँच अभी भी चिंता का विषय है।
- शिक्षा प्रणालियों के **डेटा-आधारित शासन** पर बढ़ता जोर।
- शिक्षा का स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा नीतियों के साथ बढ़ता एकीकरण।

पहचानी गई प्रमुख चुनौतियाँ

1. विद्यालय से बाहर रहने वाली आबादी की निरंतरता

- गरीबी, संघर्ष, विस्थापन तथा बाल श्रम के कारण लाखों बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं।

2. शिक्षा प्रणालियों के भीतर असमानता

- शहरी-ग्रामीण विभाजन
- कुछ क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएँ
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सामाजिक-आर्थिक असमानता

3. वित्तपोषण की कमी

- अनेक निम्न-आय वाले देश सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों में पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं।
- संसाधनों का अप्रभावी आवंटन समानता-आधारित परिणामों को सीमित करता है।

4. कमजोर निगरानी प्रणालियाँ

- दिव्यांगता, प्रवासन एवं अधिगम परिणामों से संबंधित आँकड़ों की कमी लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा उत्पन्न करती है।

आगे की राह

1. समानता-केंद्रित नीतियों को सुदृढ़ करना

- वंचित एवं कमजोर समूहों के लिए लक्षित सहायता
- समावेशी शिक्षा प्रणालियों का विस्तार

2. सार्वजनिक निवेश में वृद्धि

- शिक्षा वित्तपोषण में अधिक एवं प्रभावी निवेश
- आधारभूत अधिगम परिणामों को प्राथमिकता देना

3. डेटा प्रणालियों में सुधार

- लैंगिकता, दिव्यांगता एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित बेहतर वर्गीकृत आँकड़े उपलब्ध कराना

4. आधारभूत अधिगम को सुदृढ़ बनाना

- प्रारंभिक कक्षाओं में साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता पर विशेष ध्यान
- विद्यालय छोड़ने एवं कक्षा दोहराव की दरों में कमी

5. वैश्विक सहयोग

- निम्न-आय एवं संघर्ष-प्रभावित देशों में SDG 4 की प्रगति हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

निष्कर्ष

GEM रिपोर्ट 2026 एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में विश्व ने उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु **समानता अभी भी SDG 4 की प्राप्ति में सबसे बड़ी चुनौती** बनी हुई है। वर्ष 2030 की समय-सीमा निकट आने के साथ अब केवल नामांकन बढ़ाने के बजाय **समावेशन, गुणवत्ता और परिणाम-आधारित शिक्षा प्रणालियों** पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, ताकि कोई भी शिक्षार्थी पीछे न रह जाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक शिक्षा निगरानी (GEM) रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विश्वभर में लगभग 27.3 करोड़ बच्चे और युवा अभी भी विद्यालय से बाहर हैं।
2. रिपोर्ट के अनुसार सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्णता वर्ष 2030 से पहले प्राप्त होने की संभावना है।
3. रिपोर्ट ने समानता को SDG 4 की प्राप्ति में एक केंद्रीय चुनौती के रूप में चिन्हित किया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

विषयवार QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026

चर्चा में क्यों: Quacquarelli Symonds (QS) ने QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 जारी किया है, जिसमें विश्व के उच्च शिक्षण संस्थानों का विषय-आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

प्रमुख तथ्य

- **जारीकर्ता:** यह रैंकिंग लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक फर्म क्वाक्वारेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds - QS) द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है
- **संस्करण:** वर्ष 2026 में इसका 16वां संस्करण जारी किया गया है
- इस रैंकिंग में **100 देशों के 1,900 से अधिक विश्वविद्यालयों** के **21,000 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों** का मूल्यांकन किया गया है, जो **55 विषयों** को पाँच व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है—कला एवं मानविकी, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान एवं चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन।
- रैंकिंग **शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शोध उद्धरण तथा संस्थागत सहयोग** जैसे संकेतकों पर आधारित है, जो उच्च शिक्षा में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं।

QS विषयवार रैंकिंग 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

1. विस्तृत कवरेज

- विभिन्न विषयों में 55 विषय क्षेत्र
- 300 से अधिक नए संस्थानों का प्रवेश
- विशेषकर एशिया सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती भागीदारी

2. कार्यप्रणाली के प्रमुख स्तंभ

QS निम्नलिखित के संयोजन का उपयोग करता है:

- शैक्षणिक प्रतिष्ठा सर्वेक्षण (वैश्विक विद्वानों की धारणा)
- नियोक्ता प्रतिष्ठा सर्वेक्षण (स्नातकों की रोजगार-योग्यता)
- शोध प्रभाव (प्रति शोध-पत्र उद्धरण, h-सूचकांक)
- अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग

वर्ष 2026 की रैंकिंग में वैश्विक प्रवृत्तियाँ

1. अग्रणी विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व

- हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय अनेक विषयों में शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं।
- MIT अनेक अभियांत्रिकी एवं विज्ञान विषयों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है।

2. एशिया का उदय

- दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।
- सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NUS) तथा चीनी विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- भारत ने रैंकिंग में रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व और सुधार दर्ज किया है (विभिन्न विषयों में 599 प्रविष्टियाँ)।

3. क्षेत्रीय परिवर्तन

- दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक सुधार दर (लगभग 40–45% विषयों में वृद्धि)।
- पूर्वी एशिया में नए प्रवेशकों की संख्या सर्वाधिक रही, हालांकि प्रदर्शन मिश्रित रहा।
- अधिकांश विषयों में शीर्ष 10 स्थानों पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व बना हुआ है।

विषयवार प्रमुख विशेषताएँ

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी

- MIT वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है।
- स्टैनफोर्ड, ETH ज्यूरिख, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से मजबूत प्रतिस्पर्धा।
- एशिया की उपस्थिति बढ़ रही है (NUS, NTU सिंगापुर)।

प्राकृतिक विज्ञान

- हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का प्रभुत्व।
- त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय जैसे चीनी संस्थानों की बढ़ती भागीदारी।

जीवन विज्ञान एवं चिकित्सा

- हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और जॉन्स हॉपकिन्स वैश्विक स्तर पर अग्रणी हैं।
- UCL और इम्पीरियल कॉलेज लंदन यूरोप के मजबूत प्रदर्शनकर्ता बने हुए हैं।

सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन

- हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड का प्रभुत्व।
- LSE ने अपनी मजबूत वैश्विक स्थिति बनाए रखी है।

कला एवं मानविकी

- ऑक्सफोर्ड वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।
- अमेरिका की मजबूत उपस्थिति (हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, NYU)।

भारत का प्रदर्शन

1. रिकॉर्ड भागीदारी

- भारत ने विभिन्न विषयों में **रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व** दर्ज किया है।
- अभियांत्रिकी, प्रबंधन एवं उभरते विषयों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

2. प्रमुख संस्थान

- IITs अभियांत्रिकी विषयों में अग्रणी हैं।
- IIMs प्रबंधन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं।
- JNU, BITS पिलानी, IIT दिल्ली एवं IIT बॉम्बे जैसे संस्थान वैश्विक शीर्ष श्रेणियों में शामिल हैं।

3. सकारात्मक प्रवृत्तियाँ

- भारतीय संस्थानों की वैश्विक दृश्यता में वृद्धि।
- शोध उद्धरणों एवं शोध उत्पादन में सुधार।
- वैश्विक श्रम बाजारों में रोजगार-योग्यता की बढ़ती मान्यता।

भारत के लिए महत्व

1. उच्च शिक्षा गुणवत्ता का मानकीकरण

- यह रैंकिंग भारत के उच्च शिक्षा सुधारों (NEP 2020 के संदर्भ में) का बाहरी मूल्यांकन प्रदान करती है।

2. शोध पारिस्थितिकी तंत्र का विकास

- शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, उद्धरणों तथा वैश्विक सहयोग पर बल।

3. सॉफ्ट पावर में वृद्धि

- उच्च वैश्विक रैंकिंग भारत की शैक्षिक कूटनीति और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आकर्षण को बढ़ाती है।

4. नीतिगत निहितार्थ

आवश्यकताएँ:

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अधिक निवेश
- संकाय भर्ती सुधार
- उद्योग–शिक्षा जगत सहयोग
- उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

प्रमुख चुनौतियाँ

- अभियांत्रिकी के अतिरिक्त अन्य विषयों में शीर्ष 50 में सीमित उपस्थिति।
- कुछ चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में शोध उत्पादन का संकेन्द्रण।
- अनेक विश्वविद्यालयों में अवसंरचना एवं वित्तपोषण की कमी।
- अंतर्विषयी शोध पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान** (NRF) की पहलों को सुदृढ़ करना।
- वैश्विक साझेदारियों एवं संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का विस्तार।
- गुणवत्ता-केंद्रित शोध के माध्यम से उद्धरण प्रभाव में सुधार।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाना।
- NEP 2020 के अंतर्गत बहुविषयी शिक्षा को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

QS विश्व विश्वविद्यालय विषयवार रैंकिंग 2026 एक **क्रमशः विविधतापूर्ण वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य** को दर्शाती है, जहाँ पश्चिमी विश्वविद्यालय अभी भी अग्रणी हैं, किन्तु एशिया—विशेषकर भारत—अपनी उपस्थिति लगातार सुदृढ़ कर रहा है। भारत के लिए यह रैंकिंग प्रगति के साथ-साथ उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु निरंतर सुधारों की आवश्यकता का भी संकेत देती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विषयवार QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन केवल शोध उद्धरणों के आधार पर करती है तथा प्रतिष्ठा संबंधी संकेतकों को शामिल नहीं करती।
2. इसमें 55 विषय क्षेत्रों को पाँच व्यापक विषय समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
3. रैंकिंग में शैक्षणिक प्रतिष्ठा तथा नियोक्ता प्रतिष्ठा दोनों को संकेतक के रूप में शामिल किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

इकाई 11 समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

डॉ. बी. आर. अंबेडकर

चर्चा में क्यों: 14 अप्रैल 2026 को भारत ने **डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर** की जयंती मनाई।

प्रमुख तथ्य

- • **भीमराव रामजी आंबेडकर**, जिन्हें लोकप्रिय रूप से **बाबासाहेब आंबेडकर** के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों, विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिक चिंतकों में से एक थे।
- सामाजिक न्याय, संवैधानिकता, लोकतंत्र तथा वंचित समुदायों के उत्थान में उनके योगदान आज भी भारतीय नीतियों और शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा

- जन्म: **14 अप्रैल 1891**, महू (वर्तमान मध्य प्रदेश) में।
- वे **महार समुदाय** से संबंधित थे, जिसे गंभीर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था।
- सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की:
  - ➢ कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
  - ➢ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया।
- उन्होंने अर्थशास्त्र और विधि में डॉक्टरेट उपाधियाँ प्राप्त कीं।

उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ सामाजिक असमानता को चुनौती देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक थीं।

प्रमुख योगदान

1. भारतीय संविधान के शिल्पकार

डॉ. आंबेडकर संविधान सभा की **प्रारूप समिति** (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।

प्रमुख संवैधानिक योगदान

- **समावेशन सुनिश्चित किया:**
  - ➢ मौलिक अधिकार
  - ➢ विधि के समक्ष समानता
  - ➢ अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)
  - ➢ संवैधानिक उपचार
  - ➢ अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों का संरक्षण
- **निम्नलिखित का समर्थन किया:**
  - ➢ संसदीय लोकतंत्र
  - ➢ संघवाद
  - ➢ स्वतंत्र न्यायपालिका
  - ➢ विधि का शासन

उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला के रूप में संवैधानिक नैतिकता पर विशेष बल दिया।

2. सामाजिक न्याय के अग्रदूत

आंबेडकर ने निम्नलिखित के विरुद्ध संघर्ष किया:

- अस्पृश्यता
- जातिगत भेदभाव
- सामाजिक बहिष्करण
- लैंगिक असमानता

प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व

- सार्वजनिक जलाशयों तक पहुँच के लिए महाड़ सत्याग्रह (1927)
- मंदिर प्रवेश आंदोलन
- दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अभियान

वे मानते थे कि:

"सामाजिक लोकतंत्र के आधार के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता।"

3. आर्थिक एवं श्रम सुधारों के समर्थक

वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में आंबेडकर ने अनेक सुधार प्रारम्भ किए, जैसे:

- कार्य घंटों में कमी
- मातृत्व लाभ
- श्रमिक कल्याण उपाय
- औद्योगीकरण एवं नियोजित आर्थिक विकास का समर्थन

आर्थिक विचार

- प्रमुख क्षेत्रों में राज्य समाजवाद
- भूमि सुधार
- जल संसाधन प्रबंधन
- वित्तीय संघवाद

उन्होंने ऐसे विचार भी दिए जिन्होंने बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना को प्रभावित किया।

4. महिलाओं के अधिकारों में योगदान

आंबेडकर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे।

हिंदू कोड विधेयक

उन्होंने निम्नलिखित विषयों से संबंधित सुधारों का प्रयास किया:

- महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार
- तलाक के अधिकार
- संपत्ति के अधिकार

यद्यपि प्रारम्भ में इस विधेयक का विरोध हुआ, इसके अनेक सिद्धांत बाद में भारतीय कानूनों में सम्मिलित किए गए।

5. बौद्ध धर्म ग्रहण

वर्ष 1956 में आंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

महत्व

- जातिगत उत्पीड़न का अस्वीकार
- समानता एवं गरिमा की खोज
- तर्कवाद एवं मानवतावाद को बढ़ावा

इस आंदोलन से भारत में आधुनिक नवयान बौद्ध आंदोलन का उदय हुआ।

लोकतंत्र के प्रति आंबेडकर की दृष्टि

राजनीतिक लोकतंत्र

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- प्रतिनिधिक सरकार
- संवैधानिक पद्धतियाँ

सामाजिक लोकतंत्र

उन्होंने निम्नलिखित पर बल दिया:

- स्वतंत्रता
- समानता
- बंधुत्व

ये सिद्धांत आंशिक रूप से बौद्ध धर्म और आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रेरित थे।

समकालीन भारत में प्रासंगिकता

1. सामाजिक न्याय संबंधी नीतियाँ

आंबेडकर के विचार आज भी निम्नलिखित को प्रभावित करते हैं:

- आरक्षण नीतियाँ
- कल्याणकारी उपाय
- अधिकार-आधारित शासन

2. संवैधानिक शासन

संवैधानिक नैतिकता पर उनका बल निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहसों में महत्वपूर्ण है:

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- संघवाद
- नागरिक स्वतंत्रताएँ
- संस्थागत उत्तरदायित्व

3. समावेशी विकास

उनकी दृष्टि आज भी निम्नलिखित चुनौतियों के समाधान में प्रासंगिक है:

- जातिगत भेदभाव
- शैक्षिक असमानता
- आर्थिक बहिष्करण
- लैंगिक अन्याय

आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ

कुछ विद्वानों का मत है कि:

- केवल आरक्षण से जातिगत असमानता समाप्त नहीं हो सकती।
- सामाजिक परिवर्तन अपेक्षा से धीमा रहा है।
- संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद आर्थिक असमानताएँ बनी हुई हैं।

फिर भी, आंबेडकर की वैचारिक रूपरेखा सुधार एवं समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्ग प्रदान करती है।

निष्कर्ष

भीमराव रामजी आंबेडकर केवल संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि ऐसे दूरदर्शी विचारक भी थे जिन्होंने भारत को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज में रूपांतरित करने का प्रयास किया। उनके विचार आज भी भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. डॉ. बी. आर. आंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
2. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड विधेयक का समर्थन किया।
3. उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की थी।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "डॉ. बी. आर. आंबेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की परिकल्पना समकालीन भारत में अभी भी अपूर्ण है।" चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मंगल पांडे

चर्चा में क्यों: भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) के महानायक मंगल पांडे का शहादत दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया, जिसके कारण वे एक बार फिर चर्चा में हैं।

प्रमुख तथ्य

- मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में एक भारतीय सैनिक (सिपाही) थे।
- **उन्हें 1857 के विद्रोह का मुख्य सूत्रधार और प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है,** जिन्होंने 'भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' को प्रेरित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

प्रारंभिक जीवन

- **जन्म:** 19 जुलाई 1827, बलिया जिला (वर्तमान उत्तर प्रदेश)
- वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे।
- उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती ली।

विद्रोह का तात्कालिक कारण

नव-प्रवर्तित **एनफील्ड राइफल कारतूसों** को लेकर उत्पन्न विवाद विद्रोह का तत्काल कारण बना।

कारतूस विवाद

- सैनिकों को कारतूसों को उपयोग में लाने से पहले दाँतों से खोलना पड़ता था।
- अफवाह फैली कि कारतूसों पर निम्नलिखित की चर्बी लगी हुई है:
  - ➢ गाय की चर्बी (हिन्दुओं के लिए आपत्तिजनक)
  - ➢ सूअर की चर्बी (मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक)

इससे भारतीय सैनिकों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहले से मौजूद शिकायतें और अधिक तीव्र हो गईं।

बैरकपुर घटना (1857)

- **29 मार्च 1857** को बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया।
- उन्होंने ब्रिटिश सार्जेंटों पर गोली चलाई और अन्य सिपाहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- यद्यपि अनेक सैनिक हिचकिचाए, इस घटना ने सेना के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया।
- मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

फाँसी

- ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

- उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फाँसी दी गई।
- उनके कार्य मई 1857 में पूरे उत्तर भारत में फैलने वाले व्यापक विद्रोह की प्रेरणा बने।

मंगल पांडे का महत्व

प्रतिरोध का प्रतीक

- वे साहस और औपनिवेशिक शासन-विरोधी संघर्ष के प्रतीक बन गए।

राष्ट्रवाद की प्रेरणा

- उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आगामी पीढ़ियों को प्रेरित किया।

जनविद्रोह की भूमिका

- उनका विद्रोह 1857 के व्यापक जनउभार का अग्रदूत सिद्ध हुआ।

राष्ट्रीय स्मृति

- भारतभर में पाठ्यपुस्तकों, फिल्मों, डाक टिकटों और स्मारकों में उन्हें स्मरण किया जाता है।

मंगल पांडे की विरासत

- अनेक सड़कों, उद्यानों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
- उनके जीवन को **"मंगल पांडे: द राइजिंग"** फिल्म में चित्रित किया गया, जिसमें **आमिर खान** ने अभिनय किया था।
- वे भारत में देशभक्ति के एक अमर प्रतीक बने हुए हैं।

निष्कर्ष

मंगल पांडे भारतीय इतिहास में उन प्रारम्भिक व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने खुलकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। यद्यपि उनका विद्रोह स्थानीय स्तर तक सीमित था, परन्तु इसने एक ऐसे व्यापक आंदोलन को जन्म दिया जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव को हिला दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दीर्घ यात्रा का आधार तैयार किया।

श्री गुरु तेग बहादुर जी

चर्चा में क्यों: हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व के अवसर पर "श्री गुरु तेग बहादुर जी" को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख तथ्य

- **नौवें गुरु:** वे सिख धर्म के नौवें गुरु थे और भारतीय इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे महान रक्षकों में से एक माने जाते हैं।
- **हिंद दी चादर:** उन्हें "हिंद दी चादर" (भारत की ढाल) के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने मुगल काल में कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वर्ष 1675 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

उनका जीवन निम्नलिखित मूल्यों का प्रतीक था:

- अत्याचार के विरुद्ध साहस
- आध्यात्मिक प्रज्ञा
- मानवीय गरिमा की रक्षा
- धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलतावादी मूल्य

प्रारंभिक जीवन

- **जन्म:** वर्ष **1621** में अमृतसर में हुआ।
- **मूल नाम:** उनका मूल नाम **त्याग मल** था।
- **वंशज:** वे छठे सिख गुरु, **गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र** थे।
- **उपाधि:** युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के कारण उन्हें **"तेग बहादुर"** (वीर तलवारधारी) की उपाधि प्राप्त हुई।
- आध्यात्मिक अभिरुचि: वे गहन ध्यान एवं तपस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने आध्यात्मिकता को अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की सिख परंपरा के साथ जोड़ा।

आध्यात्मिक अभिरुचि

- गहन ध्यान एवं तपस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे।
- उन्होंने आध्यात्मिकता को अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की सिख परंपरा के साथ जोड़ा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

औरंगज़ेब के शासनकाल की नीतियाँ

औरंगज़ेब के शासनकाल में:

- धार्मिक कट्टरता में वृद्धि हुई।
- कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्मांतरण एवं उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आईं।
- कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से संरक्षण की अपील की।

गुरु तेग बहादुर का शहीदी बलिदान

धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा

- गुरु तेग बहादुर ने जबरन धर्मांतरण का विरोध किया।
- उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है।

शहादत

- उन्हें औरंगज़ेब के आदेश पर गिरफ्तार किया गया।
- वर्ष 1675 में दिल्ली के **चांदनी चौक** में सार्वजनिक रूप से उनका बलिदान किया गया।
- आज यह स्थान **गुरुद्वारा शीश गंज साहिब** के रूप में प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक महत्व

उनकी शहादत को माना जाता है:

- मानवाधिकारों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना।
- केवल सिख धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि अंतरात्मा की सार्वभौमिक स्वतंत्रता की रक्षा।

योगदान एवं शिक्षाएँ

आध्यात्मिक शिक्षाएँ

गुरु तेग बहादुर ने निम्नलिखित पर बल दिया:

- भौतिकवाद से विरक्ति
- निर्भीकता
- करुणा
- सभी मनुष्यों की समानता
- ईश्वर के प्रति भक्ति

उनके भजन **गुरु ग्रंथ साहिब** में संकलित हैं।

महत्वपूर्ण शिक्षाएँ

विषय	मूल विचार
निर्भीकता	अन्याय के विरुद्ध बिना भय के खड़े रहना
धार्मिक स्वतंत्रता	सभी धर्मों का सम्मान करना
समानता	जाति एवं भेदभाव का विरोध करना
आध्यात्मिक अनुशासन	सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिकता में संतुलन बनाए रखना
बलिदान	व्यक्तिगत हानि की परवाह किए बिना सत्य का पालन करना

सिख इतिहास पर प्रभाव

सिख प्रतिरोध का उदय

गुरु तेग बहादुर की शहादत ने उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को गहराई से प्रभावित किया।

इसके परिणामस्वरूप:

- सिख समुदाय का सैन्यीकरण हुआ।
- वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई।
- उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध और अधिक सशक्त हुआ।

गुरु तेग बहादुर एवं संवैधानिक मूल्य

उनका जीवन आधुनिक भारतीय संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप है:

- धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
- धर्मनिरपेक्षता
- मानवीय गरिमा
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

इस प्रकार, गुरु तेग बहादुर केवल एक सिख गुरु के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और न्याय के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं।

गुरु तेग बहादुर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान

स्थान	महत्व
अमृतसर	जन्मस्थान क्षेत्र एवं प्रारंभिक जीवन
आनंदपुर साहिब	सिख गतिविधियों का प्रमुख केंद्र
गुरुद्वारा शीश गंज साहिब	शहादत स्थल
गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब	अंतिम संस्कार स्थल

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे सिख धर्म के नौवें गुरु थे।
2. वे गुरु अर्जन देव के पुत्र थे।
3. उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

इकाई 12

विविध

पर्यटन एवं व्यापार

चर्चा में क्यों: ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना अपनी तीव्र प्रगति, मसौदा मास्टर प्लान के प्रकाशन तथा पारिस्थितिकी, जनजातीय अधिकारों और सामरिक महत्व से जुड़े मुद्दों के कारण चर्चा में है।

प्रमुख तथ्य

- **परियोजना का मूल:** यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर बंदरगाह-आधारित और पर्यटन अर्थव्यवस्था विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना है।
- **प्रमुख घटक:** इसके अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP), ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, विद्युत संयंत्र और वैश्विक स्तर की पर्यटन अवसंरचना का निर्माण शामिल है।
- **भविष्य का लक्ष्य:** वर्ष 2055 तक द्वीप की जनसंख्या को बढ़ाकर 3.36 लाख करने और प्रतिवर्ष 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मुख्य चुनौतियाँ:** परियोजना के कारण स्थानीय निकोबारी और शोम्पेन (विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूह - PVTG) जनजातियों के विस्थापन, वन अधिकारों के उल्लंघन और पारिस्थितिकीय क्षति की चिंताएं गहरा गई हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** सरकार की तीव्र प्रशासनिक तत्परता के बावजूद, यह परियोजना इस समय कानूनी, पर्यावरणीय और सामरिक बहसों के केंद्र में है।

परियोजना का अवलोकन एवं हाल की प्रगति

- केंद्र सरकार की ₹92,000 करोड़ की यह विशाल परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के समग्र विकास का लक्ष्य रखती है।
- इसका मुख्य फोकस द्वीप को बंदरगाह-आधारित एवं पर्यटन-प्रेरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
- पिछले छह महीनों में परियोजना की प्रगति में उल्लेखनीय तेजी आई है।
- प्रगति के बावजूद पारिस्थितिक क्षति और जनजातीय अधिकारों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

प्रमुख अवसंरचना एवं विकास योजनाएँ

- **अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP):** वैश्विक समुद्री व्यापार को आकर्षित करने के लिए।
- **हरित क्षेत्र हवाई अड्डा और समर्पित विद्युत संयंत्र:** निर्बाध कनेक्टिविटी और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए।
  - पर्यटन हब: ग्रेट निकोबार को एक 'प्राकृतिक समुद्री पर्यटन गंतव्य' (Eco-Island Tourism Destination) के रूप में विकसित करने की परिकल्पना है, जो साहसिक पर्यटन, जैव विविधता और मनोरंजन को बढ़ावा देगा।
  - **सामाजिक अवसंरचना:** आर्थिक विकास के साथ-साथ इसमें आधुनिक स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थानीय आजीविका के साधनों का विकास भी शामिल है।

आर्थिक क्षमता एवं जनसंख्या अनुमान

- **जनसंख्या विन्यास में बदलाव:** वर्तमान में इस द्वीप की जनसंख्या मात्र 10,000 है, जिसे वर्ष 2055 तक बढ़ाकर 3.36 लाख करने का अनुमान है।
- **रोजगार सृजन:** वार्षिक रूप से लगभग 10 लाख पर्यटकों के आगमन की उम्मीद है। अनुमान है कि भविष्य में सृजित होने वाले रोजगारों में से 70% से अधिक हिस्सा पर्यटन और उससे संबद्ध क्षेत्रों से होगा।
- **भौगोलिक लाभ:** यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के अत्यंत निकट स्थित है। इसकी यह सामरिक स्थिति वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग में भारत की हिस्सेदारी और हिंद महासागर में उसकी पकड़ को मजबूत करेगी।

जनजातीय अधिकार एवं प्रशासनिक चिंताएँ

- स्वदेशी समुदाय — **निकोबारी एवं शोम्पेन जनजातियाँ** — अपने विस्थापन और अधिकारों के ह्रास को लेकर चिंतित हैं।
- विभिन्न मसौदों में पुनर्वास योजनाओं के विरोधाभासी प्रावधानों के कारण भ्रम की स्थिति है।
- आरोप हैं कि **वन अधिकारों** का प्रश्न वर्ष 2022 से अब तक अनिर्णीत बना हुआ है।
- सार्वजनिक परामर्श की समय-सीमा के संबंध में स्पष्टता का अभाव पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है।

पर्यावरणीय, कानूनी एवं सामरिक बहस

- यह परियोजना ग्रेट निकोबार की **पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता** को अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित कर सकती है।
- यद्यपि **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** (NGT) ने इसकी सामरिक महत्ता को स्वीकार किया है, फिर भी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- इस परियोजना से संबंधित कानूनी चुनौती **कलकत्ता उच्च न्यायालय** में विचाराधीन है।
- विशेषज्ञ इसकी व्यावसायिक तथा नौसैनिक व्यवहार्यता पर प्रश्न उठा रहे हैं।
- आगे बढ़ने से पूर्व **संतुलित सहमति एवं सतर्क दृष्टिकोण** अपनाना आवश्यक माना जा रहा है।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की **सामरिक एवं आर्थिक क्षमताओं** को सुदृढ़ करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। हालांकि, **पारिस्थितिकीय सततता, जनजातीय अधिकारों एवं पारदर्शिता** से जुड़े अनसुलझे प्रश्न गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें **समावेशी परामर्श, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता का आकलन** शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास की कीमत **अपरिवर्तनीय सामाजिक एवं पारिस्थितिक क्षति** के रूप में न चुकानी पड़े।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना सामरिक-आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरणीय-जनजातीय चिंताओं के बीच संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है।" चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

संवैधानिक नैतिकता बनाम धार्मिक आस्था

चर्चा में क्यों: सबरीमला मंदिर प्रवेश मामले की चल रही समीक्षा के दौरान केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया है कि आस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों का निर्धारण 'सार्वजनिक नैतिकता' (Public Morality) के बजाय 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) के आधार पर किया जाना चाहिए।

प्रमुख तथ्य

- **ERP को चुनौती:** केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के "अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practices - ERP) परीक्षण" को चुनौती देते हुए इसे भारत जैसे बहुधार्मिक देश में अव्यावहारिक बताया है।
- **संवैधानिक टकराव:** यह पूरी बहस अनुच्छेद 25 और 26 के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक सुधार के बीच संतुलन तलाशने का प्रयास करती है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** वर्ष 2018 के अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी, जिसे लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना गया था।
- Bइन व्यापक संवैधानिक और सभ्यतागत प्रश्नों के अंतिम समाधान हेतु यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 25 एवं 26

- **धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25):** अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन, आचरण और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, जो **लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य** के अधीन है।
- **धार्मिक संप्रदायों के अधिकार (अनुच्छेद 26):** धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अनुष्ठानों एवं प्रशासन का संचालन शामिल है।
- **उचित प्रतिबंध:** दोनों अनुच्छेद पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं; सामाजिक सुधार एवं जनकल्याण के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, जैसा कि मंदिर प्रवेश संबंधी कानूनों में देखा गया है।
- **न्यायिक व्याख्या:** न्यायालयों ने प्रायः व्यक्तिगत अधिकारों और समूह अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता एक गतिशील संवैधानिक क्षेत्र बन गई है।

अनिवार्य धार्मिक प्रथाएँ (ERP) सिद्धांत

- **शिरूर मठ मामला (1954) में उत्पत्ति:** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल धर्म की **अनिवार्य धार्मिक प्रथाएँ** ही संविधान द्वारा संरक्षित होंगी।
- **न्यायिक निर्धारण की समस्या:** न्यायालय यह निर्धारित करते हैं कि कौन-सी प्रथा "अनिवार्य" है, जिसके कारण यह आलोचना होती है कि न्यायाधीश विधि की बजाय धर्मशास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं।
- **केंद्र सरकार की आलोचना:** सरकार का तर्क है कि ERP सिद्धांत **असंगत और अव्यावहारिक** है, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ धार्मिक विविधता अत्यधिक है।
- **हालिया घटनाक्रम:** वर्तमान संविधान पीठ इस बात पर पुनर्विचार कर रही है कि ERP सिद्धांत जारी रहना चाहिए या इसके स्थान पर **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए।

सार्वजनिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता

- **संवैधानिक नैतिकता:** समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे मूल संवैधानिक मूल्यों के पालन को संदर्भित करती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है।
- **सार्वजनिक नैतिकता (केंद्र का दृष्टिकोण):** समाज के मूल्यों, परंपराओं और सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हो सकती है।
- **व्यवहारिक संघर्ष:** सबरीमला मामले में संवैधानिक नैतिकता ने **लैंगिक समानता** का समर्थन किया, जबकि सार्वजनिक नैतिकता का उपयोग पारंपरिक बहिष्करण को उचित ठहराने के लिए किया गया।
- **महत्वपूर्ण बहस:** सार्वजनिक नैतिकता पर अत्यधिक निर्भरता **बहुसंख्यकवाद** को बढ़ावा दे सकती है, जबकि केवल संवैधानिक नैतिकता पर बल देने से सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं की उपेक्षा हो सकती है।

धार्मिक संप्रदाय एवं स्वायत्तता

- **परिभाषा संबंधी चुनौती:** भारत में धार्मिक विविधता के कारण यह निर्धारित करना जटिल है कि कौन-सा समूह "धार्मिक संप्रदाय" कहलाएगा।
- **सबरीमला विवाद:** यह प्रश्न कि क्या अयप्पा भक्त एक पृथक धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके कुछ समूहों को बाहर रखने के अधिकार को प्रभावित करता है।
- **विधिक उदाहरण: वेंकटरमण देवारू मामला (1958)** में न्यायालय ने संप्रदायगत नियंत्रण को मान्यता दी, किन्तु मंदिर प्रवेश में बहिष्करण को सीमित किया।
- **स्वायत्तता एवं समानता का संतुलन:** पूर्ण स्वायत्तता भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है, जबकि अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है।

लैंगिक न्याय एवं सामाजिक सुधार

- **2018 के निर्णय का महत्व:** सर्वोच्च न्यायालय ने 10–50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को **समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14)** का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया।
- **महिलाओं के अधिकारों का दृष्टिकोण:** इस निर्णय को **लैंगिक न्याय एवं गरिमा** की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया, जिसने धार्मिक प्रथाओं में पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी।
- **विरोध एवं आंदोलन:** निर्णय के क्रियान्वयन का व्यापक विरोध हुआ, जिससे न्यायिक निर्णयों और सामाजिक स्वीकृति के बीच अंतर स्पष्ट हुआ।
- **व्यापक प्रभाव:** यह प्रश्न उठाता है कि सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक रीति-रिवाजों में राज्य को कितनी सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए।

समकालीन बहस: स्वदेशी संवैधानिक व्याख्या

- **स्वदेशी न्यायशास्त्र का तर्क:** केंद्र सरकार ने **"स्वदेशी दृष्टिकोण"** का समर्थन किया, जिसमें संवैधानिक व्याख्या को पश्चिमी सिद्धांतों की बजाय भारतीय सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित करने की बात कही गई।
- **बहुलता एवं विविधता:** भारत की धार्मिक विविधता एक समान मानकों को लागू करना कठिन बनाती है, इसलिए **संदर्भ-संवेदनशील न्यायनिर्णयन** की आवश्यकता है।
- **विखंडन का जोखिम:** संप्रदायगत स्वायत्तता को अत्यधिक मान्यता देने से सामाजिक विभाजन और बहिष्करण की प्रवृत्तियाँ बढ़ सकती हैं।

- **संतुलन की आवश्यकता:** ऐसा मध्य मार्ग आवश्यक है जो **संवैधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता** दोनों का सम्मान करे।

आगे की राह

- **ERP सिद्धांत का पुनर्परिभाषण:** धार्मिक अनिवार्यता की बजाय यह देखा जाए कि कोई प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं; इसके लिए **अधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया जाए।
- **संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा:** नागरिक शिक्षा और न्यायिक सुसंगतता के माध्यम से **समानता, गरिमा एवं बंधुत्व** के मूल्यों को सुदृढ़ किया जाए।
- **संदर्भानुकूल व्याख्या:** न्यायालयों को सांस्कृतिक प्रथाओं एवं संवैधानिक सिद्धांतों दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **समावेशी धार्मिक प्रथाएँ:** धार्मिक समुदायों के भीतर ऐसे सुधारों को प्रोत्साहित किया जाए जो **लैंगिक न्याय एवं सामाजिक समावेशन** सुनिश्चित करें।
- **संवाद-आधारित समाधान:** राज्य, न्यायपालिका एवं धार्मिक समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर विवादों को कम किया जाए तथा वैधता को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

सबरीमला मुद्दा एक विविध समाज में **आस्था, अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों** के बीच संतुलन स्थापित करने की व्यापक चुनौती को दर्शाता है। यद्यपि धार्मिक स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यह समानता और गरिमा के सिद्धांतों को निरस्त नहीं कर सकती। भारतीय संविधान एक **जीवंत दस्तावेज़** है, जिसके लिए परंपरा और आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर व्याख्या आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "अनिवार्य धार्मिक प्रथाएँ (Essential Religious Practices - ERP)" सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था?

(a) केशवानंद भारती मामला (b) शिरूर मठ मामला

(c) मिनर्वा मिल्स मामला (d) एस. आर. बोम्मई मामला

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. "सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के बीच की बहस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के केंद्र में स्थित है।" सबरीमला मामले के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

इकाई 13

अप्रैल 2026 'द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस से दैनिक अभ्यास प्रश्न'

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. एल नीनो (El Niño) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को दर्शाता है।
2. यह भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक पवनों (Trade Winds) को कमजोर करता है।
3. यह भारत में मानसूनी वर्षा में कमी से संबंधित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार तथा उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

कथन 2: इस प्रावधान का उद्देश्य निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखना है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 3. भारत की पड़ोसी नीति एवं क्षेत्रीय व्यापार की गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की पड़ोसी नीति परंपरागत रूप से केवल आर्थिक तर्कों पर आधारित रही है तथा इसमें भू-राजनीतिक विचारों का कोई महत्व नहीं रहा है।
2. अधिक क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण वैश्विक व्यापार व्यवस्था के विखंडन से उत्पन्न अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक हो सकता है।
3. गैर-शुल्क बाधाएँ तथा कमजोर संपर्क अवसंरचना ने पड़ोसी देशों के साथ भारत की व्यापारिक क्षमता को सीमित किया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 4. खेलों में लैंगिक सत्यापन तथा अंतरराष्ट्रीय विनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति महिला वर्गों में लैंगिक पात्रता के लिए केवल SRY जीन जैसे गुणसूत्रीय परीक्षण को अनिवार्य करती है।
2. खेलों में हाइपरएंड्रोजेनिज़्म संबंधी नियमों को खेल पंचाट न्यायालय (Court of Arbitration for Sport) में कानूनी चुनौती दी गई है।
3. वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि उच्च प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन सभी खेलों में हमेशा श्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
4. खेलों में लैंगिक सत्यापन नीतियाँ गोपनीयता, गरिमा तथा भेदभाव से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 3

प्रश्न 5. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव तथा उसके वैश्विक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने का प्रभाव केवल तेल आपूर्ति पर पड़ेगा तथा वैश्विक उर्वरक एवं अर्धचालक उद्योगों पर इसका नगण्य प्रभाव होगा।
2. खाड़ी क्षेत्र में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति में व्यवधान भारत, जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो की बाधा के अभाव में प्रमुख वैश्विक संघर्षों में सदैव बाध्यकारी एवं समयबद्ध निर्णय लेने में सक्षम होती है।
4. समुद्री व्यापार मार्गों में दीर्घकालिक व्यवधान मुद्रास्फीतिकीय दबाव तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी दोनों का कारण बन सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) केवल 1 और 4

प्रश्न 6. विनिमय दर की गतिशीलता एवं केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रुपये का अवमूल्यन वैश्विक परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वतः ही चालू खाते के संतुलन में सुधार कर देता है।

2. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के चालू खाते के घाटे को बढ़ाती है।
3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की निकासी घरेलू मुद्रा पर अवमूल्यन का दबाव डाल सकती है।
4. विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप सदैव किसी निश्चित विनिमय दर स्तर की रक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 7. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत आपराधिक अपराधों का प्रवर्तन करता है।
3. यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 8. फारस की खाड़ी (Persian Gulf) अरब सागर से किसके माध्यम से जुड़ी हुई है?

(a) स्वेज नहर (b) मलक्का जलडमरूमध्य

(c) होर्मुज जलडमरूमध्य (d) बोस्फोरस जलडमरूमध्य

प्रश्न 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर पद से हटा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 10. इज़राइल की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. इज़राइल के तटीय क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है।
2. दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः शुष्क एवं मरुस्थलीय है।
3. पूरे देश में वर्षभर समान रूप से वर्षा होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 11. भारत में डिजिटल शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श (Advisories) विधिक रूप से वैधानिक कानूनों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के समान होते हैं।
2. डिजिटल मंचों के संबंध में नियामकीय अनिश्चितता अर्थव्यवस्था में लेन-देन लागत बढ़ा सकती है तथा निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का विनियमन करना है तथा यह कंपनियों पर अनुपालन लागत भी आरोपित कर सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 12. स्मार्टफोन के लिए भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना मुख्यतः निर्यात के माध्यम से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
2. स्मार्टफोन PLI योजना में अंतिम असेम्बली की अपेक्षा अपस्ट्रीम (Upstream) घटक निर्माण को प्राथमिकता दी गई।
3. प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क में कमी ने स्मार्टफोन विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन दिया।
4. स्मार्टफोन PLI योजना की सफलता को PLI लागू किए गए सभी क्षेत्रों में समान रूप से दोहराया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 13. भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत स्टेज-VI (BS-VI) मानक यूरो-VI मानकों के समतुल्य हैं तथा उनका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना है।
2. "नो PUC, नो फ्यूल" नीति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक वैधानिक राष्ट्रव्यापी अनिवार्य प्रावधान है।
3. बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) वाहनों की भीड़ तथा निष्क्रिय अवस्था (Idling) के उत्सर्जन को कम करके वायु प्रदूषण घटाने में सहायक हो सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि भारत में लागत-प्रेरित (Cost-Push) मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है।
2. एल नीनो की परिस्थितियाँ सामान्यतः भारत में कृषि उत्पादन में सुधार करती हैं, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है।
3. जब मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक की सहनशीलता सीमा (Tolerance Band) से ऊपर चली जाती है, तब RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना अधिक होती है।
4. निम्न मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत हमेशा अधिक हो जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 15. आईएनएस अरिहंत (INS Arihant) मुख्यतः क्या है?

(a) डीज़ल-विद्युत पनडुब्बी

(b) परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी

(c) परमाणु-संचालित आक्रमणकारी पनडुब्बी

(d) पारंपरिक गश्ती पनडुब्बी

प्रश्न 16. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes - CSS) के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) राज्यों को लचीलापन प्रदान करते हुए राष्ट्रीय नीतियों को बढ़ावा देना

(b) राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करना

(c) राज्य सरकारों की योजनाओं का पूर्णतः स्थान लेना

(d) शासन के सभी कार्यों का केंद्रीकरण करना

प्रश्न 17. संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
2. अधिनियम के लागू होते ही यह आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
3. आरक्षण का कार्यान्वयन वर्ष 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के उपरांत परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 18. जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति में भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति किसी देश की संवेदनशीलता को कम कर सकता है।
2. जलवायु परिवर्तन का मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे वैश्विक आर्थिक कारकों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 19. एमसीएक्स (MCX) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है।
2. यह केवल कृषि कमोडिटी (Agricultural Commodities) का कारोबार करता है।
3. इसका विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 20. पेरिस समझौता (Paris Agreement) निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करता है?

(a) प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)

(b) पूर्ण समानता का सिद्धांत (Absolute Equality Principle)

(c) साझा किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व (Common But Differentiated Responsibilities)

(d) एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)

प्रश्न 21. भारत के वित्त आयोग की भूमिका एवं अनुशंसाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान वैधानिक प्रकृति के होते हैं तथा भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
2. अनुच्छेद 282 के अंतर्गत अनुदान विवेकाधीन होते हैं तथा संघ एवं राज्य दोनों किसी भी लोक प्रयोजन के लिए इन्हें प्रदान कर सकते हैं।
3. वित्त आयोग को राज्यों से स्वतंत्र होकर सीधे स्थानीय निकायों को अनुदान की अनुशंसा करने का संवैधानिक दायित्व प्राप्त है।
4. संघ सरकार द्वारा लगाए गए सभी उपकर (Cesses) एवं अधिभार (Surcharges) के विभाजन का प्रावधान वित्त आयोग करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 22. शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रदूषण को उसके स्रोत पर कम करना, स्मॉग टावर जैसे अंतिम-चरण (End-of-Pipe) समाधानों की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना जाता है।
2. भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक भारत में केवल डीज़ल वाहनों पर लागू होते हैं।
3. सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण वाहन उत्सर्जन तथा शहरी वायु प्रदूषण—दोनों को कम करने में सहायक होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना पर्यावरणीय मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के लिए की गई थी।

कथन II: इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी।

कथन III: इसे पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 24. डेंगू वायरस निम्नलिखित में से किस कुल (Family) से संबंधित है?

(a) रेट्रोविरिडी (Retroviridae)

(b) फ्लैविविरिडी (Flaviviridae)

(c) हर्पीसविरिडी (Herpesviridae)

(d) ऑर्थोमिक्सोविरिडी (Orthomyxoviridae)

प्रश्न 25. भारत में बॉक्साइट के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
2. झारखंड में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं।
3. बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः जलोढ़ मैदानों में पाए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भारत में मौसम पूर्वानुमान तथा चक्रवात संबंधी चेतावनियाँ जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

कथन 2: IMD, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है तथा आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है।
2. वर्ष 2019 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पहले वेनेज़ुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में से एक था।
3. होर्मुज जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया से भारत के कच्चे तेल के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है।
4. वेनेज़ुएला का कच्चा तेल हल्की प्रकृति का होता है तथा इससे डीज़ल जैसे मध्यम आसुत उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 28. निम्नलिखित में से कौन-से देश होर्मुज जलडमरूमध्य की सीमा से लगे हुए हैं?

1. ईरान
2. ओमान
3. संयुक्त अरब अमीरात
4. सऊदी अरब

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, साथ ही आर्थिक विकास को भी समर्थन देना है।
2. स्टैगफ्लेशन (Stagflation) ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति होती है।

3. आपूर्ति-पक्षीय संकट, जैसे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को सीमित कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
2. महिलाओं के आरक्षण का कार्यान्वयन अगली जनगणना के बाद किए जाने वाले परिसीमन पर निर्भर है।
3. भारत के संविधान ने प्रारंभ से ही संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) इस प्रकार अभिकल्पित किए जाते हैं कि वे जितना विखंडनीय पदार्थ उपभोग करते हैं, उससे अधिक उत्पन्न करें।

कथन II: इनमें तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग होता है तथा इनमें मंदक (Moderator) की आवश्यकता नहीं होती।

कथन III: इनमें सामान्यतः शीतलक (Coolant) के रूप में द्रव एवं ठोस—दोनों प्रकार के सोडियम का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 32. भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry - CII) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला संगठन है।
2. यह औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं संवर्धन करने का कार्य करता है।
3. इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 33. ईरान तथा उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर स्थित है।
2. फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण में स्थित है।
3. ईरान का तट लाल सागर से भी लगा हुआ है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों में मूल (प्रारंभिक) अधिकारिता प्राप्त है।

कथन 2: मूल (प्रारंभिक) अधिकारिता का अर्थ है कि मामला अधीनस्थ न्यायालयों में जाए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 35. ग्रेट निकोबार द्वीप के प्रस्तावित विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस परियोजना में गलाथिया खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह तथा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास प्रमुख घटकों के रूप में शामिल है।
2. संपूर्ण परियोजना क्षेत्र वन भूमि के विचलन (Diversion) से मुक्त है तथा मुख्यतः राजस्व भूमि पर स्थित है।
3. इस योजना में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, बंदरगाह-आधारित वित्तीय गतिविधियों तथा वेलनेस हब (Wellness Hubs) का विकास शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 36. भारत में खनन परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विचलन (Diversion) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) खनन के लिए वन भूमि के विचलन हेतु केवल राज्य सरकार की स्वीकृति पर्याप्त होती है।

(b) ग्राम सभा की सहमति केवल राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के मामलों में आवश्यक होती है।

(c) स्थानीय समुदायों से संबंधित शर्तों के अधीन वन स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती।

(d) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के विचलन से पूर्व वन अधिकारों की मान्यता तथा ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है।

प्रश्न 37. लेबनान–इज़राइल सीमा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लितानी नदी दक्षिणी लेबनान में इज़राइल सीमा के निकट प्रवाहित होती है।
2. गोलान हाइट्स (गोलान उच्चभूमि) लेबनान के भीतर स्थित है।
3. ब्लू लाइन (Blue Line) लेबनान और इज़राइल के बीच सीमा का निर्धारण करती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

कथन II: राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

कथन III: निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा कराया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 39. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

देश	समुद्री विशेषता / सामरिक स्थिति
1. ईरान	होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी तट पर नियंत्रण
2. ओमान	होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी तट पर नियंत्रण
3. तुर्की	मलक्का जलडमरूमध्य पर नियंत्रण
4. डेनमार्क	GIUK गैप (GIUK Gap) तक पहुँच को नियंत्रित करता है

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 40. हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा उसके निर्धारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निजी उपभोग भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सबसे बड़ा घटक है तथा इसका योगदान कुल उत्पादन के आधे से अधिक है।
2. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि आयात लागत बढ़ाकर तथा उपभोज्य आय घटाकर भारत की GDP वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
3. शुद्ध निर्यात (Net Exports) GDP में सकारात्मक योगदान केवल तब देता है जब आयात, निर्यात से अधिक हों।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 41. संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. उपराष्ट्रपति सीनेट के पदेन (Ex-officio) सभापति होते हैं।
2. सीनेट में मतों की समानता की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत (Casting Vote) देते हैं।
3. उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता द्वारा किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मलक्का जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है।

कथन 2: यह मध्य पूर्व से पूर्वी एशिया तक इस्पात एवं एल्यूमिनियम के परिवहन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 43. वैश्विक खाद्य मूल्य गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि उर्वरकों एवं परिवहन जैसी आगत लागत बढ़ाकर खाद्य कीमतों में वृद्धि कर सकती है।
2. जैव ईंधन उत्पादन हेतु मक्का एवं गन्ने जैसी फसलों का उपयोग खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान दे सकता है।
3. वैश्विक खाद्यान्न भंडार हमेशा खाद्य मूल्यों में वृद्धि को रोकते हैं।
4. कृषि जिंसों में वित्तीय सट्टेबाज़ी खाद्य मूल्यों की अस्थिरता को बढ़ा सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 44. भारतीय हिमालयी क्षेत्र के बांज (ओक) वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बांज (ओक) के वन भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) में योगदान देते हैं तथा जलग्रहण क्षेत्रों की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं।
2. चीड़ के वनों द्वारा बांज (ओक) वनों का प्रतिस्थापन होने से कम ज्वलनशीलता के कारण वनाग्नि की घटनाएँ कम हो जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न 45. राज्य विधान सभा चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. राज्य विधान सभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
2. राज्यपाल राज्य में चुनावों का संचालन एवं पर्यवेक्षण करते हैं।
3. चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका (Real Executive) के प्रमुख होते हैं।

कथन 2: राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के स्वतंत्र रूप से सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 47. वैश्विक औषधि नियामक प्रणालियों (Global Drug Regulatory Systems) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनेक विकासशील देश दवाओं तक शीघ्र पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) की स्वीकृतियों पर निर्भर रहते हैं।
2. त्वरित स्वीकृति (Accelerated Approval) की प्रक्रियाएँ राष्ट्रीय नियामकीय परीक्षण (Regulatory Scrutiny) की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देती हैं।
3. प्रमुख नियामक एजेंसियों के मानकों में परिवर्तन वैश्विक नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) की रूपरेखा को प्रभावित कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 48. भारत में कृषि उपार्जन (Procurement) प्रणाली में हाल के सुधारों के संदर्भ में, मंडियों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) की शुरुआत मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है?

(a) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का युक्तिसंगत निर्धारण

(b) अंत-से-अंत अनुरेखण (End-to-End Traceability) को सुदृढ़ करना तथा धोखाधड़ीपूर्ण खरीद को कम करना

(c) किसानों एवं निजी कंपनियों के बीच संविदा खेती (Contract Farming) को बढ़ावा देना

(d) एकीकृत बाजार के माध्यम से कृषि उपज के अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाना

प्रश्न 49. भारत में वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) की घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत की जाती है।
2. वन्यजीव अभयारण्यों में चराई तथा संसाधनों के संग्रह जैसी मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं।
3. राष्ट्रीय उद्यान (National Parks), वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में अधिक स्तर का संरक्षण प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 50. भारत में खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को चार वर्षों की अवधि में उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है।

2. अर्जुन पुरस्कार प्रदान करते समय प्रदर्शन के साथ-साथ नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन जैसे गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है।
3. एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले खेल रत्न पुरस्कारों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
4. राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अनुशंसाएँ राष्ट्रीय खेल महासंघों तथा राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: जनगणना संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है।

कथन 2: जनगणना संचालन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 52. भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई?

(a) 42वाँ संविधान संशोधन (b) 44वाँ संविधान संशोधन

(c) 73वाँ संविधान संशोधन (d) 61वाँ संविधान संशोधन

प्रश्न 53. एंथ्रोपोसीन (Anthropocene) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग है, जिसकी पहचान पृथ्वी की प्रणालियों पर मानव के महत्वपूर्ण प्रभाव से होती है।
2. इसे अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (IUGS) द्वारा औपचारिक रूप से आधिकारिक भूवैज्ञानिक युग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
3. मानव-जनित जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता की हानि इस युग के प्रमुख संकेतक माने जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय द्वारा संपन्न की जाती है, जिसके आदेश विधि के समान प्रभाव रखते हैं तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का कार्यान्वयन जनगणना के पश्चात् नए परिसीमन पर निर्भर है।
3. लोकसभा सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन पर रोक (Freeze) वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर है तथा यह वर्ष 2026 तक संवैधानिक रूप से लागू है।
4. भारत निर्वाचन आयोग परिसीमन कराने तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में संशोधन करने वाला अंतिम प्राधिकरण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ताप विद्युत संयंत्र (Thermal Power Plants) जीवाश्म ईंधनों को जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं।

कथन II: जलविद्युत संयंत्र (Hydropower Plants) ईंधन जलाकर बहते हुए जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं।

कथन III: सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Power Plants) सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत का उत्पादन करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 56. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प लोकसभा में सीटों के आवंटन के सिद्धांत की सही व्याख्या करता है?

(a) प्रत्येक राज्य को समान संख्या में सीटें देना।

(b) राज्यों के बीच जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

(c) आर्थिक रूप से अधिक विकसित राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देना।

(d) साक्षरता एवं विकास संकेतकों के आधार पर सीटों का आवंटन करना।

प्रश्न 57. गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act - UAPA] के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. यह अधिनियम व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।
2. इसे वर्ष 1987 में आतंकवाद से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।
3. यह अधिनियम कुछ परिस्थितियों में आरोप-पत्र (Charge Sheet) दाखिल किए बिना विस्तारित अवधि तक हिरासत का प्रावधान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर तथा ग्रामीण गरीबों को संगठित करके गरीबी को कम करना है।

कथन 2: NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (SHGs) मुख्यतः अनौपचारिक ऋण संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो सदस्यों के बीच बचत एवं आंतरिक ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 59. आधुनिक युद्ध एवं वैश्विक भू-राजनीति में उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समकालीन संघर्षों में वाणिज्यिक उपग्रहों का उपयोग सैन्य निगरानी एवं लक्ष्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है।
2. सैन्य अभियानों के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।
3. द्वि-उपयोगी (Dual-use) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ नागरिक एवं सैन्य अनुप्रयोगों के बीच की सीमा को धुंधला कर देती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 60. भारतीय मानसून, जलवायु परिवर्तनशीलता तथा पूर्वानुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक योगदान देता है तथा कृषि एवं जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
2. प्रशांत महासागर में एल नीनो (El Niño) की परिस्थितियाँ सामान्यतः भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा से जुड़ी होती हैं।
3. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मौसमी पूर्वानुमानों में सुधार से जल प्रबंधन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में नीतिगत तैयारी बेहतर हुई है।
4. वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी के कारण भारत अब मुख्यतः मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रति कम संवेदनशील हो गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 61. तड़ित-झंझा (Thunderstorms) के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. तड़ित-झंझा का संबंध क्युम्यूलोनिंबस (Cumulonimbus) बादलों से होता है।
2. ये केवल शीत ऋतु के दौरान ही बनते हैं।
3. तड़ित-झंझा में बिजली चमकना तथा तेज़ हवाएँ शामिल होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

कथन II: उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं।

कथन III: उपसभापति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 63. भारत में डिजिटल मंचों एवं ई-पुस्तक (E-book) पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अमेज़न किंडल जैसे मंचों से खरीदी गई ई-पुस्तकों पर उपयोगकर्ताओं को मुद्रित पुस्तकों के समान पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त होते हैं।
2. यदि उपकरण का समर्थन या सेवा बंद कर दी जाए, तो डिजिटल मंच खरीदी गई सामग्री तक पहुँच सीमित कर सकते हैं।
3. कैलिबर (Calibre) जैसे सॉफ़्टवेयर उपयोगकर्ताओं को स्वामित्व-आधारित (Proprietary) पारिस्थितिकी तंत्र से स्वतंत्र रूप से ई-पुस्तकों का प्रबंधन एवं संग्रह करने की सुविधा देते हैं।
4. डिजिटल उपकरणों में नियोजित अप्रचलन (Planned Obsolescence) भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अंतर्गत कड़ाई से विनियमित है, जिससे कंपनियाँ मनमाने ढंग से सेवाएँ बंद नहीं कर सकतीं।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 64. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग को समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के अनुरूप बनाना तथा उपेक्षित क्षेत्रों तक संस्थागत ऋण का विस्तार करना था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक राष्ट्रीयकरण के निर्णय का पूर्ण समर्थन किया था तथा घोषणा से पूर्व उससे सक्रिय रूप से परामर्श किया गया था।
3. बैंक राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 65. भारत में लोक संचार एवं निर्वाचन निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग सरकारी संचार को विनियमित कर सकता है।
2. कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2015) मामले में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।
3. यदि सरकारी डिजिटल संचार मंचों का उपयोग जनकल्याण संबंधी जागरूकता के लिए किया जाए, तो वे निर्वाचन मानदंडों की समीक्षा के दायरे से बाहर रहते हैं।
4. राजनीतिक प्रचार के लिए करदाताओं के धन से निर्मित संचार अवसंरचना का उपयोग चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता उत्पन्न कर सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 66. भारत में श्रम संबंधी मुद्दों एवं श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के कार्यबल का एक बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण सीमित है।
2. भारत में श्रम संहिताओं (Labour Codes) का मुख्य उद्देश्य श्रमिक संघों की सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining) की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
3. भारत में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का सभी राज्यों में बिना किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन के समान रूप से पालन कराया जाता है।
4. श्रम अधिकारों के कमजोर क्रियान्वयन तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के अभाव से औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 67. पश्चिम बंगाल के भौतिक विभागों (Physiographic Divisions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय स्थित है।
2. तराई एवं दुआर क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं।
3. राढ़ (Rarh) क्षेत्र पश्चिम बंगाल के तटीय मैदानों का भाग है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 68. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है?

(a) राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन भेजना।

(b) किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।

(c) मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना।

(d) त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना।

प्रश्न 69. होर्मुज जलडमरूमध्य एवं हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है तथा यह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका का War Powers Act राष्ट्रपति को कांग्रेस की निगरानी के बिना सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देता है।
3. होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान वैश्विक तेल कीमतों एवं मुद्रास्फीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
4. होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तर में ईरान तथा दक्षिण में ओमान स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 70. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण ढंग से आहत करने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है।
2. धर्म-अपमान (Sacrilege) एवं धार्मिक भावनाओं से संबंधित कानून मुख्यतः संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
3. धार्मिक अपराधों से संबंधित कानूनों में झूठी शिकायतों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव दुरुपयोग एवं सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 71. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कथन II: मुख्यमंत्री विधान परिषद् के सदस्य नहीं हो सकते।

कथन III: मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) के सिद्धांत से बंधी नहीं होती।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 72. निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

(a) अनुच्छेद 324 (b) अनुच्छेद 326

(c) अनुच्छेद 356 (d) अनुच्छेद 368

प्रश्न 73. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों (Big Tech) के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डिफरेंशियल प्राइवेसी (Differential Privacy) एक ऐसी तकनीक है जिसमें गणितीय विधियों के माध्यम से AI मॉडल को समेकित (Aggregated) आँकड़ों पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की पहचान सुरक्षित रहती है।
2. एज AI (Edge AI) का हार्डवेयर उपकरणों, जैसे स्मार्ट चश्मे एवं पहनने योग्य उपकरणों (Wearables), में एकीकरण क्लाउड-आधारित प्रसंस्करण से विकेंद्रीकृत ऑन-डिवाइस AI प्रसंस्करण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
3. विशेषीकृत स्टार्टअप्स में रणनीतिक साझेदारियाँ एवं निवेश, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों (Big Tech) के लिए अपने मौजूदा सॉफ़्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में जनरेटिव AI उपकरणों को एकीकृत करने की प्रमुख रणनीति रहे हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 74. भारत में बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्र विधिक रूप से ऐसे अतिक्रमण-मुक्त (Inviolate) क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जहाँ मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती।
2. बफर क्षेत्र का उद्देश्य सीमित एवं विनियमित मानव गतिविधियों की अनुमति देकर सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है।
3. मानव एवं पशुधन की हानि के लिए मुआवज़ा भारत की बाघ संरक्षण रणनीति का भाग नहीं है।
4. संरक्षण के साधन के रूप में इको-पर्यटन में समुदाय की भागीदारी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 75. गोबर-धन (GOBAR-DHAN: Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का उद्देश्य गोबर एवं जैविक अपशिष्ट को बायोगैस, जैव-सीएनजी (Bio-CNG) तथा जैविक खाद में परिवर्तित करना है।
2. इसका क्रियान्वयन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत किया जाता है।
3. यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लागू होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 76. सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल का एक प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि।

(b) जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को बढ़ावा देना।

(c) कृषि उत्पादकता में कमी।

(d) अपशिष्ट से संपदा (Waste-to-Wealth) का सृजन।

प्रश्न 77. अधिकरणों (Tribunals) के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. अधिकरण विशेष प्रकार के विवादों के निपटारे हेतु स्थापित अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) निकाय हैं।
2. अधिकरणों से संबंधित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे।
3. संविधान के अनुच्छेद 323A एवं 323B में अधिकरणों का उल्लेख किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 लोक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय

सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की निवारक निरुद्धि (Preventive Detention) की अनुमति देता है।

कथन 2: NSA के अंतर्गत किसी व्यक्ति को औपचारिक आरोप लगाए बिना 48 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 79. भारतीय रेल में आधुनिकीकरण संबंधी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में सुरक्षा बढ़ाने हेतु स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (Automatic Train Protection) जैसी उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों का समावेश किया गया है।
2. समर्पित माल गलियारों (Dedicated Freight Corridors) का उद्देश्य मालगाड़ियों की अपेक्षा यात्री ट्रेनों की गति बढ़ाना है।
3. रेलमार्गों का विद्युतीकरण ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 80. वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के संदर्भ में भारत के उर्वरक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत यूरिया उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर है तथा आयात पर निर्भर नहीं है।
2. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देश भारत के उर्वरक एवं द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं।
3. जैव-उत्तेजक (Biostimulants) सीधे फसलों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश जैसे आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध कराते हैं।
4. उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रमुख फसल मौसमों के दौरान आगत (Input) की उपलब्धता को प्रभावित कर कृषि उत्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 81. भारत में वेतन सुधार एवं कार्य-निष्पादन मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रदर्शन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Performance Related Incentive Scheme - PRIS) को सर्वप्रथम छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
2. रिज़ल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (Results Framework Document - RFD) का उद्देश्य प्रशासनिक स्तरों पर मापनीय परिणामों के साथ सरकारी कार्य-निष्पादन को जोड़ना था।
3. सातवें वेतन आयोग ने सभी सरकारी विभागों में प्रदर्शन-आधारित वेतन व्यवस्था को सफलतापूर्वक संस्थागत रूप प्रदान किया।
4. स्पष्ट उद्देश्यों के कारण निजी क्षेत्र की तुलना में सरकार में प्रदर्शन-आधारित वेतन लागू करना अधिक सरल है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 82. वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में हाल के विकास, विशेषकर हार्डवेयर-केंद्रित नवाचार से AI-आधारित मंचों की ओर परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बढ़ता महत्व उपकरण-आधारित नवाचार से संदर्भ-सचेत (Context-aware) एवं पूर्वानुमान-आधारित संगणन प्रणालियों की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
2. डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत नेटवर्क प्रभाव किसी कंपनी के निरंतर सांस्कृतिक एवं तकनीकी नेतृत्व को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हैं।
3. उभरती उपभोक्ता प्राथमिकताएँ, विशेषकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच, बंद प्रणालियों की तुलना में मॉड्यूलर एवं परस्पर-संचालित (Interoperable) प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक प्राथमिकता देती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 83. मणिपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इम्फाल घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है।
2. बराक नदी मणिपुर से निकलती है तथा पश्चिम दिशा में बहते हुए असम में प्रवेश करती है।
3. लोकतक झील उत्तर-पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 84. गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine) का संबंध किससे है?

(a) आर्थिक उदारीकरण (b) परमाणु नीति

(c) कृषि सुधार (d) पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति

प्रश्न 85. भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं?

1. यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।
2. यह एक कठोर संविधान प्रदान करता है, जिसमें किसी प्रकार का लचीलापन नहीं है।
3. यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 86. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: विश्व बैंक विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कथन II: विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को केवल सैन्य एवं रक्षा संबंधी वित्तपोषण ही प्रदान करता है।

कथन III: विश्व बैंक अपने सदस्य देशों के अंशदान से स्वतंत्र होकर कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं तथा दोनों मिलकर कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II एवं कथन III दोनों सही हैं, किन्तु इनमें से केवल एक कथन, कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II एवं कथन III में से केवल एक सही है तथा वही कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 87. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ख्याल शैली का उद्भव मध्यकाल में हुआ तथा आलाप एवं कल्पनाशीलता (Improvisation) की दृष्टि से इसे ध्रुपद की अपेक्षा अधिक अनुशासित एवं कठोर माना जाता है।
2. ग्वालियर घराना ख्याल गायन की सबसे प्राचीन एवं आधारभूत परंपरा माना जाता है।
3. ख्याल प्रस्तुति में सामान्यतः राग (स्वरलहरी), ताल (लय) तथा भावपूर्ण अभिव्यक्ति के संतुलन पर बल दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 88. भारत की ऊर्जा संक्रमण एवं ऊर्जा विविधीकरण रणनीति के संदर्भ में, बायोमीथेन तथा लघु-स्तरीय द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (Small-scale LNG - SSLNG) को एक साथ बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त करना।

(b) आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा वितरण का विकेंद्रीकरण करना।

(c) आधार-भार (Base-load) ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा का स्थान लेना।

(d) वैश्विक बाजारों में प्राकृतिक गैस की समान मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करना।

प्रश्न 89. चाबहार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान करता है।
2. यह फ़ारस की खाड़ी (Persian Gulf) पर स्थित है।
3. इसका विकास भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ किया जा रहा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: दक्षिण अफ्रीका मूल BRIC समूह का हिस्सा नहीं था तथा बाद में इसमें शामिल होकर इसे BRICS बनाया गया।

कथन 2: "BRIC" शब्द का प्रयोग मूल रूप से एक अर्थशास्त्री द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 91. भारत में पेमेंट्स बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई हालिया नियामकीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेमेंट्स बैंक माँग जमा (Demand Deposits) स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु ऋण (Lending) प्रदान नहीं कर सकते।
2. पेमेंट्स बैंक में जमा राशि प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक जमा बीमा के अंतर्गत आती है।
3. RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी पेमेंट्स बैंक UPI तथा निधि अंतरण (Fund Transfer) सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 92. भारत में अत्यधिक वर्षा (Extreme Rainfall) की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सामान्य से कम मानसून वर्षा (Below-normal Monsoon) का पूर्वानुमान पूरे भारत में बाढ़ की घटनाओं की संभावना कम होने का संकेत देता है।
2. हाल के दशकों में, आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण, भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है।
3. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) वर्ष 2016 के बाद संशोधित वर्गीकरण के अनुसार 24 घंटों में 204.5 मिमी से अधिक वर्षा को "अत्यंत भारी वर्षा (Extremely Heavy Rainfall)" के रूप में वर्गीकृत करता है।
4. भारत में शहरी बाढ़ केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम है तथा इसका मानवजनित कारकों से कोई संबंध नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 93. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।
2. ये सेना की भाँति मुख्यतः भारत की बाह्य सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
3. इनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP तथा SSB जैसे बल शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: निर्वाचित विधायकों के दल-बदल को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने हेतु दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) द्वारा विनियमित किया जाता है।

कथन 2: यह कानून उन सदस्यों को अयोग्य ठहराता है जो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं अथवा दल के व्हिप का उल्लंघन करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 95. वैश्विक मुद्रित परिपथ पट्ट (Printed Circuit Board - PCB) उद्योग तथा उससे संबंधित आपूर्ति शृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुद्रित परिपथ पट्ट (PCB) केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होते हैं तथा उन्नत संगणन प्रणालियों जैसे AI सर्वरों में इनका उपयोग नहीं होता।
2. पॉलीफिनाइलीन ईथर (Polyphenylene Ether - PPE) रेज़िन PCB लैमिनेट्स में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
3. पेट्रोरसायन उद्योग में व्यवधान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
4. AI-आधारित अवसंरचना की बढ़ती माँग PCB जैसे इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 96. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीवाश्म ईंधन आधारित आगतों पर भारतीय कृषि की बढ़ती निर्भरता उसे वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
2. हरित क्रांति ने भारत में मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों एवं जीवाश्म ईंधन आधारित आगतों पर निर्भरता को कम किया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

प्रश्न 97. ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. इसकी उत्तरी तटरेखा पाकिस्तान की सीमा से लगती है।
2. यह हिंद महासागर क्षेत्र का एक भाग है।
3. यह पूर्णतः ईरान के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 98. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: बहु-चरणीय चुनाव धनबल के प्रभाव को कभी कम नहीं कर सकते।

कथन 2: भारत निर्वाचन आयोग लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 99. भारत में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "बिग-फिश-लिटिल-पॉन्ड प्रभाव (Big-Fish-Little-Pond Effect)" यह संकेत करता है कि समान क्षमता होने पर भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में विद्यार्थी का शैक्षणिक आत्म-बोध (Academic Self-Concept) कम हो सकता है।
2. "आगमन भ्रांति (Arrival Fallacy)" का तात्पर्य है कि जीवन के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सुख-समृद्धि की गारंटी देती है।
3. टेली-मानस (Tele-MANAS) जैसी सरकारी पहल का उद्देश्य पूरे भारत में विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाना है।
4. मानसिक स्वास्थ्य के माँग-आधारित (Demand-Driven) दृष्टिकोण में व्यक्तियों को भावनात्मक कौशल एवं जागरूकता से सशक्त बनाया जाता है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सहायता प्राप्त कर सकें।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 100. भारत में विद्युत ग्रिड प्रबंधन एवं बिजली की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में रात्रिकालीन समय में चरम विद्युत माँग (Peak Electricity Demand) को पूरा करने में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
2. ताप विद्युत संयंत्रों का अनियोजित बंद होना चरम माँग की अवधि में विद्युत आपूर्ति संकट को बढ़ा सकता है।
3. विद्युत विनिमय (Power Exchange) में स्पॉट बिजली की कीमतें सामान्यतः तब बढ़ जाती हैं जब माँग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, विशेषकर गैर-सौर (Non-Solar) समय में।
4. भारत में चरम विद्युत माँग हमेशा दिन के समय औद्योगिक खपत के कारण ही होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 101. वैश्विक तेल शासन (Global Oil Governance) एवं भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) तेल की वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के लिए उत्पादन कोटा (Production Quotas) का उपयोग करता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की स्थापना 1970 के दशक में तेल आपूर्ति संकट के उत्तर में प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता देशों के बीच ऊर्जा नीतियों के समन्वय के लिए की गई थी।
3. भारत IEA का पूर्ण सदस्य है तथा समन्वित सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve-SPR) जारी करने से संबंधित निर्णयों में भाग लेता है।
4. OPEC+ में रूस जैसे गैर-OPEC देश भी शामिल हैं, जो उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण में सहयोग करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) केवल 1 और 4

प्रश्न 102. भारत में बौद्ध अवशेष (Relic) परंपरा तथा उसके ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को प्रारम्भ में आठ दावेदारों के बीच विभाजित किया गया और स्तूपों में स्थापित किया गया, जिन्हें बाद में सम्राट अशोक ने पुनः वितरित कराया।
2. पिपरहवा स्तूप की खुदाई से प्राप्त ब्राह्मी अभिलेखों ने स्तूप में स्थापित अवशेषों को शाक्य वंश से जोड़ने वाले पुरातात्त्विक साक्ष्य प्रदान किए।
3. अवशेष-पूजन (शारीरिक पूजा/सारीरिका परंपरा) की परंपरा बौद्ध स्थापत्य के विकास, विशेषकर एशिया में तीर्थ-परिपथों (Pilgrimage Circuits) के विस्तार की प्रमुख प्रेरक शक्ति रही।
4. प्राचीन शैल-उत्कीर्णनों तथा मठीय स्तूपों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लद्दाख मध्य एशिया की ओर बौद्ध अवशेष परंपराओं के प्रसार का एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 103. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत की गई थी।

कथन 2: NHRC भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(a) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 104. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. EPFO संविधान के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. EPFO वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. EPFO केवल पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करता है तथा भविष्य निधि (Provident Fund) अंशदानों का प्रबंधन नहीं करता।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

ANSWER KEY

प्रश्न 1.	c	प्रश्न 22.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 43.	c (1, 2 and 4 only)	प्रश्न 64.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 85.	c
प्रश्न 2.	a	प्रश्न 23.	a	प्रश्न 44.	a	प्रश्न 65.	c (1, 2 and 4 only)	प्रश्न 86.	d
प्रश्न 3.	a	प्रश्न 24.	b	प्रश्न 45.	c	प्रश्न 66.	a	प्रश्न 87.	a (1 only)
प्रश्न 4.	a	प्रश्न 25.	a	प्रश्न 46.	c	प्रश्न 67.	a (3 only)	प्रश्न 88.	b
प्रश्न 5.	a	प्रश्न 26.	c	प्रश्न 47.	b	प्रश्न 68.	c	प्रश्न 89.	c
प्रश्न 6.	b (2 and 3 only)	प्रश्न 27.	c	प्रश्न 48.	b	प्रश्न 69.	a	प्रश्न 90.	d
प्रश्न 7.	d	प्रश्न 28.	b	प्रश्न 49.	a	प्रश्न 70.	c	प्रश्न 91.	a
प्रश्न 8.	c	प्रश्न 29.	c	प्रश्न 50.	c	प्रश्न 71.	d	प्रश्न 92.	b
प्रश्न 9.	c	प्रश्न 30.	b (1 and 2 only)	प्रश्न 51.	c	प्रश्न 72.	a	प्रश्न 93.	c
प्रश्न 10.	a	प्रश्न 31.	c	प्रश्न 52.	d	प्रश्न 73.	d	प्रश्न 94.	a
प्रश्न 11.	b (2 and 3 only)	प्रश्न 32.	a (3 only)	प्रश्न 53.	c	प्रश्न 74.	b	प्रश्न 95.	a (1 only)
प्रश्न 12.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 33.	a	प्रश्न 54.	a	प्रश्न 75.	b (1 and 2 only)	प्रश्न 96.	a
प्रश्न 13.	c	प्रश्न 34.	a	प्रश्न 55.	d	प्रश्न 76.	d	प्रश्न 97.	a
प्रश्न 14.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 35.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 56.	b	प्रश्न 77.	d	प्रश्न 98.	d
प्रश्न 15.	b	प्रश्न 36.	d	प्रश्न 57.	c	प्रश्न 78.	c	प्रश्न 99.	b
प्रश्न 16.	a	प्रश्न 37.	c	प्रश्न 58.	a	प्रश्न 79.	b (Only two)	प्रश्न 100.	b (1 and 4 only)
प्रश्न 17.	b	प्रश्न 38.	a	प्रश्न 59.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 80.	a	प्रश्न 101.	c
प्रश्न 18.	a	प्रश्न 39.	b (1 and 2 only)	प्रश्न 60.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 81.	b (1 and 2 only)	प्रश्न 102.	d
प्रश्न 19.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 40.	b (1 and 2 only)	प्रश्न 61.	c	प्रश्न 82.	b (1 and 3 only)	प्रश्न 103.	a
प्रश्न 20.	c	प्रश्न 41.	a	प्रश्न 62.	c	प्रश्न 83.	c	प्रश्न 104.	d
प्रश्न 21.	a	प्रश्न 42.	c	प्रश्न 63.	b (1 and 4 only)	प्रश्न 84.	d		

चहल एकेडमी द्वारा
ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें

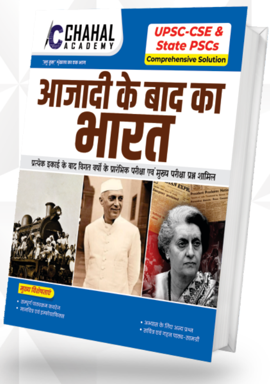

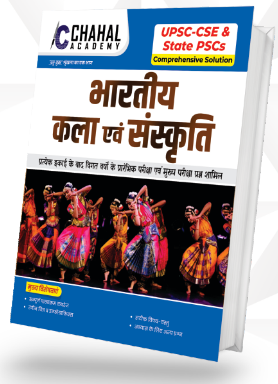

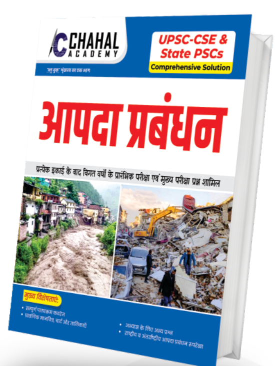

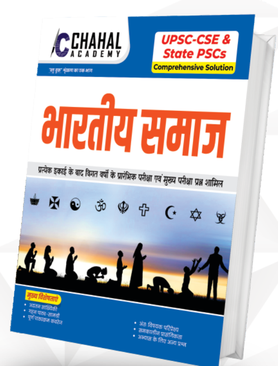

किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00